खण्ड-397, अंक-3
सोमवार, 11 आषाढ़, शक संवत् 1912
(2 जुलाई, 1990 ई0)

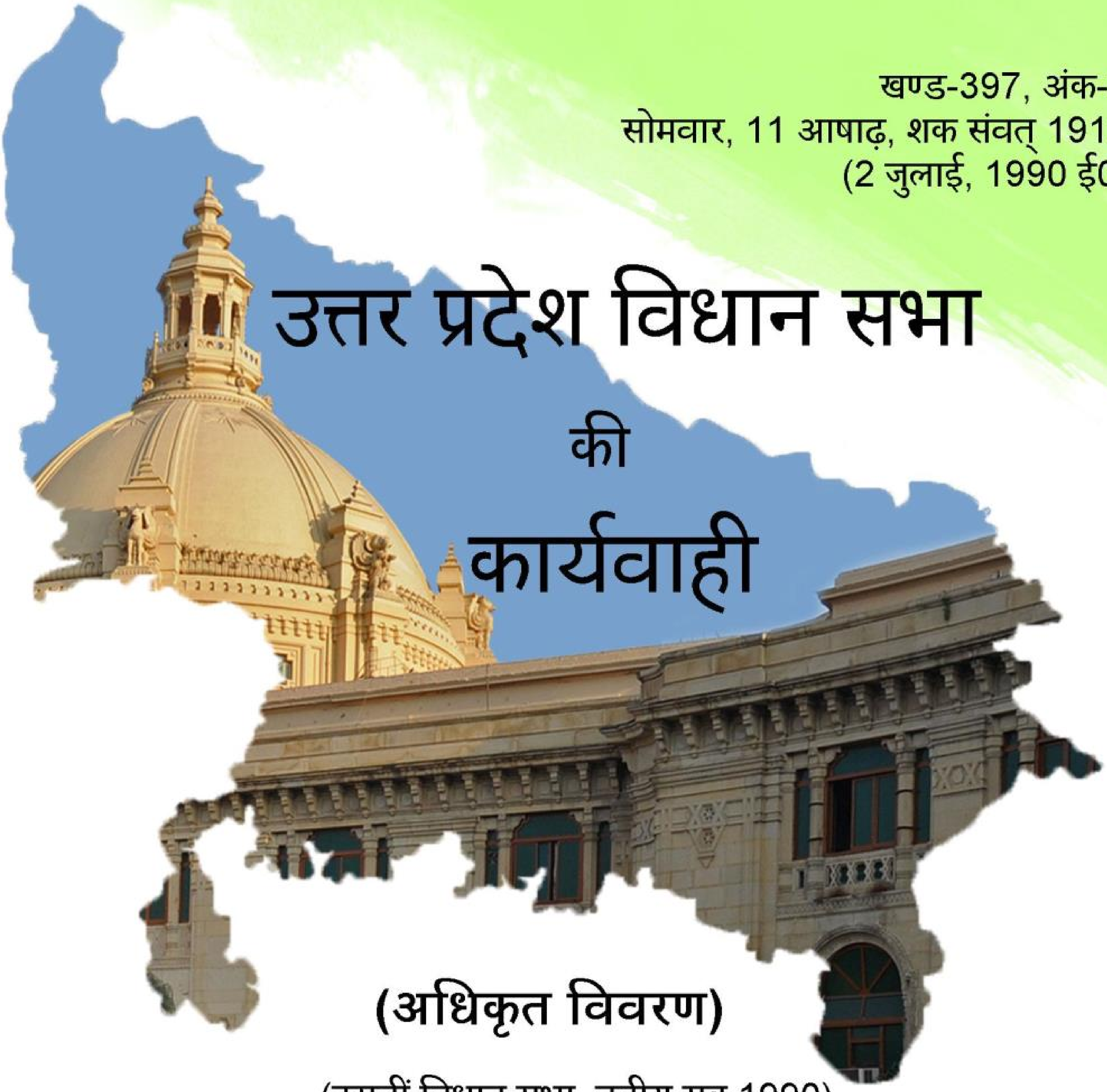

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 397 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ—च
प्रश्नोत्तर	1—98
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	98—99
शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी में अव्यवस्था होने तथा सुधार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
लखनऊ शहर में रह रहे अराजक तत्वों तथा मंत्रियों के यहां कार्यरत कतिपय वैयक्तिक सहायकों द्वारा मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद पीलीभीत की बीसलपुर नगरपालिका द्वारा वसूले जा रहे शिक्षा अधिभार को समाप्त किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बहराइच के निर्माण कार्यों में किये जा रहे घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
बस्ती जनपद के थाना दुधारा के कथक पुरवा ग्राम में हुए अग्निकाण्ड से कतिपय परिवारों की तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
क्षेत्रीय साधन सहकारी समिति कोथलसा, जनपद आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद उन्नाव के थाना गंगाघाट द्वारा प्रतिष्ठित पत्रकारों को अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102—103
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	103
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न . . . (जारी)	103—104
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं . . . (जारी)	104
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	104—105
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाए	105—107
औचित्य के प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न . . .	107—109
उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990 . . . . . (सदन के पटल पर रखा गया)	109

आश्वासन समिति का 59 वां प्रतिवेदन . . . . . (सदन के पटल पर रखा गया) 109

आश्वासन समिति का 60 वां प्रतिवेदन . . . . . (सदन के पटल पर रखा गया) 109

सदन में अव्यवस्था उत्पन्न करने तथा सदस्यों के अधिकारों का हनन किये जाने के सम्बन्ध में उपनेता विरोधीदल श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना 109—122

क्षेत्राधिकारी पुलिस के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर सुचनादाता सदस्य को सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 122—129

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 129—139

श्री सरजू प्रसाद सोनकर क्षेत्राधिकारी पुलिस के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना 139—141

विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी 141—143

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) अनुदान संख्या 52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 86-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग . . . (स्वीकृत) 143—169

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून तथा हरिद्वार जिलों को मिला कर उत्तरांचल नाम से एक पृथक प्रदेश गठित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत संचना . . . (अस्वीकृत) 170—183

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड, संजय गांधी स्नात्तकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव . . . (स्वीकृत) 183

मण्डी निदेशक द्वारा प्रकाशित "मण्डी स्टेट्स सर्वेक्षण रिपोर्ट" में मण्डी समितियों में करोड़ों रुपये के घपले विषयक तथा उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मिर्जापुर स्थित कम्बल कारखाने के श्रमिकों का शोषण किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत सूचना 184—185

ग्राम दलौनी का पुरवा, मजरा चकोर, थाना मऊ जिला बांदा के श्री कल्लू केवट पुत्र श्री राम प्रसाद की मऊ पुलिस द्वारा मारपीट कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 185—187

किसानों को कर्ज वसूली में प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 187—188

गणपूर्ति के अभाव में सदन का स्थगन 188—189

नस्थियां 191—200

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 2 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डल, लखनऊ में 11.00 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अख्तर, श्री	गाजियाबाद
अनवार मोहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
अशोक कुमार, श्री	बिजनौर
उमाकान्त बाजपेई, श्री	फतेहपुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	गाजीपुर
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी
काजी मो0 महिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
किशन गोपाल, श्री	आगरा
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी, श्री	इलाहाबाद
कृपा शंकर आर्य, श्री	देवरिया
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गंगाभक्त सिंह, श्री	हरदोई
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गोपाल रामदास, श्री	अल्मोड़ा
चन्द्रभान सिंह, श्री	बांदा
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	बस्ती
जगदीश लाल, श्री	महाराजगंज
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
तेजपाल, श्री	बिजनौर
देवकी नन्दन, श्री	उन्नाव
धर्मज्ञ मिश्र, श्री	हरदोई
धर्मपाल, श्री	बुलन्दशहर
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
प्रवीण सिंह एरन, श्री	बरेली
फाजदार, श्री	मऊ
बलदेव सिंह, श्री	बिजनौर
बहादुर सिंह, श्री	आगरा
बृजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं
भारत सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
मंत्री प्रसाद नैथानी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मल्लवीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
माधव, श्री	एटा
मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियां, श्री	बदायूं
यशपाल, श्री	नैनीताल
युवराज सिंह, श्री	हमीरपुर
रणजीत सिंह जुदेव, श्री	झांसी
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	बुलन्दशहर
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजपति, श्री	जौनपुर
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
राजेन्द्र सिंह, श्री	हमीरपुर
राजेश्वर बंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम औतार मिश्र, श्री	शाहजहांपुर
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम प्रसाद देशमुख, श्री	अलीगढ़
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार

राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
रिजवान ज़हीर उर्फ रिज्जू, श्री	गोण्डा
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विपिन बिहारी, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	हरिद्वार
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिवानन्द नौटियाल, डा0	चमोली
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती	बदायूं
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
साहब सिंह, श्री	मेरठ
सुखवीर सिंह, श्री	बिजनौर
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुबास, श्री	मऊ
सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0	बांदा
सुलेमान, श्री	बिजनौर
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हर नारायण, श्री	पीलीभीत
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 2 जुलाई, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दोहरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर नई नीति निर्धारण पर विचार-विमर्श

*11—श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री अतीक अहमद तथा श्री मंजूर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कर वर्तमान सरकार बेरोजगारी मिटाने को, ध्यान में रखते हुए कोई नयी नीति तैयार करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस नीति को बनाने में किन-किन लोगों की राय ली जा रही है और यह कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी नीति बनाने हेतु सरकार तत्काल विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)—

प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है इसके पश्चात् ही नीति निर्धारण पर विचार किया जायेगा ।

इस सम्बन्ध में शिक्षाविदों, अभिभावकों, विधायकों और अन्य प्रबुद्ध विचारकों से राय लेकर निर्णय लिया जा सकेगा ।

सम्प्रति समय लगने की सम्भावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं सरकार से जानना यह चाहता हूं कि दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करने का सरकार का अभिप्राय क्या है ? क्या उसका अभिप्राय यह है कि सभी बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्राइमरी स्कूलों द्वारा, जूनियर हाई स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेजों में ही शिक्षा दी जाया करेगी और दूसरे प्रकार के स्कूलों को समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य तो स्वयं बहुत विद्वान और शिक्षाविद् हैं । ये जानते हैं कि हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख था और हमने अपने संकल्प को इसी विधान सभा में रखा भी था । साथ ही जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया था तो उसके पृष्ठ 32 पर भी इस दोहरी शिक्षा समाप्त करने का उल्लेख किया था ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, घोषणा तो हो गयी कि समाप्त करेंगे, मगर उसका अभिप्राय क्या है ? मैं यह जानना चाहता हूं । क्या सभी बच्चों को प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक शिक्षा

परिषद् और इण्टरमीडिएट द्वारा संचालित स्कूलों व कालेजों में ही बच्चे पढ़ाये जायेंगे । तथा दूसरे स्कूलों को बन्द कर देंगे, या अन्य कोई अभिप्राय है ? कृपया इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

इसके पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में मैंने यह बताया था कि दोहरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त किया जायेगा । वह कैसी हो ? शिक्षा का गुणात्मक विकास कैसे हो ? इन सारी बातों के संबंध में आप सबकी राय जानने के लिए एक पत्र निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसाधन एवं प्रशिक्षण द्वारा लिखा गया है और सभी माननीय सदस्यों से उनके विचार मांगे गये हैं । हम अनुगृहीत होंगे आप सभी माननीय सदस्यों के, जो भी बहुमूल्य विचार हों इस संबंध में, हमें शीघ्र भेजने की कृपा करेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने बड़ा ही स्पष्ट प्रश्न किया मंत्री जी ने उसका सीधा उत्तर न देकर घुमा फिराकर दूसरी बात कही । दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करने की सरकार की घोषणा है, प्रदेश की जनता प्रदेश के लोग वह नहीं समझ पा रहे हैं कि दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करने के सम्बन्ध में आपका अभिप्राय क्या है । माननीय तिवारी जी के प्रश्न को दोहराते हुए यह जानना चाहता हूं कि क्या दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करते हुए उन सभी विद्यालयों को समाप्त करते हुए केवल बेसिक शिक्षा परिषद् व माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों जूनियर हाई स्कूलों, स्कूलों और कालेजों में ही बच्चे पढ़ेंगे, उनके अलावा कहीं और बच्चे नहीं पढ़ेंगे, केवल उन्हीं में ही पढ़ायेंगे, क्या इसका यह तात्पर्य है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी उत्तर दें या माननीय सदस्य कोई बात कहें, एक बात ध्यान में आप रख लें कि मंत्री जी का उत्तर है कि विचार विमर्श किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में शिक्षाविदों, अभिभावकों, विधायकों और अन्य प्रबुद्ध विचारकों से राय लेकर निर्णय लिया जा सकेगा । यह भी स्पष्ट वाक्य है । नीति निर्धारित होगी उसका कार्यान्वयन कैसे होगा, यह भी निर्धारित हो गया । नीति निर्धारित नहीं हुई है । यह स्पष्ट उत्तर दे दिया है । अब माननीय मंत्री जी कृपया विकल जी के प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी सरकार की नीति है कि गरीब के बेटे को भी उसी स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो जो कि अमीर के बेटे को मिलती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नीति तो मालूम हो गयी, सबको शासन की ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मंत्री जी का आभारी हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की उस नीति की घोषणा की बाबत कहा कि दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त करेंगे । लेकिन दुख है कि मंत्री जी और यह सरकार नहीं समझा पा रही है कि दोहरी शिक्षा प्रणाली क्या है ?

माननीय तिवारी जी ने और विकल जी ने सवाल किया, आपने भी बताया । जो जवाब है उसको भी आप देख लें । बजट भाषण का उल्लेख किया कि कमिटमेंट है । दोहरी शिक्षा नीति खत्म करेंगे, खत्म करने का तरीका क्या हो, इसकी राय लेंगे । माननीय तिवारी जी ने एक प्रश्न किया कि दोहरी शिक्षा नीति से आपका तात्पर्य क्या है, उसमें क्या खत्म करेंगे, क्या समान स्तर के विद्यालयों से शिक्षा उपलब्ध करायेंगे ? समान स्तर के विद्यालयों से आपका तात्पर्य क्या है, बेसिक शिक्षा परिषद् या माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के माध्यम से स्कूल रहेंगे या अंग्रेजी माध्यम के स्कूल रहेंगे । दो प्रकार के तो रहेंगे नहीं या बेसिक शिक्षा परिषद्, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालय रहेंगे या अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय रहेंगे, इसे स्पष्ट करें कि किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली आप लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप यह चाह रहे कि दोहरी शिक्षा प्रणाली क्या है इसकी व्याख्या करें ?

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, प्रश्न यह है कि एक समान स्तर के विद्यालयों से शिक्षा उपलब्ध करायेंगे ? वहां दो प्रकार के विद्यालय हैं । एक तो बेसिक शिक्षा विद्यालय हैं या नये अभिजात्य वर्ग के लिये हैं । क्या यह सामान्य जनमानस वाले विद्यालय जो हैं, उनमें सबके बच्चों को पढ़ाने के लिये अनिवार्य किया जायगा या फिर सबके लिये अभिजात्य वर्ग के विद्यालय जो हैं, वह उपलब्ध करायें जायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य को न केवल शिक्षा के संबंध में व्यापक जानकारी है, बल्कि वे संविधान के भी मर्मज्ञ हैं । संविधान की धारा 30 (1) के अन्तर्गत जो सुविधायें मिली हुई हैं, तो उन निर्देशों का उल्लंघन करना हमारा अभिप्राय नहीं है । मान्यवर, एक प्रश्न और उठा, टाट पट्टी नहीं, भवन नहीं विद्यालयों में । इस संबंध में कहना चाहूंगा कि कल शिक्षा का बजट है और हमने इतनी अधिक सुनिश्चित व्यवस्थायें कराई हैं, जिनका उल्लेख निश्चित रूप से कल आवेगा । दोहरी शिक्षा नीति के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्पष्ट है कि जहां भवन नहीं है, जहां टाट पट्टी नहीं है, जहां मेज कुर्सी नहीं है, उनके स्तर को उठाने की बात है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, सीधा सा सवाल है, उसका उत्तर नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप पूरी बात तो सुनें ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, जब इतना बड़ा प्रश्न है तो उसका उत्तर भी बड़ा होगा, अगर यह धैर्यपूर्वक सुनेंगे, तो मुझे विश्वास है कि अवश्य निश्चित हो जायेंगे । जो दूसरे विद्यालय हैं, वह संविधान के अन्तर्गत नहीं आते हैं, हम उन विद्यालयों को समाप्त कर दें, या उन विद्यालयों में पढ़ना अनिवार्य कर दें । इसी बात के संबंध में कि क्या करें और क्या न करें, एक पत्रक गया हुआ है, जिसके माध्यम से सुझाव आमंत्रित

किये हुये हैं । मेरा दुर्भाग्य है कि अभी तक माननीय सदस्यों के सुझाव आये नहीं हैं । जितनी जल्दी सुझाव आ जायेंगे, उतनी जल्दी सम्यक् रूप से विचार हो जायेगा । इस संबंध में निदेशक को भी पत्र लिखा है, अगर माननीय सदस्य उसे पढ़ लें, तो इससे स्पष्ट हो जायेगा कि हम विचार-विमर्श की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं ।

डा0 सरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, शिक्षा मंत्री अत्यन्त विद्वान मंत्रियों में से हैं, किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि रोग मलेरिया है, कि रोग कैंसर है, इस बात का ही वह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं । स्पष्ट प्रश्न है कि दोहरी शिक्षा नीति से आप क्या समझते हैं । टाट पट्टी, भवन का निर्माण का प्रश्न यहां नहीं है । प्रश्न यही है कि अंग्रेजी मीडियम से चलने वाले स्कूल में आप शिक्षा दिलवायेंगे या बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों को आप उच्चस्तर करेंगे, इसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर तो स्पष्ट आ चुका है कि समान शिक्षा शासन लाना चाहती है । आप समान शिक्षा की व्याख्या चाहते हैं, तो वह बजट में विस्तार से आ जायेगा ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, उत्तर के संदर्भ में जानना चाहती हूं कि कहा गया कि राय ली जा रही है, अभिभावकों की, शिक्षाविदों की और प्रबुद्ध विचारकों की । इस संबंध में जानना चाहती हूं कि शिक्षा का मसला एक अहम् मसला है और पूर्व में जो मंत्री जी ने उत्तर दिये हैं, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं । जो यहां राय लेने की बात कही गयी है, उस राय लेने का आधार क्या है, क्या कोई सेमिनार किया गया है, कोई बैठक की गयी है, यही मैं जानना चाहती हूं, आप माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक साथ दो प्रश्न करना चाहता हूं । उनकी घोषणा है कि शिक्षा की दोहरी नीति को समाप्त किया जायेगा । मेरा पहला प्रश्न यह है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग को जो अधिकार प्राप्त हैं, क्या उन पर वह एक आक्रमण है । मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा या अन्य अल्प संख्यक वर्गों द्वारा जो स्कूल संचालित हैं, क्या उन्हें भी समाप्त कर दिया जायेगा ? दूसरा केन्द्रीय सरकार का जो थ्री लैंगवेज फार्मूला है, क्या उसे भी समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का कहना है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्कूल संचालित किये जा रहे हैं, क्या उनमें भी समानता की नीति लागू होगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्रकार हिन्दुओं का धर्म ग्रन्थ गीता व रामायण है, मुसलमान सम्प्रदाय का धर्मग्रन्थ कुरान है, इसाईयों का बाइबिल है और जैसे गुरुग्रन्थ है, इन सबके लिए संविधान है और संविधान के अनुच्छेदों में जो प्राविधान है, उनका पालन करना हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य है इसलिए शंकालु होने की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान में अल्पसंख्यकों को जो भी अधिकार दिये गये है, उनकी पूरी की पूरी रक्षा की जायेगी।

ग्राम सभाओं में प्राइमरी पाठशालायें खोलने की मांग

**2—श्री नकली सिंह तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के जिन ग्राम सभाओं में प्राइमरी पाठशाला नहीं है, क्या प्राइमरी पाठशाला खोल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

जिला योजना के अन्तर्गत परिव्यय प्राविधान उपलब्ध होने पर असेवित ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित मानक के अनुसार पाठशाला खोले जाने की योजना है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने ग्राम है, जहां प्राइमरी पाठशालायें नहीं है ? दूसरा, यह कि आपकी सरकार का नारा है "चलो गांव की ओर"। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम बालकों को पढ़ने के लिए पाठशालायें तो मिले। दूसरा, आप प्रदेश के प्रत्येक गांव में प्राइमरी पाठशाला कब तक खोल देंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि हमारा नारा है "चलो गांव की ओर"। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यहां पर बजट प्रस्तुत किया, यदि उसे माननीय सदस्य ने देख लिया होगा वह निश्चित रूप से कहते कि शिक्षा विभाग का बजट चलो गांव की ओर के अनुसार ही है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने विभाग को यह निर्देशित करेंगे कि पूरे प्रदेश के उन गांवों में जहां प्राइमरी पाठशालायें नहीं है, उनका सर्वेक्षण करें ? सर्वेक्षण कराने के बाद कितने ऐसे विद्यालय आज चल रहे है, जो भवनहीन है, अगर किसी विद्यालय की दीवाल है भी, तो वह टूटी-फूटी है, जिसमें बच्चे बाहर पढ़ते है।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सर्वेक्षण करायी जाने की जो अपेक्षा की है हम पूरे प्रदेश में सर्वेमण करायेंगे। लेकिन मैं यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन कर दूं कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के ऊपर ही, पूरे के पूरे, जैसा कि माननीय

सदस्य चाहते हैं कि विद्यालयों की स्थापना होगी, जिला योजना का यह एक अंग है। दूसरी बात, भवन रहित विद्यालयों के सम्बन्ध में स्पष्ट निवेदन करूं कि हमारा पूरा प्रयास है कि इसी वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 15 हजार विद्यालयों को, जो भवन रहित हैं, उन्हें बनवा देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं जानना चाहता हूं जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया कि गांव की ओर चलने की नीति है, तो अधिकांश गांव सभाओं में अभी तक प्राइमरी स्कूल नहीं हैं या जहां हैं तो वह इतने दूर हैं कि 5—6 कि0 मी0 पढ़ने के लिये जाना पड़ता है। क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि जहां-जहां और जिन-जिन गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं हैं, वहां पर सदन उठने के बाद जुलाई में स्कूल खोलने का प्राविधान करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

बहुत स्पष्ट उत्तर मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन को देना चाहूंगा। यह बेसिक विद्यालयों का खुलने का जहां तक संबंध है जिला योजना के अंतर्गत परिव्यय का प्राविधान पूर्ण होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में खुलना है, यह बहुत स्पष्ट उत्तर है।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग एक-एक करके पूछिये।

श्री जनार्दन प्रसाद झा—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि 1979-80 के बाद पूरे प्रदेश में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खुला ? बजट में प्राविधान जो है वह 800 से 1200 स्कूल खोलने का है, प्रदेश में कुल 850 ब्लाक हैं, क्या वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करते हुए प्रत्येक ब्लाक में कम से कम 3 प्राइमरी पाठशाला खोलने का आश्वासन देंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

यह सदन का सौभाग्य है कि कल ही शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा होगी। इसमें पूरा सदन यह देखेगा कि पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में जहां विद्यालय गांव में नहीं खुले हैं यानी छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में नहीं खुले हैं, उतने अकेले इस एक ही साल में खोलने जा रहे हैं।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब 11.20 के बाद इस पर प्रश्न पूछने के लिये और समय नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्राइवेट रिंग्स मशीनों से की गयी बोरिंग पर अनुमन्य अनुदान का विचाराधीन प्रस्ताव

*2—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन किसानों को प्राइवेट रिंग्स मशीनों से छूट का लाभ देते हुए प्राइवेट नलकूप बनवाने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

प्राइवेट रिंग्स मशीनों से की गई बोरिंग पर अनुदान अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । आशा है शीघ्र निर्णय हो जायेगा ।

ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु पृथक् से समिति गठित किये जाने की मांग

*3—श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नहरों के रख-रखाव हेतु किये जाने वाले कार्यों के निरीक्षण के लिए जिस प्रकार कमेटी गठित किये जाने का प्रावधान है और जिसके सदस्य क्षेत्रीय विधायक व अभियंता होते हैं क्या उसी प्रकार ग्राम्य विकास के कार्यों के निरीक्षण हेतु समिति का गठन करने पर मंत्री जी विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं । प्रदेश में ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का संचालन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र समिति, जनपद स्तर पर जिला परिषद् एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी के माध्यम से किया जाता है तथा कार्यक्रमों के संबंध में उक्त संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों द्वारा भाग लेकर व्यापक विचार विमर्श किया जाता है । चूंकि क्षेत्र समिति, जिला परिषद् एवं जिला ग्राम विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी में मा0 सांसद एवं विधायकगण पदेन सदस्य होते हैं और समस्त कार्य समिति के अनुमोदन के पश्चात किये जाते हैं अतः ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के निरीक्षण के संबंध में पृथक् से समिति गठित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

मान्यवर, मैं आपके संरक्षण से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से सिंचाई विभाग में जो कार्य होते हैं, उनके भुगतान आदि तभी किये जाते हैं, जब क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति हो जाती है और जब तक विधायक संस्तुति नहीं कर देता है, तब तक उस का भुगतान नहीं किया जाता है, क्या उसी प्रकार से ग्राम्य विकास के जो कार्य

है, उनका भुगतान भी क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर करने के लिये माननीय मंत्री जी विचार करेंगे, जिससे जो कार्य हों वह उच्च स्तर के हों और उन पर नियंत्रण रखा जा सके।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जैसा कि उत्तर में मैंने कहा है, विधायकगण अभिकरण में होते हैं और क्षेत्र समिति में भी होते हैं। इसलिये उनको किसी भी कार्य को देखने या निरीक्षण करने का अधिकार है। इसलिये समिति बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई शिकायत आती है, तो उसके दूर किये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा। माननीय सदस्य के संज्ञान में यदि कोई इस तरह का मामला हो, उसे मेरे पास भिजवा दें, मैं उसको दिखवा लूंगी, लेकिन समिति बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

मान्यवर, आज भी कई माननीय सदस्यों ने अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से इसी प्रकार के प्रश्न किये हैं कि फलां जगह पर सड़क का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं किया गया है, फलां जगह पर पुलिया का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, फलां जगह पर खड़ंजा में पीली ईंट लगाई जा रही है। अगर निरीक्षण करने के अधिकार विधायकों और सांसदों को दे दिये जायें तो इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होंगी और उनका भुगतान उनकी संस्तुति पर ही किया जाये, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगी कि उनका भुगतान क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर ही किया जायेगा।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

समिति के गठन का कोई प्रश्न नहीं है। जो कमियां दिखाई पड़ें, उन कमियों के बारे में माननीय सदस्य मुझे जानकारी देंगे तो मैं निश्चित रूप से दिखवाऊंगी और उसका भुगतान तभी किया जायेगा जब कार्य ठीक होगा।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसे सिंचाई विभाग के संबंध में माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर एक नीति बनी है जब कि वहीं पर एक ही प्रकार का कार्य होता है। विकास खण्डों में भी कई प्रकार के काम होते हैं और विधायकों को पता भी नहीं होता है और कार्यों में विधायकों और सांसदों को ले लिया जाता है। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां नहीं लिया जाता है। अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से सिंचाई विभाग में इसके लिये एक नीति बनी है उसी तरह की नीति इसमें भी बनायेंगे?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, सिंचाई विभाग में जो समिति बनी है उसमें 75 प्रतिशत का ही भुगतान पहले किया जाता है और 25 प्रतिशत का भुगतान निरीक्षण के बाद ही किया जाता है। यह बात सही है। वहां पर समिति इसलिये आवश्यक है कि वहां पर और कोई प्रतिनिधि नहीं होता है लेकिन जहां तक हमारे विभाग का प्रश्न है यहां पर जिला परिषद् के स्तर पर, डी0 आर0 डी0 ए0 और ब्लॉक स्तर पर हम सब माननीय सदस्य और सांसद प्रतिनिधि होते हैं और भी प्रतिनिधि होते हैं। इसलिये उनको पूरा अधिकार है कि

उसका निरीक्षण करके वह कलेक्टर के पास भेजे और तब भुगतान हो। लेकिन मैं यह भी बताना चाहती हूं कि जब भी कोई शिकायत होती है तो भुगतान रोक दिया जाता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बी0 टी0 सी0 बेरोजगार अध्यापकों की नियुक्ति का बजट में प्राविधान

*1—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वर्ष 1978-79 में बी0 टी0 सी0 की ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति आज तक नहीं की गयी है ? यदि हां तो क्यों ? कब तक इन अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रदेश के 40 जनपदों में नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

40:1 के अनुपात में पद रिक्त न होने के कारण।

40:1 के अनुपात में पद उपलब्ध होने पर।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे ...1

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष जी, नत्थी (ख) का प्रश्न छूट गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पुकारा था परन्तु कोई खड़ा नहीं हुआ, अगर रुचि है तो इसे बाद में ले लेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1977-78 से बी0 टी0 सी0 की ट्रेनिंग प्राप्त कितने बेकार लोग हैं प्रदेश में जबकि जगहें खाली हैं लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

ऐसे लोग लगभग 45 हजार से ऊपर हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

किस आधार पर यह तय करेंगे और इनकी नियुक्ति करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, इसके लिये बजट में प्राविधान हो गया है। मेरा अनुमान है कि लगभग दस हजार बी0 टी0 सी0 बेरोजगार अध्यापकों की नियुक्ति इस वर्ष मिल जायेगी।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, बी0 टी0 सी0 की कई वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई है और वे लोग कई वर्षों से बेरोजगार पड़े हुए हैं इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि आयु की सीमा को पार कर चुके हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो नियुक्तियां होंगी उसमें क्या आयु सीमा पार कर चुके लोगों की भी नियुक्ति, उनको आयु सीमा में छूट देकर करने की कृपा करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का अनुगृहीत हूं कि पिछले सात-आठ साल से लोग क्यों बेकार रहे, यह अच्छा बता सकते हैं कि क्यों वे लोग नियुक्ति नहीं पा सके, लेकिन जो दूसरी शंका है जिसे उन्होंने प्रकट किया है उस सम्बन्ध में भी हम विचार कर रहे हैं

श्री उदल—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि 1978-79 की ही नहीं बल्कि 1972 से लेकर आज तक बी0 टी0 सी0 की ट्रेनिंग लेकर लोग बैठे हुए हैं, उन्हें किन कारणों से नियुक्त नहीं किया जा सका, किस वजह से यह हुआ, यह बात मैं नहीं जानना चाहता, बल्कि मैं मा0 मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे कि दस हजार अध्यापकों के अतिरिक्त 40:1 के आधार पर जो भी जगह रिक्त होंगी, इनको नियुक्ति देने की कृपा करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, अनुमानतः जो मैंने संख्या बतायी है इसमें तीन तरह की नियुक्ति है- एक तो 40:1 के अनुपात से देंगे, नये विद्यालयों में देंगे तथा जो एकल अध्यापकीय विद्यालय चल रहे हैं उनमें दो अध्यापकों को करने की बात है । इन सारे बिन्दु पर मैं समझता था कि इतना बड़ा काम हो रहा है तो माननीय सदस्य इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देंगे कि जो उन्होंने बजट में यह प्राविधान किया है । इस तरह के काल्पनिक प्रश्न से इसका संबंध नहीं है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

आप ग्रामों में शिक्षा का स्तर ठीक करना चाहते हैं, तो क्या आप ने बेसिक शिक्षा में 40 लड़कों पर एक अध्यापक का मानक रखा है, उसको कम करके जो बेरोजगार पड़े हैं, उनको रोजगार मिल जायेगा । तो क्या माननीय मंत्री जी मानक बदलने पर विचार करेंगे और सदन को आश्वासन देंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेई—

जी नहीं । जो मानक इस समय 40 लड़कों पर एक अध्यापक का है, उसी को पूरा करना हमारा लक्ष्य है ।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, बी0 टी0 सी0 प्राप्त लोगों की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, तो उनकी नियुक्ति के समय क्या आप आयु सीमा से छूट देकर प्राथमिकता देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

कितनी बार माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर दें ।

[सोमवार, दिनांक 2 जुलाई, 1990 के निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद के कटेहरी और भीटी विकास खण्डों की गांव सभाओं में नव-निर्वाचित प्रधानों को प्रदत्त चार्ज

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी और भीटी विकास खण्डों में अभी तक कई गांव सभाओं के निर्वाचित प्रधानों को पूर्व प्रधानों से चार्ज नहीं दिलाया गया है ? यदि हां, तो विस्तृत विवरण क्या है और इसके लिए दोषी लोगों को दण्डित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद फैजाबाद के कटेहरी और भीटी विकास खण्डों की गांव सभाओं में नव निर्वाचित प्रधानों को पूर्व प्रधानों से चार्ज दिलाने का कोई मामला लम्बित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न को देने के कितने दिनों बाद सबसे आखिरी चार्ज दिलाया गया और वह किस गांव सभा को दिलाया गया था । मंत्री जी कृप्या यह भी बता दें कि इससे पहले क्यों नहीं दिलाया गया ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, मेरा निवेदन है कि उत्तर आज आ रहा है । उत्तर देते समय आपके प्रश्न का समाधान करना है, उसे मंत्री जी करें । आपके पास कोई सूची हो कि अब तक इनको क्यों नहीं दिलाया गया । आपके प्रश्न करने के बाद ही क्यों चार्ज दिलाया गया यह तो कोई प्रश्न नहीं हुआ ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, जिस तारीख का प्रश्न था उसकी सूचना मंत्री जी को गई है, जो स्वीकृत हुई थी । उसके पहले कितनी गांव सभायें ऐसी थीं जिनके प्रधानों को चार्ज नहीं दिलाया गया । श्रीमन् अगर यही परम्परा रही कि प्रश्न करने के बाद चार्ज दिलाया जायेगा तो . . .

श्री अध्यक्ष—

आज तो पूर्ण उत्तर दिया जा रहा है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

ठीक है, मान्यवर ।

श्री हृदय नारायण—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने एक सीधा सा प्रश्न किया कि विधान सभा सचिवालय से मंत्री जी के यहां प्रश्न पहुंचने से पहले गांव सभा प्रधान को चार्ज नहीं दिलाया गया ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उस प्रश्न की अनुमति नहीं दी, कृपया बैठ जांय ।

श्री हृदय नारायण—

जब सवाल किया जाएगा तब काम होगा ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठ जांय ।

फारेस्ट मैनुअल के तृतीय संस्करण का संशोधन

*2—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फारेस्ट मैनुअल कब बनाया गया था ? क्या सरकार मैनुअल को संशोधित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

फारेस्ट मैनुअल के प्रथम तथा द्वितीय संस्करण के प्रकाशन के वर्ष की सही जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस मैनुअल का तृतीय संस्करण वर्ष 1911 में मुद्रित किया गया था ।

मैनुअल को संशोधित करने का कार्य वर्तमान में चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री जी को पता नहीं है कि फारेस्ट मैनुअल बना था । मंत्री जी कह रही हैं कि 1911 का पता है । महत्वपूर्ण विषयों में संशोधन हो रहा है ऐसा मंत्री जी कह रहे हैं । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह महत्वपूर्ण बिन्दु क्या-क्या हैं क्या इसके लिये कोई समिति बनी है, उसमें कुछ लोग हैं ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन और कितने लोग शामिल हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय सदस्य ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि विभाग को पता नहीं है । जो 1911 में छपा था उसकी कापी हमारे पास है और उसके पहले 1895 की सूचना है, उसकी कापी हमारे पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है लेकिन सूचना जरूर है । 1895 की प्रतिलिपि हमारे पास नहीं है । 1911 में पहले बना था । उसके बाद 52 में 7 संस्करण, उसमें 1911 से लेकर 1952 तक के संशोधन हुये, 1958 में उसे मुद्रित किया गया अब आठवें मैनुअल का संशोधान हो रहा है उसकी पढ़ाई लिखाई और बनाने का कार्यक्रम चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

यह एक टैक्निकल बात है क्या माननीय मंत्री जी आपको जानकारी है ? आप जौहरी जी, मंत्री जी के पास जाकर जानकारी कर लें ।

(व्यवधान)

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मेरे सवाल का जवाब दिलवा दें ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

इसे स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मैं जानना चाहता हूं जो मंत्री जी ने कहा कि संशोधन हो रहा है क्या उसके लिये कोई समिति बनी है और उसमें कौन-कौन लोग हैं मेरी यह जानने की प्रबल इच्छा है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई फारेस्ट ऑफिसर ही उसको बना दे क्योंकि फारेस्ट मैनुअल महत्वपूर्ण मैनुवल है ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

समिति की सूचना मेरे पास नहीं है ।

कुटी बीमा योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय प्रतिकर

*3—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भूमिहीन लघु सीमान्त कृषकों के लाभ हेतु सरकार "कुटी बीमा योजना" लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है एवं प्रदेश में कब से लागू की जा रही है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्रदेश में कुटी बीमा योजना शासनादेश दिनांक 23 मई, 1988 द्वारा दिनांक 1 मई, 1988 से लागू की गई है ।

कुटी बीमा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन मजदूर, दस्तकार, लघु एवं सीमान्त कृषक छोटे-छोटे व्यवसायों, यातायात एवं घरेलू सेवाओं में लगे हुए वे परिवार आते हैं, जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय कुल मिलाकर 4800 रुपये से अधिक न हो। योजनान्तर्गत प्रीमियम का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है ।

सामान कुटी के लाभ से क्षति ग्रस्त होने पर अधिकतम मुआवजा 1000 तथा सामान के लिये 500 रु0 देय होता है । किन्तु आपराधिक उद्देश्य से जहां आग लगायी

गई हो, कोई प्रतिकर देय नहीं होता है । युद्ध, गदर, आक्रमण, दुश्मन की गतिविधियां, आतंकवाद, आन्दोलन से उत्पन्न होने वाली आग चोरी आदि होने पर कोई प्रतिकर देय नहीं होता ।

ऐसे मामलों में भी कोई प्रतिकर देय नहीं होता है । जहां अन्य प्राविधानों के तहत केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा 1500 रु0 से अधिक का प्रतिकर भुगतान किया गया हो, परन्तु प्रतिकर की धनराशि कम भुगतान की दशा में लाभार्थियों को कुटी के बीमा योजना के तहत उतनी धनराशि प्रदान की जायेगी कि प्रतिकर की कुल धनराशि रुपया कुल 1500 से अधिक न हो ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि आपराधिक उद्देश्य से जहां आग लगायी गई हो, कोई प्रतिकर देय नहीं होता है । युद्ध, गदर, आक्रमण, दुश्मन की गतिविधियां, आतंकवाद, आंदोलन से उत्पन्न होने वाली आग चोरी आदि होने पर कोई प्रतिकर देय नहीं होता । तो मैं जानना चाहूंगा कि किन मामलों में प्रतिकर देय होता है । जो छोटे-छोटे काश्तकार है या जो छोटे उद्यमी हैं, उनको तो इससे कोई लाभ नहीं हो पायेगा ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, जैसा उत्तर में कहा गया है जो छोटे उद्यमी हैं किसी कारण से उनके यहां आग लग जाती है जो कारण बताये हैं उनको छोड़कर उनको इस बीमा योजना से लाभ होगा । इसलिये इस योजना में अन्य कारणों से आग लगने पर देय नहीं होगा ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन-इन मामलों में प्रतिकर देय नहीं होगा इसका मतलब है कि छोटे-छोटे काश्तकारों को कोई लाभ नहीं होगा तो क्या इसमें ऐसा प्रकरण लायेगी जिससे छोटे लोगों को लाभ हो ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जिनका बीमा हुआ है और जिनकी हानि हो जाती है, नियमानुसार छोटे लोगों के लिये यह योजना है तो उनको बीमा मिलेगा, तो लाभ होगा ।

इलाहाबाद नगर के कर्नलगंज एवं नया पुरवा मोहल्ला में अवैध देशी शराब की बिक्री एवं नई दुकान खोले जाने पर रोक की मांग

*4—श्री अनुग्रह नारायण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या आबकारी मंत्री को यह ज्ञात है कि शिक्षण संस्थाओं धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों तथा श्रमिक एवं हरिजन बस्तियों में शराब की दुकानों के खोले जाने पर शासकीय प्रतिबन्ध है । यदि हां, तो इलाहाबाद नगर के नयापुरा स्कूलली रोड तथा कर्नलगंज में देशी शराब की दुकान खोलने का औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि नया पूरा लगभग पूर्णतया हरिजन आबादी वाला 200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल का मुहल्ला है जिसमें एक अति प्राचीन परशुराम हायर सेकेन्डरी विद्यालय तथा कर्नलगंज में महात्मा

भारद्वाज मुनि का आश्रम है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्काल उपरोक्त दूकानों को बन्द कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

आबकारी मैनुअल खण्ड-1 के प्रस्तर-328(4) के प्राविधानों के अनुसार आबकारी की कोई नई दूकान सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, अस्पताल, आराधना के स्थल या फैक्ट्री अथवा बाजार या आवासीय कालोनी के प्रवेश के सन्निकट न खोले जाने का प्राविधान है ।

इलाहाबाद के कर्नलगंज मोहल्ले में देशी शराब की कोई दूकान नहीं खोली गई है । मोहल्ला नया पुरवा स्टेनली रोड में तथा आसपास अवैध मन्दिरोंकी बिक्री के कई अड्डे चल रहे थे । उन अवैध अड्डों से अवैध मंदिरों की बिक्री पर रोक लगाने तथा स्थानीय उपभोक्ताओं को स्वच्छ व मानक मदिरा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से वर्ष 1990-91 में एक नई देशी शराब की दूकान खोली गई है ।

प्राप्त सूचनानुसार मोहल्ला नया पुरवा में हरिजन आबादी के साथ-साथ लगभग 25 प्रतिशत सवर्ण जाति के लोग भी रहते हैं । इस मोहल्ले में पश्चिमी द्वार पर परशुराम हायर सेकेण्डरी विद्यालय है, परन्तु इस विद्यालय से शराब की दूकान लगभग 400 मीटर की दूरी पर है ।

उक्त दूकान की स्थिति आबकारी मैनुअल के प्राविधानों के अनुरूप है । अतः इसके बन्द करने का कोई औचित्य नहीं है ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के उपस्थित न होने पर)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मेरी रुचि है ।

श्री अध्यक्ष—

बाद में ले लेंगे ।

विसरख एवं दादरी विकास खण्डों के कतिपय गांवों में सामुदायिक विकास केन्द्र भवन के निर्माण हेतु धन का आरक्षण एवं खर्च का विवरण

*5—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विसरख एवं दादरी विकास खण्डों में क्रमशः ग्राम परथना खंजरपुर एवं लुहारली में सामुदायिक विकास केन्द्रों हेतु धन का आरक्षण गाजियाबाद ग्राम्य विकास अभिकरण ने किया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सामुदायिक विकास केन्द्रों का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इन केन्द्रों के लिये आवंटित धन को किस मद और कहां खर्च किया गया है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

जी नहीं ।

इन केन्द्रों के लिये स्वीकृत/आवंटित धन से निम्नलिखित कार्य कराये गये :—

1—ग्राम अटूटा में सामुदायिक विकास केन्द्र भवन का निर्माण (पर्थला, खंजरपुर में सामुदायिक केन्द्र भवन के स्थान पर) किया गया ।

2—जी0 टी0 रोड से छायसा मार्ग पर 8 पुलियों का निर्माण (ग्राम लुहारली में सामुदायिक केन्द्र भवन के स्थान पर) किया गया ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो 8 पुलियों का निर्माण किया गया है, वह क्या उन सामुदायिक विकास केन्द्रों के हस्तानान्तरण के समय डी0 आर0 डी0 ए0 से कोई प्रस्ताव पारित करा लिया गया था ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, जिला अभिकरण कमेटी में यह प्रस्ताव आया था कि जिन गांवों में को सामुदायिक विकास केन्द्र प्रस्तावित थे और वहां जमीन उपलब्ध नहीं थी तो कमेटी की बैठक में, जिसमें विधायक भी मौजूद थे, तय हुआ था कि जमीन उपलब्ध न होने के कारण 8 पुलियों का निर्माण जी0 टी0 रोड पर करा दिया जाये ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया था, मैं भी बैठक में मौजूद था. कि जिन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत यह सामदायिक विकास केन्द्र निर्मित होने थे उनसे हटाकर दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में काम करा दिया जाये, तो मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में यह किस आधार पर काम कराया गया ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, तत्कालीन परियोजना निदेशक के पत्र सं0 1894/जिला ग्राम वि0 अभि0/88-89 दिनांक 6-2-89 द्वारा अधिशासी अभियंता को सूचित किया गया था कि वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है, इसलिये इसको हस्तानान्तरण अन्य स्थान पर कर दिया जाये ।

*6—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[दि0 25-6-90 को ता0 प्र0 सं0 8 द्वारा उत्तरित ।]

जिला निर्माण एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर जिला अलीगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र अतरौली में कतिपय मार्गों के लेपन स्तर तक का निर्माण कार्य

*7—श्री कल्याण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको संबोधित दिनांक 22-1-90 का ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अतरौली, जिला अलीगढ़ में मार्गों को लोक विभाग में लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा ही उन मार्गों का पेन्टिंग स्तर तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में वर्ष 1990-91 के बजट में धनराशि का प्राविधान करने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन कब प्राप्त हुआ और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

उक्त ज्ञापन 23-1-90 को प्राप्त हुआ । प्रस्तावित मार्गों के लेपन का कार्य जिला सेक्टर के अन्तर्गत है जिनकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(श्री कल्याण सिंह के उपस्थित न होने पर ।)

जनपद आजमगढ़ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की समस्यायें एवं कृत कार्यवाही

*8—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के उ0 मा0 विद्यालयों की समस्याओं से सम्बन्धित श्री दिवाकर, तिवारी मंत्री, उ0 प्र0 मा0 शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़ का पत्र दिनांक 14 नवम्बर, 89 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-1-90 के साथ शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख समस्यायें क्या हैं और उनके संबंध में क्या कर्यवाही की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-1-90 के साथ श्री दिवाकर तिवारी का पत्र दिनांक 14-11-89 नहीं, अपितु पत्र दिनांक 14-12-89 को प्राप्त हुआ ।

पत्र में आजमगढ़ जनपद से सम्बन्धित प्रमुख समस्याओं की बिन्दुवार आख्या संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 191 पर ।)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । नत्थी के पृष्ठ 2 के बिन्दु 3 में समस्या आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनकट, आजमगढ़ के संबंध में है लेकिन मुबारकपुर की जांच की जा रही है । तो घोटाला कहां बनकट में है और जांच मुबारकपुर की की जा रही है, जो नीचे से लिखकर आ गया उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है कि क्या उत्तर दिया जा रहा है । इसलिये संरक्षण चाहता हूं और पहला प्रश्न है कि जांच का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब कोई जांच की जायेगी तो शिकायतकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो शिकायतकर्ता थे, जिनका पत्र मैंने अपने पत्र के साथ भेजा था, उनको साक्ष्य के लिए किसी अधिकारी ने किस दिनांक को बुलाया और उनका साक्ष्य कब लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

बड़ा विस्तृत प्रश्न है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह विस्तृत प्रश्न नहीं है, इसमें मान्य सिद्धान्तों का खुला उल्लंघन है, इसका उत्तर दिलवाइये ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, उपलब्ध सूचना जो हमारे पास थी, वही हमने प्रस्तुत कर दी । मान्यवर, आभारी हूं मैं माननीय सदस्य का जो उन्होंने इस प्रकरण में अपनी जागरूकता दिखाई और इस सम्बन्ध में जो हमारा ध्यान आकर्षित किया है । मैं इसमें निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही करके उनको अवगत करा दूंगा ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, सभी बिन्दुओं के उत्तर भ्रामक और गलत है । पहले बिन्दु का जिसमें है वेतन रोक दिया गया, यह भी गलत है । झूठा है । मैं इसे सिद्ध कर दूंगा । यह बतायें कि कब वेतन रोका गया । क्लर्क जो लिख देता है वही यह मान लेते हैं, यह बहुत गलत चीज है । इसमें मंत्री जी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है, इसी सदन में यह तय हो चुका है, इस तरह के प्रश्न पर जहां शिकायत-कर्त्ता को अवसर नहीं दिया गया, प्रश्न पीठ से स्थगित कर दिये जाते रहे हैं । इसमें भी शिकायतकर्ता को कोई अवसर नहीं दिया गया है । तो अब जब मंत्री जी के पास सूचना नहीं है तो कोई तर्क या मान्य आधार नहीं हो सकता है कि आप इस प्रश्न को स्थगित न कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपको उन्होंने आश्वासन दिया है . . .

श्री पंचानन राय—

उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया है केवल . . .

श्री अध्यक्ष—

आपका स्पष्ट प्रश्न है, जो शिकायतकर्त्ता है उसको जांच के समय बुलाया गया या नहीं । तो मंत्री जी ने कहा कि इस समय वह सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है । फिर भी आपके प्रश्न के प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया कि आप मंत्री जी के सामने उनके विभाग की अनियमितताएं ला रहे थे । इसलिए मंत्री जी तो आपकी सहायता चाहते हैं । मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसको वह पूरा करें ऐसा मेरा भी निर्देश है ।

*9—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[7वें शुक्र में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद आगरा में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्षवार सड़क निर्माण हेतु रुपयों का आवंटन एवं कृत लेपन कार्य

*10 श्री विजय सिंह राणा (अनुपस्थित)—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में राज्य सेक्टर से (एस0 एन0 डी0) सड़क निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि का आवंटन हुआ और कुल कितने कि0मी0 सड़क तारकोल लेपन स्तर तक तैयार की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद आगरा में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में क्रमशः 31.89, 86.15 तथा 123.20 लाख रुपये का आवंटन हुआ और वर्ष 1987-88 व 1988-89 में शून्य कि0 मी0 तथा वर्ष 1989-90 में 38.60 कि0मी0 में तारकोल लेपन का कार्य किया गया है।

मोहन मीकिन, गाजियाबाद, ब्रिवरी में निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता से बियर का उत्पादन

*11—श्री शारदा प्रताप शुक्ला (अनुपस्थित)—

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि मोहन मीकिन, गाजियाबाद, ब्रिवरीज में विगत 4 वर्षों में निर्धारित कोटे से अधिक स्प्रिट का उत्पादन किया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त उत्पादन के सन्दर्भ में आबकारी विभाग द्वारा कोई जांच शुरू की गयी थी ? क्या उक्त जांच में पाये गये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं। ब्रिवरी में केवल बियर का उत्पादन किया जाता है और विगत चार वर्षों (1986-87 से 1989-90 तक) में इस ब्रिवरी में कभी भी निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता से अधिक बियर का उत्पादन नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने हेतु निर्धारित अर्हताएं

*12—श्री वीरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार ने 450 असहायिक माध्यमिक विद्यालयों में से 151 विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया था तथा उनके शीघ्र भुगतान की घोषणा की थी परन्तु अब तक अनुदान सूची प्रकाशित नहीं हुयी, जिसके कारण उन्हें अनुदान प्राप्त नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त विद्यालयों को अनुदान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं । पिछली सरकार ने 450 में से 151 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिए जाने की घोषणा की थी । परन्तु अनुदान सूची पर लिए जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण न तो सूची प्रकाशित हो सकी और न ही उन्हें अनुदान मिल सका ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1990-91 में 200 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु आय-व्यय में व्यवस्था की गई है जिन्हें यथासमय अनुदान सूची में सम्मिलित कर अनुदान दिया जायेगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

जिन्हें आप अनुदान देंगे उन 200 विद्यालयों में क्या यह 151 विद्यालय भी शामिल रहेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, बहुत स्पष्ट है, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि 151 की सूचना शासन को मिली और हम उसको व्यपान्वित करने जा रहे हैं 1(1 की जगह 200 में । जो दूसरा प्रश्न किया, जो अर्हताओं में विद्यालय आएंगे, उन सबका हम करेंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

हम उत्तर इसका चाहते हैं कि जो 151 विद्यालयों की पूर्व सूची है, वे सब क्या इन 200 विद्यालयों में शामिल होंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, 151 की संख्या बताई गई है । 200 जब हम कर रहे हैं तो उसके साथ-साथ जो अर्हताएं हैं, उनको पहले पूरी करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

200 की सूची में है या नहीं । अर्हताएं यदि हैं तो वे हैं ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, हमने जब यह निर्णय किया तो 200 विद्यालय लेने हैं, तो अर्हताएं भी हमने निर्धारित की । यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे अर्हताओं के बारे में निवेदन करेंगे जो उनमें आयेंगे उन्हें लेंगे ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, जो अर्हताएं आपने रखीं हैं, अनुदान सूची में सम्मिलित करने के लिए, वे कृपया अवगत करायें ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने हेतु नवम्बर, 1982 में मंत्रि परिषद् के अनुमोदन से निम्न सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे :—

(1) (अ) स्थानीय निकायों के विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों की प्रशासन योजना स्वीकृत हो ।

(आ) विद्यालय का अनुशासन संतोषजनक हो ।

(इ) विद्यालय के सभी शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियमानुसार नियुक्त हों ।

(ई) यदि विद्यालय का पूर्व माध्यमिक स्तर का अनुरक्षण अनुदान निलम्बित हो अथवा विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गंभीर अनियमितताएं हों, तो अनुदान सूची में लाने के दो वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा ।

(2) उक्त प्रतिबन्धों के अधीन संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान करने वाले पत्र की तिथि के क्रमानुसार ही अनुदान सूची पर लाया जाय ।

(3) अनुदान सूची पर लायी जाने वाली संस्थाओं में से 20 प्रतिशत स्थान तालिका संस्थाओं के लिए सुरक्षित रखे जायें ।

(4) एक ही तिथि को मान्यता प्राप्त संस्थाओं की अन्तर्वरीयता पूर्ववर्ती वर्ष की छात्र संख्या और हाईस्कूल परीक्षाफल के प्रतिशत के गुणनफल पर आधारित की जाय ।

2—शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि अनुदान सूची पर लाने के लिए न्यूनतम परीक्षाफल एवं छात्र संख्या की शर्त भी रखी जाय । अतः यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि उक्त शर्तों के साथ निम्नांकित दो शर्तें और जोड़ दी जायं :—

(1) अनुदान सूची पर उन्हीं विद्यालयों को लिया जाय जिनका विगत वर्ष का हाईस्कूल का परीक्षाफल 45 प्रतिशत से कम न हो, तथा

(2) विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या 175 से कम न हो ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना—

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जो विद्यालय अनुदान सूची में आने वाले हैं, क्या प्रदेश के महाविद्यालय जिनको अभी भी अनुदान सूची में नहीं लाया गया, उनको लाया जायेगा और उसमें जो 20 प्रतिशत का आरक्षण रखा है, वही व्यवस्था महाविद्यालयों के लिए भी लागू होगी ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, यह प्रकरण इस प्रश्न से संबंधित है ही नहीं ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने अनुदान सूची में लाने के लिए जो अर्हताएं बताईं, जो मानक बताए उस मानक में जो आयेंगे वे ही 200 विद्यालय अनुदान सूची में लिए जायेंगे । इन 200 विद्यालयों में जो

विद्यालय मान्यता प्राप्त किए हैं, वे उसी तिथि के अनुसार लिए जायेंगे क्या क्षेत्रों में ऐसे भी विद्यालय हैं कि कुछ विद्यालय मान्यता प्राप्त बाद में हुए और कुछ पहले से चल रहे हैं, जो बाद में हुए हैं वह बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, तो विधायकों के क्षेत्रों में दोनों तरह के विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप कहां से कहां पहुंच गये ।

श्री राजधारी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 151 विद्यालय, पहली सूची में जिसका उल्लेख किया गया है, 151 विद्यालय का परीक्षण कर लिया गया है वह अर्हता सूची में आ गये हैं या नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, अर्हताओं के बारे में मैंने स्पष्ट निवेदन किया । अब यह काल्पनिक संख्या चाहे 151 बता दें चाहे 100 बता दें चाहे जो कह दें कि सबका परीक्षण हो गया ।

श्री अध्यक्ष—

इसको आप मंत्री जी के कार्यालय में जाकर देख लें ।

देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों से करोड़ों रुपयों की वृद्धि एवं अवैध एवं जहरीली शराब की बिक्री की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम

*13—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष शराब के ठेके से कुल कितनी आमदनी बढ़ी ? क्या शासन ने अवैध तथा जहरीली शराब बिक्री को रोकने के लिये कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1990-91 के देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के नीलामी से लाइसेंस फीस में 77.66 करोड़ एवं देशी मदिरा के निर्गम मूल्य के मद में 20.09 करोड़ रु0 अर्थात् कुल रु0 97.75 करोड़ की वृद्धि हुई है । अवैध एवं जहरीली शराब की बिक्री की रोकथाम के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) मिथाइल अल्कोहल एक जहरीला पदार्थ है । देशी शराब में इसके अप-मिश्रण की प्रबल संभावना रहती है । शराब में मिथाइल अल्कोहल की मिलावट रोकने हेतु इसे विष की श्रेणी में ला दिया गया है ।

(2) उत्तर प्रदेश में बिक्री की जाने वाली विकृत सुरा में मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग विकारक के रूप में बन्द किया जा चुका है ।

(3) दूसरे प्रान्तों को निर्यात की जाने वाली विकृत सुरा में भी विकारक के रूप में मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया है ।

(4) शराब में किसी विषैले नशीले पदार्थ के अपमिश्रण को आबकारी अधिनियम की धारा-64 (क) में संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। इसमें कम से कम 6 माह तथा अधिकतम 3 वर्ष के कठोर कारावास का प्राविधान है।

(5) ताड़ी में क्लोरल हाइड्रेट के अपमिश्रण की रोकथाम के लिये ताड़ी के लिए ताड़ी की दुकानों के प्रदेश व्यापी निरीक्षण कराये गए। नमूनों में क्लोरल हाइड्रेट का अपमिश्रण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(6) ताड़ी में क्लोरल हाइड्रेट के अपमिश्रण की प्रभावी रोकथाम हेतु मौके पर ताड़ी के परीक्षण की पद्धति विकसित कर क्लोरल हाइड्रेट के परीक्षण किट उपलब्ध कराये गये हैं।

(7) अनुज्ञापित दूकानों से अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण करने के लिये देशी शराब की दूकानों का न्यूनतम कोटा निर्धारित करके उसके बराबर उठान तथा निर्गम मूल्य जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(8) देशी शराब की बोतलों में अपमिश्रण रोकने हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब की दूकानों पर क्रमशः 60% एवं 50 प्रतिशत मदिरा की बिक्री पाउचों में किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

(9) प्रदेश की थोक व फुटकर विकृत सुरा की दूकानों के गहन निरीक्षण के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

(10) विकृत सुरा की फुटकर दूकानों के अनुज्ञापन अब केवल केमिस्ट एवं ड्रागिस्ट को ही दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(11) जहरीली शराब की संभावना अवैध मद्य निष्कर्षण के अड्डों पर अधिक रहती है। अतः ऐसे अड्डों पर कड़ी निगाह रखने एवं प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नयी सरकार के आने के बाद कितने ठेकों पर छापे मारे गये और कितने अवैध अड्डों को पकड़ा गया तथा ठेकों और अवैध अड्डों से कितनी शराब जब्त की गई और जिन लोगों के यहां शराब पकड़ी गई उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी सूचना हो तो बता दें, बहुत बड़ी सूचना मांगी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, वह वित्त अधिकारी अभी भी उस पद पर कार्य कर रहा है, यदि यह बिक्री को रोकने हेतु 15-1-90 से 15-2-90 तक विशेष अभियान चलाया गया तथा 3190 अभियुक्त पकड़े गए तथा 21705 बल्क लीटर अवैध मद्य बरामद की गई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से नयी सरकार सत्तारूढ़ हुयी है तब से जहरीली शराब पीने से कितने लोग मरे तथा जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को क्या कोई आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी गयी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जहरीली शराब पीकर मरने वालों की सूचना हमारे पास नहीं है। लेकिन हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि जो शराब में मिलावट करके लोग फायदा उठा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और यह माननीय सदस्य को मालूम होगा कि ऐसे-ऐसे लोगों के यहां छापे मारे गये हैं जिनको पिछली सरकार छूने की हिम्मत नहीं करती थी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खंड सदपुर में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। खेड़ा, बेगिया, शंकरपुर भुलरियां आदि गांवों में क्या आप छापे मारने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी ने तमाम जगहों के नाम बताये। हम आभारी होंगे कि वह सब नाम और सब जगहों को दे दें। हमारा विशेष अभियान चल रहा है अवैध अड्डों को खत्म करने का। हम दिखवा लेंगे और कार्यवाही करेंगे।

श्री शिव करन सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से फौज वालों को अच्छी क्वालिटी की शराब कैन्टीन से मिलती है उसी प्रकार से क्या अच्छी शराब भी विधायकों को दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय शिव करन सिंह जी मिलेट्री के हैं उनको जितनी जरूरत होगी, हम उपलब्ध करा देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना—

मान्यवर, आपकी पीठ से यह व्यवस्था चाहता हूं कि मंत्री लोगों से जो जवाब की अपेक्षा की जाती है, वही जवाब दिया जाना चाहिए। मान्यवर, प्रश्न मैंने कुछ पूछा और जवाब कुछ दिया गया। मान्यवर, नई सरकार सत्तारूढ़ होने के बाद कितने छापे मारे गये और शराब के अवैध अड्डे कितने पकड़े गये ? मान्यवर, मंत्री लोगों को आप निर्देश दें कि जो सवाल पूछा जाय, उसी का उत्तर वह दें ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको निर्देश दे रहा हूं कि जो जवाब के लिए आप कह रहे हैं, वह जवाब आ गया है। आप बैठ जाइये। आप पहले उत्तर पढ़ लें।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों की जांच आयोग द्वारा जांच एवं तत्कालीन वित्त अधिकारी के विरुद्ध कृत अपेक्षित कार्यवाही

*14—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों की जांच हेतु शिक्षा विभाग- 10 की अधिसूचना संख्या- 163/15-10-84-3(1)-83, दिनांक 25 फरवरी, 1984 द्वारा श्री जी0 डी0 श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया था ? यदि हां, तो इस आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को कब प्रस्तुत की और इस जांच रिपोर्ट में विश्वविद्यालय के तत्कालीन वित्त अधिकारी के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये और उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

19 अप्रैल, 1986 ।

17 लाख का अनानुमोदित व्यय, अप्राधिकृत मदों पर व्यय, 44 लाख रुपये से अधिक के व्यय वाउचर न प्रस्तुत किया जाना, लेखा अभिलेखों का रखरखाव ठीक न होने के कारण अधिकांश धनराशि का समायोजन न होना, छात्रों से 7 लाख रु0 से अधिक बकाये की फीस की वसूली न किया जाना व 3600 से अधिक लेखा आपत्तियों का निस्तारण न होना आदि आरोप हैं ।

मामले की आवश्यक कार्यवाही हेतु वित्त विभाग को संदर्भित कर दिया गया है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, ऐसा अधिकारी जिसने 44 लाख रु0 बिना बाउचर के खर्च होने दिया और 3600 से अधिक लेखा आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और उसे तरक्की पर भेज दिया गया और निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उसे बना दिया गया । उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि अप्रैल 86 में यह रिपोर्ट आई, तो आपने उसे कब वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, इस रिपोर्ट का परीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा किया गया, तदुपरान्त 17 जून, 1988 को पूर्व प्रमुख सचिव, वित्त विभाग को उक्त जांच प्रतिवेदन के संगत अंशों के उद्धरण इस अनुरोध के साथ प्रेषित किये गये कि प्रतिवेदन में वित्तीय अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी तत्कालीन वित्त अधिकारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही कर उसके परिणामों से शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया गया ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, 4 साल हो गये, इस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य पूर्व वित्त मंत्री भी रहे चुके हैं। मान्यवर, वित्त विभाग को भेजा गया है, वित्त विभाग इस पर कार्यवाही कर रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वह वित्त अधिकारी अभी भी उस पद पर कार्य कर रहा है, यदि यह बात सत्य है, तो प्रागदर्शन में जब शिक्षा विभाग ने इस बात को सही पाया कि इनके खिलाफ आरोप सही हैं और कार्यवाही करने के लिए वित्त विभाग को संदर्भित कर दिया गया, तो उस व्यक्ति के बारे में क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपने उसे अपने पद से हटाने के बारे में कोई कार्यवाही की अथवा नहीं ? मान्यवर, सबसे पहला काम तो उसे उस पद से हटा देना चाहिए था।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, शिक्षा विभाग में वह कार्यरत नहीं है।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में छात्रों के अघोषित परीक्षाफल

*15—श्री रवीन्द्र शुक्ल—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में गत वर्ष के कई परीक्षाफल अभी तक घोषित न किये जाने के कारण हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है ? यदि हां, तो यह अघोषित परीक्षा परिणाम कब तक घोषित हो जायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं, केवल 512 छात्रों का परीक्षाफल अघोषित है। परीक्षार्थियों द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण किए जाने के उपरान्त ही परीक्षाफल घोषित किए जायेंगे।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 512 छात्रों के परीक्षाफल अभी तक अघोषित हैं, जैसे मंत्री जी ने अभी कहा है तो उन परीक्षार्थियों को औपचारिकताएं पूर्ण करने से संबंधित कोई पत्र लिखा गया, यदि हां, तो वह कब लिखा गया और इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, यह विभिन्न कक्षाओं के अलग-अलग विद्यार्थी हैं जिनकी कमियों के बारे में विश्वविद्यालय ने कार्यवाही की है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या बता दूं कि किन-किन कारणों से परीक्षाफल रोके गये।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, मेरी यह निश्चित जानकारी है कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में राजनीति के कारण वहां के कुल सचिव को काम नहीं करने दिया जा रहा है इसीलिए वहां के किसी कार्य में किसी भी परीक्षाफल में प्रगति नहीं हो रही है, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो कुल सचिव को काम नहीं करने दिया जा रहा है उसके सन्दर्भ में जांच करा करके कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से अलग है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, मैंने केवल इतना जानना चाहा था कि इन परीक्षार्थियों को जिनके परीक्षा-फल अघोषित हैं, उनको औपचारिकताएँ पूर्ण करने के लिए पत्र लिखा गया । यदि हां, तो कब लिखा गया ? और दूसरा कुल सचिव को कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और यह राजनीति के तहत कार्य नहीं करने दिया जा रहा है तो इस पर कोई कार्यवाही करेंगे, यह जनहित का मामला है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य को भी भलीभांति जानकारी होगी । बी0 ए0 प्रथम वर्ष में अघोषित परीक्षाफल 52, घोषित न किये जाने का कारण शुल्क कमी-11 छात्र, अपूर्ण फार्म-39 छात्र, दोहरे अंक-2 छात्र, बी0 ए0 पार्ट टू में अघोषित परीक्षाफल 203 हैं जिसमें अपूर्ण फार्म- 186 छात्र, दोहरे अंक- 17 छात्र, बी0 एस0 सी0 पार्ट टू में अघोषित परीक्षाफल एक, एक विषय में दोहरे प्रायोगिक अंक के कारण, एम0 ए0 पूर्वार्द्ध में 99 अघोषित परीक्षाफल जिसमें 26 छात्र दोहरे अंक, 48 छात्र माइग्रेशन, 18 छात्र शुल्क की कमी, 7 छात्र अपूर्ण फार्म, एम0 ए0 उत्तरार्ध में अघोषित परीक्षाफल 88 जिसमें से 79 छात्र अपूर्ण फार्म 9 छात्र दोहरे अंक के कारण, इसी तरह से विधि में प्रथम वर्ष में अघोषित परीक्षाफल 6 हैं जिसमें से 2 छात्र अपूर्ण फार्म और 4 छात्र दोहरे अंक के कारण हैं ।

जैन समुदाय के लोगों को अल्प संख्यक माने जाने की मांग

*16—श्री नकली सिंह तथा श्री अमीर आलम खां—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सरकार तथा अल्पसंख्यक आयोग उ0 प्र0 के अनुसार प्रदेश में जैन समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है ? यदि हां, तो उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 की अल्पसंख्यकों की सूची में जैन समुदाय को सम्मिलित न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

केवल जैन-शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्थायें घोषित किए जाने के सन्दर्भ में उ0 प्र0 शासन द्वारा जैन समुदाय के लोगों को प्रदेश में धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में अल्प-संख्यक माना गया है । इसी आधार पर अल्पसंख्यक आयोग, उ0 प्र0 द्वारा भी जैन समुदाय के लोगों को प्रदेश में अल्प संख्यक मान लिया है ।

परन्तु, भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाए जा रहे 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े जिन धार्मिक अल्पसंख्यकों को उत्थान हेतु पात्र माना गया है उनमें केवल मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा फारसी सम्मिलित किए गए हैं । तद्नुसार उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा भी अपनी सूची में केवल उपरोक्त धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही सम्मिलित किया गया है तथा जैन समुदाय को उक्त निगम की सूची में सम्मिलित न करने का यही कारण है ।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में खेल अध्यापकों की मांग

*17—श्री अमर नाथ यादव—

क्या खेलकूद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद के सर्वांगीण विकास हेतु अलग से खेल अध्यापक रखने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सत्र 90-91 में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी ? यदि नहीं ; तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ।

श्री अमर नाथ यादव—

मानवर, मैं आपके माधम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि माध्यमिक विद्यालयों में क्या खेल प्रतिभाएं सामने नहीं आती हैं यदि आती हैं तो उसके क्या उपाय माननीय मंत्री जी कर रहे हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, निश्चित रूप से खेल प्रतिभाएं आती हैं और हमारा भी विचार है लेकिन विज्ञान, गणित के अनिवार्य विषय थे, उनके अध्यापक का प्राविधान पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया । संसाधनों को देखते हुए पहले हमने विज्ञान और गणित के अध्यापकों के बारे में कुछ निर्णय लिया है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

लखनऊ रिंग रोड हेतु स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग

*18—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ रिंग रोड हेतु स्वीकृत 781 लाख की धनराशि का अभी तक पूरा उपयोग नहीं हुआ है ? क्या वर्ष 1990-91 तक इसका उपयोग हो जाएगा ? धनराशि स्वीकृति के पश्चात् भी अभी तक कार्य पूरा न होने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

लखनऊ रिंग रोड हेतु स्वीकृत रु0 781.00 लाख की धनराशि का पूर्ण उपयोग हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :—तारांकित प्रश्न सं0 17 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

रिंग रोड पर पड़ने वाले दो उपरिगामी सेतुओं, दो स्थानों पर भूमि उपलब्ध न होने एवं एक स्थान पर न्यायालय द्वारा स्थगनादेश होने के कारण उक्त स्थलों को छोड़कर शेष लम्बाई के कार्य पूर्ण हैं। इसके लिए कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद ललितपुर में इनवेल रिंग द्वारा कूप बोरिंग कराने का विचाराधीन मामला

*19—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ललितपुर जनपद जहां पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखे की स्थिति है वहां कुओं में निःशुल्क बोरिंग कराने की व्यवस्था करेगी ? क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि ललितपुर जनपद के 4000 से अधिक प्रार्थना-पत्र कूप बोरिंग हेतु अभी विभाग में लम्बित हैं ? क्या मन्त्री जी अतिरिक्त इनवेल मशीनें जनपद में उपलब्ध कराकर उक्त बोरिंग कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रमान्तर्गत लघु/सीमान्त/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को क्रमशः रु0 तीन हजार, चार हजार, पांच हजार तक निःशुल्क बोरिंग की सुविधा अनुमन्य है। ललितपुर जनपद का क्षेत्र पथरीला होने के कारण तथा कठिन भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां रिंग मशीन से बोरिंग हो पाती है जिस पर लागत अधिक आती है। अतः वर्ष 89-90 में मात्र 20 निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य रखा गया था जिसे पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 1990-91 हेतु कोई लक्ष्य नहीं आवंटित किया गया है।

जी नहीं। 236 प्रार्थना-पत्र इनवेल रिंग द्वारा कूप बोरिंग हेतु अवशेष हैं।

यह विषय विचाराधीन है।

पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

*20—श्री महेन्द्र सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0 13 के उत्तर के सन्दर्भ में शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार विद्यार्थियों के भविष्य हेतु चिंतित है ? यदि हां, तो लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुति न किए जाने तक छात्रों के प्रशिक्षण हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

लोक सेवा आयोग द्वारा अब तक 89 प्रवक्ताओं की संस्तुति नियुक्ति हेतु कतिपय विषयों में की जा चुकी है। फिर भी यदि छात्रों के प्रशिक्षण में व्यवधान हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व में आमंत्रित अंशकालिक स्वयंसेवियों को पुनः आमंत्रित करके शिक्षण व्यवस्था की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट ब्लाक के डोटल गांव में निर्बल वर्ग आवास व जवाहर रोजगार योजना में की गई धांधली

1—श्री नजमउद्दीन—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 दिनांक 17 जनवरी, 1990 को श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाया गया नियम 301 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किशनराम पुत्र स्व0 श्री भैनराम, ग्राम डोटल गांव पट्टी केड़रों, पो0 बमवानी पोखर, जिला अल्मोड़ा को अभी तक उक्त अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त योजना के अन्तर्गत अनुदान दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां; तो कब तक ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

श्री किशन राम पुत्र स्व0 श्री भौनराम, ग्राम डोटिलगांव पट्टी केड़रो, जनपद अल्मोड़ा को निर्बल वर्ग आवासाय योजना के अन्तर्गत एक भवन वर्ष 1989-90 में स्वीकृत किया जा चुका है । उक्त भवन से सम्बन्धित जवाहर रोजगार योजना, राज्य सहायता एव ऋण की समस्त धनराशि जिला स्तर से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को लाभार्थी के वितरण हेतु अवमुक्त की जा चुकी है ।

जनपद हरदोई के ग्रामीण अवर अभियन्ता द्वारा किये गये लाखों रुपये के सरकारी गबन की शिकायत एवं जांच

2—श्री दया शंकर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भरावन, जनपद हरदोई के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के एक अवर अभियंता द्वारा फर्जी मस्टर रोल, पी0 आई0 तथा वर्कचार्ज बनाकर सरकारी धन का लगभग 12 लाख रुपये से अधिक का गबन किये जाने पर अवर अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में श्री अविनाश मिश्र, पूर्व महामंत्री, युवा जनता, उ0 प्र0 ने दिनांक 3-1-90 को मुख्य मंत्री को तथा दिनांक 22-1-90 को जिलाधिकारी, हरदोई को पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कब तथा किस अधिकारी से कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

श्री अविनाश मिश्र, पूर्व महामंत्री, युवा जनता, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 3-1-90 तथा 22-1-90 की प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो पायी किन्तु इस प्रकरण के संबंध में समय-समय पर प्राप्त विभिन्न शिकायती-पत्रों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिमण्डल, लखनऊ तथा परगनाधिकारी, सण्डीला, जनपद हरदोई द्वारा की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में कार्यरत श्री खुर्शीद हुसैन की मासिक आय एवं उनकी परिसम्पत्ति की जांच

3—श्री बाबू लाल सरोज—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में कार्यालय में खुर्शीद अहमद लिपिक की मासिक आमदनी क्या है ? और मार्ग कबीरपुर अवधही मार्ग की दशा अत्यन्त खराब पाई गई । उसे अब सार्वजनिक निर्माण उपरोक्त लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रतापगढ़ में श्री खुर्शीद अहमद नाम का कोई लिपिक कार्य नहीं करता है वरन् श्री खुर्शीद हुसैन वरिष्ठ सहायक है ।

श्री खुरशीद हुसैन वरिष्ठ सहायक का मूल वेतन रु0 1919.00 प्रतिमाह है एवं कटौतियों के पश्चात रु0 1749.00 प्रतिमाह प्राप्त करते हैं । श्री हुसैन 1-1-72 से सेवा में हैं । श्री खुर्शीद हुसैन और उनके परिवार की परिसम्पत्ति की जांच सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संगठन को संदर्भित की जा चुकी है ।

जनपद मऊ, ब्लाक बडरांव से कटिहारी मार्ग पर पिचिंग की व्यवस्था कराने की मांग

4—श्री सुबास—

क्या लोक नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से संबंधित बडरांव ब्लाक में बडरांव से कटिहारी मार्ग पर पिचिंग की व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वर्तमान बजट में उक्त बडरांव से कटिहारी मार्ग को पिचिंग कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

यह कार्य जिला सेक्टर के अन्तर्गत है, जिस पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

यह जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद मऊ के घोसी पकड़ी तथा घोसी-फतेहपुर मार्ग पर पिच का कार्य

5—श्री सुबास—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के घोसी विधान सभा क्षेत्र में घोसी पकड़ी तथा घोसी फतेहपुर मार्ग पर पिच का कार्य किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त दोनों सड़कों को पिच कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद मऊ के घोसी विधान सभा क्षेत्र में 6 कि0 मी0 लम्बे घोसी से पकड़ी मार्ग जिसका प्रथम 4 कि0 मी0 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा शेष 2 कि0 मी0 पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा खड़ंजा स्तर तक निर्मित है, के मात्र प्रथम 2 कि0 मी0 तथा 7 कि0 मी0 लम्बे घोसी फतेहपुर तालनरजा मार्ग के मात्र प्रथम 2 कि0 मी0 भाग पर ही लेपन सतर तक का कार्य स्वीकृत है ।

घोसी-फतेहपुर मार्ग के उक्त स्वीकृत 2 कि0 मी0 भाग पर लेपन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । घोसी पकड़ी मार्ग पर लेपन का कार्य प्रगति पर है जिसे पूर्ण किया जाना तथा उक्त दोनों मार्ग के अवशेष भागों पर लेपन के कार्य की स्वीकृति व निर्माण जिला-योजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर निर्भर है ।

जनपद गाजीपुर में जिला परिषद द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण

6—श्री अफजाल अंसारी—

क्या ग्राम विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में जिला परिषद् द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत परानपुर रजेला—गड़सर मार्ग, हरबल्लभपुर, यूसुफपुर मार्ग, बालापुर लब्बाडीह मुर्तुजीपुर मार्ग, ढोढीडीह रेलवे स्टेशन वाया बाराचवर मुबारकपुर मार्ग, सुल्तानपुर-मार्ग कठउत धर्मपुर मार्ग, दुदिहा से लट्डडीह मार्ग; कबार पुर, अवधही मार्ग, धनेठा अमरूपुर मार्ग को बनवाया गया है ? क्या इस संबंध में प्रश्न-कर्ता द्वारा दिनांक 29-1-90 को अपने पत्र सं0 709/90 द्वारा जिलाधिकारी, गाजीपुर को मामले की जांच कराने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां, एवं मार्ग कठउत धर्मापुर मार्ग को छोड़ कर ।

जी हां । जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गयी है । जिसमें यह पाया गया कि अधिकतर मार्गों पर आंशिक रूप से उपलब्ध धन के अन्तर्गत कार्य किया गया है । एक मार्ग कबीरपुर अवधही मार्ग की दशा अत्यन्त खराब पाई गई । उसे अब सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित कर दिया गया है । कुछ मार्गों पर काश्तकारों द्वारा सड़क काटने पुलियां न होने आदि की स्थिति पाई गई जिसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा रहे हैं ।

जनपद गाजीपुर में आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत व्यक्तियों का चयन एवं बैंकों द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या

7—श्री अफजाल अंसारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के किन-किन विकास खण्डों में वर्ष 89-90 की योजना में कितने

कितने व्यक्तियों का चयन किया गया तथा किन-किन बैंकों को कितने-कितने लाभार्थियों की पत्रावलियां भेजी गयीं, उनमें से कितने-कितने लाभार्थियों को बैंकों ने लाभान्वित किया ? क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि विकास खण्डों से जो पत्रावलियां बैंकों को भेजी जायं उन्हें तत्काल ऋण दे दिया जाय ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद गाजीपुर के 16 विकास खण्डों में वर्ष 1989-90 में आई0 आर0 डी0 योजना अन्तर्गत 26,563 व्यक्तियों का चयन किया गया (संलग्नक-1) उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद गाजीपुर के 10 बैंकों को 15,299 प्रार्थना पत्र भेजे गये उनमें से 11,266 लाभार्थियों को लाभान्वित कराये गये । (संलग्नक-2) ऋण प्रार्थना पत्रों की जांच बैंक अधिकारियों के द्वारा की जाती है और जनपद स्तर पर बैंक की स्टैन्डिंग कमेटी और समन्वय समिति के माध्यम से एवं बैंक अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर एवं पत्र लिख कर इस हेतु प्रयास किया जाता है । प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में विलम्ब न हो इसके लिये सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि शाखा प्रबन्धकों के संयुक्त हस्ताक्षर से लम्बित प्रार्थना पत्रों का विवरण उपलब्ध करायें जिससे बैंक के सहयोग से विलम्ब होने की शिकायत को दूर किया जा सके । यह व्यवस्था वर्ष 1990-91 से लागू की गई है ।

जनपद देवरिया, विकास खण्ड तमकुही को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन, ग्राम सभा मीटिंग में पारित प्रस्ताव एवं कच्ची सड़क बनवाने हेतु व्यय धन का विवरण

8—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ग्राम्य विकास व पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा-करमैनी, विकास खण्ड-तमकुही, जनपद-देवरिया को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कितना धन आवंटित किया गया है । इस संबंध में ग्राम सभा की आम मीटिंग में पारित किये गये किन-किन प्रस्तावों पर कितना कार्य हुआ व कितना धन खर्च हुआ ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि करमैनी पिच मार्ग से फाजिलनगर को जाने वाली कच्ची सड़क को 700 मीटर तक मिट्टी डालकर ऊंचा करने पर कितना धन खर्च हुआ व कितना कार्य हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त कार्य पूरा नहीं हुआ और सारे कार्य का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित प्रधान के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्राम सभा करसैनी विकास खण्ड तमकुही जनपद देवरिया को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 89-90 में कुल 52,910 रु0 आवंटित किया गया है । ग्राम सभा की आम बैठक में निम्न प्रस्ताव पारित किये गये तथा उन पर खर्च किये गये धनराशि का विवरण प्रत्येक के सम्मुख अंकित है :—

(1) चन्द्रोटा सीवान से राजापाकड़ खड़ंजा मार्ग तक मिट्टी का कार्य 800 मी0 एवं भुगतान 9324 रुपया ।

(2) प्रधान के दरवाजे से राजापाकड़ खड़ंजा मार्ग तक मिट्टी का कार्य 225 मी0 एवं भुगतान 756 रुपया ।

(दौरिय नस्थी 'ख' आगे पृष्ठ 193 पर)

(3) करमैनी बाजार टोला में पिच सड़क से राजापाकड़ खड़ंजा मार्ग तक मिट्टी का कार्य 775 मीटर एवं भुगतान 11,974.00 रुपया ।

(4) करमैनी पिच सड़क से कुचयासीवान होते हुए फाजिलपुर जाने वाली सड़क पर मस्जिद तक प्रस्तावित 700 मी0 के विपरीत 858 मी0 तक मिट्टी का कार्य एवं भुगतान 4644 रुपया ।

(5) रमाशंकर के घर के पीछे की सड़क पर 200 मीटर मिट्टी का कार्य एवं भुगतान 594 रुपया ।

(6) खलिहान से कुचयासीमान तक मस्जिद के आगे 292 मी0 मिट्टी का कार्य एवं भुगतान 3528 रुपया ।

(7) दो कूप मरम्मत एवं 6 छोटी पुलिया निर्माण पर व्यय 13,312.00 रुपया ।

(8) दो निर्बल वर्ग आवास पर 67,00 रुपया व्यय ।

करमैनी पिच मार्ग से फाजिलनगर को जाने वाली कच्ची सड़क पर 700 मी0 मिट्टी डालकर ऊंचा करने के स्थान पर 858 मी0 मिट्टी डालकर कुल रुपया 4644.00 व्यय किया गया । चूंकि प्रश्नगत कार्य पूर्ण हो चुका है । अतः ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

9—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[दि0 28-6-90 को अता0 प्र0 सं0 12 द्वारा उत्तरित]

जनपद बाराबंकी में रेठ नदी पर पुल निर्माण

10—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में (बाराबंकी से बख्शी तालाब वाया तिन्दोला मार्ग पर) रेठ नदी पर चिलहटा घाट पुल निर्माण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त पुल की स्वीकृति दे दी जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्नगत पुल के निर्माण कार्य की स्वीकृति 41 लाख रुपये की लागत पर शासनादेश दिनांक 24-3-1990 द्वारा प्रदान की जा चुकी है ।

उक्त पुल का निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

वाराणसी, गांव महिमापुर में निर्माणाधीन प्राइमरी पाठशाला की इमारत

11—श्री उदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव महिमापुर प्राइमरी पाठशाला की इमारत को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग रद्दी सामानों से बनवा रहा है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने सी0 डी0 ओ0, वाराणसी बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी एवं अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को 26-3-90 को तथा शिक्षा मंत्री को 28-3-90 को पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिवदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

जी हां ।

जांच करवाकर कमियां दूर करा दी गयी हैं तथा प्रथम श्रेणी की ईंटों एवं अच्छी सीमेंट का प्रयोग सुनिश्चित किया गया ।

12—श्री दया शंकर—

[दिनांक 18-7-90 को अता0 प्र0 सं0 58 द्वारा उत्तरित]

13—श्री शिव करन सिंह—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद फैजाबाद, बाबा बरुआ दास पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री राधे मोहन द्विवेदी द्वारा पेंशन की मांग

14—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में स्थित बाबा बरुआ दास पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, परूइया आश्रम, फैजाबाद के प्राचार्य राधे मोहन द्विवेदी को 1984 में सेवा-निवृत्त होने के बावजूद अभी तक पेंशन क्यों नहीं मिली है और इसके लिए कौन दोषी है ? यह पेंशन कब से मिलने लगेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

पेंशन प्रपत्र शिक्षा निदेशालय (उच्च शिक्षा) में प्राप्त होने के फलस्वरूप अभी पेंशन नहीं स्वीकृत हो पाई है । जिसके लिये सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य दोषी हैं । श्री द्विवेदी के पूर्ण पेंशन प्रपत्र, शिक्षा निदेशालय (उच्च शिक्षा) में प्राप्त होने पर पेंशन स्वीकृत कर दी जायगी ।

31 मार्च, 1989 को विनियोग विधेयक द्वारा पारित मद सं0 75 हेतु आवंटित धन का स्वीकृत कार्यों में उपयोग

15—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए 31 मार्च, 1989 की विनियोग विधेयक द्वारा पारित मद संख्या 75 सार्वजनिक निर्माण विभाग संचार साधन के अन्तर्गत पूंजीगत परिव्यय के लिए आवंटित धन 1 अरब 72 करोड़ 22 लाख 88 हजार रुपये का उपभोग स्वीकृत कार्यों के लिए कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड चहनियां में अनौपचारिक शिक्षा योजना में नियुक्त अनुदेशकों की संख्या

16—श्री दया शंकर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाराणसी जनपद के विकास खण्ड चहनियां में अनौपचारिक शिक्षा की योजना चलायी जा रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना में अब तक कितने शिक्षकों की भर्ती की गयी है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

अब तक 44 अनुदेशकों की नियुक्ति हो चुकी है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिंघनापुर, सीतापुर के दो कतिपय अध्यापकों को सेवानिवृत्त किये जाने सम्बन्धी प्रकरण में विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण पर लगाये गये झूठे आरोप

17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बी0 एन0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिंघनापुर, सीतापुर के दो अध्यापकों सर्वश्री नरेश कुमार वर्मा तथा श्री अम्बादत्त तिवारी को जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर की अनुमति के बिना उपरोक्त विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा निवृत्ति कर दिया गया है ? यदि हां, तो उनकी अवैध सेवा-निवृत्ति को समाप्त कर कालेज में काम कराने तथा नियमित वेतन दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं ।

जिला सीतापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में कार्यरत सेवा-निवृत्त अध्यापकों के पेंशन विकल्पों की शिकायतों की जांच की मांग

18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् सीतापुर नगर क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत सेवा-निवृत्त अध्यापकों के पेंशन विकल्पों की हेराफेरी की शिकायत की कोई जांच शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा मई तथा जून, 88 में करायी गयी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मई तथा जून 88 में कोई जांच नहीं करायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी, ग्राम प्रधान नरेन्द्रपुर भदरहा के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के निर्देश

19—श्री सुन्दर लाल दीक्षित (बाराबंकी)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान नरेन्द्रपुर भदरहा, हैदरगढ़, बाराबंकी के विरुद्ध फरवरी, 90 माह के द्वितीय सप्ताह में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में जांच कराई गई । प्राथमिक जांच में प्रधान दोषी पाये गये । उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु परगनाधिकारी, हैदरगढ़ को निर्देश दे दिए गये हैं ।

उत्तर प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के पदों की संख्या एवं उक्त पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के खण्ड विकास अधिकारियों की संख्या

20—श्री चैनसुख भारती—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जाति/जन जाति के खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

खण्ड विकास के अधिकारियों के कुल 897 पद प्रदेश में स्वीकृत हैं । इनमें से 13 पद रिक्त हैं । 884 पदों के सापेक्ष 177 पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं ।

उ0 प्र0 भूगर्भ जल विभाग में सहायक अभियन्ता/हाइड्रोलाजिस्ट/जियोलाजिस्ट संवर्गों के स्वीकृत पद एवं उक्त पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों की संख्या

21—श्री चैनसुख भारती—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में सहायक अभियंता/हाइड्रोलाजिस्ट/जियोलाजिस्ट संवर्गों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने पदों पर कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी कार्यरत हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियंता/हाइड्रोलाजिस्ट/जियोलाजिस्ट संवर्गों में कुल 60 पद स्वीकृत हैं ।

इनमें से 3 (तीन) पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी कार्यरत हैं ।

22—श्री महेन्द्र सिंह—

[वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला गोरखपुर, खण्ड विकास अधिकारी सरदार नगर को वित्तीय नियमों का पालन न करने सम्बन्धी चेतावनी

23—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी सरदार नगर, जिला गोरखपुर के कार्यकाल में हुयी वित्तीय अनियमितताओं एवं गबन की जांच एवं सम्प्रेक्षण उ0 प्र0 शासन के वित्त विभाग द्वारा गठित आडिट पार्टी द्वारा माह दिसम्बर 1989 एवं जनवरी 1990 में किया गया है ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट क्या है ? आडिट रिपोर्ट के आधार पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्राम्य विकास निदेशालय के लेखा दल द्वारा दिनांक 13-12-89 से 16-12-89 तक खण्ड विकास अधिकारी सरदार नगर के वैयक्तिक लेखों का सम्प्रेक्षण किया गया था ।

आडिट रिपोर्ट में गबन अथवा शासकीय धन के अपहरण सम्बन्धी गम्भीर अनियमितताओं का उल्लेख नहीं है किन्तु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने तथा नियमानुसार वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव जैसे कि क्षेत्र निधि के वैयक्तिक खाते में धन न रखकर स्थानीय बैंक में रखा जाना, वैयक्तिक खाते के लिये अलग से कैशबुक में रखा जाना, ट्रेजरी, पासबुक के अवशेषों का मासिक सत्यापन न किया जाना, बिना रसीदी टिकट के भुगतान करना, आवंटित धन का समय से उपयोग न करना, निर्माण कार्यों की एम0 बी0 समय से न कराया जाना आदि का उल्लेख किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी को वित्तीय नियमों का पालन न करने तथा सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार न करने के लिये चेतावनी दे दी गई है। साथ ही एम0 बी0 में त्रुटियों के लिये तथा एम0 बी0 समय से न करने के लिए अवर अभियन्ता (अल्प सिंचाई) एवं अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) को भी चेतावनी दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुस्लिम अरबिक जूनियर हाईस्कूल, उभारी, मुरादाबाद को प्रदत्त आर्थिक सहायता

24—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुस्लिम अरबिक जूनियर हाई स्कूल उभारी, मुरादाबाद को सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकताओं व शर्तें पूरा करने के बाद मान्यता प्रदान की गयी है और आर्थिक सहायता दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्कूल के पास अपना भवन व खेल का मैदान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

अपना भवन है, किन्तु खेल का मैदान आवश्यकता से कम है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीनियर बेसिक विद्यालयों में बी0 एड0 प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त वेतनक्रम के मामले का निरीक्षण

25—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-11-1987 को दैनिक स्वतंत्र भारत में प्रकाशित बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर की विज्ञप्ति में सीनियर बेसिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक उर्दू के पदों पर नियुक्ति के लिए स्पष्टतः बी0 टी0 सी0 या समकक्ष योग्यता धारी अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में बी0 एड0/एल0 टी0 योग्यता धारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे और नवम्बर 88 में पांच बी0 एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की उर्दू सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुयी ? यदि हां, तो क्या उक्त उर्दू सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतन क्रम दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

जी नहीं।

शिक्षा निदेशक को मामले का परीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

जनपद बाराबंकी, विकास खण्ड रुदौली की प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण की मांग

27—श्री असगर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला पूरे कलहंस विकास खण्ड रुदौली, जनपद बाराबंकी के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का आवंटन पाठशाला भवन के शीघ्र निर्माण हेतु, उक्त ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के नाम करने के संबंध में क्षेत्रीय सांसद श्री मित्रसेन यादव का रजिस्टर्ड पत्र सं0 1551 दिनांक 1 मार्च, 1990, जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

प्रश्नगत प्राइमरी पाठशाला का भवन पहले ही बना है अतः किसी कार्यवाही की अपेक्षा नहीं है ।

जिला कानपुर देहात की कतिपय सड़कों को पक्का कराये जाने की मांग

27—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-1-90 जो उन्हें सम्बोधित है और जिला कानपुर देहात के राजपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम शाहजहांपुर से मुनीशापुर ग्राम बरौरा से बलगहरामऊ तथा उमरपुर से बैजामऊ तक सड़कों को पक्की कराने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त तीनों सड़कों को कब तक पक्का करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

शाहजहांपुर से मुनीशापुर कुल लम्बाई 12 कि0मी0 में से प्रथम 2 कि0मी0 की लेपन स्तर तक निर्माण हेतु स्वीकृति जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 1988-89 में प्रदान की जा चुकी है शेष लम्बाई की लेपन स्तर तक स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है । ग्राम बरौरा से बलगहरामऊ लम्बाई 9.00 कि0मी0 तथा उमरपुर से बैजामऊ लम्बाई 8.50 कि0मी0 तक मार्ग निर्माण दस्यु प्रभावित योजना के अन्तर्गत आता है जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

बदायूं जनपद के प्राइमरी विद्यालयों में बालकों को पढ़ाने हेतु सरकारी मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने की मांग

28—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं जनपद के प्राइमरी विद्यालयों में सरकारी मानक के अनुसार बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या

शासन बालकों की संख्या को देखते हुए मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन भूमि खेतिहर मजदूरों को आवंटित किये जाने की मांग

29—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-12-87 जो वन विभाग की अनुपयोगी भूमि को खेतिहर मजदूरों को आवंटित किए जाने विषयक है, शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्रोल्लिखित मामले में कार्यवाही हुयी ? यदि हां तो कब व क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद असलम खां)—

जी हां ।

जी हां ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण अथवा लम्बी लीज पर दिये जाने के पूर्व भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल में उत्तरोत्तर हो रही कमी के कारण कृषि प्रयोजन हेतु वनभूमि का आवंटन राजकीय नीति के प्रतिकूल है । अतः वनभूमि खेतिहर मजदूरों को आवंटित नहीं की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में संग्रहीत तेंदू पत्ता का निजी समझौते द्वारा की गयी बिक्री

30—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 वन निगम ने दक्षिणी क्षेत्र में वर्ष 1989 सीजन में संग्रहीत तेंदू पत्ता की इलाहाबाद में प्रथम नीलामी में जिसमें 48 रुपये प्रति किलो ग्राम की अधिक बोली आयी थी, पर तेंदू पत्ता न विक्रय करके प्रस्ताव के आधार पर रु0 20-25 प्रति किलो ग्राम की दर से बेचा था ? यदि हां, तो उक्त दर पर विक्रय करने का क्या औचित्य था ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

उ0 प्र0 वन निगम में दक्षिणी क्षेत्र में वर्ष 1989 सीजन में संग्रहीत तेंदू पत्ता की इलाहाबाद में प्रथम नीलामी में अधिकतम बोली 40 रुपये प्रति किलो ग्राम तक आयी थी, न कि 48 रुपये प्रति किलोग्राम नीलाम में हंगामा, हाथापायी आदि होने के कारण नीलाम निरस्त करके बाद में परिस्थितियोंवश प्रस्ताव के आधार पर प्रबन्ध मंडल के अनुमोदन से 20 रुपये प्रति किलोग्राम या उससे अधिक दरों पर निजी समझौते के द्वारा बेचा गया ।

नीलामी न हो पाने, निरस्त करने तथा टेण्डर मांग पर विभिन्न न्यायालयों (उच्चतम न्यायालय तक) में वाद चलने के फलस्वरूप विलम्ब के कारण पत्तियों को खराब होने से बचाने एवं उनका त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से परिस्थितियों वश प्रबन्ध मण्डल की अनुमति से निस्तारण किया गया।

जनपद गोण्डा के तुलसीपुर नगर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग

31—श्री अमरमणि—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तुलसीपुर नगर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का आदेश शासन द्वारा हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक महाविद्यालय की स्थापना न हो पाने का क्या कारण है ? उक्त महाविद्यालय तुलसीपुर नगर में वर्ष 1990-91 के सत्र में प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुराज सिंह इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में व्यायाम के शिक्षक का रिक्त पद

32—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालेजों में नये अध्यापकों की नियुक्तियों पर जनवरी, 84 से प्रतिबंध लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रतिबंध होने से श्री रघुराज सिंह इण्टर कालेज, बभंड़ा, शाहजहांपुर में व्यायाम शिक्षक का पद खाली है और छात्रों को व्यायाम एवं खेलकूद में व्यवधान उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति के आदेश देगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

केवल 23 जून, 1985 से 15 दिसम्बर, 1987 तक के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया था।

यह सही है कि पद रिक्त है।

जी नहीं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड, जैतीपुर में भवनहीन प्राइमरी विद्यालयों के भवनों को पूर्ण कराये जाने की मांग

33—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में 26 प्राइमरी विद्यालय भवनहीन हैं जिनके निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को दो वर्षों पूर्व धन आवंटित किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

एक भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। 12 अन्य का निर्माण दिसम्बर तक पूर्ण हो जाने की आशा है, शेष भवन निर्माण की लागत में वृद्धि तथा एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश उपलब्ध न होने के कारण नहीं बनाये जा सके।

आजमगढ़ की माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र और कार्यरत जिला विद्यालय निरीक्षक को दी गई भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि

34—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 84-85 में आजमगढ़ में कार्यरत जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा कितने शिकायती-पत्र शिक्षा निदेशक को दिये गये ? पत्रों में मुख्य शिकायतें क्या थीं ? उनकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? जांच के क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

सत्रह (17) शिकायती-पत्र दिये गये ।

अशासकीय विद्यालयों में अनियमित कार्य करने की शिकायतें थी। उनकी जांच तत्कालीन अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), उत्तर प्रदेश एवं उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर से कराई गयी ।

जांच आख्या के आधार पर अनियमितताओं के लिये निन्दात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि एवं भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई ।

जनपद मऊ के प्राइमरी भवनों के निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

35—श्री सुबास—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक घोसी, दोहरी घाट बड़राव तथा कोपागंज, जनपद मऊ के प्राइमरी विद्यालय भवन बनाने की व्यवस्था लोक नि0 विभाग एवं आर0 ई0 एस0 को दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त भवन का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसे कब तक पूरा कराने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

केवल 29 भवनों का निर्माण पूर्ण हुआ है ।

भवन निर्माण की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण ।

इसी वर्ष पूर्ण करवाने का लक्ष्य रखा गया है ।

जनपद मऊ में बेसिक शिक्षा कार्यालय में स्टाफ एवं फर्नीचर आदि की, की गयी व्यवस्था

36—श्री सुबास—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव निर्मित मऊ जनपद में बेसिक शिक्षा कार्यालय खोला गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यालय में पूरे स्टाफ तथा कार्यालय फर्नीचर की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार तत्काल स्टाफ व फर्नीचर की व्यवस्था करेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

शासन द्वारा स्वीकृत स्टाफ की व्यवस्था तथा कार्यालय फर्नीचर की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की भूमि प्रा0 पा0 सादुल्लापुर की पूर्व ग्राम प्रधान श्री बाल कृष्ण द्विवेदी से मुक्त कराने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

37—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 पा0 सादुल्लापुर, वि0 क्षे0 साण्डी, जनपद हरदोई की भूमि पर ग्राम के पूर्व ग्राम प्रधान श्री बाल कृष्ण द्विवेदी 1980 से खेती कर रहे हैं और उसकी आय को निजी कार्यों में उपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त भूमि को मुक्त कराने एवं विगत 10 वर्षों की आय का मूल्यांकन कराकर संबंधित प्रधान से वसूल कराने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

अनधिकृत रूप से ।

जी हां ।

शिक्षा निदेशक को तुरन्त कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में आनुपातिक अध्यापकों के पदों में सृजन किए जाने में वित्तीय संसाधनों का अभाव

38—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में शासन द्वारा स्वीकृत अनुपात में अध्यापकों के पद सृजन की कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाने पर ही ऐसा किया जाना संभव हो सकेगा ।

जिला विद्यालय निरीक्षक के पदों को भरे जाने की शीघ्र व्यवस्था

39—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने जनपद हैं जिनमें स्थायी जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं हैं ? इन जनपदों में स्थायी जिला विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

16 जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद रिक्त हैं ।

यथाशीघ्र व्यवस्था कर दी जायेगी ।

जनपद बलिया में वन विभाग द्वारा पौधों के वृक्षारोपण की स्थिति

40—श्री राजधारी—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में कितने पौधों का वृक्षारोपण कराया गया और कितने प्रतिशत पौधे जीवित रहे ? यदि जीवित (बचे) पौधों का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

बलिया जनपद में वन विभाग द्वारा वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में क्रमशः 9,74,000 एवं 13,75,000 पौधों का वृक्षारोपण कराया गया तथा वर्तमान में क्रमशः 77.97 प्रतिशत एवं 91.21 प्रतिशत पौधे जीवित हैं ।

जीवित (बचे) पौधों का प्रतिशत संतोषजनक है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में शासनादेशों का उल्लंघन कर अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति किये जाने पर मुख्य अभियन्ता से मांगा गया स्पष्टीकरण

41—श्री विश्राम दास—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंता सेवा विभाग में वर्ष 1984 में अवर अभियन्ताओं के 200 पदों पर की गयी अनियमित नियुक्तियों की जांच, आयुक्त, अनुसूचित जाति द्वारा की गई थी ? जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 21 अगस्त, 1984 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त को प्रेषित कर दी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां । जांच में आरक्षण संबंधी शासनादेशों का उल्लंघन किये जाने का बिंदु आया है । इस संबंध में आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से भी पत्राचार किया गया है । उसके क्रम में मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसके प्राप्त होने के उपरान्त यथोचित निर्णय ले लिया जायेगा ।

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत श्री आर0 एम0 गर्ग, अधिशासी अभियंता की पदोन्नति एवं कार्यालय की जांच की मांग

42—श्री रतन लाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 एम0 गर्ग, अधिशासी अभियन्ता जो कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, से वरिष्ठ कितने अधिशासी अभियन्ता अभी तक अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति नहीं पा सके हैं ? क्या श्री गर्ग के विरुद्ध जनपद रायबरेली

में सांसदों एवं विधायकों की शिकायतों पर की गयी सतर्कता विभाग की तथा अन्य जांच में दोषी पाये गये थे ? यदि हां, तो उन्हें अधीक्षण अभियंता पद पर भेजे जाने का क्या औचित्य था ? क्या श्री गर्ग के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा अब तक कार्यवाही न किये जाने के लिए दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

श्री आर0 एम0 गर्ग, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, से वरिष्ठ लगभग 112 अधिशासी अभियंता हैं, जिनकी विभाग में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति नहीं हुई है ।

श्री गर्ग के विरुद्ध जनपद रायबरेली के कार्यकाल की सतर्कता विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की गई । प्रश्नकर्ता मा सदस्य से श्री गर्ग के विरुद्ध जो शिकायती-पत्र दिनांक 26-3-90 प्राप्त हुआ था, उसे सतर्कता विभाग द्वारा सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

ग्राम्य विकास अनुभाग—4 के शासनादेश दिनांक 20-1-86 द्वारा सर्वश्री चन्द्रशेखर एवं आर0 एम0 गर्ग, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी । तद्नुसार शासनादेश दिनांक 18-3-86 द्वारा उक्त दोनों अधिकारियों को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था ।

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

43—सैय्यद लियाकत हुसैन—

[6वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को सम्बोधित प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कार्यवाही किये जाने की मांग

44—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को सम्बोधित व मुख्य मंत्री एवं नियोजन मंत्री को पृष्ठांकित जिला योजना की अधिक धनराशि लो0 नि0 वि0 को दिए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-2-90 शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्रोल्लिखित मामले में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

लोक निर्माण विभाग में संदर्भगत पत्र दिनांक 21-2-90 प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, खुरहन्द से दवेरार तक अलिहा माइनर को पक्का कराये जाने की मांग

45—डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 6-3-1990 का पत्र ब्लाक महुआ, जनपद बांदा के ग्यारह ग्राम प्रधानों के पत्र के साथ अलिहा माइनर के सर्विस रोड को पक्का कराने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सर्विस रोड की खुरहद से दवेरार तक लम्बाई क्या है तथा इसका विस्तृत प्राक्कलन क्या है ? क्या करीब 20 गांवों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखकर खुरहन्द से दवेरार तक इसे अविलम्ब पक्का करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

खुरहन्द से दवेरार तक अलिहा माइनर की लम्बाई लगभग 13 कि0 मी0 है तथा इस मार्ग को मिट्टी स्तर से लेपन स्तर तक बनवाने हेतु 65.00 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है । कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

वाराणसी गाजीपुर मार्ग से झाम की मड़ई से वाया नरायनपुर बरथरा तक मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

46—श्री ऊदल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी-गाजीपुर मार्ग से झाम की मड़ई से वाया नरायनपुर बरथरा तक मार्ग जो चिरई गांव, ब्लाक वाराणसी में है, को पक्का करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मा0 मुख्य मंत्री को 5-4-90 को दिये गये पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार इस मार्ग को जल्दी से जल्दी बनायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्नगत मार्ग को पक्का करने का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के विचाराधीन नहीं है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भेजी गयी थी जिसकी सूचना उक्त विभाग द्वारा मा0 सदस्य को भी दे दी गयी थी ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव प्रतीत नहीं होता ।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त जूनियर एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को वर्ष 90-91 में अनुदान सूची में लिये जाने की मांग

47—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ऐसे कितने मान्यता प्राप्त जूनियर एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं जिन्हें शासन द्वारा वित्तीय अनुदान नहीं दिया गया है ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 90-91 में उक्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 2280 स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं 577 मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जो अनुदान सूची पर नहीं हैं।

जी नहीं।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए उक्त सभी विद्यालयों को इस वर्ष अनुदान सूची पर लिया जाना सम्भव नहीं है।

उ0 प्र0 के ग्रामों में प्राइमरी विद्यालय खोले जाने की मांग

48—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में कितने ग्रामों में अभी तक प्राइमरी विद्यालय नहीं हैं ? क्या वित्तीय वर्ष 90-91 में इन सभी ग्रामों में प्राइमरी विद्यालय खोल दिए जायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

56417 ग्रामों में प्राइमरी विद्यालय नहीं हैं।

जी नहीं।

49—श्री राम प्रसाद सिंह—

[5वें सोम के लिए स्थगित]

लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंताओं से सहायक अभियन्ताओं के पद पर प्रोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग के निर्धारित मापदण्ड

50—श्री राज किशोर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में अवर अभियंता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु वर्षों 85-86 एवं 86-87 में केवल डिग्री धारी अवर अभियन्ता ही पात्र थे ? यदि हां, तो डिग्रीधारी अवर अभियन्ता की संख्या अधिक होते हुए भी विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु कार्यवाही न किए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

तत्समय लागू नियमों के अधीन अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु वर्ष 85-86 व 86-87 में डिग्रीधारी अथवा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अवर अभियन्ता पात्र थे। परन्तु लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर चयन में उपयुक्त न पाये जाने के कारण पात्रता सूची में सम्मिलित समस्त अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति सम्भव नहीं हो सकी।

जनपद चमोली में बेसिक शिक्षा परिषद् के आधारिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

51—श्री कंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में बेसिक शिक्षा परिषद् के आधारिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद 31 मार्च, 1990 तक रिक्त

थे ? इन रिक्तियों को भरने हेतु स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति देने हेतु शासन कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

419 पद रिक्त थे ।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) को मामले का पूर्ण परीक्षण करके आवश्यक प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु निर्देश दे दिया गया है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा ।

जिला अलीगढ़, विकास खण्ड, बिजौली में "जवाहर रोजगार योजना" में की जा रही धांधली की जांच

52—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम बड़सेरा, विकास खण्ड, बिजौली, तह0 अतरौली, जिला अलीगढ़ में "जवाहर रोजगार योजना में" की जा रही धांधली के संबंध में, मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 20-3-90 के पत्र के साथ उक्त ग्राम सभा के नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 12-3-90 का कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है ? क्या जांच कर्ता अधिकारी ने शिकायतकर्ताओं को अपने आरोप सिद्ध करने का मौके पर अवसर प्रदान किया ? जांच का निष्कर्ष क्या रहा और सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

जांच जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की गयी ।

जी हां ।

जांच में शिकायतों का कोई आधार नहीं पाया गया । कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के पेंशन के पुनर्निधारण की मांग

53—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ मण्डल के स्तर पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (सीतापुर नगर) के अवकाश प्राप्त अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के पेंशन के पुनर्निधारण के कितने मामले निस्तारण हेतु वर्तमान समय में लम्बित हैं ? जिनके मामले लम्बित हैं उनके नाम क्या हैं? उन्हें अब तक निस्तारित न किये जाने का क्या कारण है और कब तक उनका निस्तारण कर दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं होता ।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड ददरौल की प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक स्व0 श्री पाल सिंह के आश्रित द्वारा सेवा हेतु प्रस्तुत अपूर्ण प्रमाण-पत्र

54—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद की प्राइमरी पाठशाला सुनौरा विकास खण्ड ददरौल जनपद शाहजहांपुर में कार्यरत प्रधानाध्यापक श्री श्रीपाल सिंह जिन्की सेवारत रहते वर्ष 30-3-89 को मृत्यु हो गयी, के आश्रित को अब तक सेवा में न लिए जाने का क्या कारण है ? मृतक के आश्रित को नौकरी में कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मृतक आश्रित द्वारा वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकी ।

मृतक आश्रित द्वारा वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति संभव हो सकेगी ।

वित्तीय वर्ष 1989-90 में लो0 नि0 वि0 (अनावासीय भवन) के लिए आवंटित रुपयों का निर्माण कार्यों पर व्यय

55—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिये विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत मद संख्या 72, लो0 नि0 वि0 (अनावासीय भवन) के लिये आवंटित पूंजीगत परिव्यय 27 करोड़ 14 लाख 97 हजार का उपयोग 31 मार्च, 1990 तक कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

मद संख्या-72/4059 (भवन अनावासीय) के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 31-3-1990 तक व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

निर्माण कार्यों पर व्यय रुपये 512.83 लाख, शेष धनराशि में से 676.87 लाख "उचन्त" एवं मशीनें और उपकरण (प्रोराटा) हेतु प्राविधानित थी जो निर्माण कार्यों के लिए नहीं थी । रुपये 1525.27 लाख विभिन्न भवनों के निर्माण हेतु संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा भूमि उपलब्ध न कराये जाने, निर्माण एजेन्सी तय न होने तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति समय से न दिये जाने, आदि कारणों से समर्पण किया गया ।

56—श्री शारदानन्द अंचल—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद शाहजहांपुर की ग्राम सभा शिकारपुर भिटारा में प्राइमरी स्कूल खुलवाने की मांग एवं कृत कार्यवाही

57—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की ग्राम सभा शिकारपुर भिटारा के ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामवासियों ने एक प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये मार्च, 90 में प्रार्थना-पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के अधिकार जिला शिक्षा सलाहकार समिति को ही हैं।

जिला शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर में राजकीय स्कूलों के भवन निर्माण की स्थिति

58—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी है कि जिला शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की सबसे अधिक आबादी की ग्राम सभा खमरिया में तीन राजकीय स्कूल भवन हीन हैं और पढ़ने वाले बच्चों को मैदान में बैठना पड़ता है ? यदि हां, तो स्कूलों हेतु सरकार कब तक भवनों का निर्माण करा देगी ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त ग्राम के बेसिक प्राइमरी स्कूल के भवन का निर्माण वर्ष 1985 में शुरू हुआ था परन्तु अब तक इसे पूर्ण नहीं कराया गया? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रश्नगत विद्यालय परिषदीय हैं । इनके भवन निर्माण की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) कन्या प्राइमरी पाठशाला—भवन निर्माणाधीन है ।

(2) बालक प्राइमरी पाठशाला—इसी वर्ष पूर्ण हो जाने की आशा है ।

(3) जूनियर हाई स्कूल—इसके संबंध में निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा ही लिया जा सकता है ।

जी हां ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्माण में विलम्ब किया गया है ।

फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी में कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी नियुक्ति

59—श्री रामलखन वर्मा—

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी में कनिष्ठ लिपिक का एक आरक्षित पद अक्टूबर, 1985 से रिक्त है ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में तथा किस प्रकार के अभ्यर्थी से किस दिनांक से

उक्त पद भरा गया है ? क्या यह सही है कि उक्त पद पर नियमित नियुक्त अभी तक सम्भव नहीं हो सकी है ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? इस पर नियमित नियुक्ति कब तक कर ली जायेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी में सम्प्रति कनिष्ठ लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं है ।

वर्ष 1985 में, कनिष्ठ लिपिक की पद सहित समान वेतनमान के दो अन्य लिपिक का पद आरक्षित समझा गया था किन्तु उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण कमेटी को सामान्य अभ्यर्थी से 17-10-1985 को भरा ।

जी हां ।

विधिवत् परीक्षणोपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि तीनों पदों में से कोई भी आरक्षित पद नहीं बनता । अतः नियमित नियुक्ति न किये जाने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कमेटी द्वारा यथा समय यथा आवश्यकता प्रश्नगत कार्यवाही की जायेगी ।

फैजाबाद, टोन्स नदी पर पक्का पुल बनवाये जाने की मांग

60—श्री राम लखन वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के नव सृजित तहसील जलालपुर के उद्घाटन के अवसर पर 22 अक्टूबर, 89 को सार्वजनिक सभा में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने टोन्स नदी पर नसीपुर, नगपुर में पक्का पुल बनाये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर पुल निर्माण कब शुरू हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

पक्के पुल के निर्माण की घोषणा की सूचना शासन में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र पाराशर, अवर अभियंता के विरुद्ध आरोपों की जांच एवं स्थानान्तरण की मांग

61—श्री छोटे लाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय द्वारा पत्रांक 4336/बी0 आई0 पी0/89/दिनांक 23-9-89 सचिव, लो0 नि0 वि0 को भेजा गया था जो श्री राजेन्द्र पाराशर अवर अभियंता के स्थानान्तरण के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां । प्रश्नगत शिकायती पत्र में श्री राजेन्द्र पाराशर, अवर अभियंता के विरुद्ध आरोप लगाते हुये उनके स्थानान्तरण की मांग की गयी है । आरोपों की जांच पूरी होने के उपरान्त ही श्री राजेन्द्र पाराशर के स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्णय लिया जायेगा ?

प्रश्न नहीं उठता है ।

लोक निर्माण विभाग, शाहजहांपुर के श्री राम बचन राम के स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश

62—श्री छोटे लाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम बचन राम, अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0, शाहजहांपुर ने कुछ पूर्व उच्च न्यायालय (लखनऊ) शाखा में अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध कोई याचिका दायर की थी और इस याचिका का निर्णय इनके विरुद्ध हुआ था परन्तु अवर अभियन्ता ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय को छुपाकर शासन से अपना स्थानान्तरण रुकवा लिया ? क्या इसकी शिकायत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लो0 नि0 वि0 बरेली को हुयी थी ? उच्च न्यायालय के आदेशों को न मानने के संबंध में अवर अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां । स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध इनकी याचिका मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने इस निर्देश के साथ दिनांक 28-10-86 को खारिज कर दी थी कि प्रमुख अभियन्ता इनके तत्सम्बन्धी प्रत्यावेदन का निस्तारण करें । श्री राम ने इसकी सूचना नहीं दी ।

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड शाहजहांपुर ने अपने पत्रांक—74कैम्प/90, दिनांक 23-6-90 द्वारा समस्त चार्ज वापस लेने के आदेश पारित कर दिये हैं ।

जनपद बस्ती में पकोलिया शिवाघाट मार्ग पर स्वीकृत सेपन स्तर का पूर्ण किया गया कार्य

63—श्री कृष्ण किंकर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र कप्तानपुर, जनपद बस्ती के पकोलिया शिवाघाट मार्ग की स्वीकृति वर्ष 1980 में मिल गयी थी ? यदि हां, तो इस मार्ग पर अब तक कितने किलोमीटर कार्य पूरा हुआ है और कितना शेष है तथा कार्य किस स्तर तक हुआ है ? क्या सरकार को जानकारी है कि विभाग जिला इकाई ने इस पर केवल कुछ किलोमीटर तक केवल मिट्टी डालने का कार्य किया और ठेकेदारों को पूरे कार्य का पूरा भुगतान कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि अब तक इस सड़क की मिट्टी विभाग के कर्मचारियों द्वारा दूसरे मार्ग पर बिछाने के लिये ले जायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण कार्य के लिये जिम्मेदार विभाग के कर्मचारियों को भुगतान कर दिया ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां । वर्ष 1979-80 में जनपद बस्ती में 13.800 कि0मी0 लम्बे पकोलिया शिवाघाट मार्ग के प्रथम 10 कि0मी0 भाग के खण्डंजा स्तर तक निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । प्रश्नगत मार्ग पर वर्ष 1984-85 में कि0 मी0 1 व 2 में, वर्ष 87-88 में कि0 मी0

9 व 10 तथा वर्ष 88-89 में कि0मी0 7 व 8 अर्थात कुल 6 कि0मी0 लम्बाई में लेपन का कार्य स्वीकृति किया गया था जो पूर्ण किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

जी नहीं । प्रश्नगत मार्ग के जिस भाग का निर्माण अभी नहीं हुआ है उसका कोई भुगतान नहीं किया गया है । अतः इस संबंध में किसी कर्मचारी को दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उ0 प्र0 के प्राइमरी विद्यालयों के भवनों के निर्माण की मांग

64—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में इस समय कितने प्राइमरी विद्यालय बिना भवन के हैं और उनमें से कितने विद्यालयों के भवन इस वित्तीय वर्ष में बढ़ जायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

17,231 (सत्रह हजार दो सौ इकतीस) ।

14,874 भवनों का निर्माण हो जाने की आशा है ।

वन निगम में महाप्रबन्धक के पद एवं उनके कार्यक्षेत्र

65—श्री स्वामी नाथ—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम में कितने महाप्रबन्धक के पद हैं ? क्या उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया है ? यदि हां तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

उत्तर प्रदेश वन निगम में वर्तमान में महाप्रबन्धक के तीन पद हैं ।

जी हां । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार महाप्रबन्धक (मैदानी अंचल) के कार्यक्षेत्र एवं नियंत्रण में लखीमपुर-खीरी, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर व लखनऊ जनपद आते हैं ।

महाप्रबन्धक (पर्वतीय अंचल) के कार्यक्षेत्र एवं नियन्त्रण में कुमाऊं पश्चिमी टिहरी एवं गढ़वाल क्षेत्र आते हैं ।

महाप्रबन्धक (उत्पादन) के कार्यक्षेत्र एवं नियंत्रण में गोरखपुर, गोण्डा, बस्ती, मऊ, देवरिया, फैजाबाद, व आजमगढ़ जनपद आते हैं । इसके अतिरिक्त महाप्रबन्धक (उत्पादन) वन निगम के लौगिंग प्लान तथा उत्पादन कार्यों की देख-रेख एवं अनुश्रवण तथा मुख्यालय से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों का सम्पादन भी करते हैं ।

फील्ड में कार्यरत वन निगम कर्मचारियों के वेतन भुगतान की निर्धारित तिथि

66—श्री स्वामी नाथ—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फील्ड में कार्यरत वन निगम कर्मचारियों के वेतन भुगतान की तिथि निर्धारित है ? यदि हां, तो कौन सी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश वन निगम में फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान कर दिये जाने की तिथि निर्धारित है ।

उ0 प्र0 वन विभाग में संवर्गवार कार्य का निर्धारण

67—श्री स्वामीनाथ—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम में संवर्गवार कार्य का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश वन निगम में कार्य का निर्धारण संवर्गवार किया गया है । वन निगम के कार्यों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है यथा फील्ड एवं कार्यालय । फील्ड श्रेणी में लागिंग सुपरवाइजर, सहायक लागिंग सुपरवाइजर, लागिंग सहायक तथा स्केलर आदि पदों के कर्मचारी तथा कार्यालय श्रेणी के अन्तर्गत सम्प्रेक्षा, लेखा, लिपिकीय तथा सांख्यकीय संवर्ग के विभिन्न पदों के कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके लिये वन निगम सेवा नियमावली में शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं निर्धारित हैं ।

उ0 प्र0 वन निगम के कर्मचारियों के वेतन की जमानत के रूप में की गयी कटौती को डाकघर में जमा किया जाना

68—श्री स्वामीनाथ—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 वन निगम के कर्मचारियों के वेतन से जमानत के रूप में की गयी कटौती की धनराशि को कर्मचारियों के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में जमा किया गया है ? यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को पासबुक दी गयी अथवा खाता संख्या सूचित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां । कर्मचारियों के वेतन से जमानत के रूप में की गयी कटौती की धनराशि को कर्मचारी के खाता में नजदीकी डाकघर में प्रतिमाह जमा किया जाता है । यह पास बुकें प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के पदनाम से बन्धक होती हैं । प्रत्येक कर्मचारी को अपना खाता संख्या ज्ञात होता है ।

वन निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति

69—श्री रणजीत सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 वन निगम के कोटद्वार डिपो में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से कुछ को स्थाई किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि स्थाईकरण के समय वरिष्ठता एवं अन्य मानक सिद्धान्तों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? किन-किन कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची में होते हुए भी स्थाई नहीं किया गया है ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

वन निगम का कोटद्धार में कोई डिपो स्थापित नहीं है । अतः प्रश्नगत कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

वन निगम में कोई पद स्थायी नहीं है, अतः कर्मचारी की स्थायी नियुक्ति नहीं, वरन् नियमित नियुक्ति की जाती है । वन निगम के गढ़वाल क्षेत्र, जिसका मुख्यालय कोटद्धार है, के अन्तर्गत 65 दैनिक वेतन भोगी स्केलरों की नियमित नियुक्ति की गयी है । ये नियुक्तियां वन निगम सेवा नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी है ।

वरिष्ठ सूची में विद्यमान एक दैनिक वेतन भोगी स्केलर के विरुद्ध आपराधिक अभियोग का मुकदमा दर्ज होने के कारण उसे नियमित नहीं किया गया है ।

फैजाबाद, अयोध्या बाई-पास के किनारे सर्विस रोड बनाने हेतु शासन द्वारा रुपये की स्वीकृति

70—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद अयोध्या बाईपास के किनारे-किनारे सर्विस रोड बनाने के लिए कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन इस पर कितना धन खर्च करने जा रहा है और उपरोक्त सर्विस रोड का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

इस योजना पर कुल 144.39 लाख रुपये की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है ।

मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

अयोध्या के चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण के आदेश

71—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण किन परिस्थितियों में स्थगित कर दिया गया था और किसकी संस्तुति पर ऐसा किया गया ? क्या चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण के लिए वर्तमान जनप्रतिनिधियों का प्रार्थना-पत्र उनको प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो सरकार परिक्रमा मार्ग का निर्माण कब तक पूरा करा देगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

अयोध्या विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण कार्य को रोके जाने के आदेश दिनांक 5-12-87 को फैजाबाद मण्डल के जनप्रतिनिधियों की मण्डलीय बैठक में जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर ।

जी हां ।

प्रश्नगत चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण कार्य पुनः आरम्भ करने के आदेश दिनांक 17-5-90 को जारी किये जा चुके हैं जिसे पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

72—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका में, शिक्षा निदेशक द्वारा शपथ पत्र न दाखिल न किया जाना

73—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका संख्या-5562 वर्ष 87 जिसमें शिक्षा निदेशक महिला एक पार्टी है में शिक्षा निदेशालय की ओर से अभी तक प्रति शपथ पत्र दायर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? प्रति शपथ पत्र कब तक दायर कर दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

शिक्षा निदेशक महिला नहीं वरन शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा एक पार्टी है ।

याचिका मा0 उच्च न्यायालय में वादियों ने इस अनुतोष के लिए दायर की थी कि शासन एवं शिक्षा निदेशक (उ0 शि0) (प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2) के द्वारा पारित वेतन भुगतान विषयक आदेशों का अनुपालन प्रतिवादी सं0 4 एवं 5 के द्वारा सुनिश्चित कराते हुए नियमित नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान कराने के आदेश दिये जांय । चूंकि याचित अनुतोष प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 द्वारा दे दिया गया, अतः याचिका के प्रतिवाद की आवश्यकता समाप्त हो गयी । वर्णित स्थिति में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय पाठशाला, इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद के अध्यापक स्व0 श्री धर के देयों का भुगतान व आश्रित को नौकरी दिये जाने के आदेश

74—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री के0 डी0 धर सहायक अध्यापक, भारतीय पाठशाला, इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद का देहान्त सेवाकाल में ही एक वर्ष पूर्व हो गया था किन्तु अभी तक उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देयों का भुगतान नहीं हुआ है और न ही उनके आश्रित को कोई नौकरी मिली है ? यदि हां तो क्या सरकार उनको पेंशन व अन्य अवशेष तथा आश्रित को नौकरी दिये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं । सभी देयों का भुगतान किया जा चुका है । स्व0 श्री धर को ग्रेच्युटी देय नहीं है ।

जी हां ।

आश्रित को नौकरी दिये जाने के आदेश प्रधानाचार्य को दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर के बी0 टी0 सी0 बेरोजगार शिक्षकों की मांगों पर विचार एवं कार्यवाही

75—देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के बी0 टी0 सी0, बेरोजगार शिक्षक पिछले माह अगस्त, 89 से धरने पर हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उनकी मांगों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

बी0 टी0 सी0 बेरोजगार शिक्षकों ने अगस्त, 89 से धरना दिया था ।

मांगे निम्न प्रकार थीं :—

(1) जनपद ललितपुर में सभी ग्राम सभाओं और बड़ी आबादी वाले ग्रामों में प्राइमरी विद्यालय खोले जायं ।

(2) 95 विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के पद स्वीकृत किये जायें ।

(3) छात्र संख्या अनुपात 1:40 की जगह 1.30 किया जाय ।

(4) रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाय ।

(5) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के लिये 150 नवीन पदों पर बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित पुरुषों की नियुक्ति की जाय ।

(6) असत्य तथ्यों पर बने फाइरी मूल निवासियों के प्रमाण-पत्र की जांच की जाय ।

क्र0 सं0—1, 3, 4, 5 पर सम्प्रति कोई कार्यवाही संभव नहीं है । क्रम सं0 2 पर उल्लिखित मांग पर विचार किया जा रहा है । क्र0सं0 6 पर किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं है ।

हर्षचन्द्र इण्टर कालेज, बरहज देवरिया के प्रधानाचार्य के पुत्र राजकुमार राम त्रिपाठी की नियुक्ति के जांच आदेश

76—श्री कल्यान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हर्षचन्द्र इण्टर कालेज, बरहज, देवरिया की प्रबन्ध समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-जी की अवहेलना करके विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गोपाल जी राम त्रिपाठी के पुत्र श्री राजकुमार राम त्रिपाठी की नियुक्ति स्नातक वेतनक्रम में की गई है ? क्या यह सच है कि उक्त तथ्य

पूर्णरूप से अवगत होने के बावजूद प्रश्नगत अनियमित नियुक्ति का अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया ने प्रदान की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

शिक्षा निदेशक को मामले की जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

ग्राम मेवाली, विकास खण्ड खजुहा जनपद फतेहपुर को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि एवं कृत कार्य

77—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-मेवाली विकास खण्ड-खजुहा, जनपद फतेहपुर को जवाहर रोजगार योजना में कितनी धनराशि कब-कब आवंटित हुई ? उक्त धनराशि से क्या कार्य कराया गया ? क्या जवाहर रोजगार योजना द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों व महिलाओं को कार्य दिया गया ? क्या पूरी धनराशि का उपभोग कर लिया गया है ? यदि हां, तो किस किस कार्य में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्राम मेवाली, विकास खण्ड खजुहा को जवाहर योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में कुल 41630.00 रु0 की धनराशि क्रमशः दिनांक 7-6-89 को रु0 10,000.00 दिनांक 29-8-89 को रु0 8250.00 एवं दिनांक 7-11-89 को रु0 23,380.00 की धनराशि आवंटित की गयी है ।

ग्राम सभा द्वारा प्राप्त धनराशि से रास्ते पर 564 घ0 मी0 मिट्टी पुराई, 504 वर्ग मी0 खड़ंजा बिछायी एवं मिट्टी कार्य, सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत 0.21 हे0 क्षेत्रफल में वृक्षारोपण, वृक्षारोपण हेतु सुरक्षा खाई खुदान कार्य, 2 पुलिया निर्माण एवं 2 निर्बल वर्ग आवासों का निर्माण कार्य कराया गया ।

जी हां ।

कुल आवंटित रु0 41,630-00 धनराशि के विरुद्ध ग्राम सभा द्वारा रु0 41,344.00 आहरित कर उपरोक्त कार्यों में शत प्रतिशत उपभोग कर लिया गया है । शेष 286:00 रु0 पौध रोपित किये जाने हेतु सुरक्षित है ।

प्रदेश के प्राइवेट हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों को प्रदत्त अनुदान

78—श्री ऊदल—

78—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइवेट हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों को अनुदान बन्द कर देने से उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पहले की तरह उन्हें आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

विद्यालयों को अनुदान बन्द नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी, ब्लाक बड़ागांव, अनेई की प्राइमरी पाठशाला में निर्माणाधीन इमारत को स्वीकृत धनराशि

79—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला अनेई, ब्लाक बड़ागांव, जिला-वाराणसी की नयी इमारत बनाने हेतु क्या 88-89 एवं 89-90 में लगभग एक लाख रुपया स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो इमारत बनाने का कार्य क्यों शुरू नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त प्राइमरी स्कूल की इमारत ढह गयी है ? यदि हां, तो नये भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

75,500 स्वीकृत किया गया था ।

निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है ।

पुरानी इमारत ढह गयी है ।

निर्माण शीघ्र पूर्ण हो जाने की आशा है ।

80—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

[6वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

81—श्री पंचानन राय—

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ में राष्ट्रीय मार्ग सं0 29, मऊ से दोहरीघाट के बीच पिचिंग का कार्य कराये जाने की मांग

82—श्री सुबास—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से सम्बन्धित राष्ट्रीय मार्ग मऊ से दोहरीघाट के बीच पिचिंग कार्य कराने का कार्य कब से कब तक किया जाता है? उसकी अवधि क्या है ? क्या उस अवधि के अन्दर कार्य किया गया है और किये गये कार्यों में मैटीरियल का क्या अनुपात है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उस पर किए गये पिच कार्यों की जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

राष्ट्रीय मार्ग संख्या-29 पर मऊ से दोहरीघाट के बीच पिचिंग का कार्य अभी स्वीकृत नहीं है अतः उसे कराये जाने अथवा उसकी जांच आदि का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

देवरिया विकास खण्ड फाजिलनगर के ग्राम करजही से पुरैना पर पुलिया का निर्माण

83—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड-फाजिलनगर देवरिया में ग्राम करजही से पुरैना जाने वाली सड़क पर विगत वर्ष पुलिया का निर्माण कराया गया था ?

क्या वह निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उसका भुगतान कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त पुलिया का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है और भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी कर्मचारी/अधिकारी को दण्डित कर पुलिया का निर्माण पूर्ण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां । पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सामग्री अंश का भुगतान कर दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश की नील गायों को नष्ट करवाने हेतु शिकारियों को परमिट का दिया जाना

84—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रतिवर्ष नील गायों से प्रदेश के किसानों की फसलों को लाखों रुपयों का नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हानि को रोकने का उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

नील गायों द्वारा प्रदेश में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है । इसलिये फसलों को हानि पहुंचाने वाली नील गायों को नष्ट करवाने के लिये शिकारियों को परमिट देने के लिए वर्ष 1985 से ही जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जा चुका है । समस्या के दृष्टिगत, शासन स्तर से भी दिनांक 17 अप्रैल, 1990 को समस्त जिलाधिकारियों को लिखा जा चुका है तथा उसकी प्रति प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को भी भेजी जा चुकी है ।

दारुलशफा से विधान भवन आने हेतु ओवर ब्रिज/अण्डरग्राउण्ड रास्ता बनवाने की मांग

85—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या लोक निर्माण मंत्री दारुलशफा से विधान भवन लखनऊ आने में दुर्घटना की सम्भावना को देखते हुए ओवर ब्रिज अथवा अण्डरग्राउण्ड रास्ता बनवाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो पुल कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी, नहीं ।

प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुए स्वीकृति दिया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 में कुओं व हैण्ड पम्पों में खारा पानी होने के कारण एवं शुद्ध जल के अन्वेषण हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम

86—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में कुओं, हैण्ड पम्पों के पानी के खारा होते जाने की समस्या बढ़ती जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि शासन की जानकारी में कितने कुएं पूरे प्रदेश में खारे पानी के हैं ? सरकार ने क्या इस बिन्दु की जांच करवाई है कि खारा पानी होने के क्या कारण हैं और उसकी रोकथाम के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या उन्नाव जिले में एवं प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में इस समस्या से निबटने के लिए प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 1990 जो माननीय मंत्री ग्राम्य विकास को प्रेषित है, की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच नतीजे क्या हैं ? शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में क्या उपाय किये गये हैं?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

जी हां, खारे पानी के मुख्यतः दो कारण हैं ।

(1) प्राकृतिक

(2) भूगर्भ जल स्तर बढ़ने के कारण ।

माननीय विधायक जी के पत्र प्राप्त होने के पश्चात् उन्नाव जनपद के असोहा एवं नवाबगंज के समस्याग्रस्त विकास खण्डों का सर्वेक्षण किया गया है । जल नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है, प्राप्त निष्कर्षों के उपरांत रोकथाम के लिए अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी ।

जी हां, प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि भूमिगत जल के प्रदूषण के कारण अपंगता हो रही है ।

समस्याग्रस्त क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त प्रदूषण रहित शुद्ध जल के अन्वेषण के लिए विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया जायेगा ।

जनपद आजमगढ़, करखिया पुल, ब्लाक हरैया के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

87—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथमसत्र 90 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहुंच मार्ग का निर्माण किस वर्ष हुआ ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कृषकों के प्रतिकर भुगतान के संदर्भ में 31 मार्च, 1990 तक कब-कब क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वर्ष 1985-86 में आरम्भ होकर 1987-88 तक हुआ ।

विभाग द्वारा मामले में दिनांक 31 फरवरी, 1990 तक की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 195 पर)

आजमगढ़ जनपद में महुला-गढ़वल बांध से देवाराखास राजा तक निर्मित मार्ग पर पुलिया निर्माण की मांग

88—श्री पंचानन राय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में महुला-गढ़वल बांध से देवाराखास राजा तक निर्मित मार्ग पर पुलिया के निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 दिसम्बर, 1989, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी, हां ।

कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

89—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[4थे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में धनराशि का प्राविधान

90— श्री रणजीत सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु कितनी धनराशि का प्राविधान है? क्या यह सत्य है कि मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में यह धनराशि समान रूप से स्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी के संज्ञान में यह तथ्य है कि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण लागत मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी भवन निर्माण धनराशि को पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बढ़ायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेई—

वर्ष 1990-91 में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल भवनों के निर्माण हेतु निम्नवत् प्राविधान है :—

	लाख रुपये में
मैदानी जनपद—	
प्राइमरी स्कूलों हेतु	4,518·90
जूनियर हाई स्कूलों हेतु	180·00
पर्वतीय जनपद—	
प्राइमरी स्कूलों हेतु	75·00
जूनियर हाई स्कूलों हेतु	16·00

जी हां ।

जी नहीं ।

जनपद सोनभद्र, उ0 प्र0 बिक्री-कर अधिनियम के अनुसार तेन्दू पत्ती का मार्च, 1990 तक 91 व्यक्तियों/फर्मों द्वारा विक्रय कार्य

91—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के तेन्दू पत्ता व्यवसाय में कितने व्यापारी व फर्म वर्ष 1987 से मार्च, 1990 तक कार्य किए हैं ? क्या उन व्यापारी तथा फर्म्स के सेल्स टैक्स के रजिस्ट्रेशन हैं ? यदि नहीं, तो उनको लाखों रुपए के तेन्दू पत्ता किस आधार पर दिया गया ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

वर्ष 1987 व 1988 में जनपद सोनभद्र (पूर्व मिर्जापुर) में उ0 प्र0 तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम ने कार्य किया था, जिनसे उक्त वर्षों में कुल 74 व्यक्तियों/फर्मों ने विक्रय कार्य किया ।

वर्ष 1989 में उ0 प्र0 वन निगम ने तेन्दू पत्ता संग्रहण व विपणन कार्य किया, जिनके द्वारा 1989 सीजन की तेन्दू पत्ती का मार्च, 1990 तक कुल 91 व्यक्तियों/फर्मों ने विक्रय कार्य किया ।

उ0 प्र0 तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, जिसके अनुसार तेन्दू पत्ता की बिक्री उन्हीं क्रेताओं को की जानी आवश्यक हो, जिनका बिक्री-कर विभाग में पंजीकरण हो । तेन्दू पत्ता विक्रेताओं को जिस दर पर तेन्दू पत्ता की बिक्री की जाती है, उसमें रायल्टी, प्रान्तीय, बिक्रीकर एवं सरचार्ज तथा सभी प्रकार के संग्रहण व्यय शामिल होते हैं । क्रेताओं से अलग से बिक्रीकर नहीं वसूला जाता है, अपितु उ0 प्र0 बिक्रीकर अधिनियम के अनुसार तेन्दू पत्ता की बिक्री पर देय प्रान्तीय बिक्रीकर का भुगतान वन विभाग के माध्यम से बिक्रीकर विभाग को किया जाता है ।

जनपद सोनभद्र के वन प्रभाग के डी0 एफ0 ओ0 द्वारा अवैध कटान कराये जाने की जांच

92—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के रेनूकोट वन प्रभाग के डी0 एफ0 ओ0 द्वारा अवैध कटान कराए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2 फरवरी, 1990 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर मुख्य वन संरक्षक (पूर्वी क्षेत्र), इलाहाबाद से जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, विकास खण्ड पहाड़ी, ग्राम सरधुवा में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने की मांग

93—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बांदा जनपद में विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम सरधुवा में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेई—

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

देशी व विदेशी शराब की दुकानों के खुलने व बिक्री करने का निर्धारित समय

94—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि शराब की दुकानों के खुलने का समय क्या है ? क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जनपद बाराबंकी की शराब की दुकानें तथा उसके बिक्री के उपकेन्द्र चौबीस घण्टे खुले रहते हैं और शराब की बिक्री होती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

देशी व विदेशी शराब की दुकानों के खुलने व बिक्री करने का समय (बन्दी के दिनों छोड़कर) 10.00 बजे प्रातः से 10.00 बजे रात तक है, प्राप्त सूचनानुसार जनपद बाराबंकी में शराब की दुकानों से निर्धारित समय में ही बिक्री की जाती है ।

95—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[7वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चमोली में जूनियर हाई स्कूल भवनों के निर्माण की मांग

96—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में 7वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 31 मार्च, 1990 तक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कितने जूनियर हाई स्कूल भवनों का निर्माण कार्य किया गया है? क्या सभी विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य किया गया है ? क्या सभी विद्यालय भवनों का निर्माण समयवधि के अन्दर करवा कर उन्हें विधिवत् बेसिक शिक्षा परिषद् को सौंप दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोक निर्माण विभाग, बलिया के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रकरण में विलम्ब के कारणों की जांच

97—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या लोक निर्माण मंत्री को प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ श्री अमरनाथ प्रसाद, मंत्री, श्रमिक संघ, शाखा बलिया का एक आवेदन-पत्र दिनांक 6-3-90 प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0, बलिया के वर्क एजेन्ट, मेट, चौकीदार, ट्रेसर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की वर्क चार्ज में नियुक्ति की गयी अनियमितता की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

शासनादेश, दिनांक 12-2-1990 द्वारा कार्यप्रभारित कर्मचारियों की संख्या को अवरुद्ध (फ्रीज) कर देने के कारण प्रश्नगत कर्मचारियों की कार्यप्रभारिता अधिष्ठान में नियुक्ति नहीं की जा सकी । इस प्रकरण में विलम्ब के कारणों की जांच की जा रही है ।

जनपद ललितपुर के ग्राम पाचौनी में चेक डैम बनवाये जाने एवं सिंचाई कर को माफ किये जाने की मांग

98—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में पिछले 5 वर्षों में कितने चेक डैम बनाये गये हैं ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि ग्राम पाचौनी में डी0 आर0 डी0 ए0 में दो चेक डैम बनाये गये हैं ? क्या चेक डैम पाचौनी में न बनाकर अमरपुर में सिद्धि सहकारी समिति लि0 के फार्म में बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पाचौनी ब्लाक बार जनपद ललितपुर के योजना के अनुसार चेक डैम बनवायेंगे एवं अभी चेक डैम से जो सिंचाई कर उक्त ग्रामवासियों से ली जा रही है उसे माफ करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद ललितपुर में पिछले 5 वर्षों 85-86 से 89-90 तक 88 चेक डैम बनाए गये हैं ।

जी नहीं । ग्राम पाचौनी में कोई चेक डैम नहीं बनाया गया है ।

ग्राम पाचौनी के पास बहने वाले बिजौरिया नाले पर वर्ष 1984-85 में ग्राम सभा अमरपुर में ग्राम समाज की भूमि में (पानी की क्षमता, शीट राक को ध्यान में रखते हुये) दो चेक डैम बनाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम पाचौनी ब्लाक जखौरा जनपद ललितपुर में इस समय चेक डैम बनाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है । वर्तमान में किसी भी चेक डैम से जनपद में कोई सिंचाई कर

नहीं लिया जा रहा है। अतएव सिंचाई-कर माफ किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

99—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

100—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने कारण निरस्त]

जनपद हरदोई में राजकीय कन्या विद्यालय के भवन निर्माण की मांग

101—श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सण्डीला (जनपद) में राजकीय कन्या विद्यालय भवनहीन है ? यदि हां, तो उक्त कन्या विद्यालय के भवन निर्माण की बाबत क्या योजना है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

हां।

सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने का मापदण्ड एवं शेष विद्यालयों को खोले जाने की मांग

102—श्री नजमउद्दीन—

क्या शिक्षा मंत्री कपया बतायेंगे कि कितनी आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने का मापदण्ड सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ? इस माप दण्ड के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, इलाहाबाद के कितने गांवों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं ? कितने गांवों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाना शेष है और वहां पर कब तक प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर दिये जायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मैदानी क्षेत्र में 300 की आबादी का मापदण्ड निर्धारित किया गया है।

206 विद्यालय पहले से हैं, 3 इस वर्ष खोले जायेंगे।
38 ग्रामों में शेष हैं।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता

जनपद कानपुर देहात ककवन में अध्यापकों की नव-नियुक्तियां

103—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कपा करेंगे कि नेहरू इण्टर कालेज ककवन, जनपद कानपुर देहात में इस समय कितने अध्यापक अनुसूचित जाति के अथवा अनुसूचित जनजाति के कार्यरत हैं ? इसी अनक्रम में क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनवरी, 1980 से 15 अप्रैल, 90 तक कितनी और किन-किन अध्यापकों की नव नियुक्तियां हुयी हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

निम्ननांकित चार नियुक्तियां की गयी हैं :—

(1) श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, व्यायाम शिक्षक अधिस्नातक वेतनक्रम ।

(2) श्री सुनील कुमार पाण्डेय, स्नातक वेतनक्रम ।

(3) श्री दिनेश चन्द्र द्विवेदी, स्नातक वेतनक्रम ।

(4) श्री राकेश कुमार मिश्र, स्नातक वेतनक्रम ।

लोक निर्माण विभाग अनुरक्षण खण्ड-2, लखनऊ में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

104—श्री हृदय नारायण—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय स्थित लो0 नि0 वि0 अनुरक्षण खण्ड-2 लखनऊ में कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी कितने समय से कार्यरत हैं ? क्या उन्हें निर्धारित तिथि के अन्दर वर्कचार्ज या रेगुलर किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों, उन्हें कब तक वर्कचार्ज या रेगुलर कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सचिवालय के कोई भवन नहीं आते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के जलालपुर कस्बे में सई नदी पर सेतु एवं मार्ग यथास्थित बनाये रखने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

105—श्री उमानाथ—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं अन्य विधायकों का 6-4-90 का पत्र जौनपुर जनपद के जलालपुर कस्बे में सई नदी पर पुराने सेतु एवं मार्ग को यथास्थिति बनाये रखने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी, हां ।

जनपद जौनपुर के जलालपुर कस्बे के पास सई नदी पर पुराना सेतु एवं मार्ग यथास्थिति में है । मात्र जौनपुर की ओर पुराने एवं नये मार्ग के जंक्शन के पास 200 मीटर लम्बाई में पुराने मार्ग की चौड़ाई, नये मार्ग के तटबन्ध का ढाल पुराने मार्ग पर आ जाने के कारण, कम हो गई है । फिर भी पुराने मार्ग से सेतु तक पहुंचने के लिये आने-जाने में कोई कठिनाई नहीं है ।

106—श्री उमानाथ—

[दि0 18-6-90 को अता0 प्र0 सं0 135 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद जौनपुर के जफराबाद—गौरा बादशाहपुर मार्ग पर पुल बनवाये जाने एवं कतिपय मार्गों हेतु धन उपलब्ध करवाये जाने की मांग

107—श्री उमा नाथ—

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जफराबाद—गौरा बादशाहपुर मार्ग जनपद जौनपुर में गोमती नदी पर पुल न होने के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जफराबाद में गोमती नदी पर पुल बनवाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी, नहीं । किसी क्षेत्र का विकास मात्र पुल के निर्माण पर निर्भर नहीं है ।

प्रस्तावित स्थिति से मात्र कुछ किमी0 ऊपर न तो गोमती सेतु होने तथा सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत पुल के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

108—श्री उमा नाथ—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बयलिसी जौनपुर की कोई भी सड़क पिछले 15 वर्षों से राजकीय सेक्टर में न रखे जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार जफराबाद—गौराबादशाहपुर मार्ग, रेहटी—घुसांव, धरांव मार्ग, प्रधानपुर-कुर्सिया मार्ग, भदौरा-पोरांवा मार्ग सरैया—उत्तरगांवां मार्ग, मुफ्तीगंज—अमरा मार्ग को राजकीय सेक्टर में रखने एवं इसके लिए धन की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सीमित वित्तीय संसाधन ।

प्रश्नगत मार्ग जिला सेक्टर के अन्तर्गत आते हैं । अतः इन्हें राज्य सेक्टर में रखने तथा धन की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के बयालिसी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों पर मरम्मत कार्य एवं व्यय रुपये

109—श्री उमा नाथ—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर के अन्तर्गत मार्च, 1985 से मार्च, 1990 तक निर्वाचन क्षेत्र बयालिसी से संबंधित किन-किन सड़कों पर मरम्मत का कार्य हुआ है और मरम्मत में कितना धन खर्च हुआ है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद जौनपुर के बयालसी विधान सभा क्षेत्र में 1985 से 1990 तक निम्नलिखित सड़कों पर मरम्मत का कार्य हुआ :—

जलालपुर थानागद्दी केराकत मार्ग

जौनपुर—आजमगढ़ मार्ग ।

सरकोनी—राजेपुर मार्ग ।

गौरा बादशाहपुर—वारी मार्ग तथा वारी से पैसारा मार्ग ।

लखनऊ—जौनपुर—केराकत—मांझीघाट मार्ग का 17.00 किमी0 का भाग ।

जफराबाद—देवकली मार्ग ।

मुफ्तीगंज—पेसारा मार्ग ।

मीड़याहू—जलालपुर मार्ग ।

उपरोक्त सड़कों पर मरम्मत के कार्य पर 1985 से 1990 तक कुल 23.96 लाख रुपये का व्यय किया गया है ।

जिला देवरिया के डुमरी से बैजनाथपुर—देवरिया मार्ग के शेष भाग को पिच कराया जाना

110—श्री मुक्ति नाथ—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 108 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से डुमरी से हरिन्द्रापुर तक 2.8 किमी0 लम्बी सड़क के लेपन का कार्य 3/90 तक भी पूरा नहीं किया गया है ? उक्त 8 किमी0 लम्बी सड़क के लेपन का कार्य निश्चित रूप से कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जिला योजना में सीमित धन की उपलब्धता के कारण ।

प्रश्नगत 8 किमी0 लम्बे मार्ग (डुमरी से बैजनाथपुर तक) को लेपन स्तर तक पूरा किया जाना जिला योजना में धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया, ग्राम सभा रामपुर—हिरामन के सामने दोहरी नाले पर पुल निर्माण का कार्य

111—श्री मुक्ति नाथ—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया से देसही—देवरिया वाया डुमरी व पाण्डेय चक से होकर जाने वाली रोड पर ग्राम सभा रामपुर—हिरामन के सामने दोहरी नाले पर निर्मित पुल पिछले बरसात में पानी के अत्यधिक दबाव के कारण टूट कर बह गया था और पूरे बरसात में उक्त सड़क पर आवागमन ठप्प हो गया था ? यदि हां, तो आगामी बरसात के पूर्व उक्त पुल के निर्माण तथा सवारियों के आवागमन को चालू रखने के सम्बन्ध में शासन स्तर से क्या आदेश दिये जा रहे हैं ? उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

पुल टूट जाने के कारण उक्त मार्ग पर दिनांक 13-7-89 से 31-8-89 तक आवागमन बन्द रहा था ।

प्रश्नगत पुल का पुनः निर्माण जिला योजना 1989-90 में 3/90 में स्वीकृत हो गया है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। यातायात हेतु खड़ंजा स्तर तक का डायवर्सन पूरा कर दिया गया है, जिस पर भारी बाढ़ को छोड़कर आवागमन चालू रहेगा।

पुल का निर्माण कार्य पूरा किया जाना जिला योजना में धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

बांदा, मानिकपुर में राजकीय कन्या हाई स्कूल की स्थापना

112—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बांदा जनपद में विकास खण्ड मानिकपुर अन्तर्गत ग्राम रैपुरा में राजकीय कन्या हाईस्कूल स्थापित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि विकास खण्ड मानिकपुर के अन्तर्गत मानिकपुर में पूर्व से ही राजकीय कन्या हाईस्कूल संचालित है।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गाजीपुर की जमीन राजकीय महिला महाविद्यालय को दिए जाने के आदेश

113—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर महिला डिग्री कालेज के लिए राजकीय का जमीन दे दी गयी है? नयी जमीन पर डिग्री कालेज में पढ़ाई व्यवस्था कब तक प्रारम्भ हो जायेगी?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गाजीपुर के पुराने छात्रावास की जमीन राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर को दिये जाने के आदेश हुए हैं।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर भवन निर्माण के पश्चात्।

नार्मल स्कूल, गाजीपुर की प्रधानाचार्या को स्कूल के निर्माण में आपत्ति न करने के शिक्षा निदेशक के आदेश

114—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला डिग्री कालेज, गाजीपुर नार्मल स्कूल के भवन में चल रहा है? क्या उक्त स्कूल में समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्माण का कार्य हुआ है? यदि हां, तो वर्तमान प्रधानाचार्य नार्मल स्कूल को क्या आपत्ति है कि दो और कमरे का निर्माण नहीं होने दे रही है, जबकि चार कमरे बनाये जा चुके हैं और अभी अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या राजकीय महिला डिग्री कालेज की आवश्यकतानुसार उसमें निर्माण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

जी हां ।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने नार्मल स्कूल की प्राचार्या को निर्माण में आपत्ति न करने के निर्देश दे दिये हैं ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

115—श्री कल्यान सिंह—

[दि0 25-6-90 को अता0 प्र0 सं0 118 द्वारा उत्तरित]

116—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद जौनपुर की ग्राम सभा कुकहां में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत दी गयी धनराशि एवं धन का सदुपयोग

117—श्री उमानाथ—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद जौनपुर, तहसील जौनपुर ब्लाक कर्णा के ग्राम सभा कुकहां में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितना धन स्वीकृत किया गया, तथा किस-किस मद में उसका उपयोग हुआ ? क्या यह सही है कि शासन से प्राप्त धन के सदुपयोग में अनियमितता की गयी है? यदि हां, तो उपरोक्त ग्राम सभा के प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों की जांच टेक्निकल आडिट से करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड करजा कला के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम सभा कुकहां में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत अब तक रु0 64,771-00 की धनराशि दी गयी थी जिसे निर्बल वर्ग आवास निर्माण, सम्पर्क मार्गों का निर्माण, पक्की नाली सोख्ता का निर्माण पर व्यय किया गया ।

प्राप्त सूचना के अनुसार धन के उपयोग में कोई अनियमितता नहीं हुई । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर इण्टर कालेज बनाये जाने की मांग

118—श्री उमानाथ—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जफराबाद विधान सभा क्षेत्र में जनपद जौनपुर में एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय चल रहा है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है

कि जफराबाद के आस-पास के गांवों से पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या हजारों में है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर इण्टर कालेज बनाने का कष्ट करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

हां ।

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में प्राइमरी पाठशालाओं के मृतक अध्यापक/अध्यापिकाओं के आश्रितों को पेंशन सुविधा न मिल पाने के कारण

119—उमानाथ—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् की प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत रहते हुए दिवंगत हो गये ऐसे सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के नाम क्या-क्या हैं, जिनके आश्रितों को अभी तक पेंशन आदि की सुविधा नहीं मिल सकी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं कब तक उन्हें पेंशन आदि की सुविधा मिलनी प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(1) उल्लिखित सूची 'ग' में 38 मामलों में पारिवारिक पेंशन देय नहीं है ।

(2) 17 मामलों में आश्रितों द्वारा पेंशन पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं ।

(3) शेष 9 मामलों में परीक्षण किया जा रहा है ।

औपचारिकतायें पूर्ण होने पर ही पेंशन स्वीकृत हो सकेगी ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 196 पर)

जनपद गोण्डा की ग्राम सभा जमथरा के विकास कार्यों में की गयी अनियमितताओं में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

120—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 12-2-90 का ग्राम सभा जमथरा विकास खण्ड कटरा बाजार जनपद गोण्डा में किए गए विकास कार्यों में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

जांच कराये जाने पर अवर अभियंता (लघु सिंचाई), दो ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान, ग्राम जमथरा दोषी पाये गये हैं ।

अवर अभियंता (लघु सिंचाई) को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा दोनों ग्राम पंचायत अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टियां तथा प्रत्येक से रु0 1131.75 की वसूली के आदेश दिये गये हैं। ग्राम प्रधान के विरुद्ध भी परगनाधिकारी कैरानलगंज द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जनपद हरदोई, ग्राम हथियाई से गंगापुर बन्नापुर मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

121—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा के अंतर्गत ग्राम हथियाई से गंगापुर बन्नापुर मार्ग का निर्माण अर्देचा रजवाहा पर कराया गया था ? क्या यह सत्य है कि इस मार्ग पर एक पुल टूट जाने के कारण यह मार्ग बेकार पड़ा है ? यदि हां, तो शासन इस पुल को निर्मित कराकर मार्ग को ठीक करने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग पर सिंचाई विभाग का एक पुल (एक्वाडक्ट) मार्ग बनने के पूर्व से टूटा पड़ा है जिसके कारण 4 किमी0 लेपित मार्ग में से 3 किमी0 भाग का ही उपयोग हो पा रहा है। चूंकि क्षतिग्रस्त (एक्वाडक्ट) पुल सिंचाई विभाग का है अतः उसके निर्माण कराये जाने के संबंध में कार्यवाही लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई में सुरसा से बीकापुर तक मिट्टी, पुलिया तथा खण्ड़जे का स्वीकृत कार्य

122—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा के अन्तर्गत सुरसा-बन्नापुर मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत है ? क्या यह सत्य है कि इस मार्ग को ग्राम बीकापुर तक निर्मित करा दिया गया तथा आगे का 4 किमी0 मार्ग निर्मित नहीं किया गया। इस कारण यह सड़क अधूरी है जबकि इसे पूर्ण निर्मित दिखाया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है तथा शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद हरदोई में ब्लाक सुरसा के अन्तर्गत सरसा--बन्नापुर मार्ग पर सुरसा से बीकापुर तक 10 किमी0 की लम्बाई में मिट्टी, पुलिया तथा खण्ड़जा का कार्य तथा उसी लम्बाई में से 9 किमी0 भाग में खण्ड़जा से लेपन स्तर तक कार्य स्वीकृत है। उक्त स्वीकृति के समक्ष 10 किमी0 लम्बाई में मिट्टी, पुलिया तथा खण्ड़जा का कार्य तथा उसमें से 9 किमी0 लम्बाई में प्रथम लेपन स्तर तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और यही भाग पूर्ण दिखाया गया है।

प्रश्नगत मार्ग के बीकापुर से बन्नापुर लगभग 4.75 किमी0 लम्बे भाग के निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है और न ही उसे पूर्ण निर्मित दिखाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्पोर्ट्स असिस्टेंट की नियुक्ति एवं सम्बन्धित प्रकरण के विस्तृत जांच आदेश

123—श्री मुहम्मद सईद भ्रमर—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री भटनागर द्वारा माह जनवरी अथवा फरवरी, 87 में स्पोर्ट्स कोटे के अन्तर्गत किसी स्पोर्ट्स असिसटेंट की नियुक्ति शासनादेश संख्या 1184-चौवालिस-2-व0 स0 1987, दिनांक 30 नवम्बर, 1987 का स्पष्ट उल्लंघन करके की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह पद शासन द्वारा स्वीकृत है । क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त स्पोर्ट्स असिस्टेन्ट की नियुक्ति की स्वीकृति निदेशक मण्डल द्वारा करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस गम्भीर मामले का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

स्पोर्ट्स सहायक के पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति दिसम्बर 1988 में की गई जिसमें शासनादेश दिनांक 30-11-1987 का अनुपालन नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत पद के सृजन का अनुमोदन निगम के निदेशक मण्डल द्वारा किया गया है ।

इस प्रकरण की विस्तृत जांच करने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

जनपद बांदा की सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती विमला रैकवार पर लगाये गये झूठे आरोप

124—श्री देवकुमार यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 18-4-90 को बांदा जनपद की सहायक परियोजना अधिकारी (महिला) श्रीमती विमला रैकवार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाते हुए प्रश्नकर्ता के पत्र सहित डा0 भानु प्रताप भटनागर निवासी अलीगंज, बांदा का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोपों का पूरा विवरण क्या है और सरकार ने प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं । शासन में पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा में प्रबन्ध कारिणी समिति की स्वीकृति से सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी की नियुक्ति

125—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा में किसी सेवा निवृत्त व्यक्ति की दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति करके राजकीय धन का

दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस व्यक्ति की ऐसी नियुक्ति कितने वर्षों से चल रही है और पारिश्रमिक के रूप में शुरू से अब तक उसे कितनी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ? क्या सरकार उक्त अनियमित नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर कोई दण्ड देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा में कई अधिकारियों के रिक्त पद होने के कारण अभिकरण के कार्य को सुचारु रूप से संचालन हेतु एक अनुभवी सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी की सेवायें दैनिक वेतन पर समय-समय पर ली गई जिसकी औपचारिक स्वीकृत प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा की गई है । इनकी दैनिक वेतन की नियुक्ति से किसी प्रकार के राजकीय धन का दुरुपयोग नहीं हुआ ।

यह नियुक्ति 2 वर्ष के अन्तराल में 3 बार पृथक-पृथक रूप से रही (पहली वर्ष) 1986-87 में लगभग 7 माह, दूसरी नियुक्ति वर्ष 1988-89 व 89-90 में लगभग 7 माह तथा तीसरे वर्ष 89-90 में लगभग 7 माह उक्त तूरी अवधि में अभी तक रु0 53,410 का भुगतान किया गया है ।

यह नियुक्ति दैनिक वेतन पर अभिकरण के कार्यहित में की गई जिसकी स्वीकृति अभिकरण के प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई है । अतः इस संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर कोई दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

नियुक्ति सर्वसम्मति से प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा अनुमोदित है ।

खण्ड विकास अधिकारी नरैनी, जनपद बांदा के विरुद्ध शिकायतों की पुनः जांच कराने हेतु मण्डलायुक्त झांसी को निर्देश

126—श्री देव कुमार यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको खण्ड विकास अधिकारी नरैनी जनपद बांदा (श्री नाथूराम मिश्रा) के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी गम्भीर आरोपों वाला डा0 भानु प्रताप भटनागर पत्रकार निवासी अलीगंज बांदा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-4-90 को प्रश्नकर्ता के पत्र सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोपों का पूरा विवरण क्या है और इस प्रकरण में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

शिकायतकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 18-4-90 में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार की, परिवार नियोजन में फर्जी आपरेशनों की तथा ग्राम सभा गुढाकलां के समीप नाले में बने रपटा डिजाइन में हुये गोलमाल की जांच कराने का उल्लेख किया गया है । खण्ड विकास अधिकारी नरैनी, बांदा के विरुद्ध पूर्व में प्राप्त शिकायतों की जांच उप विकास आयुक्त, झांसी मण्डल द्वारा की गई थी । जांचोपरान्त

शिकायतें निराधार पाई गईं । पुनश्च प्रश्न में वर्णित शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने एवं शिकायतों की पुनः जांच कराने हेतु मण्डलायुक्त, झांसी को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी की कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण कार्य

127—श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की कल्याणी नदी पर विकास खण्ड मसौली तहसील नवाबगंज की हद में एक पुल बनाने की प्रक्रिया लो0 नि0 विभाग बाराबंकी ने शुरू की है ? यदि हां, तो नेवादा घाट, छोलहाघाट और गदाईपुर घाट में से किस घाट पर पुल निर्माण का प्रस्ताव है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

प्रश्नगत पुल का निर्माण गदईपुरघाट पर प्रस्तावित है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

जनपद इलाहाबाद में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय निर्माण इकाई में बेलदारों एवं मेटों की आकस्मिक मृत्यु एवं सेवानिवृत्त का विवरण एवं देयों का भुगतान

128—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय निर्माण संगठन लो0 नि0 वि0 इलाहाबाद में मार्च, 1984 एवं मार्च, अप्रैल, 1987 में कौन-कौन बेलदारों एवं मेटों की आकस्मिक मृत्यु एवं सेवानिवृत्त हुई है ? क्या उन व्यक्तियों की जीवन बीमा, पेंशन व ग्रेच्युटी आदि दोनों का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त भुगतान शीघ्र ही करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद इलाहाबाद में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय निर्माण संगठन नाम का कोई कार्यालय नहीं है, वरन् विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग) है ।

मार्च, 1984 में निम्न एक बेलदार की आकस्मिक मृत्यु तथा निम्न बेलदार, माली व मेटों की सेवा निवृत्ति हुई थी :—

1—श्री सुरेन्द्र प्रताप, बेलदार की मृत्यु हुई
2—श्री दसई, बेलदार सेवानिवृत्त हुए
3—श्री जगन्नाथ, माली सेवानिवृत्त हुए
4—श्री लहुरी, बेलदार सेवानिवृत्त हुए
5—श्री रामधन, बेलदार सेवानिवृत्त हुए
6—श्री सुन्दर, बेलदार सेवानिवृत्त हुए
7—श्री बुधराम, बेलदार सेवानिवृत्त हुए

8—श्री भगवान दास, बेलदार सेवानिवृत्त हुए

9—श्री महावीर, बेलदार, सेवानिवृत्त हुए

10—श्री रामकेवल, बेलदार सेवानिवृत्त हुए

मार्च, 1987 में किसी मेट/बेलदार की न तो सेवानिवृत्ति हुई और न ही किसी की मृत्यु हुई ।

अप्रैल, 1987 में केवल एक बेलदार, श्री भगवान दास सेवानिवृत्त हुए ।

सेवानिवृत्त बेलदार, श्री भगवान दास, जिनके पेंशन कागजात विचाराधीन हैं, के अतिरिक्त उक्त सभी सेवानिवृत्त एवं मृतक व्यक्तियों के लाभार्थियों को पेन्शन/पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है । केवल 3 वर्ष सेवा होने के कारण स्व0 श्री सुरेन्द्र प्रताप को ग्रेच्युटी देय नहीं थी । जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान केवल बेलदार, स्व0 श्री सुरेन्द्र प्रताप की पत्नी एवं सेवानिवृत्त बेलदार, श्री भगवान दास को प्राप्त हो पाया है । शेष कर्मचारियों की जीवन बीमा की धनराशि के भुगतान से सम्बन्धित दावों को निदेशक, सामूहिक बीमा योजना, लखनऊ को विभिन्न तिथियों में स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है ।

जैसा कि ऊपर बताया गया है ।

इलाहाबाद के छोटा बघाड़ा और मलाकराज क्षेत्र में स्वच्छ व मानक मदिरा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत दुकानें

129—श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद नगर क्षेत्र के छोटा बघाड़ा और मलाकराज क्षेत्र में शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए क्रमशः एनीबेसेन्ट स्कूल, छोटा बघाड़ा तथा सफेई मजदूर एवं कोयला मजदूरों की बस्ती मलाकराज में देशी शराब की दुकानें खोली गयी हैं जिसका जन-जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्काल इसको बन्द कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वर्ष 1990-91 के लिए इलाहाबाद नगर के बघाड़ा एवं रामबाग मुहल्ले में देशी मदिरा की नई दूकानें स्वीकृत की गई हैं ।

छोटा बघाड़ा में एनीबेसेन्ट स्कूल के समीप बगैर परिसर अनुमोदित कराये अनुज्ञापी ने दूकान खोल ली थी, जिसे जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 20-4-90 को बन्द करा दिया गया और अनुज्ञापी को नियमानुसार उपयुक्त परिसर में दूकान खोलने के लिये आदेश दिये गये । अनुज्ञापी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत दायर अपील में आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 1-6-90 के विरुद्ध शासन के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका पर विचारोपरान्त शासन द्वारा सुनवाई हेतु 13-7-90 की तिथि निर्धारित करने और उक्त तिथि तक आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश को स्थगित करने के आदेश दिये गये हैं । पुनरीक्षण याचिका में उभय पक्षों की बहस के उपरान्त उचित आदेश पारित होंगे ।

प्राप्त सूचनानुसार मलाकराज, रामबाग मुहल्ले का एक हिस्सा है, जिसमें सफाई मजदूरों और कोयला मजदूरों के अतिरिक्त अन्य सम्वर्गों और व्यवसायों के लोग भी रहते हैं यह दूकान आबकारी मैनुअल खण्ड-1 के प्रस्तर-328 के प्राविधानों के अनुरूप अनुमोदित परिसर में है ।

प्रश्नगत मोहल्लों एवं आस-पास के क्षेत्रों में अवैध मदिरा विक्रय के चल रहे अड्डों को समाप्त करने तथा वहां के मदिरा सेवियों को स्वच्छ व मानक मदिरा उपलब्ध कराने और राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से उक्त दूकानें स्वीकृत की गई हैं अतएव इनसे जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

130—श्री केदार नाथ सिंह—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

कतिपय मार्गों पर पुल निर्माण कार्य को स्टेट सेक्टर में लिये जाने की मांग

131—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल निर्माण के कार्य को स्टेट सेक्टर में लिए जाने के क्या मानक हैं ? निर्धारित मानकों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 में प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र निधासन 72 जिला खीरी में धरमापुर से खैरीगढ़ जाने वाले मार्ग के मध्य सरजू नदी पर सिंगहा से सिन्हौना, लोक निर्माण मार्ग पर धन्डी से बेलहा मार्ग नाले पर भटौहिया घाट पर सरजू नदी पर तथा खैरीगढ़ लोक निर्माण विभाग मार्ग से बेलरायां सीधे जाने वाली मार्ग पर तथा जोराहा नाला पर एवं पडुहा से पतेड़ा जाने वाले मार्ग पर शारदा सोती नदी में स्टेट सेक्टर योजना के अन्तर्गत पुलों का निर्माण स्टेट सेक्टर में लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सामान्यतया 30 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण की स्वीकृति वरीयता एवं धन की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी, ग्राम मकनपुर में प्राइमरी पाठशाला हेतु भवन निर्माण

132—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र 72, निधासन, जनपद लखीमपुर-खीरी के ग्राम खैरानी निधासन ब्लाक कोली पुरवा, मजरा रकहेटी, जोखी पुरवा मजरा, लधौरी, गुलइटाड़ा द्वारा बोझी ग्राम सभा मजरा पूर्व मजरा भगहा एवं अम्बेदकर नगर मजरा ग्राम सभा पटिहन सूर्मा धारू क्षेत्र एवं गुजहां मजरा ग्राम सभा मकनपुर में प्राइमरी पाठशाला बनवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

केवल ग्राम मकनपुर के पाठशाला भवन का निर्माण प्रस्तावित है इस वर्ष के अन्त तक बन जाने की आशा है ।

ग्राम लघौरी तथा पीटहन में पाठशाला भवन पहले से ही बना हुआ है । अन्य प्रश्नगत ग्रामों में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ।

जनपद मेरठ के बागपत वि0 स0 क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग

133—श्री साहब सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री जनपद मेरठ के बागपत विधान सभा क्षेत्र में आवागमन हेतु सड़कों के निर्माण हेतु जिला योजना को धन का विशेष आवंटन करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर, ग्राम पहेंटिया में राजकीय स्कूल इण्टर तक खोले जाने की मांग

134—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि ग्राम पहेंटिया ब्लाक मनिहारी जनपद गाजीपुर में राजकीय स्कूल इण्टर तक खोलने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-2-90 के संदर्भ में शिक्षा सचिव को मंत्री जी ने पत्रांक 2278/इएम/90 वी0 आई0 पी0 विधान भवन, लखनऊ दिनांक 16-2-1990 को भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक उक्त विद्यालय को खोल दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

हां ।

सीधे इण्टर कालेज नहीं खोले जाते । अतः हाईस्कूल स्तर के विद्यालय खोलने के औचित्य के विषय में शिक्षा निदेशक से आख्या मांगी गयी है ।

आख्या प्राप्त होने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा ।

135—श्री नजमुद्दीन—

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कार्यरत आसवनियों की संख्या एवं इनके ऊपर आबकारी करों के बकाया की सूचना

136—श्री ऊदल—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी डिस्टीलरियां इस समय कार्यरत हैं और उनके ऊपर एक्साइज तथा दूसरे प्रकार के टैक्सों का बकाया कितना है ?

श्री. बेनी प्रसाद वर्मा—

इस समय प्रदेश में 32 आसवनियां कार्यरत हैं । इनके ऊपर आबकारी करों के बकाया की सूचना एकत्र की जा रही है । आबकारी विभाग अन्य टैक्सों की वसूली से सम्बन्धित नहीं है ।

जनपद बांदा में, वर्ष 1990-91 में हैवी रिंग बोर व्यवस्था

137—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बांदा जनपद में हैवी रिंग बोर कराने के लिये संचालित योजना में लघु सिंचाई विभाग बांदा के यहां किसानों का पन्द्रह हजार रुपया प्रति किसान वर्षों से जमा है और हैवी रिंग बोर नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों का, कितने समय से, कितना रुपया जमा है ? क्या सरकार जमा-सुदा काश्तकारों का बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

वर्ष 1989-90 में 29 कृषकों का तथा वर्ष 1990-91 में 5 कृषकों का रु0 10,000 से रु0 20,000 तक जमा है ।

जी हां ।

वर्ष 1990-91 के अन्तर्गत बोरिंग पूरी कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को विनियमितीकरण, ज्येष्ठता निर्धारण एवं तदर्थ सेवाओं का लाभ दिये जाने की मांग

138—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में मई, 83 के पूर्व स्नातक वेतनक्रम (पुरुष एवं महिला) में तदर्थ नियुक्त ऐसे शिक्षकों, जिन्हें विनियमितीकरण नियमावली, 1979 एवं 1984 के अन्तर्गत विनियमितीकरण हेतु उपयुक्त घोषित/संस्तुत किया गया है, के ज्येष्ठताक्रम में औपचारिक नियुक्ति आदेश निर्गत कर सम्बन्धित शिक्षकों में प्रसारित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेश कब तक प्रसारित किये जायेंगे ? क्या ऐसे शिक्षकों को ज्येष्ठता निर्धारण में तदर्थ सेवाओं का लाभ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन्हें ज्येष्ठता कब से दी जायेगी और क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

विनियमितीकरण नियमावली 1979 के अन्तर्गत आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं । केवल तीन पुरुष अध्यापकों के प्रकरण विचाराधीन हैं ।

विनियमितीकरण

नियमावली 1984 के अन्तर्गत अभी आदेश प्रसारित नहीं किये गये हैं ।

वर्तमान नियमों में तदर्थ सेवा का लाभ दिये जाने का प्राविधान नहीं है ।

139—श्री भोला पाण्डेय—

[5वें गुरूवार में अता0 प्र0 सं0 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सुरेमनपुर से बैरिया तक सड़क मरम्मत एवं विस्तार किये जाने की मांग

140—श्री भोला पाण्डेय—

क्या लो0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लो0 नि0 वि0 बलिया शाखा ने सुरेमनपुर से बैरिया तक सड़क मरम्मत एवं विस्तार के लिये शासन की स्वीकृति वास्ते अपना आगणन अनुमोदन हेतु भेजा है ? यदि हां, तो कब तक वह सड़क बना दी जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी, हां आगणन प्रमुख अभियन्ता को भेजा गया है ।

इसका निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

दुधवा राष्ट्रीय एद्यान की दक्षिणी सीमा को राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में मिलाने, सीमा पर चैनलिंग फेन्सिंग लगाने एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से जानवरों की संख्या में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव

141—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या सरकार दुधवा राष्ट्रीय पार्क की सीमा सुहेली नदी से सटे उत्तर खीरी वन प्रभाग को कई रेन्जों के वनों को पार्क की सीमा में मिलाने की कार्यवाही पार्क के हितों को ध्यान में रखकर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा सुहेली नदी से सटे उत्तर खीरी वन प्रभाग के वन क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में मिलाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

142—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या सरकार दुधवा राष्ट्रीय पार्क की सीमा सुहेली नदी से सटे उत्तर खीरी वन प्रभाव किसानों की सुरक्षा हेतु दुधवा राष्ट्रीय पार्क की सीमा निश्चित कर तत्काल उसमें कटीले तारों की मजबूत पक्की फेन्सिंग केन्द्र सरकार से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के शेरों व अन्य वन्य जीवों से ग्रामीण जनता व किसानों की सुरक्षा हेतु दुधवा राष्ट्रीय पार्क की सीमा पर कटीले तारों की फेन्सिंग कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस प्रकार की फेन्सिंग प्रभावी नहीं होती और इससे जंगली जानवर घायल हो जाते हैं । उक्त उद्यान के सठियाना क्षेत्र के बारह सिंघों की घटती हुई संख्या के

दृष्टिगत, उनकी सुरक्षा हेतु, उक्त क्षेत्र में उद्यान की 20 किमी0 सीमा पर चेनलिंग फेन्सिंग लगाने का प्रस्ताव प्रोजेक्ट टाइगर निदेशालय, भारत सरकार के विचारार्थ अवश्य भेजा गया है।

143—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या सरकार यह बतायेगी कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क में विगत कई वर्षों से बारहसिंहा, चीतल, हिरनों की संख्या में कमी आयी है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठा रही है ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, केवल बारहसिंघों को छोड़कर, अन्य हिरन प्रजातियों की संख्या में कमी नहीं हुई है। बारहसिंघों में भी मात्र साठियाना क्षेत्र में कमी हुई है, जहां से बारहसिंघे बरसात के मौसम में पार्क क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं जहां उनके संरक्षण की कठिनाई हो जाती है। अतः इस क्षेत्र में बारहसिंघों की संख्या बढ़ाने हेतु चारागाह-सुधार करने बाढ़ से बचाने हेतु ऊंचे स्थल बनाने तथा अन्य मौसम में पानी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु छिछले जलाशयों को खोदकर बनाने और साठियाना क्षेत्र से बारहसिंघों को बाहर जाने से रोकने के लिए सीमा पर चैनलिंग-फेनसिंग लगाने हेतु प्रस्ताव बनाकर प्रोजेक्ट टाइगर निदेशालय, भारत सरकार के विचारार्थ भेज दिये गये हैं।

144—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या सरकार दुधवा राष्ट्रीय पार्क में गेंडों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त कर कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ? पार्क में वर्तमान समय में कितने गैंडे मौजूद हैं ? पार्क में कितने गैंडे और पाले जाने का प्रस्ताव है ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां, भारत सरकार के सहयोग से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के ककराहा क्षेत्र में वर्ष 1984 तथा 1985 में क्रमशः आसाम तथा नैपाल से गैंडे लाकर छोड़े गये थे। वर्ष 1989 में पहली बार 4 मादाओं ने 4 बच्चे पैदा किये। जिनमें से 3 बच्चे स्वस्थ हैं तथा 1 बच्चे की मृत्यु हो गयी। इस समय 9 गैंडे स्वस्थ हालत में मौजूद हैं। पार्क के क्षेत्र को देखते हुए लगभग 50 गैण्डे इस क्षेत्र में आसानी से रह सकते हैं अतः पार्क क्षेत्र में रह रहे गैण्डों से बच्चों का प्रजनन होने पर धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ाने की योजना है।

जनपद खीरी के उत्तरी वन प्रभाग व दक्षिणी वन प्रभाग के क्षेत्रों की भूमि पर अवैध कब्जा एवं दुधवा नेशनल पार्क की सुरक्षा व्यवस्था

145—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जनपद खीरी के उत्तरी वन प्रभाग व दक्षिणी वन प्रभाग के क्षेत्रों में कितनी वन भूमि पर किन-किन लोगों ने अवैध कब्जा कर उक्त वन भूमि को सरकारी कागजात में वर्ग-4 में दर्ज करा रखा है ? क्या सरकार उक्त वन भूमि पर हुए अवैध कब्जों की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त वन

भूमि से अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

146—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या सरकार दुधवा पार्क के कोर क्षेत्र में पार्क की सुरक्षा को ध्यान में रखकर वहां बसे ग्राम सुरमा, मौरा के लोगों को बफर जोन क्षेत्र में बसने हेतु भूमि मुहैया कराकर प्रतिबन्धित कोर क्षेत्र की भूमि खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां । दुधवा नेशनल पार्क की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पार्क के कोर क्षेत्र में बसे ग्राम सुरमा तथा मौरा के निवासियों को बफरजोन में बसाये जाने हेतु भूमि आवंटित करके, राजस्व विभाग को सौंप दी गई है ।

ग्राम मौहा के समस्त ग्राम वासी तथा सुरमा के 24 ग्रामवासी कोर क्षेत्र की भूमि खाली कर आवंटित भूमि पर बस गये हैं, परन्तु सुरमा ग्राम के 67 ग्रामवासियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण उन्हें नहीं हटाया जा सका है ।

जनपद फैजाबाद के शराब के ठेकेदारों से सरकारी बकाया धनराशि की वसूली

147—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के शराब के ठेकेदारों के ऊपर 1988-89 तथा 1989-90 में नीलामी तथा अन्य सरकारी देयधन की कितनी धनराशि बाकी है ? उक्त देयों की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ? वसूली कब तक कर ली जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद फैजाबाद के शराब के ठेकेदारों के ऊपर वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में नीलामी तथा अन्य आबकारी देय की कोई भी धनराशि बकाया नहीं है ।

शारदा नहर समादेश क्षेत्र में सिंचाई एवं जल निकासी हेतु फीजिबिलटी स्टडी

148—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 17-4-90 को सर्किट हाउस बरेली में शारदा सहायक परियोजना के संयुक्त प्रशासक ने पत्रकारों को यह जानकारी दी कि जापान के सहयोग से भूमि संरक्षण और खेतों की बेहतर सिंचाई के प्रयास होंगे ? यदि हां, तो कृषकों को इस योजना से क्या-क्या लाभ होगा और यह योजना कब से लागू होगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

शारदा नहर समादेश क्षेत्र में सिंचाई एवं जल निकासी के संभावयता अध्ययन (फाजिबिलटी स्टडी) के संबंध में एक समझौता भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय, प्रदेश सरकार एवं जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण के बीच किया गया है । अध्ययन उपरान्त ही यह निश्चित हो पायेगा कि कौन-कौन से कार्य निष्पादित कराये जायेंगे ।

149—श्री पंचानन राय—

[5वें सोमवार के लिये स्थगित]

जनपद आजमगढ़, ग्राम सुरैना में धनाभाव के कारण प्रतिकर भुगतान न किये गये कृषकों की सूची

150—श्री पंचानन राय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमिला रौनापार मार्ग के निर्माण में ग्राम सुरैना तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के किन-किन किसानों की ली गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है ? प्रतिकर का भुगतान न किये जाने क्या कारण है और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसा वर्मा—

जनपद आजमगढ़ में ग्राम सुरैना तहसील सगड़ी के जिन किसानों की ली गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया उनकी सूची संलग्न है ।

संरक्षण में हुए परिवर्तन तथा इसके फलस्वरूप मुआवजे हेतु धनाभाव के कारण भूमि अध्यापित की कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है । वर्ष 1990-91 में धन उपलब्ध होने पर भूमि अर्जन की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर किसानों को उनकी भूमि के प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 200 पर)

151—श्री निरवेन्द्र कुमार—

[3 रे मंगलवार अता0 प्र0 सं0 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बेसू नदी से गर्डर एवं डेक प्लेट चोरी होने के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट एवं न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा

152—श्री असगर तथा श्री ऊदल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झल्लर यादव, जू0 ई0 देवरिया इकाई ब्रिज कारपोरेशन सादियाबाद, थाना व जिला-गाजीपुर में ब्रिज कारपोरेशन का सामान चोरी से ले जाते वक्त गिरफ्तार किये गये थे और इन पर मुकदमा कायम किया गया था ? क्या इस संबंध में ता0 16-4-90 को इनके गांव तरसड़ा, पो0 कठिरांव, जिला वाराणसी के पूर्व प्रधान राजाराम यादव की दरख्वास्त को श्री ऊदल ने अपने पत्र के साथ लोक निर्माण विभाग मंत्री को दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी, नहीं ।

जी, हां ।

इस सम्बन्ध में राज्य सेतु निगम द्वारा कराई गई जांच के अनुसार दिनांक 23-5-86 को रात्रि लगभग 9 बजे बेसू नदी से हर्गर एवं डंक प्लेट चोरी होने के सम्बन्ध में सादियाबाद थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कल्लर राम, उपअभियन्ता द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसके प्रति में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी तथा अन्य चार अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था। उक्त मुकदमा संख्या 112/86 (धारा 379/411 भा0 द0 सं0) दिनांक 23-5-86 को दर्ज हुआ है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

153—श्री रामपाल वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

लोक निर्माण सचिव शाखा में कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1, वरिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ लिपिक के पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं

154—श्री रामपाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ लो0 नि0 सचिव शाखा में कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1, वरिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के लिये किस-किस की योग्यतायें निर्धारित हैं? उनकी या पदोन्नति में से किस-किस प्रक्रिया अपनाकर वर्तमान समय में प्रोन्नति पदों पर किस-किस कर्मचारी को तैनात किया गया है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1 का पद प्रोन्नति से भरा जाने वाला पद है। प्रोन्नति, विभागीय कर्मचारियों में वरिष्ठतम सहायक से की जाती है, जिनकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट है।

वरिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ लिपिक के पद भी प्रोन्नति के हैं। जिन पदों पर प्रोन्नति क्रमशः वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक से की जाती है। इनकी भी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट है।

अनुपयुक्तों को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति की अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित पदों पर तैनात किया गया है :—

(1) श्री प्यारे लाल	कार्यालय अधीक्षक (ग्रेड-1)
(2) श्री अनिल कुमार निगम	वरिष्ठ सहायक
(3) श्री संतराम	वरिष्ठ लिपिक

वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल अध्यापकों को प्रवृत्त चयन वेतनमान

155—श्री सजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर चयन वेतनमान देने का आदेश है और संस्कृत विद्यालयों में यह अवधि बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को चयन वेतनमान दिये जाने के लिये 12 वर्ष की अवधि निर्धारित है । उसी के अनुरूप संस्कृत अध्यापकों को भी 12 वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी है ।

जनपद फैजाबाद के बिलौलपुर गांव सभा में पत्रकार श्री त्रिवेणी नरायन तिवारी द्वारा की गयी जवाहर रोजगार योजना में धांधली सम्बन्धी शिकायत पर जांच

156—डाक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के पत्रकार त्रिवेणी नरायन तिवारी द्वारा फैजाबाद के भीटी ब्लाक के बिलौलपुर गांव सभा में जवाहर रोजगार योजना में धांधली घपले संबंधी दिनांक 20-3-90 के शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी फैजाबाद ने पत्रांक संख्या 2199 दिनांक 21-3-90 द्वारा सहायक अभियन्ता को डी0 आर0 डी0 ए0 को उसकी जांच सौंप दी है ? यदि हां, तो जांच में आरोप सत्य पाये गये ? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां, उल्लिखित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है एवं जांच सहायक अभियन्ता डी0 आर0 डी0 ए0 को सौंपी गई है । जांच अभी चल रही है जिसके पूर्ण होने के पश्चात् दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

जनपद फैजाबाद की भीटी ब्लाक के अन्तर्गत बसोहरी घाट अर्जुनपुर मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृत एवं व्यय किया गया धन का विवरण

157—डाक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतमने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के भीटी ब्लाक अन्तर्गत बसोहरी घाट अर्जुनपुर मार्ग के निर्माण हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ है और अब तक कितना धन उपयोग में लिया जा चुका है ? क्या यह सत्य है अब तक हुए निर्माण कार्य में घटिया तथा पीले ईंटों का प्रयोग हुआ है ? यदि हां, तो दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुयी और उक्त मार्ग कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद फैजाबाद की भीटी ब्लाक के अन्तर्गत बसोहरी घाट अर्जुनपुर मार्ग के निर्माण हेतु रु0 1.975 लाख स्वीकृत हुए थे जिसके विरुद्ध रु0 0.987 लाख उपलब्ध हुए

थे । इस धनराशि में से रु0 0.93 लाख व्यय हो चुका है । यह सही नहीं है कि घटिया ईंटों का प्रयोग हुआ है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । धन की उपलब्धता होने पर कार्य पूर्ण कराया जायेगा ।

158—डाक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

[दिनांक 25-6-90 को अता0 प्र0 सं0 182 द्वारा उत्तरित]

159—श्री राम लखन वर्मा—

[दि0 25-6-90 को अता0 प्र0 सं0 173 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के खुटार ब्लाक अन्तर्गत कन्या जूनियर विद्यालय को माध्यमिक स्तर तक उच्चीकृत किये जाने की मांग

160—श्री चेतराम—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के पुवायां विधान सभा क्षेत्र के खुटार ब्लाक अंतर्गत कन्या जूनियर विद्यालय को माध्यमिक स्तर तक उच्चीकृत किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-10-88 व शिक्षा सचिव उ0 प्र0 शासन के पत्रांक 108/पी0 एस0 एफ0/88 दिनांक 5 अक्टूबर, 88 से संबंधित मामले में क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रश्नकर्ता को यह उत्तर भेज दिया गया था कि ऐसा किया जाना संभव नहीं है । क्योंकि परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों को उच्चीकृत किये जाने का कोई नियम नहीं है ।

161—श्री रिफाकत हुसैन—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बाराबंकी, श्री जयकरन सेवा निवृत प्रधान लिपिक को प्रदत्त पुनरीक्षित वेतनमान

162—श्री शिवकरन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जयकरन सेवा निवृत प्रधान लिपिक कार्यालय उप विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी को समता समिति की संस्तुतियों के आधार व पुनरीक्षित वेतनमान 1200—2040 के आधार पर पुनरीक्षित (संशोधित) पेंशन का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है ? यदि नहीं, तो अब तक पुनरीक्षित पेंशन का आदेश निर्गत न होने का क्या कारण है ? उन्हें पुनरीक्षित पेंशन कब तक स्वीकृत करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी ब्लाक में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक से निकाले गये रुपयों की पुलिस द्वारा जांच

163—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी में स्थित गांव सभा बसोहरी की जवाहर रोजगार योजना की बारह हजार रुपये से अधिक धनराशि ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मिझौड़ा के शाखा प्रबन्धक की साजिश से पंचायत सेक्रेटरी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उक्त बैंक से निकाल ली गयी है, जिसकी लिखित शिकायत मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद को मार्च, 90 में प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो सही तथ्य क्या है और सम्बन्धित ग्राम प्रधान और शाखा प्रबन्धक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मिझौड़ा के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें गिरफ्तार करने में क्या कठिनाई है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी की गांव सभा बसोहरी में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर ग्राम प्रधान द्वारा धन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मिझौडा से निकाल लिया गया है ।

इस मामले के संबंध में ग्राम प्रधान एवं शाखा प्रबंधक ग्रामीण बैंक मिझौडा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना भीटी फैजाबाद में दिनांक 29-3-90 को खण्ड विकास अधिकारी भीटी द्वारा लिखायी गयी है । पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में बाबा बरुआ दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राध्यापकों को नियमित वेतन दिलाने हेतु जांच सम्बन्धी कार्यवाही

164—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में स्थित बाबा बरुआ दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय परुइया आश्रम में सेवारत कुछ प्राध्यापकों को जिनका वेतन प्लान के तहत आता है, अगस्त, 89 से अभी तक वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और उन प्राध्यापकों में से जिनकी सेवायें विभाग द्वारा विनियमित की जा चुकी है उन्हें नानप्लान के तहत नियमित वेतन दिलाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

शिक्षा निदेशक (उ0 शि0) द्वारा भुगतान के आदेश किये जा चुके हैं ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कचेहरी में कतिपय मार्ग पर घटिया किस्म की ईंटों की सोलिंग करने वाले अवर अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

165—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित दरबन हांथपाकड़-अमसिन मार्ग पर अमसिन की तरफ से 1.2 किलोमीटर लम्बाई में

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा बहुत ही घटिया किस्म की ईंटों की सोलिंग लगायी गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और खराब ईंटों को हटाकर सोलिंग को ठीक कराने तथा घटिया काम के दोषी लोगों को दण्डित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र, कटेहरी में स्थित दरवनहाथपाकड-अमीसन मार्ग पर जांच में प्रयोग की जाने वाली अधिकांश ईंट स्वीकार्य नहीं पाई गई। कार्यस्थल से ईंटों के नमूने विशिष्ट जांच हेतु निदेशक, कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सुल्तानपुर को भेजे गये हैं। ईंटों का भुगतान नहीं किया गया है। दोषी अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है। उपयुक्त ईंटों की आपूर्ति किये जाने का निर्देश दे दिया गया है।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड, भीटी एवं कटेहरी ब्लाक के कतिपय ग्रामों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के गबन की जिलाधिकारी स्तर से जांच

166—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड, भीटी में स्थित कदीरियावां चाचिकपुर, नरहरपुर, रामनगर करौंदारीडीहा, सेहरा, जेलालपुर, रिउना, अतरौरा तकिया, कानूनगो गांव सभाओं तथा विकास खण्ड कटेहरी में स्थित रामपुर नानसिला, मथानी खरगपुर गांव सभाओं में जवाहर रोजगार योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सरकारी धन का गबन और दुरुपयोग हुआ है, जिसकी लिखित और मौखिक शिकायतें परगनाधिकारी, अकबरपुर, मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद से की गयी है ? यदि हां, तो सही तथ्य क्या है और उक्त सभी गांव सभाओं में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मार्च, 1990 तक कराये गये कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराकर सभी दोषी लोगों के विरुद्ध मुकदमें पंजीकृत कराकर उन्हें गिरफ्तार और दण्डित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के स्तर से जांच की जा रही है जांचोपरान्त दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

उ0 प्र0 वन निगम द्वारा तेन्दू पत्ता की बिक्री

167—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री यह बतायेंगे कि वन निगम उ0 प्र0 द्वारा तेन्दू पत्ता बिक्री के लिए निविदा क्रमशः दिनांक 28 दिसम्बर, 1989, 2 फरवरी, 1990, 8 मार्च, 1990 को निकालने के बाद भी प्रस्ताव लेकर बीच-बीच में तेन्दू पत्ता बिक्री करने का क्या औचित्य था ? क्या यह सही है कि रु0 48 प्रति किलो की पत्ती को प्रस्ताव लेकर रु0 20-25 प्रति किलो की दर से बेंचकर वन निगम के अधिकारियों ने करोड़ों रुपये का घाटा वन निगम को पहुंचाया है ? यदि हां, तो वन निगम के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

उ0 प्र0 वन निगम द्वारा तेन्दू पत्ता बिक्री के लिए निविदा लेने के साथ-साथ प्रस्ताव लेकर बीच-बीच में तेन्दू पत्ता बिक्री करना इसलिए आवश्यक था कि भारी मात्रा में तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु भण्डार गृहों में नीलाम सफल न होने व न्यायालयों में वाद चलने के कारण विलम्ब होने से पत्तों के खराब होने व बाद में बहुत कम मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना थी और तेन्दू पत्ता का जल्द निस्तारण आवश्यक था।

जी नहीं। वास्तविकता यह है कि उक्त प्रक्रिया से जिसका अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राप्त था, तेन्दू पत्ता का निस्तारण होकर वन निगम को गत वर्षों के मुकाबले में करोड़ों रुपये का फायदा हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, लखनऊ के बेसिक विभाग को बेसिक शिक्षा परिषद् में लिये जाने की मांग

168—श्री रामरति बिन्द—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टर कालेज से सम्बद्ध बेसिक विभाग, बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत ले लिये जाने के आदेश हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दयानन्द विद्या मन्दिर डी0 ए0 वी0 इंटर कालेज, लखनऊ का जो बेसिक विभाग है, को बेसिक शिक्षा परिषद् में लेने की कृपा करेंगे ? क्या उक्त विद्यालय की अध्यापिकाओं ने इस आशय का मांग-पत्र उनको माह दिसम्बर, 1989 जनवरी, 1990 के दरम्यान दिया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मांग पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

169—श्री ऊदल—

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला वाराणसी, ब्लाक बड़ा गांव के किसानों की ली गयी भूमि के मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही

170—श्री ऊदल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ागांव, चूड़ी, पटेरे, राजापुर कुस मार्ग, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के लिए सन् 1980 में किसानों की जमीन ली गयी है जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने सार्वजनिक निर्माण मंत्री को किसानों के प्रार्थना-पत्र को अपने

पत्र के साथ 10-1-90 को दिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी और किसानों को मुआवजा अब तक न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

किसानों की जमीन अक्टूबर, 1982 से मार्च, 1986 तक ली गयी है ।

जी हां ।

मामले में जिलाधिकारी, वाराणसी तथा विभागीय अधिकारियों को मुआवजा के नियमानुसार भुगतान करने तथा आख्या देने के लिए, दिनांक 30-1-90 को लिखा गया था।

जिलाधिकारी, वाराणसी को भू-अर्जन से सम्बन्धित धारा 4(1) की विज्ञप्ति की गजट में प्रकाशन से सम्बन्धित प्रतिलिपि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण भू-अर्जन की आगे की कार्यवाही यथासमय उनके द्वारा नहीं की जा सकी । नियमानुसार धारा 4(1) की विज्ञप्ति का प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर धारा 6(1) की विज्ञप्ति का प्रकाशन हो जाना चाहिए था । तभी प्रतिकर निर्धारण के पश्चात् मुआवजे का भुगतान किया जाना संभव होता । भूमि अध्याप्ति की पुनः कार्यवाही प्रारम्भ करके धारा 4(1) की विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट में हो चुका है । धारा 6 (1) की विज्ञप्ति शीघ्रातिशीघ्र जारी/प्रकाशित कराने की कार्यवाही प्रगति पर चल रही है जिसके पूर्ण होते ही प्रतिकर का भुगतान किसानों को कर दिया जायेगा ।

जिला वाराणसी, ग्राम राजपुर, ब्लाक पिंडरा में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिया गया धन एवं कार्यों का विवरण

171—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा राजपुर, ब्लाक पिंडरा व गांव सभा चकरवाराबन के बड़वापुर, नटवां तथा गांव सभा गागकलां, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में जवाहर रोजगार योजना में कितना रुपया दिया गया और क्या-क्या कार्य कराया गया है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्राम सभा राजपुर, ब्लाक पिंडरा में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष, 1989-90 में कुल रु0 1,18,398 दिया गया । कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(क) निर्बल वर्ग आवास निर्माण—5 ।

(ख) राजपुर मंगारी से बंधान के बस्ती से राजपुर गांव तक मार्ग निर्माण 700 मीटर ।

(ग) राजपुर इन्टर कालेज से छेदी नाई के घर होते हुए बुटिन के मशीन से भगवान के मडई तक मिट्टी कार्य—1053 मीटर ।

(घ) नैपुर से बडवापुर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य एवं राजपुर मरवट से नलकूप नाली तक मिट्टी कार्य—683 मीटर ।

(ङ) सागर के दुकान से गांव तक मिट्टी कार्य एवं राजपुर झझौर मार्ग पर राम पाण्डे के चक सेपडास के मडई तक मिट्टी कार्य—457 मीटर ।

(च) बहादुर के मशीन से निखिद्दी के दलान तक मिट्टी कार्य—120 मीटर ।

ग्राम सभा चक खरावन ब्लाक बड़ागांव में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 89-90 में कुल 64,463 रुपया दी गयी । कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(क) निर्बल वर्ग आवास निर्माण हेतु—3 आवास ।

(ख) बनेई मार्ग से पक्की सड़क से खरगपुर को जाने वाली मुख्य सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य—135 मीटर ।

(ग) पक्की सड़क से उत्तर तरफ गांव के पोखरे तक बडवापुर एवं खरगपुर मौजे के बीच सम्पर्क मार्ग पर मट्टी कार्य—765 मीटर ।

(घ) खरगपुर नाले के तरफ जाने वाली सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य—338 मीटर ।

(ङ) पक्की सड़क से दक्षिण नटवां को जाने वाली मुख्य मार्ग पर मिट्टी कार्य—135 मीटर ।

(च) पक्की सड़क से दक्षिण पारसनाथ के मशीन से पाही तक सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य—544 मीटर ।

(छ) पक्की सड़क के दक्षिण नटवां आबादी के तरफ जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य—106 मीटर ।

(ज) खरगपुर, बड़वापुर सम्पर्क मार्ग से बडवापुर आबादी में खडंजा बिछाने का कार्य—139 मीटर

(झ) नटवां ग्राम में पक्की सड़क से दक्षिण विन्देश्वरी गांव के कुएं से आबादी में खडंजा कार्य—114 मीटर ।

(ञ) खरगपुर मौजे में आबादी के अन्दर खडंजा बिछाने का कार्य—215 मीटर ।

ग्राम सभा गांगकलां ब्लाक बडागांव में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 89-90 में रु0 78019.00 दी गयी । कराये गये कार्यों का विवरण इस प्रकार है :—

(क) निर्बल वर्ग आवास निर्माण—3 आवास

(ख) अनेई मार्ग से दक्षिण पुरा मिट्टी कार्य—290 मीटर
(ग) आर0 एस0 एस0 से हरिजन बस्ती तक मिट्टी कार्य—493.40 मीटर ।
(घ) धोबी बस्ती से गांव के बाहर तक मिट्टी कार्य—196.5 मीटर
(ङ) गांगकला बभनौट से पश्चिमपुरा मिट्टी कार्य—500 मीटर
(च) कुआर मार्ग से गांगकला मुसहर बस्ती मिट्टी कार्य—90 मीटर
(छ) गांगकला प्राईमरी पाठशाला से बभनौट तक मिट्टी कार्य—141 मीटर
(ज) अतिरिक्त हरिजन आवास के लिये निर्माण—1 आवास
(झ) स्कूल मरम्मत तथा निर्माण कार्य ।

बांदा जनपद की नरैनी तहसील में अवैध वृक्षारोपण कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

172—डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 249, दिनांक 14-7-87 बांदा जनपद के तहसील नरैनी के ग्राम सुदिनपुर के श्री राम बहोरी हरिजन के पत्र के साथ अवैध वृक्षारोपण के सम्बन्ध में मंत्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां ।

मामले की जांच कराने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि न तो वन विभाग की सम्पत्ति है और न इस पर वन विभाग ने वृक्षारोपण कराया है ।

जनपद बांदा में बोरिंग की सुविधा देने के पूर्व कतिपय एजेन्सियों द्वारा भूगर्भ जल सर्वेक्षण

173—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग की सुविधा देने के पूर्व भूगर्भ जल सर्वेक्षण कराना आवश्यक है ? यदि हां, तो बांदा जनपद में भूगर्भ जल सर्वेक्षण की कौन-कौन सी अधिकृत एजेन्सी/विभाग है ? इसकी प्रक्रिया क्या है ? क्या लघु सिंचाई विभाग बांदा अधिकृत राजकीय एजेन्सी भूगर्भ जल सर्वेक्षण द्वारा सर्वे करता है ?, यदि नहीं, तो प्राप्त सर्वेक्षणों में कितने प्रतिशत असफलता मिली है और क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

जनपद बांदा में रिग मशीनों से बोरिंग कराने के पूर्व स्थल सर्वेक्षण भूगर्भ जल विभाग बांदा, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर झांसी, नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेन्ट का आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, झांसी से कराया जा रहा है । सम्बन्धित सर्वेक्षण एजेन्सी के वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित बोरिंग स्थल का जियोफिजिकल सर्वे करने के पश्चात् पायी गयी रीडिंग के अनुसार उपयुक्तता/अनुपयुक्तता की रिपोर्ट दी जाती है । कृषक अपनी सुविधानुसार किसी भी संस्था/विभाग से सर्वेक्षण करा सकता है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

174—श्री राज किशोर सिंह—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद आजमगढ़, उ0 मा0 विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन भुगतान किए जाने के आवश्यक निर्देश

175—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में विगत 6 माह से किन-किन शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है ? इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

सम्प्रति प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अध्यापकों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

श्री वीर बहादुर सिंह, सहायक अध्यापक, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बनकट, आजमगढ़। श्री श्याम नारायण राम, सहायक अध्यापक, डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज, आजमगढ़। श्री शिव बदन सिंह, सहायक अध्यापक गांधी इण्टर कालेज, कूबा, आजमगढ़। श्री सरजू यादव, सहायक अध्यापक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरडीहा, आजमगढ़।

क्रम संख्या-1 तथा 4 पर अंकित अध्यापक स्वयं ही दोषी हैं। शेष दो मामलों में सम्बन्धित प्रबन्ध तन्त्र उत्तरदायी हैं। उन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गए हैं।

जनपद आजमगढ़,- उ0 मा0 विद्यालयों में अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु शिक्षा निदेशक के आवश्यक निर्देश

176—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में दिनांक 31 मार्च, 1990 को कौन-कौन से ऐसे अध्यापक हैं जिन्हें विभागीय आदेशों के बाद भी प्रबन्धाधिकरण द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है ? ऐसे प्रबन्धाधिकरणों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रश्नगत अध्यापकों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

1—श्री नामबर सिंह

2—श्री रमाकान्त सिंह—

शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गए हैं।

जनपद देहरादून के राजकीय कन्या इण्टर कालेज रानीपोखरी में प्रधानाचार्य के रिक्त पद को भरे जाने की मांग

177—श्री रणजीत सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के राजकीय इण्टर कालेज रानीपोखरी में प्रधानाचार्य का पद कब से रिक्त है ? क्या मंत्री जी आगामी शिक्षा सत्र से पूर्व राजकीय इण्टर कालेज रानी पोखरी में प्रधानाचार्य की नियुक्ति करायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

दिनांक 16-7-1989 से सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

178—श्री रणजीत सिंह—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

हरिजन प्राइमरी पाठशाला सठियांव, देवरिया का भवन निर्माण कराये जाने विषयक सांसद श्री हरिकेवल प्रसाद का पत्र

179—श्री हरवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन प्राइमरी पाठशाला सठियांव, देवरिया का भवन निर्माण करने विषयक सांसद श्री हरिकेवल प्रसाद का पत्र दिनांक 5-3-1990 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनके द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त पाठशाला पर भवन का निर्माण कब तक करा दिया जाएगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

उक्त विद्यालय हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है । अस्तु उस पत्र पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा कोई कार्यवाही सम्भव नहीं थी। इसका निर्माण कार्य शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जाना है ।

जनपद ललितपुर, ग्राम कठवर की प्रा0 पा0 की झुकी छत के मामले की शिक्षा द्वारा जांच की कार्यवाही

180—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विकास खण्ड बार के कठवर में प्रा0 पा0 भवन विगत दो माह पूर्व बनाया गया है? क्या उक्त भवन की छत ध्वस्त हो गयी है तथा भवन भी गिरने की हालत में है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है तथा उक्त भवन के ध्वस्त होने के क्या कारण हैं ? क्या निर्माण करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

छह माह पूर्व निर्मित भवन की छत का लिंटर कुछ झुक गया है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करवाया गया निर्माण कार्य खराब होने के कारण छत झुक गयी है। शिक्षा निदेशक को मामले की जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं ?

जनपद ललितपुर के ब्लाक वार के ग्राम-वार तथा मैलानी लोध में पेयजल हेतु जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत कूपों का निर्माण

181—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के ब्लाक वार के ग्राम-बार तथा मैलानी लोध में पेयजल हेतु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कूपों का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कूपों का एक ही नाप तथा आकार का होने पर भी लागत मूल्यों में दुगने का अन्तर क्यों है ? क्या ग्राम बार का कूप 68 हजार रुपयों में निर्मित किया गया है जब कि ग्राम मैलानी लोध का कूप मात्र 32 हजार रुपये में निर्मित हुआ है ? यदि हां, तो इसके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

उक्त कूपों की नाप एवं आकार समान नहीं है। आगणन के अनुसार ग्राम बार के कूप का व्यास 9.50 मी. तथा गहराई 9.60 मीटर है, जबकि ग्राम मैलानीलोध के कूप का व्यास 7 मीटर एवं गहराई 9 मीटर है। साथ ही ग्राम बार के कूप में रु0 10,490.00 की लागत से ब्लास्टिंग का अतिरिक्त कार्य भी कराया गया है जबकि ग्राम मैलानी लोध के कूप में ब्लास्टिंग का कार्य नहीं हुआ है। ग्राम वार का कूप रु0 68,074.35 में एवं ग्राम मैलानी लोध का कूप रु0 33,702.00 की लागत से निर्मित हुआ तथा उपरोक्त कारणों के आधार पर लागत मूल्यों में अन्तर के लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बापू इण्टर कालेज, कोपागंज जनपद आजमगढ़ (मऊ) को खुलवाने की मांग

182—श्री सुवाष—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बापू इण्टर कालेज, कोपागंज, जनपद आजमगढ़ (मऊ) के अंतर्गत संचालित बापू बाल विद्यालय को प्रबन्ध तंत्र ने 25-6-1982 को बन्द कर दिया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वेतन वितरण अधिनियम संबंधी शासनादेश संख्या 3048—15-8-89—3054—87, दिनांक 6 सितम्बर, 1989 के अंतर्गत उक्त विद्यालय को भी लाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

जी हां।

शिक्षा निदेशक को मामले की जांच करने का निर्देश दे दिया गया है।

आर0 पी0 डिग्री कालेज कमालगंज जिला फर्रूखाबाद में हुये सरकारी कोष के दुरुपयोग की जांच

183—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें आर0 पी0 डिग्री कालेज कमालगंज, जिला फर्रूखाबाद के सचिव श्री कुलप सिंह का 27-1-90 का पंजीकृत पत्र जिसमें सरकारी कोष के दुरुपयोग का उल्लेख है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

प्रकरण पर जांच कराई जा रही है ।

बलिया में राजकीय बालिका विद्यालय खोले जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

184—श्री रामबचन धुसिया—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका रसड़ा, बलिया में राजकीय बालिका विद्यालय खोले जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-1-90 उनको प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

क्योंकि रसड़ा में पहले से ही राजकीय कन्या विद्यालय संचालित है ।

क्यों कि रसड़ा में पहले से ही राजकीय कन्या विद्यालय संचालित है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर के विभाग में शिक्षकों व कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 व सस्पेन्स एकाउन्टस में से लाखों रुपये की बनवायी गयी एन0एस0सी0

185—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर के विभाग में वर्ष 1979 से वर्ष 1982 तक शिक्षकों व कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 व सस्पेन्स एकाउन्ट के मद से की गयी कटौती की लगभग दस लाख रुपये की धनराशि का एन0 एस0 सी0 बनवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि की क्या स्थिति है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

स्थिति स्पष्ट नहीं है ।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) को जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

जनपद बांदा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा चेकडैम पहरा नं0 2 का अपूर्ण कार्य एवं ठेकेदार को बकाया धनराशि

186—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा चेकडैम पहरा नं0-2 का टेण्टर श्री देव प्रसाद सिंह ठेकेदार का दिनांक 17-4-86 को स्वीकार किया गया था जिसकी रिवाइज इस्टीमेट तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा 15-5-87 को स्वीकृत किया गया था और क्या संबंधित निर्माण कार्य वर्ष 87 के अन्त तक पूरा करा दिया गया ? क्या निर्माण कार्य हेतु उक्त ठेकेदार का डेढ़ लाख रुपये बकाया है ? यदि हां, तो उसका भुगतान अब तक न किए जाने के क्या कारण हैं ? कब तक उक्त भुगतान ठेकेदार को कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां । ठेकेदार को भुगतान किया जाना है ।

निर्माण कार्य पूरा न होने के व इस योजना में धनाभाव के कारण ठेकेदार का भुगतान नहीं किया गया शेष निर्माण कार्य पूरा करने और तदोपरान्त भुगतान किये जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में मड़हा नदी पर किठायां व गोमती नदी पर सत्थिन घाट पर पुल निर्माण की मांग

187—डाक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में मड़हा नदी पर किठावा (डेवठीद व गोमती नदी पर (सत्थिन घाट) पर पुल निर्माण कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 2 जुलाई, 1990 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से श्लाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनाएं स्वीकार की गईं। पहली श्री अमरनाथ यादव, दूसरी श्रीमती प्रेमवती तिवारी, तीसरी श्री हरीश कुमार गंगवार, चौथी श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल, पांचवी श्री राम ललित चौधरी, छठी श्री पंचानन राय और सातवीं श्री रामबचन धुसिया जी की है, सभी सूचनाएं माननीय सदस्यों की पढ़ी हुई मानी जाय।

श्री हृदय नारायण—

मान्यवर, ये जो सात सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं, इनमें से कौन माननीय सदस्य उपस्थित हैं और कौन नहीं, इसको दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष—

जो सदस्य नहीं हैं, उसको मैं हटा दूंगा।

श्री हृदय नारायण—

मान्यवर, जो उपस्थित नहीं हैं, उनकी जानकारी आपको कैसे होगी? आप सबके नाम पुकार लें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैं नाम पुकार रहा हूं।

(श्री अमर नाथ यादव, श्रीमती प्रेमवती तिवारी, श्री हरीश कुमार गंगवार, श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल, श्री राम ललित चौधरी, श्री पंचानन राय तथा श्री रामबचन धुरिया का नाम पुकारे जाने पर श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल तथा श्री रामबचन धुसिया उपस्थित नहीं पाये गये।)

श्री भयंकर सिंह—

मान्यवर, जो सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, उनके स्थान पर क्रमशः आगे की सूचनाएं ले ली जांय।

श्री अध्यक्ष—

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल तथा श्री रामबचन धुसिया के यहां पर उपस्थित न न होने के कारण उनके स्थान पर क्रमशः श्री मयंकर सिंह तथा श्री बालचन्द्र मिश्र की सूचनाओं को स्वीकार करता हूं। ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी में अव्यवस्था होने तथा सुधार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर नाथ यादव—

[मान्यवर, वाराणसी पर्यटक केन्द्र के साथ-साथ मरीजों का भी केन्द्र है। यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार से अनगिनत संख्या में असहाय एवं निर्धन बीमारी हालत में इलाज कराने आते हैं। मरीज अपने उपचार हेतु स्थानीय श्री शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय में जाते हैं, तो वहां उपचार के बजाय वह घुटन व निराशा के ही शिकार होते हैं। उनके नाम से मिलने वाली दवाइयां कुछ प्रभावशाली लोगों में वितरित और अधिकांश बाजारों में चली जाती है और जो थोड़ी दवाइयां मिलती हैं वह मरीजों को और अस्वस्थ बनाने में सक्षम होती हैं। यहां पर प्रशासन व व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, बिस्तरों की संख्या भी अपर्याप्त है, जांच के उपकरण भी कार्य योग्य नहीं रहते। जनहित में उक्त राजकीय चिकित्सालय में आवश्यक सुधार एवं इसके उत्तरी क्षेत्र में 500 बिस्तरों का एक नया अस्पताल खोलना अपेक्षित एवं अनिवार्य है।

अतः जनहित के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उक्त अस्पताल में आवश्यक सुधार तथा एक नया अस्पताल खोलने की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाय।]

लखनऊ शहर में रह रहे अराजक तत्वों तथा मंत्रियों के यहां कार्यरत कतिपय वैयक्तिक सहायकों द्वारा मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती प्रेमावती तिवारी—

[मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं लखनऊ शहर में सम्प्रति कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गयी है। संभ्रान्त जनों की जान-माल की सुरक्षा की कोई पुरसा हालत नहीं रही है। घसियारी मंडी मोहल्ला थाना क्रैसरबाग में आजकल अवैध रूप से रह रहे दबंग व्यक्तियों द्वारा कमजोर एवं शांति प्रिय व्यक्तियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से उत्पीड़ित किया जा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 शासन के विभिन्न उच्च अधिकारियों एवं मंत्रियों के यहां कार्यरत वैयक्तिक सहायकों द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके पुलिस पर नाजायज दबाव डालकर अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए मनमानी की जा रही है। इस संबंध में दिनांक 3 जून, 1990 एवं 9 जून, 1990 के दैनिक 'स्वतंत्र भारत' समाचार-पत्र में कतिपय नामों का उल्लेख किया गया है। इस विषय में मेरे द्वारा भी दिनांक 20 जून, 1990 को मैंने स्वयं पत्र लिखकर माननीय मुख्य मंत्री को अवगत करवाया है, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से स्थिति विस्फोटक हो गयी है। किसी वक्त भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः मेरी आपके माध्यम से शासन से स्पष्ट मांग है कि उक्त दोषी लोगों को दण्डित कर जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान की जाय।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत की बीसलपुर नगरपालिका द्वारा वसूले जा रहे शिक्षा अधिभार को समाप्त किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरीश कुमार गंगवार—

[मान्यवर, पीलीभीत जिले की बीसलपुर की नगरपालिका चुंगी के अतिरिक्त शिक्षा का भार हटाने के नाम पर पिछले 40 वर्षों से एजूकेशन सेस वसूल कर रही है। विगत 20-25 वर्षों से शिक्षा का पूरा भार विभिन्न परिषदों द्वारा सरकार उठा रही है। ऐसों में इस शिक्षा अधिभार को हटाने की मांग विभिन्न व्यापारिक संगठनों और मेरे द्वारा की गई। इस अधिभार से नगरपालिका बीसलपुर की व्यापारिक मण्डी मृत प्राय हो गई है। उत्तर प्रदेश में अन्य कोई नगरपालिका यह एजूकेशन सेस वसूल नहीं करती। चुंगी समाप्त होने पर भी यह एजूकेशन सेस वसूली की जाती रहेगी।

अतः एतत द्वारा जनहित में बीसलपुर नगरपालिका द्वारा वसूले जा रहे इस एजूकेशन सेस (शिक्षा अधिभार) को समाप्त किये जाने की मांग सरकार से करता हूं।]

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बहराइच के निर्माण कार्यों में किये जा रहे घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मयंकर सिंह—

[मान्यवर, ग्रामीण अभियंत्रण बहराइच द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह इतना निम्न कोटि का है और उसमें जो धन का अपहरण हो रहा है उससे निर्मित मार्ग व पुलिया एक दो वर्ष नहीं चलेगी, मेरी ही विधान सभा क्षेत्र फखरपुर से बटोरन दास से दहारा सम्पर्क मार्ग पर बदोरन दास की कुटी के पास एक पुलिया बनायी गयी है जिसमें घटिया किस्म की ईंटें लगायीं गयी नींव में 1:2:4 के अनुपात में क्रमशः बालू व बजड़ी दी जानी चाहिए परन्तु एक दाना सीमेन्ट व बालू नहीं दिया गया। ह्यूम पाइप ऊपर ही रख दिया गया है जो टूट जायेंगे। हुजूरपुर ब्लाक में कटघरी से आनन्दपुर मार्ग पर जो खडंजा लगाया गया वह सड़क बराबर करके नहीं लगा है। मालूम पड़ता है नाली बनायी गयी है। जब जिला बैठक में पुलिया प्रभावित की गयी तो ग्रामीण अभियंत्रण ने बिना मौका देखे ही इस्टीमेट बना दिया धन स्वीकृत होने के पश्चात् जब मौके पर निर्माण होना है तब वहां जैसी आवश्यकता है उस तरह का कार्य न हो पाने से कमजोर व निम्न स्तर का कार्य होता है, कार्यगति भी बहुत धीमी है प्रतीक्षा मार्च महीने की है। जिससे धन का अपहरण हो सके।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय सदन का ध्यान प्रभावी जांच व कार्यवाही हेतु आकर्षित करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बस्ती जनपद के थाना दुधारा के कथक पुरवा ग्राम में हुए अग्निकांड से कतिपय परिवारों की तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामललित चौधरी—

[मान्यवर, जनपद बस्ती के अन्तर्गत थाना दुधारा के ग्राम कथक पुरवा चौराहे की दुकानें जो कपड़े, जूते, चाय एवं अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुओं की थी, 18 जून, 1990 को उन्हें जला दिया गया। 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई किन्तु 3 को पुलिस ने प्राथमिकी से निकाल दिया तथा 2 के ही नाम उसमें रखे। इस घटना से स्थानीय जनता में रोष है। लगभग 5 लाख रुपये की हानि हुई अभी तक किसी को राहत नहीं दी गयी छोटे-छोटे दुकानदारों के सामने जीविका का प्रश्न पैदा है। यदि उन्हें अविलम्ब सहायता देकर पुर्नवासित न किया गया तो कई परिवार नष्ट हो जायेंगे।

अतएव माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उपरोक्त संबंध में त्वरित कार्यवाही करें।]

क्षेत्रीय साधन सहकारी समिति कोयलसा, जनपद आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन राय—

[मान्यवर, इस सूचना के माध्यम से मैं माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान एक गम्भीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

क्षेत्रीय साधन सहकारी समिति कोयलसा बूढनपुर आजमगढ़ में लाखों रुपये का गम्भीर आर्थिक गोलमाल है। इस समिति पर श्री जमुना सिंह सचिव के पद पर लगभग 29 वर्षों से कार्यरत हैं। जब भी इनका स्थानान्तरण होता है स्थानान्तरित स्थान पर नहीं जाते हैं और प्रतिस्थापी को रिकार्ड का चार्ज नहीं देते हैं। 1988 में यह गोरखपुर के लिए स्थानान्तरित हुए। समिति का गोदाम सील किया गया। विगत 10 वर्षों से फर्जी नाम से लाखों रुपया ऋण इनके द्वारा निकाला गया है। इनके विरुद्ध दो बार पुलिस में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट गबन के बारे में दर्ज कराई गई। इस समय यह निलम्बित है ऐसी आशंका है कि भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए इन्हें गंभीर आरोपों के बाद भी बहाल किया जा रहा है। जिससे जनता में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

इस सूचना के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाय।]

जनपद उन्नाव के थाना गंगाघाट द्वारा प्रतिष्ठित पत्रकारों को अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अतर्गत सूचना

श्री बाल चन्द्र मिश्रा—

[मान्यवर, थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव के नवनियुक्त थानेदार ने विगत दिवस नागरिकों व पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए चेतावनी दी कि दारू के नशे में पाये गये पत्रकारों को थाने में स्थित नीम के पेड़ में बधवाकर स्वयं लाठियां बरसायेंगे व अब किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा माना गया।

भी नेता व पत्रकार को न तो चाय न तो ठंडा जल पीने को दिया जायेगा । मुख्यमंत्री से रिश्ते का संकेत करते हुए कहा कि हर नेता के साथ गुण्डे रहते हैं जिसके बल पर वह चुनाव जीतता है । नागरिकों की बैठक में नगर पालिकाध्यक्ष राम शंकर पाल उपाध्यक्ष मो0 यासीन व सभासद नीरज पंडित आदि थे । इससे पत्रकारों व जन प्रतिनिधियों में रोष व चिन्ता व्याप्त है व अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।

अतः मैं सदन के संज्ञान में लाकर इस गम्भीर मामले पर चर्चा कराने, जांच कराने व आचरण संहिता भंग करने व जन प्रतिनिधियों पर लगाए गए आरोप पर कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

नियम 311 के अर्न्तगत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

मान्यवर, मैंने नियम 311 में एक प्रस्ताव रखा था, उसके बारे में अपनी व्यवस्था बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 311 में यह नियम नहीं है कि पीठ से अनुमति न मिलने पर भी आप बोलें । आपके खड़े होने का अधिकार है । मैंने आपकी सूचना को पढ़ लिया है, उसी से संबंधित कुछ अन्य सूचनाएं भी आयी हैं नियम 56 में अतः आपकी सूचना को भी उसी में जोड़ दिया गया है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यार, प्रारम्भ में नत्थी "ग" को छोड़ दिया गया था । उसके बाद तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने रुचि जाहिर की । उसके बाद पीठ ने निर्देश दिये कि इसके बाद सुन लेंगे । लेकिन इसके बाद प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है । जब पीठ से निर्देश हो गये कि इन प्रश्नों को सुन लिया जायेगा अब एक बार व्यवस्था हो गयी तो अब न सुनने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि यदि समय बचता है, 20 प्रश्न हो जाते हैं और समय बचता है और माननीय सदस्य रुचि देते हैं तो ले लिया जाता है ।

*श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 38 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर की ओर आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैंने सवाल किया था कि क्या लोक निर्माण मंत्री को प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ अमरनाथ प्रसाद मंत्री श्रमिक संघ, शाखा बलिया का एक आवेदन पत्र दिनांक 6-3-90 प्राप्त हुआ है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिसमें प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 बलिया के वर्क एजेंट, मेट चौकीदार, ट्रेसर, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वर्कचार्ज में नियुक्ति में की गयी अनियमितता की शिकायत की गयी है। श्रीमन्, इसका उत्तर आया है कि शासनादेश दिनांक 12-2-1990 द्वारा कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की संख्या को अवरुद्ध (फ्रीज) कर देने के कारण प्रश्नगत कर्मचारियों की कार्यप्रभारित अधिष्ठान में नियुक्ति नहीं की जा सकी।

श्री अध्यक्ष—

किस प्रश्न के बारे में आप कह रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, आज का अतारांकित प्रश्न संख्या 97 है। आप देख लें सवाल कुछ किया है, विभाग के अधिकारियों ने मंत्री जी को जवाब कुछ दिया है। मैं तो पुराना सदस्य हूं आपका, मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया जरा प्रश्न को दिखवा लें और देखें कि अधिकारियों ने उन्हें क्यों गुमराह किया है। माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि अपने सचिवालय को भी कह दें कि जो उत्तर आता है उसको कृपया देख लें कि नियम 38 के मुताबिक प्रश्नों का उत्तर संगत है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप और मंत्री जी मेरे कक्ष में मिल लेंगे।

लोक निर्माण, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य की शिकायत है, उसे देख लेंगे और शिकायत को दूर करने की कोशिश करेंगे। वे वरिष्ठ सदस्य हैं, यह भी जानकारी रहे कि प्रश्नों के संबंध में कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है और इस सम्बन्ध में आपकी पीठ से तमाम बार व्यवस्थायें दी जा चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

नियम 300 के अन्तर्गत आज 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की है, दूसरी श्री काशी सिंह एरी की है, तीसरी श्री पंचानन राय की है, चौथी श्री प्रमोद तिवारी की है, पांचवी श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की है, छठीं सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की है, सातवी श्री विमल प्रसाद तिवारी की है आठवीं श्री मुईद अहमद की है। पहली श्री रविदास मेहरोत्रा की है। श्री रविदास मेहरोत्रा नहीं हैं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री काशी सिंह एरी—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अतारांकित प्रश्न के बारे में आप कक्ष में मुझसे मिल लें।

श्री काशी सिंह एरी—

मान्यवर, केवल अतारांकित प्रश्न की बात नहीं है, गंभीर मामला है, यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया 19 जून की कार्यवाही का अवलोकन करने का कष्ट करें और प्रश्न संख्या अतारांकित 143 को भी देखने का कष्ट करें। मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो मैंने मूल प्रश्न प्रस्तुत किया था।

श्री अध्यक्ष—

इसका निराकरण सदन में नहीं हो सकता है, मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरे कक्ष में आ जायें, प्रश्न को मंगा लेंगे और सम्बन्धित मंत्री जी को भी बुला लेंगे। आप तो निराकरण चाहते हैं, निराकरण यहां संभव नहीं है, आप कृपया बैठ जायें।

श्री काशी सिंह एरी—

मान्यवर, अगर इस तरह से बदल दिया जायेगा तो अधिकारों का सरासर उल्लंघन हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निवेदन किया कि यहां निराकरण इसका संभव नहीं है। आप कक्ष में आ जायें। आपका तात्पर्य क्या है?

श्री काशी सिंह एरी—

सवाल जो है इसका उत्तर गलत आया। सवाल जो मूल रूप में प्रस्तुत किया था, उसकी भाषा, भावना, उसका अंश खत्म कर दिया गया है। जो मैंने निवेदन किया, जो मूल प्रश्न किया था, उसका भी उल्लेख किया। इसके अलावा जो कार्यवाही में छपा है, वह आपके सामने है। कहने का आशय यह है कि इस तरह से जो प्रश्न करते हैं, क्या उसकी भाषा बदलने का, उसके किसी अंश को काटने का अधिकार माननीय मंत्री जी को या हमारे सचिवालय को है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

नियमानुसार एडीटिंग होती है। आपके प्रश्न के संदर्भ में, जो आपने बात कही है, उसका परीक्षण कर लेंगे। आप हमारे कक्ष में आ जायें।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

श्री पंचानन राय जी की सूचना कोई प्रक्रिया नियमावली में नहीं है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, आप नियम—300 को देखें और मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

पंचानन जी, आप बहुत विद्वान सदस्य हैं और अनुभवी भी हैं। कभी-कभी आपके अनुभव से मैं भी लाभ उठाता हूं, लेकिन आपने जो सूचना दी है, वह किसी प्रक्रिया नियमावली के उल्लंघन से संबंधित नहीं है, न ही किसी संविधान के अनुच्छेद से, तो हम इसे नियम 300 में कैसे सुनें।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें, मैं नोटिस की कोई चर्चा नहीं करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्राग्दर्शन में आपकी सूचना का कोई भी वाक्य प्रक्रिया नियमावली के उल्लंघन से संबंधित नहीं है, आपकी सूचना विद्युत आपूर्ति के संबंध में है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, नियम में क्या लिखा हुआ है, यह मैं 300 में पढ़ देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना कतई 300 से संबंधित नहीं है, आप इसे 52 में दे दें ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, नियम 300 में लिखा हुआ है, औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनमें सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा, जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

मैंने नियम—301 में सूचना दी थी, 26 तारीख को मैंने पुनः ध्यान आकृष्ट किया था, तब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि सचिवों को निर्देश दे दिये गये हैं कि एक सप्ताह में अन्तरिम उत्तर तथा एक माह में अन्तिम उत्तर आ जाना चाहिए । आज 2 जुलाई हो गया है, लेकिन अभी तक उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है । नियम—301 में जो सूचना आप ग्रहण करते हैं, उसका ध्यानाकर्षण का तात्पर्य है कि 7 दिन में उत्तर देना है और शासन इस पर कोई कार्यवाही करेगा । लेकिन जब 7 दिन में कुछ नहीं हुआ, तो मैंने 10 दिन बाद आपका ध्यान आकृष्ट किया । चूंकि कई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिये उत्तर भी नहीं मिला । मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि अगर इस तरह महीनों जवाब नहीं आयेगा और कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

*लोक निर्माण, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, माननीय राय साहब ने पिछले सप्ताह भी यह प्रश्न उठाया था और हमने कहा था कि उत्तर शीघ्रता से लोगों को दिये जायें । यह परेशानी पिछले सत्र में भी रही है । वैसे एक सप्ताह में अन्तरिम उत्तर दिये जाने की व्यवस्था है, और जो व्यवस्था है, उसका अनुपालन होना चाहिए, इसमें कहीं पर कोई भ्रम नहीं है, लेकिन इसका अब तक अनुपालन नहीं होता रहा है । अन्तरिम उत्तर में तो पत्र प्राप्ति की सूचना होती है, वह भी नहीं मिल रहा है, यह कठिनाई है, इस पर हम सबको विचार करना होगा । इस पर आप अध्यक्ष जी एक दिन बैठक बुला लें, ताकि किसी भी हालत में अन्तरिम उत्तर माननीय विधायकों को मिल जायें । इस समय एक सप्ताह में अंतरिम उत्तर देने की दिक्कत हो रही है । मैंने पहले भी कहा था, लेकिन तब आप लोग इसे स्वीकार नहीं करते थे । अब इस पर निर्णय हो जाये, क्योंकि नियमावली में प्रावधान है, उसका अनुपालन होना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप इस सुझाव से संतुष्ट होंगे। अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी की श्री राजीव गांधी की आगरा यात्रा के बारे में है। इसमें आप चर्चा कर चुके हैं। चर्चा करने के बाद आपके नेता सदन ने एक वक्तव्य भी दिया। माननीय नेता सदन ने जब उत्तर दिया था तो उसे आपने सुनने की कोशिश भी नहीं की। इस संबंध में आप नियम 300 के अन्तर्गत सूचना उठाना चाहते हैं, जिसकी मैं आपको कोई अनुमति नहीं देता हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

जैसे मुझे श्री पंचानन राय जी ने संतुष्ट किया है कि किस तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ है।

श्री प्रमोद कुमार—

यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भी श्री पंचानन राय जी की तरह आपको संतुष्ट कर सकूं।

औचित्य के प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, एक ओर तो आप उन्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं, फिर आप उनसे इस संबंध में बात भी कर रहे हैं। यदि इस प्रकार नियमों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जायेगा तो कैसे काम चल पायेगा। जब इस पीठ से कोई निर्णय हो जाता है तो उसके बाद कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। एक ओर तो आपने उन्हें अनुमति नहीं दी दूसरी ओर आप उन्हें बोलने के लिए अनुमति भी दे रहे हैं। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आगरा की घटना के संबंध में मैंने कोई बात सुनने की अनुमति नहीं दी है। यदि उस घटना के संबंध में कोई बात कही जायेगी तो वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। जहां तक नियमावली का कहीं पर उल्लंघन हुआ है और श्री तिवारी जी उसके लिए मुझे संतुष्ट करना चाहते हैं तो वह उस संबंध में अपनी बात कहें।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री बाबू राम यादव जी ने पीठ पर आक्षेप किया है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

उनका आक्षेप नहीं था, अपितु एक सुझाव था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैंने अपनी बात अभी कही नहीं कि उधार बैठे माननीय सदस्य पहले ही विचलित हो गये । संविधान के अनुच्छेद 164 (2) में स्पष्ट है कि मंत्रि परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी होती है ।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कह रहे हैं । इसमें कोई विवाद नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार—

यदि कोई एक मंत्री कोई घोषणा करता है तो उसके लिए सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल उत्तरदायी हो जाता है । मैंने बृहस्पतिवार दिनांक 28-6-90 को एक प्रश्न उठाया था व्यवस्था के माध्यम से, आपकी अनुमति लेने के पश्चात । मेरा प्रश्न यह था कि श्री राजीव गांधी जी आगरा जा रहे हैं । वह इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, नेता विरोधी दल हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं । मैं घटना के बारे में नहीं कहना चाहता हूं । मैंने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि माननीय राजीव गांधी जी आगरा जा रहे हैं ।

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आप उस नियम का उल्लेख कर दें जिसके तहत आप बुलवा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, आप घटना पर बिल्कुल न बोलें ।

श्री प्रमोद कुमार—

मैं तो व्यवस्था के प्रश्न पर आ रहा था ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

नियमों के उल्लंघन के बारे में बोलें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपके इन शब्दों को कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । आगरे की घटना के संबंध में कोई भी बात कहेंगे तो कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी । आपने जो मूल रूप से सूचना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दी है उसके अन्तर्गत जो बात आप कह रहे हैं, उसके बारे में स्पष्ट उत्तर माननीय मुख्य-मंत्री जी का, सदन में जा चुका है, इसलिये आप कृपया बैठ जायं ।

श्री प्रमोद कुमार—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे अस्वीकार करता हूं । यह भाषण कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति से प्रश्न उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

आश्वासन समिति का 60वां प्रतिवेदन

श्री बसंत लाल गुप्ता—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 59वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

आश्वासन समिति का 60वां प्रतिवेदन

श्री बसंत लाल गुप्ता—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 60वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सदन में अव्यवस्था उत्पन्न करने तथा सदस्यों के अधिकारों का हनन किये जाने के सम्बन्ध में उपनेता विरोधी दल श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैंने भी एक सदन के अवमान की सूचना दी है । इधर अक्सर देखने में आ रहा है कि हमेशा सदन अव्यवस्थित हो जाता है । कुछ लोगों के द्वारा, इस माननीय सदन में सदस्यों का जो चर्चा करने का अधिकार है, उस पर एक सुव्यवस्थित षडयन्त्र के तहत; कुठाराघात किया जा रहा है । 29 जून, शुक्रवार को जिस दिन अव्यवस्थित सदन में बजट पारित कराकर, सदन को आज तक के लिये स्थगित किया, उस दिन प्रश्नकाल के प्रारम्भ में ही कांग्रेस विधान मण्डल दल के उप नेता ने नियम 311 में प्रस्ताव रखा । नियमावली में है कि नियम 311 का प्रस्ताव कोई माननीय सदस्य तभी दे सकता है जब उसको पीठ से अनुमति मिले । अनुमति मिलने के बाद भी सदन में वोटिंग होती है अगर

नोट:—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया । छापा नहीं गया ।

बहुमत कहता है कि नियमों का निलंबन किया जाय तभी चर्चा शुरू होती है। इसकी अवहेलना की गयी। प्रश्न पहरे, जिसमें विकास कार्यक्रमों के बारे में सारे सदस्यों का अधिकार होता है जानने का, उसमें अवरोध खड़ा किया गया।

मैं आपकी अनुमति से श्रीमन्, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेन्ट, जो कौल और शकधर का है उसके पृष्ठ 194 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उसमें स्पष्ट है कि "इच हाउस हेज द पावर टू पनिश इट्स मेम्बर फार डिसआर्डरली कन्डक्ट एण्ड अदर कन्टेम्प्ट्स कमिटेड इन द हाउस व्हाइल इट इज सिटिंग" यानि कि हर सदन को यह अधिकार है कि जो भी सदस्य अव्यवस्था पैदा करे, सदन के चलते उसको अवमानना की सजा में दण्डित करने का अधिकार है। इसके ही पृष्ठ 190 पर दिया हुआ है कि "इट इज द ड्यूटी आफ ईच मेम्बर टू रिफ्रेन फ्राम एनी कोर्स आफ एक्शन"...

एक सदस्य—

मान्यवर, ये अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

हर सदन के सदस्य का दायित्व बनता है कि वह ऐसा कुछ न करे ऐसे हर कार्य से अपने को विरक्त रखे जिससे कि माननीय सदस्यों के भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम यहां पर अपनी स्पीच की स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं उसके द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। हमारे इस अधिकार पर उस दिन कुठाराघात किया गया। पृष्ठ 215 पर देखिये जो कि इसी पुस्तक के तीसरे संस्करण का है...

*श्री उदल—

यह किसको आप पढ़ा रहे हैं ? यह पढ़ने वाले लोग नहीं हैं ये रोज हंगामा करेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

इसमें पृष्ठ 215 पर है यदि सदन के किसी माननीय सदस्य का आचरण सदन की अकांक्षाओं के विपरीत हो और सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो तो उसे अवमान माना जायेगा। श्रीमन् कौल और शकधर के अलावा और जो प्राधिकारिक ग्रन्थ हैं इस बारे में उनमें मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस प्रमुख है इसके बीसवें संस्करण के पृष्ठ 145 पर इस तरह व्यवस्था है कि अगर कोई माननीय सदस्य अपने किसी कर्तव्य को निगलेक्ट करता है या ऐसा काम करता है जिसकी अपेक्षा सदस्य से नहीं की जाती है तो यह कंटेम्प्ट होगा। हमारी लोक सभा में कंटेम्प्ट में कई माननीय सदस्यों की सदस्यता को खतम किया जा चुका है। मैं खास तौर से कांग्रेस पार्टी की बात कहता हूं कि इनके एक एम0 पी0 को, एक सदस्य को अपनी सदस्यता से यह जून 1951 की बात है कि पं0 जवाहर लाल नेहरू ने एक प्रस्ताव मूव करते हुए कहा, भाषण दिया मैं चाहूंगा उसे बतलाना कि इसमें उन्होंने कहा था कि मैं आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक असाधारण प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। मैं पहले हिचकिचाहट महसूस कर रहा था कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं, बाद में मैंने सोचा सदन की मर्यादा के लिए यह आवश्यक है इसलिये उन्होंने उस प्रस्ताव को मूव किया सदस्यों और सदन की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये और पार्लियामेन्ट के एक मेम्बर को निष्कासित करने का प्रस्ताव मूव किया था।

श्रीमन्, आज हमारी विधान सभा में भी ऐसी अव्यवस्था हो गयी है कि अव्यवस्था पैदा करके सदन के सारे सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए शुक्रवार की घटना सारे सदन के संज्ञान में है और सदन के सामने हुई है, इसमें कोई साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि उस दिन अरुण कुमार सिंह मुन्ना ने जिस तरह से 311 का प्रस्ताव मूव किया, आपकी अनुमति के बिना बोले और अपने सदस्यों को उकसाया और जिस कारण बजट अव्यवस्थित सदन में पास हुआ, यह बड़ा गम्भीर मामला है और अगर आपने इस पर अंकुश न लगाया, तो सदन की प्रतिष्ठा और प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लग जायेगा। आप तमाम अधिकारों से लैस हैं और मान्यवर, अब उनके प्रयोग करने का समय आ गया है, जिससे लोक तंत्र पर जो बादल उठ खड़े हुये हैं, प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो उस खतरे को हटाया जा सके। मान्यवर, उस घटना को देखते हुये या तो अरुण कुमार सिंह मुन्ना उस घटना पर खेद व्यक्त करें या उनको दंडित करने की कार्यवाही आप करें और इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय तिवारी जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्होंने जो भावनायें व्यक्त की हैं कि सदन की मान मर्यादा के लिये, उसकी रक्षा के लिये और संसदीय परिपाटी को सम्मान देने के लिये, उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने बड़े खुले हृदय से परिस्थितियों का चित्रण किया। मैं उस दिन सदन में नहीं था, किसी कारण से अनुपस्थित था, लेकिन समाचार पत्रों से जानकारी मिली, उससे मुझे भी पीड़ा हुई। माननीय तिवारी जी ने जो प्रकरण प्रस्तुत किया है इस प्रकार के प्रकरण पहले भी आये हैं, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सदन में सही परिपाटी चले, तभी कार्य संचालन में सुविधा होगी, मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, इस प्रकार की कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि सदन ठीक प्रकार से और नियंत्रित ढंग से चले। मेरा निवेदन है कि आप इस पर कोई व्यवस्था दें, उसके पहले माननीय नेताओं की एक बैठक बुला लें और उसमें इस बिन्दु पर विचार कर लें, तब आप अपनी कोई व्यवस्था दें। अगर आप कोई व्यवस्था देंगे, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस मामले में कोई जल्दबाजी करना उचित न होगा। नेताओं की बैठक बुला लें और उसमें विचार कर लें, उसके पहले कोई व्यवस्था देना उचित न होगा।

श्री ऊदल—

मान्यवर, तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि वह प्रश्न इस सदन को व्यवस्थित करने में मदद करेगा और जो हमारी नियमावली है, संसदीय व्यवस्थाओं के जानकार हैं, वह चाहे देश के हों या देश के बाहर के हों, उन्होंने जो प्रक्रिया निर्धारित की है और जो ज्ञान दिया है, मैं समझता हूं कि तिवारी जी ने उन सभी का उद्धरण दिया है। मान्यवर, सदन को व्यवस्थित रखना प्रत्येक माननीय सदस्य का कर्तव्य है, उसके बाद आप आते हैं। अगर माननीय सदस्य इस सदन को अव्यवस्थित कर देंगे तो आप सदन को व्यवस्थित नहीं कर पायेंगे, इसलिये हर माननीय सदस्य का कर्तव्य है कि वह नियमावली के अन्तर्गत सदन को चलने दे। मैंने तो उस कुर्सी पर सम्पूर्णानन्द जी को

बिराजमान होते देखा है, चन्द्रभानु गुप्त जी को देखा है, चरण सिंह जी को देखा है और जो बड़े-बड़े विद्वान थे, संसदीय परम्पराओं के उस वक्त को भी मैंने देखा है लेकिन इस प्रकार की शायद कभी पांच साल में, यह जो प्रक्रिया शुरु हो गई है या इसके पहले अगली विधान सभा में रही हो, मैं समझता हूं कि ऐसा कार्यकलाप कभी देखने को नहीं मिला। माननीय तिवारी जी कह रहे हैं, सरकार इंगित कर सकती है। सौ-सौ दिन, महीनों-महीनों में बाहर रहा हूं लेकिन मैंने फ्लोर कभी क्रास नहीं किया। महीनों सदन से बाहर रहा। जब नगर महापालिका का विधेयक पास हो रहा था। विधान सभा में मुख्य मंत्री समेत विरोध पक्ष में बैठे थे तबमहीनों-महीनों के लिये लोग बाहर गये थे, पूरे सेशन से।

माननीय तिवारी जी ने स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरु के बारे में कहा कि उन्होंने अपने सदस्य के बारे में प्रस्ताव रखा। स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरु जो प्रजातंत्र के बहुत बड़े हामी थे हमारे देश में ही बल्कि पूरी दुनिया में, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जनतंत्र के प्रहरी का जो लोग विरोध करते थे उनको भी अपने पास बिठाते थे। क्या इनको आप स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू की औलाद समझते हैं? यह नहीं है।... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि यह नहीं है। जो नई व्यवस्थायें हिन्दुस्तान के अन्दर हो रही हैं। इमरजेन्सी के बाद से जिसको लागू किया, सत्ता के भूखे लोगों जिन्होंने क्या-क्या नहीं किया। वे संसदीय प्रणाली को मानने के लिये तैयार नहीं हैं और न ही नियमावली को मानने के लिये तैयार हैं। इसलिये मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरह की हुल्लड़बाजी को बर्दाश्त करें और सरकार को काम करने दें।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

(श्री प्रमोद तिवारी से)—आपके दल के बारे में मेरे लिये कठिनाई हो गई है। नेता विरोधी दल नहीं है। उप नेता भी नहीं है। आप यह भी देख लें कि आपके पीछे से कितने लोग बोलने के लिये खड़े हैं। आप मुझे बता दें कि ऐसे गम्भीर मसले पर जब कि नेता विरोधी दल नहीं है, उप नेता भी नहीं है तो मैं किसको बुलवाऊं... (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे...

श्री अध्यक्ष—

आप तो बोलने लगे। आप मुझे यह बता दें कि आपके बोलने के बाद कोई सदस्य खड़ा नहीं होगा। पहले आप मुझे अपना निर्णय बता दें। माननीय भोला पांडेय जी, माननीय तिवारी जी, माननीय मुईद अहमद जी, आप पहले मेरा निवेदन सुन लें कि आपके दल की ओर से ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो कि सदन के व्यवस्थित ढंग से संचालन के सम्बन्ध में है, कौन बात रखेगा?

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है... (व्यवधान)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्रमोद तिवारी जी, आप मुझे यह बता दें कि शुक्रवार को यह घटना घटी है । आपके दल ने निर्णय किया था कि आप इस घटना पर बोलेंगे । उस दिन शासन का उत्तर आ गया और मुख्य मंत्री जी के बोलने पर आप लोगों ने व्यवधान किया । अब आप आश्वस्त करें आपके अतिरिक्त आपके दल का कोई दूसरा सदस्य खड़ा नहीं होगा ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, हमें भी सुन लें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक व्यक्ति बोलेगा ।

श्री प्रमोद कुमार—

ऐसे नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रमोद जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपकी तरफ से एक ही बोलेगा, अगर आप बोलेंगे तो उसके बाद कोई नहीं बोलेगा ।

श्री प्रमोद कुमार—

अभी कुछ सदस्यों ने, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने नाम लिया है पंचानन राय जी का, अरुण कुमार सिंह जी का तो जब नाम किसी सदस्य का लिया गया है तो उसे स्पष्टीकरण करने का अधिकार रहता है, वह स्पष्टीकरण करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैं बहुत स्पष्ट प्रमोद जी बता दूं एक ही व्यक्ति बोलेगा सब बोलें यह नहीं होगा । (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

अगर आप सहयोग चाहते हैं या तय हो गया हो कि यही लोग बोलेंगे और हमको नहीं बोलने देंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

हम आपका सहयोग चाहते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार—

यही लोग बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे (व्यवधान) इस सदन की परम्परा रही है अगर किसी सदस्य का नाम लिया जाता है तो उसे स्पष्टीकरण का पूरा अधिकार है । (व्यवधान) आप कार्यवाही लेकर देख लें श्री पंचानन राय और अरुण कुमार जी का नाम लिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री अरुण कुमार सिंह जी का नाम तो मैंने सुना । (व्यवधान) आप कार्यवाही में अपना नाम लिखा दें (व्यवधान) मैं जब सुनूंगा जब आपका नाम कार्यवाही में होगा, अगर कार्यवाही में नाम है तो ठीक है ।

श्री प्रमोद कुमार—

कार्यवाही देख लें ।

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही आ रही है । (व्यवधान) आप बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार—

ठीक है ।

श्री मुईद अहमद—

मेरी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों परेशान हो रहे हैं आप बैठें । (व्यवधान) आपको ही स्थित स्पष्ट करने का अधिकार होगा फिर बाकी लोग नहीं बोलेंगे ।

श्री मुइद अहमद—

मैं व्यवस्था के माध्यम से इस पर अपने विचार रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं देता हूं । (व्यवधान) केवल एक सदस्य बोलें आप तय कर लीजिये उसका कड़ाई से पालन हो रहा है ।

श्री मुईद अहमद—

व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप तय कर लीजिये कि कौन बोलेंगे । (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न आप जानते है कब होता है जब एक विषय समाप्त हो जाय । एक विषय चल रहा है, आप एक व्यक्ति का नाम लीजिये जो बोलेगा । एक व्यक्ति को पूरा सदन सुनना चाहता है आप तय कर लीजिये पंचानन राय जी को चाहते हैं तय कर लीजिये ।

श्री मुईद अहमद—

उधर से 3, 4 को सुन लिया है ।

श्री अध्यक्ष—

एक पार्टी के एक व्यक्ति को सुना कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी के एक-एक बोले हैं ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

व्यवस्था का प्रश्न है कि जो विषय चल रहा हो उसमें भी व्यवस्था उठ जाती है तो उसमें आपको व्यवस्था देनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाय, पंचानन राय जी बोलेंगे ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, तिवारी जी ने जो बात कही है उसको हर व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए कि सदन व्यवस्थित रूप से चले और इससे हम और हमारा दल भी सहमत है कि सदन को नियमों और परम्पराओं से चलना चाहिए ।

मान्यवर, आप स्वयं देख लें कि तिवारी जी जब बोल रहे थे तो हमारे सभी साथी शांतपूर्वक उनकी बात को सुन रहे थे । यह केवल आज नहीं और इस घटना पर ही नहीं बल्कि प्रतिदिन होता है कि जब इस दल का कोई सदस्य कुछ कहने के लिये खड़ा होता है तो उधर के कुछ लोग, आप भी साक्षी हैं और इस सदन की कार्यवाही इस बात की साक्षी है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग जो अपने को ज्यादा योग्य समझते हैं, उनकी योग्यता का मैं आदर करता हूं, जो ज्यादा सक्षम समझते हैं व प्रायः अपने मंत्रियों की भी और विरोध पक्ष के सदस्यों को भी लगातार टोका-टाकी करते हैं और टीका-टिप्पणी करते हैं । टीका-टिप्पणी संसदीय परम्पराओं का हिस्सा है लेकिन एक सीमा तक । मान्यवर, जब इस पक्ष के कोई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हों और संख्या बल के आधार पर कई लोग उधर से टोका-टाकी करेंगे तो सदन में हम अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य शांत रहें । उन्हें बोलने दें ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, तिवारी जी, गुप्ता जी, ऊदल जी जब बोल रहे थे तो हमारे सभी साथी शांतपूर्वक उनकी नसीहतों को सुनते रहे लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो संख्या बल के आधार पर प्रतिदिन यही होती है और जबसे सदन शुरू हुआ तबसे प्रतिदिन यही टोका-टाकी उधर से होती है ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन नियमावली, परम्पराओं और उन पुस्तकों से चलता है जैसे कौल और शकधर, मेज पार्लियामेन्टरी पैक्टिस जिनका उदाहरण दिया गया पं0 जवाहर लाल नेहरू की बात कही गयी। मान्यवर, श्री तिवारी जी को और हमको भी स्वीकार करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में 1951 से लेकर 1990 तक कितनी गिरावट आयी है, 1951 में वापस पहुंच सकें तो इससे प्रदेश का बड़ा भारी हित और सौभाग्य होगा लेकिन वैसी परिस्थितियों में वापस जाना संभव नहीं है । मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि यह सदन नियमावली और परम्पराओं से चलता है । एक दिन किसी घटना से उत्तेजित होकर, आवेश में आकर सदन में कुछ हमारे सदस्यों ने हंगामा

किया तो सत्ता दल को दुख और तकलीफ है जिसे वह गवारा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इसी सदन में इसी फ्लोर पर, जब उधर के लोग विरोध पक्ष में थे तो, धरना देते थे और क्याक्या नहीं करते थे। (व्यवधान) मान्यवर, हम तो पुनः इस बात को दोहराते हैं कि सदन व्यवस्थित रूप से चले तथा रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन हम करें, और जो आपकी कमियां हैं उसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित कर सकें, ताकि सत्ता पक्ष सत्ता के अपने क्रियाकलापों में सुधार कर सके। लेकिन जिस तरह की घटना उस दिन हुई या हो जाती है, तो उसमें कभी-कभी तो यह होगा, ऐसा होगा। गुप्ता जी ने कहा तिवारी जी किससे अच्छा करते हैं। 1951 के पंडित जवाहरलाल नेहरू के आचरण की आज अपेक्षा करते हैं, लेकिन मान्यवर, हमारे पूरे भा0 ज0 पा0 दल ने सदस्यों ने उठाया एक सदस्य के आचरण पर, किस तरह से हूटिंग हुई सत्तादल की तरफ से तो उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। आए दिन जो घटनाएं होती हैं प्रश्न कुछ आता है, उत्तर कुछ दिया जाता है, उत्तरों से ध्यान हटाने का और सही बात बताने से जो हीलाहवाला किया जाता है, टालने का प्रयास किया जाता है, उसको भी इसमें देखना होगा। 1051 में यह सब नहीं होता था। नवीं विधान सभा में जो कुछ हुआ है, उससे शिक्षा लेकर 10वीं विधान सभा को चलाने का प्रयास होना चाहिए (व्यवधान) मान्यवर, जो टोंका-टांकी हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री जी अभी आप दो मिनट रुक जाएं। हम तो उनसे ज्यादा अच्छे हैं। तिवारी जी जब विपक्ष में थे और नेता सदन जो उस समय नेता विरोधी दल थे, उस समय उनके द्वारा और दल के द्वारा सदन में जो होता था उससे पूरे प्रदेश की जनता का सिर शर्म से झुक जाता था। रोज यही सब होता था (व्यवधान) हम तो जेल में भी जाने के खिलाफ हैं। आये दिन धरना होता था और अपने मुख्य मंत्री जी का भाषण वह स्वयं और आप लोग पढ़ें। आज तो मैं उस कार्यवाही को नहीं लाया, उस दिन लाया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सदन के नियम किसी व्यक्ति की पीड़ा से बढ़कर नहीं हैं। तो कभी जब कसी को चोट पहुंचे तो यह नियम टूट जाएगा, और बाकी अवसरों पर हम इस सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के हिमायती हैं और इसके लिए हमारी पार्टी हिमायती है लेकिन मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि विपक्ष के लोग जब अपनी बात कहना चाहें तो सत्तापक्ष के लोग अपनी संख्या बल के आधार पर कम से कम उस पर हूटिंग न किया करें।

*लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

माननीय तिवारी जी ने बड़ा सामयिक प्रश्न उठाया है। माननीय गुप्तजी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने उसका समर्थन किया और माननीय गुप्त जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने उसका समर्थन किया और माननीय उदल जी ने भी उसका समर्थन किया और समर्थन तो पंचानन राय जी ने किया, किन्तु अपनी गलतियों को छिपाते हुए। यह सदन 13 करोड़ जनता का प्रतीक है और हम लोगों को अपेक्षा करनी चाहिए कि लोग अच्छे तभी बनेंगे जब हम सब लोग नियमों का पालन करेंगे। जब हम अपने बनाए नियमों का खुद पालन करें, सदन में खुद सच बोलें, तब हम अपेक्षा कर सकते हैं कि बाहर लोग सच बोलेंगे। मैं पंचानन राय जी से अपेक्षा करता हूं, यह कोई उचित नहीं मान सकता संसदीय परम्पराओं की जानकारी रखने वाला व्यक्ति कि सदन में व्यवधान पैदा करके पूरे सदन की कार्यवाही को सारे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जबकि हम सब लोगों के बीच हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी का एलान है कि हमारी सरकार खुली सरकार है, हम किसी चीज को छुपाना नहीं चाहते हैं, हम हर बात की साफ-साफ जवाब देना चाहते हैं ।

प्रश्न प्रहर तो पूरे सदन के लिए बहुत मूल्यवान समय है और उसके माध्यम से यह सरकार सचेत होती है । मैं मंत्रिमंडल का सदस्य हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि प्रश्नों के माध्यम से बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमारी जानकारी में आती हैं, उससे हमें काम करने में बड़ी सहायता मिलती है । उसको स्थगित कराकर कौन सी बड़ी बात हो गई, यह मेरी समझ में नहीं आता कौन सी बात पर स्थगित कराया गया । आप कार्यवाही देखें तो आपको तमाम उदाहरण मिलेंगे कि आपकी पीठ का सम्मान सर्वोच्च है । आप जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो कोई माननीय सदस्य उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करेगा । यदि वह ऐसा करेगा तो यह सदन की परम्परा के विपरीत होगा । इसी तरह से माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल की चेयर का एक सम्मान माना गया है । इस कुर्सी पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता । मान्यवर, माननीय नेता सदन, सदन में नहीं होंगे, माननीय नेता विरोधी दल सदन में नहीं होंगे तो उनकी कुरसी खाली होगी, उस पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता । जब माननीय नेता विरोधी दल बोलते हैं किसी महत्वपूर्ण विषय पर, तो माननीय नेता सदन को सदन में उपस्थित रहकर उनकी पूरी बात सुनकर उसका जवाब देना होगा, यह ही सदन की परम्परा है । आपको श्रीमन्, याद होगा, हमारे नेता आदरणीय चौधरी चरणसिंह जी आपातकाल में यहां पर जब आये थे जेल से छूटकर तब उनका जो भाषण हुआ था, उस समय भी सत्ता पक्ष के लोग थे और पूरे सदन ने ध्यानपूर्वक, आदरपूर्वक उनकी बात को सुना था । उन्होंने कटाक्ष किये थे, आरोप लगाये थे लेकिन कोई हल्ला-गुल्ला नहीं हुआ था । वह पांच घंटे तक बोले थे । उस समय मैं भी इस सदन का सदस्य था । आपने बातें उठाई हैं, आपको बातें उठाने का हक है, आपको आरोप लगाने का अधिकार है, हमसे हर स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है लेकिन माननीय नेता सदन जब उत्तर देने के लिए खड़े हों, उन्हें बोलने न दिया जाय, यह कौन सी परम्परा है।

मान्यवर, इन लोगों ने जो उस दिन किया उसके लिए इन्हें क्षमायाचना करनी चाहिए । यदि हमने कोई गलत की होगी तो हम क्षमा मांग लेते । यह बड़ापन है, यह कोई छोटापन नहीं है । माननीय राय साहब, जिन्हें दोनों सदनों का अनुभव है, भी "इफ एण्ड बट" लगाकर इस गलती को मान रहे हैं । सत्ता पक्ष के लोगों में विचारों को अभिव्यक्त करने की कुशलता है । लेकिन जहां पर अनुशासन का सवाल होगा, सब आपको अनुशासनबद्ध दिखाई देंगे । आपके दल में कोई अनुशासन नहीं है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, माननीय राय साहब नहीं चाहते थे कि कार्यवाही स्थगित हो । हम लोग जब विपक्ष में थे तो विरोध करते थे कार्यक्रम के लिए, अब लड़ाई होती है कि हमारे नेता को हेलीकाप्टर क्यों नहीं दिया गया ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, आपने प्रश्न सुनने का अवसर दिया है माननीय तिवारी जी को, मा0 गुप्ता जी को, ऊदल जी को और राय साहब को भी । तो मान्यवर, हमारा यह कहना है कि इस सदन की कार्यवाही अगर बाधित होती है तो आपको कष्ट होता है, हमें कष्ट होता है ।

मान्यवर, आपको भी तैयारी करनी पड़ती है, हमें भी तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी करने के बाद भी उत्तर देने का मौका नहीं मिलता तो कष्ट होता है।

मान्यवर, जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके लिए आपकी पीठ से तमाम व्यवस्थाएं हैं। मान्यवर, आपकी पीठ से जो व्यवस्थाएं हैं वर्ष 69 से 78 तक उनका जो संकलन है उसका पृष्ठ-67 देखिये। प्रश्नों के समय में भी यहां पर समय बर्बाद किया जाता है। प्रश्नों के संबंध में कोई व्यवस्था का प्रश्न हो ही नहीं सकता है, औचित्य का प्रश्न हो ही नहीं सकता है, इसके लिए आपकी पीठ से तमाम व्यवस्थाएं हैं। इस पर आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा और प्रत्येक माननीय सदस्य का यह फर्ज है कि आत्म अनुशासन से इस सदन की कार्यवाही को ठीक से चलने दें, और यह भी अनुरोध करूंगा कि इस सदन के जो नियम, परम्पराएं, नियमावली तथा सदन की पीठ से जो व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन कर लें। सदन में संयम में लोग आए क्योंकि सत्तापक्ष का उनको अनुभव है। विरोध पक्ष का इनको अनुभव नहीं है तो विरोध पक्ष की नियमावली को यह देख लें।

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का ही प्रश्न हो अव्यवस्था का प्रश्न न हो।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

व्यवस्था के संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि लोकसभा में जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठता है, तो माननीय अध्यक्ष पूछते हैं कि किन नियमों का उल्लंघन हो रहा है?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, बोलने के पहले मुंह में ताला बन्द किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रमोद जी, आप बता दें कि किन नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, इस सदन में एक नियम यह भी है कि मंत्री गलत बयानी नहीं करेंगे। मंत्री सदन के प्रति उत्तरदायी हैं और सदन को सही सूचना देंगे।

श्री अध्यक्ष—

इसमें विवाद कहां है? इसमें विवाद तो है ही नहीं।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो हम शोर कर रहे थे वह राजीव गांधी को हैलीकाप्टर देने के लिए किया गया।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

यह नहीं कहा गया। नाम नहीं लिया गया।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आप कार्यवाही दिखवा लें सम्पूर्ण सदन कह रहा है कि कहा, और वह कह रहे हैं कि नहीं कहा, और यह कहकर गलत बयानी कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि सत्तापक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरी एक बात सुन लें। मैंने निर्णय किया था कि हर दल का एक व्यक्ति बोलेगा। रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद हैं।

मैंने इसलिये इनको नहीं बुलाया, जैसा कि निर्णय किया गया है उसके अनुसार संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हो जाएं, अगर आप होते तो यह स्थिति न आती आपको बोलना था। यह ऐसा विषय उठा है कि इस विषय पर सदन के एक-एक माननीय सदस्य की रुचि है इस प्रदेश की जनता की भी रुचि है और जिसने माननीय जनप्रतिनिधियों को चुनकर यहां भेजा है, यह सदन उसका वह एक दर्पण है और उसकी रुचि में यह सदन काम करेगा—

*मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, माफ कीजिएगा आप अपनी परम्परायें निभाएं और उप नेता को मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि भले ही इधर के कोई सदस्य हों या उधर के कोई सदस्य हों, ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसकी रुचि न हो। व्यवस्थित रूप से सदन चले इसमें सबको चिन्ता है। इस विषय पर उपनेता बोल लें यदि चाहें तो उसके उत्तर में नेता सदन भी बोल लें। उप नेता जी इस आश्वासन पर बोलें कि इस सदन में उत्तर आएगा और माननीय नेता सदन को बोलने न देने का प्रयास नहीं किया जाएगा।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

यह विषय पहले से चल रहा था। मैं और माननीय नेता सदन एक गोष्ठी, साम्प्रदायिक विरोधी गोष्ठी चल रही थी, उसमें थे, जिसकी वजह से विलम्ब हो गया। मैं तर्क नहीं दे रहा हूं और न ही ज्यादा समय में लेना चाहता हूं। सम्मानित सदस्य श्री तिवारी जी (फैजाबाद) ने जो प्रकरण उठाया, निश्चय ही, उस प्रकरण के तहत जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हम उससे सहमत हैं कि इस सदन का कार्य नियमों के तहत चले। संसदीय परंपराओं, संसदीय प्रक्रियाओं का अनुपालन हो, मैं और मेरा दल उससे अपने आपको सम्पूर्ण रूप से सम्बद्ध करता है। हमारा और हमारे दल के साथियों का यह प्रयास नहीं होता है कि कहीं संसदीय परंपराओं का उल्लंघन किया जाय और नियमों के विपरीत प्रयास किया जाय। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे विषय और ऐसे विवाद आ जाते हैं जिन पर सम्मानित सदस्य आक्रोश में आ जाते हैं। उस दिन जो विषय था उसकी गंभीरता से आप परिचित थे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन भी परिचित था । शासन ने उसका संज्ञान कराया था लेकिन उसके बाद भी चीजें उठ रहीं थीं । नियमों के तहत उठाने का प्रयास आपकी स्वीकृति से मिला था । मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता था और माननीय नेता सदन अपनी भावनाओं को सदन को देना चाहते थे । मैं इसीलिये विनम्र भाव से बैठ गया था कि कुछ सम्मानित सदस्यों जिन्होंने नोटिस दे रखी थी वह बोलने का प्रयास कर रहे थे और उसी प्रयास के तहत वह वेल में गये थे । लोग चाहते थे कि आप सुन लें ताकि मुख्य मंत्री जी को एक-एक आदमी के प्रश्नों का उत्तर न देना पड़े और सारी चीजें जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, बी0 एस0 पी0 के लोग कहना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी-अपनी बातें कहना चाहते थे और वह चाहते थे कि सबकी बातें सुनकर मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर बाद में दें और उसी आक्रोश में वह सदन के वेल में चले गये । मान्यवर, मेरी भी मान्यता है कि सदन जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये जनतंत्र और जम्हूरियत मे जो अधिकार मिले हैं, उसके अनुपालन में होना चाहिये । सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर इन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए ।

मान्यवर, हमारे दल के नेता ने पहले ही घोषित किया था, आश्वासन किया था कि माननीय नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी का हम रचनात्मक विरोध करेंगे । हम केवल विरोध के लिये विरोध नहीं करेंगे । हमारा विरोध रचना और निर्माण के लिये होगा । साम्प्रदायिकता के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा । हमारा विरोध सकारात्मक होगा, नकरात्मक विरोध नहीं होगा । हम चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में सदन का कार्य नियमों के अन्तर्गत चले और माननीय नेता सदन को पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, उनकी बातें सुनना हम सबके लिये जरूरी है मुख्य मंत्री जी जो इस सदन के नेता हैं वह अपनी बात कहते हैं तो हम उनको सुनना चाहते हैं । मैं नियमों के अंदर अपने आपको समर्पित करता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे आने से पहले माननीय तिवारी जी ने सवाल उठाया और उस संबंध में माननीय उदल सिंह जी ने विचार रखे और माननीय पंचानन राय जी ने भी । उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात रखी । आप अपनी व्यवस्था दे चुके थे । माननीय उप नेता बोलना चाहते थे तो संसदीय परम्पराओं का आदर करते हुये, आपकी व्यवस्था देने के बाद भी, मैंने आपसे प्रार्थना किया कि माननीय उप नेता बोलें क्योंकि माननीय उपनेता माननीय तिवारी जी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उसी दृष्टि से हम उन्हें देख भी रहे हैं । लेकिन माननीय तिवारी जी पढ़कर आते थे, सोच समझकर आते थे और ऐसे समय पर बोलने के लिये खड़े होते थे कि सारा सदन सुनने के लिये शांत हो जाता था । उस आचरण को निभाने की कोशिश तो उप नेता कर रहे हैं लेकिन उनके माननीय सदस्य उनके काबू में नहीं हैं जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी कह चुके हैं ।

एक तो मान्यवर, माननीय पंचानन राय जी ने आरोप लगाया और एक दृष्टांत भी दिया हमारे ऊपर . . . . . ।

श्री पंचानन राय—

आरोप नहीं लगाया ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

उन्होंने याद दिलाया कि माननीय नेता सदन भी इस मंच पर क्या करते थे । माननीय पंचानन राय जी और माननीय प्रमोद जी ये जानते हैं कि हम क्या करते थे । हम सवाल उठाते थे प्रदेश की जनता के लिए । हमने सवाल उठाया था कि पंचायतों का चुनाव हो, जिला परिषदें खाली पड़ी हैं, उनके चुनाव हों, सहकारी समितियों के चुनाव हों । यह बात तत्कालीन सरकार ने नहीं सुनी, तो शांतिपूर्वक यह लाइन खिंची है, उधर ही हम बैठ गये, आपने देखा होगा, एक भी माननीय सदस्य आगे नहीं आये थे, हम शांतिपूर्वक बैठे थे, जनता की समस्याओं को लेकर । इसी तरह से जितने उदाहरण आप देखेंगे, माननीय पंचानन राय जी, जब-जब हमको कोई सवाल उठाना पड़ा या बेल में हमारे सदस्य आये, तो जनता का सवाल लेकर आये । आप जब सवाल लेकर आये, तो वह गलत लेकर आये । आपने कहा कि हमारे नेता के साथ अभद्र व्यवहार किया गया । एक भी दिल्ली के अखबार ने नहीं छापा कि आपके माननीय नेता के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है । यह जरूर कहा आपने कि खचड़ी गाड़ी थी । आप यह बताइये कि अगर हमें बढ़िया गाड़ी मिली है, तो उसे जनता ने दिया और जनता हटा देगी तो हम भी खचड़ी गाड़ी में बैठेंगे । किसी ने नहीं कहा कि हमको अच्छी गाड़ी दो ।

एक प्लाटून फतेहपुर गया था । हमारी जान बची, बांदा में हमारी गाड़ी को तोड़ा गया, हमारे ऊपर गोली चली, किसी ने भी नहीं कहा कि नेता को इतनी पुलिस चाहिए । आप तो अपने नेता को और बदनाम करने में जुटे हुए हैं । आपके नेता ने शुक्रिया अदा किया कि डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 को । एस0 एस0 पी0 ने 110 की रफ्तार से जिप्सी चलाई और आप गलत तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हमारे नेता का अपमान हुआ और एक पत्रकार मेडिकल कालेज, आगरा में दाखिल है । हमारी उनकी टेलीफोन पर बात होती है, वह कहते हैं कि हमको कोई चोट नहीं है । उन्होंने पर दिल्ली के पत्रकारों से कहा कि हमारे कोई चोट नहीं है । आप कहते हैं कि हमारे नेता को खचड़ा गाड़ी दे दिया । तो आप लड़ते हैं, अपने नेता की चापलूसी करने के लिए और हम जनता को खुश करने के लिए लड़ते हैं । ये विपक्ष में तो रहे नहीं, ये तो सत्ता में रहे हैं । हमने तो यहां तक कह दिया अपने अधिकारियों के लिए कि अगर गलत जवाब दे दिया गया, तो उसके लिए हमारे अधिकारी जिम्मेदार होंगे और गलत उत्तर देने वाले उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी । अगर हम अधिकारियों के खिलाफ कहते हैं, तो हमारी सरकार सुधरेगी । आज भी हम कहते हैं कि अगर हमारी कमजोरियों को आप निकाल कर बाहर रखेंगे, तो हमारी सरकार को लाभ पहुंचेगा । इसलिए हम आपके सुझावों को सुनने के लिए तैयार हैं । उस दिन आपको पूरा बोलने का मौका दिया गया और जब हम बोलने के लिए खड़े हो गये, तो आप यहां पर आ गये । लेकिन अभी आपको सीखना है । विपक्षी की राजनीति आपने नहीं की है, इसीलिए बहुत बातें सीखनी पड़ेंगी कि जनता के लिए लड़ेंगे या अपने नेता की चापलूसी करेंगे ?

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी, यह आपने प्रश्न उठाया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, सुन लें । मान्यवर, चूंकि सभी दलों के माननीय नेताओं ने मेरी भावनाओं को स्वीकारा है और आपके समक्ष इस बात का निश्चय किया है कि सदन को व्यवस्थित रखने में वह भविष्य में मदद करेंगे, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की आपसे अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इसकी अनुमति देता हूं कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें । लेकिन यह जो चर्चा आई, उस विषय पर मैं अपने निर्णय से आपको अवगत करा दूं कि इस सम्बन्ध में सदन के विभिन्न पार्टियों के नेतागण, उप नेतागण, सचेतक, उप सचेतक सब की एक बैठक में आमंत्रित करूंगा और यह चाहूंगा कि आपके सुझाव सदन को व्यवस्थित चलाने के लिए आयें और उनका अनुपालन हो ।

(व्यवधान)

क्षेत्राधिकारी पुलिस के विरुद्ध की गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर सूचनादाता सदस्य को सुने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस विषय से कोई मतलब नहीं है ।

श्री जय सिंह—

मान्यवर, मैं जब खड़ा होता हूं तो आप मुझे बैठा देते हैं, कम से कम माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने एक बात आई थी ।

श्री अध्यक्ष—

वह विषय समाप्त हो गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो विषय अभी गम्भीरता के साथ चल रहा था उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है ।

श्री जय सिंह—

मान्यवर, वह पार्टी के विपक्ष के नेता हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह विषय समाप्त हो गया, आप बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस आदरणीय सदन की यह परिपाटी रही है कि जब कभी कोई सदस्य अपनी समस्या उठाता है . . . . . ।

(श्री जय सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब विषय समाप्त हो जाय तो फिर एक सदस्य खड़ा हो जाय यही अव्यवस्था है। राजेन्द्र जी आप बोलें, वह जो बोलेंगे, कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जब कभी इस आदरणीय सदन में कोई माननीय सदस्य अपनी आप बीती इस सदन को बताना चाहता है तो उसको संरक्षण दिया गया है। डा0 जैन जिन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है जिसमें उन्होंने बताना चाहा है कि उनके घर के भीतर वहां का क्षेत्राधिकारी पुलिस घुसा उनको प्रताड़ित किया और सब विधायकों को उसने गालियां दी।

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जब कभी माननीय सदस्य का कोई मामला हुआ है तो उनको सुना गया है।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के प्रश्न पर सूचना का परीक्षण होता है उससे उत्तर मांगा जाता है। मैंने एक निर्णय दे दिया, माननीय सदस्य की सूचना मुझे मिल गयी है और उस पर मैं कार्यवाही कर रहा हूं, परीक्षण कर रहा हूं। मेरे निर्णय के उपरान्त आप कृपया उस पर न बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

कोई भी बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात लिखी नहीं जायगी।

---

*नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो राजेन्द्र गुप्त जी कह रहे हैं, इस सदन की परम्परा रही है कि किसी विधायक के साथ कोई पुलिस अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया हो तो इस सदन में उसको सुनते हैं। यहीं पर कांग्रेस के डा0 दत्ता, जिनको पुलिस वालों ने मारा था, उन्होंने यहां पर बयान दिया था और बहुत से मा0 सदस्य मारे गये, पुलिस द्वारा अपमानित हुए, उन्होंने इस सदन में बयान दिया। मैं चाहता हूं कि उनकी बात आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस संदर्भ में एक बात बता दूं कि मा सदस्य अभी यहां पर आए और एक घंटे पूर्व अभी सूचना दी। मैंने कहा कि इसका परीक्षण कराता हूं। उसके बाद आपको समय मिल सकता है . . .।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का एक भी शब्द कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा। मैंने आपकी सूचना को भी नहीं पढ़ा है। मैंने आपकी सूचना को न पढ़ा है, न उसकी प्रति आपको भेजी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी सदस्य की बात के प्रति उदासीनता दिखाता हूं, लेकिन जब तक पढ़ नहीं लेता, तब तक कोई निर्णय नहीं दूंगा। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी नियमों के बारे में चर्चा की है। मुझे अभी सूचना मिली है। मैं देख भी नहीं पाया . . . . (घोर व्यवधान) . . . यह व्यवस्था नहीं होगी कि मैं पढ़े बिना निर्णय दे दूं। (घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं, माननीय नेता सदन से जानना चाहता हूं . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोग बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आप हम लोगों को निष्कासित करा दें । हम लोग नियमों के अधीन ही बोलना चाह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उसकी प्रति मैं भेज दूंगा, मैंने अभी शासन को भेजी नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी उनको भेज दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप नियमों के विरुद्ध कैसे चलेंगे ? (व्यवधान)

श्री अरविन्द कुमार—

मान्यवर, मेरी करुण गाथा सुनने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको अभी नहीं सुनूंगा ।

आप लोग कृपया बैठ जायं । (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य अपने-अपने आसनों पर खड़े रहकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अरविन्द कुमार—

मान्यवर, मुझे दो मिनट अवश्य सुन लें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात को नहीं सुना जायेगा ।

श्री अरविन्द कुमार—

मान्यवर, मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी होगी, दो मिनट कृपया सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

अपने निर्णय को मैं दोहरा देता हूं । माननीय सदस्य की सूचना, जो प्राप्त हुई है, न मैंने पढ़ा है, न मैंने उसे शासन को भेजा है, आप इसका अवसर देना नहीं चाह रहे हैं । आपको समय मिलेगा । बिना इसका अवसर दिये, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा । (व्यवधान)

श्री मयंकर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात को कृपया सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य की बात को सुनना चाहता हूं लेकिन नियमानुसार आपकी जिद है कि नियमों को तोड़कर आपकी बात को अभी सुनूं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि दो मिनट सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मेरी बात एक मिनट सुन लें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्रा—

मान्यवर, आप परिवार के मुखिया हैं, सदन के मुखिया हैं, हमारे मुखिया होने के नाते आपको माननीय सदस्य की बात को सुननी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय गुप्त जी से अनुरोध करना चाहूंगा, चूंकि अभी आपने बताया कि नोटिस जो थी 10 बजे तक नहीं पहुंची थी । (शोर होने पर) आप लोग मेरी बात को पूरा सुन तो लें । विशेषाधिकार की नोटिस 10 बजे तक नहीं पहुंच पाती है और आप उसको शासन को नहीं भेज पाये, इसलिये यह बात सही है कि उसको विशेषाधिकार में न सुनें । लेकिन चूंकि माननीय सदस्य का कहना है कि उनके साथ व्यक्तिगत तौर से कोई घटना हुयी है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको विशेषाधिकार के प्रश्न पर नहीं, किन्तु उनकी व्यथा को सुन लें, ताकि जानकारी हो जाय ।

श्री जय सिंह—

[× × ×]

(बैठे-बैठे अन्य सदस्यों के बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका भाषण कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा, आप अपने स्थान पर बैठिये ।

श्री जयसिंह—

मान्यवर, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी बात को कार्यवाही में ही रहने दें ।

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री कल्यान सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह मामला स्वयं में बड़ा संवेदनशील है और गम्भीर भी है ।

श्री अध्यक्ष—

आप घटना पर न बोलें ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं घटना पर नहीं बोल रहा हूं । मैं केवल दो बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । बार-बार इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से यह घोषणा की जाती है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, उनकी ओर से भी घोषणा की जाती रही है कि किसी भी विधायक का अपमान नहीं होने दिया जायगा और उनके सम्मान की रक्षा की जायेगी । उनकी इस घोषणा पर पूरे सदन ने मेजें थपथपाकर स्वागत भी किया और यह बात स्वागत करने योग्य भी है कि माननीय सदस्यों का अपमान न हो, यह इतिहास न दोहराया जाय । मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, वह स्वयं माननीय सदस्य श्री अरविंद कुमार की आप बीती है, उन्होंने किसी और के बारे में कुछ नहीं कहा है, मैं किसी विशेषाधिकार की बात भी नहीं कर रहा हूं ।

मान्यवर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिन पर आप बिना नोटिस के भी सुन सकते हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । जैसे किसी के साथ कहीं कोई दुर्घटना घटित हो जाय और दो घंटे, चार घन्टे वहां से निकलने की स्थिति पैदा न हो, या किसी की रेलगाड़ी लेट हो जाय, तो माननीय सदस्य जिस समय भी सदन में आते हैं और यदि उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर कोई घटना घटित हुई है, तो उसको वह बिना नोटिस के भी कह सकते हैं । इतना तो अधिकार आप माननीय सदस्यों को देंगे ही । मैं आप पर इसलिए दबाव नहीं डालूंगा कि आप इसे विशेषाधिकार समिति की परिधि के अन्दर लायें । जैसा माननीय श्री तिवारी जी ने कहा व अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा । माननीय सदस्य के साथ घटना घटित हुई है, उनका अपमान हुआ है । यह एक सदस्य का अपमान नहीं है अपितु समूचे सदन का अपमान है । इसकी गम्भीरता के विषय में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप श्री अरविन्द कुमार को सुन लें, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करें, भले ही उसके बाद आप इसे विशेषाधिकार समिति की परिधि के बाहर मानें । यदि आप नहीं सुनेंगे तो न किसी माननीय सदस्य का सम्मान बचेगा और न किसी की मर्यादा बचेगी । अगर माननीय सदस्य के साथ हुई घटना के संबंध में वह इस आदरणीय सदन में नहीं कह सकता है तो फिर कौनसा फोरम है, जहां वह अपनी बात कहेगा । पहले भी सुना गया है । माननीय सदस्य को कम से कम अपनी बात कहने का मौका तो दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री कल्यान सिंह जी आप मेरी बात को स्पष्ट रूप से जान लें कि माननीय सदस्य ने मुझे लिखित सूचना एक घन्टे पूर्व पीठ पर आकर दी । मैंने बिना पढ़े अविलम्ब उसे सचिव जी को दे दिया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर)

(श्री सुन्दर लाल जी के खड़े होने पर शोर)

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, आप स्वयं कह रहे हैं कि आपने सूचना को नहीं पढ़ा है। यदि आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपने उसकी गम्भीरता को और संवेदनशीलता को कैसे आंक लिया।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि सदन की कार्यवाही चल रही थी, इसलिए मैंने बिना पढ़े उसे सचिव जी को दे दिया और यह कहा कि इससे आप शासन को अविलम्ब अवगत करा दें। माननीय सदस्य से मैंने यह भी कहा कि विशेषाधिकार में आपकी सूचना है, अभी मैं इसका परीक्षण करा ही लेता हूं। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि इस घटना को सदन के संज्ञान में न लायें। अभी चर्चा हुई थी कि सदन को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमानुसार चलें। मैं नियम-56 के बाद भी आपकी बात सुन सकता था तब तक मेरे पास इसका उत्तर भी आ जाता। लेकिन आप इस बात पर जिद करते हैं कि अभी सुन लो। अभी और आधे घण्टे में कितना फर्क हो जायेगा ?

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर—शोर)

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मेरा अनुरोध है, जैसा कि अभी आपने कहा कि पहले आप नियम-56 की सूचनाओं को सुनना चाहते हैं इसके लिए हम सहमत हैं। नियम-56 के बाद आप श्री अरविन्द कुमार को उनकी बात कहने का अवसर देंगे, जैसा कि अभी आपने कहा भी है। इस पर आप पहले व्यवस्था दें।

(श्री इम्तियाज मोहम्मद खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यही तो एक कठिनाई है। सदन नियमानुसार चले, इसमें कोई सहयोग करता ही नहीं है। अभी चर्चा भी हुई कि सदन नियमानुसार चले।

अब मैं नियम-56 ले रहा हूं।

(श्री इम्तियाज मोहम्मद खां खड़े रहे।)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

अभी आपने कहा था कि मेरी सूचना मिली थी।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात का उत्तर मैं दे रहा हूं।

श्री शिव करन सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने पहले ही कहा कि मैं फौज का आदमी हूं, अनुशासित हूं । मुझे 28 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, 29 तारीख को सूचना दी गयी । मैंने अनुशासन का पालन करते हुए कोई हरकत नहीं की । यदि आप माननीय सदस्य की, जिनका विषय चल रहा है, सूचना पर चर्चा कराने के आदेश दें तो मेरी सूचना पर भी चर्चा कराने की कृपा करें, मैंने 29 तारीख को ही सूचना दे दी थी, जो कि स्वीकार भी हो गयी ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । मैं आपकी बात पर विचार करूंगा ।

(श्री शैलेन्द्र कुमार के खड़े होने से व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 2 जुलाई, 1990 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से निदेश संख्या 15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गयीं :—

पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मुईद अहमद, श्री इन्द्रेश विक्रम, श्री बसन्त लाल गुप्त, श्री देवकुमार यादव, श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री इम्तियाज मोहम्मद खां की दिनांक 28-6-90 की रात में लखनऊ की सआदतगंज बस्ती में शिया-सुन्नी दंगे में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा कई लोगों के घायल होने के संबंध में है ।

दूसरी सूचना श्री राम बचन यादव, श्री राम कुमार शुक्ल तथा श्री कासिम अली की किंग जार्ज मेडीकल कालेज, लखनऊ के विभागाध्यक्षों द्वारा मरीजों तथा शोध छात्रों को अपने निजी क्लीनिकों में जाने के लिए बाध्य किये जाने के संबंध में है ।

तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री सत्य प्रकाश विकल की मेरठ में दिनांक 28-6-90 को व्यापारी नेता श्री के0 पी0 सिंह को पुलिस द्वारा बंदूकों की बट से घायल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

चौथी सूचना श्री इम्तियाज मोहम्मद खां की ग्राम जरिया आलमपुर, थाना नरसेना, जनपद बुलन्दशहर के समाज विरोधी तत्वों द्वारा दिनांक 28-5-90 को कस्बा खानपुर के 11 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । चूंकि एक सूचना ले ली गयी, ऐसी ही दो सूचनायें प्राप्त होती हैं तो दोनों निरस्त होती हैं । एक सूचना नियम 311 में थी, ले ली गयी । जरिया के बारे में निरस्त कर दी गयी ।

पांचवीं सूचना श्री जयराज गौतम की ग्राम—महराजगंज, जनपद सुल्तानपुर में दिनांक 29-6-90 की रात में तीन सगे भाइयों की हत्या किये जाने के संबंध में है ।

छठी सूचना श्री रमापति शास्त्री की दिनांक 9-6-90 को वाराणसी जनपद के श्री साहब सिंह की रोडवेज चौकी इंचार्ज द्वारा कथित हत्या किये जाने के संबंध में है । यह सूचना इसलिये ले ली गयी कि चौथी सूचना निरस्त हुई है ।

सातवीं सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ के संयुक्त चिकित्सालय में एक्स-रे की मशीन होने के संबंध में है ।

आठवीं सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी की पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

नवीं सूचना श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय की जिला अस्पताल गोण्डा में डाक्टरों और अस्पताल कर्मियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण जनजीवन में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में है ।

दसवीं सूचना श्री शिवदर्शन की ग्राम बसन्तपुर-सकतेपुर, तहसील महराजगंज, जिला—रायबरेली में चकबन्दी का कार्य-स्थगन करने के संबंध में है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, प्रशासन की निष्क्रियता तथा अदूरदर्शिता का परिणाम यह हुआ कि 28 तारीख को कुछ शरारती और असामाजिक तत्वों को लखनऊ में दंगा भड़काने का मौका मिल गया । 28 तारीख को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एक जुलूस निकाला, जुलूस शान्ति के साथ जा रहा था । इतने में एक ऐसे व्यक्ति, जिनको पिछले आम चुनाव में जनता ने तिरस्कृत कर दिया था, वह 10, 12, 15 लोगों को लेकर एक स्थान पर आ गये और शान्तिपूर्ण जुलूस पर सुनियोजित ढंग से हमला किया, लाइट चली गयी, एक घण्टे तक गोलियों की आवाज, पटाखों की आवाज, लोगों के चीखने की आवाजें आती रहीं, एक निरपराध व्यक्ति मारा गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को जानकारी थी, सी0 ओ0 और एस0 पी0 को जानकारी थी ? अगर थी और कोई विवाद था तो जुलूस को रोकना चाहिये था या शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी अभिरक्षा में जुलूस को निकलवाना चाहिये था । पुलिस वहां पर उचित मात्रा में क्यों नहीं थी ? अगर थी तो उन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं की ? फिर कर्फ्यू लगा दिया गया ।

मेरी निजी जानकारी है कि वह इलाका ऐसे लोगों का है जहां पर अधिकांशतः गरीब लोग रहते हैं । वहां के ऐसे अनेक परिवारों की मुझे जानकारी मिली है कि तब से लेकर आज तक उनके घरों में चूल्हा नहीं जला है । इसके लिये सरकार ने कोई आवश्यक वस्तु उपलब्ध नहीं करायी है और ना ही इसके लिये कोई व्यवस्था ही की है । सरकार ने अविवेकपूर्ण ढंग से अंधाधुन्ध गिरफ्तारियां की हैं । साथ ही यह भी पता चला है कि वहां पर कुछ मकानों की तलाशियां ली गयीं जिसमें से बहुत बड़ी मात्रा में अग्नेयास्त्र मिले हैं । यह किस कारण से अग्नेयास्त्र जमा किये गये थे और यह किस मानसिकता का परिणाम है, सरकार को इस बात को भी देखना होगा ।

इसके साथ ही मैं कार्यस्थगन की ग्राह्यता पर बल देता हूं कि लखनऊ जैसे संवेदनशील शहर में ऐसी घटना है, इसमें कोई चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अगर उसकी साजिश इसके पीछे है, इसकी जांच न्यायालय के द्वारा करायी जानी चाहिये थी, सरकार ने यह भी नहीं किया । वहां पर आज भी करफ्यू लगा हुआ है, चारों तरफ पुलिस के बूटों की आवाज है, दहशत का वातावरण बना हुआ है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि आज सदन का कार्य रोक कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

*श्री मुईद अहमद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो लखनऊ में 28 तारीख की रात में जो दंगा हुआ और उसे यहां पर सदन में कार्यस्थगन के जरिये से उठाया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और लोकमहत्व का है। आज से दस साल पहले जब जनता पार्टी की सरकार थी तब इसी तरह से शिया और सुन्नी का दंगा हुआ था। ये लोग दंगा कराते हैं। इनके जो केन्द्रीय मंत्री इस समय हैं, इसी मुद्दे को लेकर उनका इस्तीफा हुआ था। यह खुले रूप से पुलिस की लापरवाही का कारण है, पुलिस की अक्षमता का कारण है, अदूरदर्शिता का कारण है। इसमें दूरदर्शिता की कमी रही। जुलूस के संबंध में एनाउन्समेन्ट होता रहा। पुलिस जब निकली थी तो उसे पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये थी। एक तरफ तो पुलिस ने, शासन ने जुलूस पर प्रतिबन्ध घोषित कर दिया। इस पर से असामाजिक तत्वों ने बदनियती से पथराव किया। अगर पुलिस खड़ी थी तो उसने इन लोगों को हटाया क्यों नहीं ? यह पुलिस की अक्षमता रही। पुलिस ने यह नहीं किया कि उन लोगों से कहती कि तुम लोग बदनियती से क्यों यह कर रहे हो। पहले पुलिस खड़ी रही और जब पथराव हो गये तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई।

यह सत्य है कि यहां के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी एस0 एस0 पी0 उसको ला एण्ड आर्डर से मतलब नहीं है। क्यों इतनी हत्यायें हो रही हैं, क्यों इतनी डकैतियां पड़ रही हैं, स्कूटर छीन ले रहे हैं ? केवल मकान खाली कराने और उस पर कब्जा दिलाने का ही काम एस0 एस0 पी0 का रह गया है।

यह दंगा जनता पार्टी ने करवाया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ, मामला संगीन है, पुलिस की लापरवाही अक्षमता, अकर्मण्यता का यह द्योतक है। लोगों का माल लूट लिया गया है। आज भी दंगाग्रस्त क्षेत्र में करफ्यू लगा हुआ है, वहां खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तु नहीं पहुंच पा रही है। इसलिये मेरा कहना है कि आज काम रोक कर इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सदन में चर्चा करा दें।

श्री इन्द्रेश विक्रम—

मान्यवर, इस विषय पर मेरे पूर्व के दो वक्ताओं ने जो विचार रखे हैं, लखनऊ में 28-6-90 को हुए दंगे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निश्चित ही सरकार की लापरवाही और अक्षमता की यह द्योतक है। आज हमारा पूरा प्रदेश राजनीति अराजकता के दुष्चक्र में फंस गया है और फंसता ही जा रहा है। एक बात आवश्यक हो सकती है कि सत्ता पक्ष में जो साथी बैठे हैं उनकी यह मंशा न हो अतः वह इसका मूल्यांकन करें। आज पूरा प्रदेश अराजकता से ग्रस्त है, कानून और व्यवस्था की बात नहीं रह गयी है इसलिये हमें उन कारणों पर विचार करना चाहिये जिनके कारण आज इतनी अराजकता बढ़ रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप सदन के कार्य को रोक कर इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर चर्चा करा दें।

*श्री बसंत लाल गुप्ता—

मान्यवर, यह जो घटना हुई है, मेरे घर से मिली हुई है। मान्यवर, मुझे जब बतलाया गया, अगर उसी समय अधिकारियों ने अपनी सूझ बूझ का परिचय दिया होता, तो यह घटना न होती। यह आश्चर्य की बात है कि समाचार पत्रों में घोषित किया गया था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि वह अपना जुलूस निकालेंगे और उसकी लाउड स्पीकर से सूचना दी गयी, लेकिन हमारे किसी अधिकारी ने उसकी चिन्ता नहीं की और जुलूस निकाला गया और शान्तिपूर्ण ढंग से निकला । जुलूस पर पथराव हुआ और वह पथराव एक घन्टे तक होता रहा, लेकिन पुलिस अधिकारी वहां पर कोई नहीं पहुंचा और जब पुलिस के अधिकारी पहुंचे तो उसकी सूचना मैंने दी थी कि गोलियां चल रही हैं और पुलिस को कोई व्यवस्था नहीं है । यह एक षडयन्त्र है, जो शान्तिपूर्ण वातावरण को विघ्न पहुंचा रहा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें और माननीय सदस्यों की एक समिति बना दें और इसकी जांच करा दें, जिससे जो अधिकारी दोषी हैं, उनको दंडित किया जा सके ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, शासन और प्रशासन के लिये यह बड़े दुख की बात है कि पुलिस को इतने बड़े काण्ड की खबर एक घन्टे के बाद मिलती है । मान्यवर, बकरा ईद का त्योहार आने वाला है और वहां पर आज भी आतंक का वातावरण बना हुआ है, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जैसा अभी कहा गया है खाद्यान्नों की कमी हो गयी है, लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप सदन की सारी कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें ।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

मान्यवर, 40 वर्षों के बाद आज भी...

*लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

क्या इस पर चर्चा शुरू हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

ग्राह्यता पर अंतिम है । (व्यवधान)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

मान्यवर, जो नेता सदन थे, उन्होंने अल्पसंख्यकों पर विश्वास किया, लेकिन आज अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं । 28 तारीख को लखनऊ के सआदतगंज क्षेत्र इसी राजधानी में इस सरकार की निगाह के नीचे कत्ले आम हुआ । इनके अनुसार एक आदमी की मृत्यु हुई है और अन्य सूत्रों के अनुसार अनेक लोग मारे गये । हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है । घर-घर में घुस कर अल्पसंख्यक औरतों का अपमान पी0 ए0 सी0 द्वारा किया गया है । बकरा-ईद का मौका है । मुझे उम्मीद नहीं है कि सआदतगंज क्षेत्र के अल्पसंख्यक बकरा-ईद पर आज़ाद वातावरण में ईद की नमाज अदा कर पायेंगे सरकार को शर्म आनी चाहिए । आगरा में इस सरकार द्वारा जातिवाद के आधार पर संघर्ष हुआ है । लखनऊ में एक ही मजहब के दो वर्ग के लोगों में इस सरकार ने संघर्ष करा दिया है । सरकार को आपसी सौहार्द का वातावरण बनाना चाहये था । मेरा आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करा दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, प्रदेश में जिस समय आगरा में घटी दुखद घटना के संबंध में चिन्ता व्याप्त थी, 28 तारीख को लखनऊ में, राजधानी में तथा सारे प्रदेश में दहशत व्याप्त हो गई। इस सदन को और पूरे देश को जानकारी है कि शिया-सुन्नी सम्प्रदाय के बीच में इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण कई बार उपस्थित हो चुके हैं। मान्यवर, इसी संदर्भ में परसों एक अन्तराष्ट्रीय त्योहार इस अल्पसंख्यक वर्ग का है उस समय लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से में ऐसी दुर्घटना हो जाय तो और भी महान चिन्ता का विषय है। यह दुर्घटना शासन के संज्ञान में थी। इन पर कैसे रोक लगे। यह केवल शिया-सुन्नी का प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है। जहां भी ऐसी घटनायें घटती हैं, पुलिस की कार्यवाही प्रकाश में आती है। कहीं बम मिलते हैं कहीं घातक हथियार मिलते हैं जिसकी वजह से वाद-विवादों में इस तरह के घातक हथियारों का प्रयोग हो रहा है। मान्यवर, अभी कुछ दिनों पूर्व इसी संदर्भ में इलाहाबाद के बारे में यहां पर चर्चा हुई थी और यह बताया गया था कि इस तरह की घटनाओं में घातक हथियार और बम इकठ्ठा हो रहे हैं और सरकारी व्यवस्था धाराशाही होती चली आ रही है। इसलिए मान्यवर, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैं अपने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बल देते हुये आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इससे ज्यादा लोक महत्व और अविलम्बनीय सूचना कोई और नहीं हो सकती इस पर कार्यवाही रोक कर आप चर्चा करा दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यहां पर 28 तारीख की रात में एक दुखद घटना हो गई जिस पर माननीय सदस्यों की चिन्ता भी स्वाभाविक है। श्रीमन्, यह गंभीर चिन्ता की बात है। ऐसी घटनायें न हों। इस पर सम्मानित सदस्यों का विचार भी आना चाहिए। सरकार के लिये शर्म की बात है, सरकार को डूब मरना चाहिए, यह कहना माननीय सदस्यों के लिये काफी नहीं है। यह हम सब की जिम्मेदारी है। जितने जन प्रतिनिधि हैं सब की जिम्मेदारी है। कैसे साम्प्रदायिक सद्भाव बने। यह केवल शिया-सुन्नी या हिन्दू मुसलमानों के आपस में लड़ने की बात नहीं है। मुझे खुशी है कि माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी को शिया-सुन्नी के दंगों से दर्द है। (व्यवधान) मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं और आपकी तारीफ कर रहा हूं। मान्यवर, यह दुखद घटना चिन्ताजनक है। लेकिन इसके साथ ही साथ जहां सरकार के लिये शर्म की बात कही गई, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि शायद ही कभी लखनऊ में इतनी जल्दी नियंत्रण पाया गया हो, जैसे इस समय किया गया है। मान्यवर, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सरकार वहां से कर्फ्यू उठाने पर विचार कर रही है और इस बात की पूरी कोशिक हो रही है कि परसों वहां पर कर्फ्यू न रहे।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस घटना में किसी का दोष पाया गया, सरकारी मशीनरी उसको देखेगी। ऐसे मसलों को राजनीतिक मोड़ नहीं दिया जायेगा। यह समाज का जहर है। कैसे यह कम हो, इस पर हम विचार करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरी शक्ति के साथ शासन इस पर लगा हुआ है। स्थिति नियंत्रण में है। कर्फ्यू उठाने पर हम विचार कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर, चर्चा तो अनौपचारिक रूप से इस विषय पर यहां पर कर ली गई है किन्तु नियम 56 के तहत यह नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना श्री राम बचन यादव, श्री राम कुमार शुक्ल तथा श्री कासिम अली की है ... (अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

मान्यवर, 28 तारीख की रात्रि में मेरठ कोआपरेटिव बैंक के चौराहे पर अपने पुलिस कर्मियों के साथ सी0 ओ0 श्री श्याम सिंह यादव स्कूटर वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। उसी बीच एक व्यापारी नेता श्री के0 पी0 सिंह अपने वाहन पर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनके कागज देखे। (समय 2 बजकर 20 मिनट पर) सी0 ओ0 श्याम सिंह यादव ने कागज स्वयं देखे और कागज देखने के बाद कहा ठीक है लेकिन प्लेट पर नम्बर नहीं लिखा गया है। व्यापारी ने कहा कि मैं स्कूटर को अभी डेंटिंग पेंटिंग कराके ला रहा हूं और इस पर अभी नम्बर लिखा लूंगा आप चैसिस नम्बर चैक कर लें इस पर वह बिगड़ गया कहा कि "साला बहस करता है इसका स्कूटर बंद कर दो इसको भी बंद कर दो।" इस पर व्यापारी ने कहा "मुझे बन्द नहीं कर सकते हैं।" यह सुन कर सी0 ओ0 श्याम सिंह यादव ने सिपाही से रायफल लेकर उसके बट से मारना शुरू कर दिया इसका परिणाम हुआ कि वहां पर जो पुलिस के अन्य 7 कर्मचारी बैठे थे उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया मारते-मारते उसे लहू लुहान कर दिया और वह व्यापारी सड़क पर गिर गया। वहां से व्यापार संघ का मंत्री गुजरा तो उसने देखा तो कहा "यह क्या हो रहा है यह तो हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं।" उसके बाद अन्य व्यापारी वहां पहुंच गये तो वे एस0 पी0 सिटी के पास पहुंचे और उस व्यापारी को उठाकर चिकित्सा के लिये अस्पताल ले गये। तब से आज 5 दिन हो गये हैं वहां का बाजार बंद है कचहरी में वहां के व्यापारी धरना दे रहे हैं।

आज सुबह ही संयुक्त व्यापार संघ की आपात बैठक होने जा रही है जिसमें वह संपूर्ण मेरठ बंद की बात कर रहे हैं। परसों बकरीद का त्यौहार है, मेरठ जैसे संवेदनशील शहर में इसका क्या असर होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहां की जनता की मांग है कि इस मामले की जांच कराई जाय और सी0 ओ0 तथा अन्य जो दोषी हैं उनको निलम्बित किया जाय। एफ0 आई0 आर0 लिखने के 24 घंटे के अंदर जिला प्रशासन ने कार्यवाही करने की बात की थी लेकिन अभी तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि श्याम सिंह यादव सी0 ओ0 जिसे जिला प्रशासन दोषी मानता है उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाय। मेरठ में आज अशांत स्थिति है उसे नियंत्रण करने के लिये प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्यप्रकाश विकल—

मान्यवर, आज पुलिस में जिस प्रकार से निरंकुशता, क्रूरता और बर्बरता बढ़ती जा रही है उसका यह एक और उदाहरण है, मेरठ की घटना एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी जैसा मेरे साथी डा0 बाजपेयी जी ने बताया कि वहां पर वाहनों की चैकिंग हो रही थी 28 जून की रात को श्री के0 पी0 सिंह जो वहां व्यापार मंडल के नेता हैं वहां से स्कूटर पर गुजरे तो उनको भी रोका गया। उन्होंने अपने स्कूटर के सारे कागजात दिखा दिये, चौसस वगैरह सब मिला ली गयी सब ठीक था। लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन के हाथ में जब खुजली मचती है तो जब तक वह किसी को पीट न दें, किसी पर जुल्म न कर लें उनको चैन नहीं पड़ता है। उन्होंने उस व्यापारी को सिर्फ यह कहने पर कि मुझे आप थाने ले जा सकते। मार-मार कर लहू-लुहान कर दिया उनके यह कहने पर कि मुझे बंद करने के लिए क्यों ले जा रहे हैं पुलिस वाले बिगड़ गये। राइफल की बटों से उनको मारा गया।

आज इस घटना से मेरठ की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है वहां बाजार बंद पड़ा है और अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा व्यापारियों ने की है लेकिन वहां का जिला प्रशासन समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा है। वहां के सी0 ओ0 श्याम सिंह यादव तथा अन्य पुलिस वालों ने जो बर्बर और गलत काम किया है इसको जानते हुए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। वाहन चैकिंग के नाम पर हर जाति और हर वर्ग के लोगों को वहां सताया जा रहा है। आज वहां पुलिस नंगा नाच कर रही है जिसको देख कर शर्म आती है पुलिस लोगों को नंगा कर चौराहों में पीट रही है। आज एक तरह से पुलिस राज्य प्रदेश में कायम हो गया है। मेरठ संवेदनशील शहर है और बकरीद का त्योहार निकट है। इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिये हमारी मांग है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष—

दूसरा, श्री जयराज गौतम जी का जनपद सुल्तानपुर में तीन भाईयों की हत्या के बारे में है।

श्री जयराज गौतम—

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, 28/29 जून की रात में ग्राम महाराजगंज विकास खंड जामू, संसदीय क्षेत्र अमेठी में 3 भाईयों गिरजा शंकर शुक्ल, उमादत्त शुक्ल और श्री देवेदत्त शुक्ल की निर्मम हत्या कर दी जिसके कारण पूरे क्षेत्र में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। श्रीमन्, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है, इसलिये आग्रह है कि इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करा दें।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 20 जून, 1990 को गांव बंगालीपुर, थाना राहनिया, जनपद वाराणसी में गंगा निवासी ग्राम नाथूपुर, थाना मड़वा डीह, और दूसरा व्यक्ति श्री लल्लू, निवासी गांव सुरसी, जिला मिर्जापुर, थाना चुनार के हैं जो प्रातः शौच करके स्नान करने जा रहे थे, तभी पुलिस वहां पहुंची और दौड़ाकर इन दोनों को पकड़ लिया। उसके बाद राजा तालाब की पुलिस चौकी के इंचार्ज शुक्ला और थाना राहनिया के

इंचार्ज श्री जयदेव सिंह तोमर पूरी पुलिस के साथ, इन दोनों को लगभग सबेरे 9.30 बजे टोडरपुर गांव में कन्या प्राइमरी पाठशाला के पास महुआ के पेड़ खड़ा करके, पुलिस ने आम के नीचे जनता के सामने गोलियों से भून डाला और उठा ले गये। इस घटना से पूरे उस क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। यदि पुलिस की बातें मान ली जाय कि वे अपराधी थे तो कानून यह नहीं कहता कि उन्हें सरे आम गोली से उड़ा दिया जाये।

मान्यवर, उनके खिलाफ कभी ऐसा मुकदमा नहीं हुआ है जिसमें वह सजा पाये हों भले ही पुलिस ने मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी हों। मान्यवर, पुलिस ने बयान दिया है कि यह लोग पेट्रोल पम्प पर जबरदस्ती रुपया वसूल कर रहे थे। श्रीमन्, गंगा को पुलिस ने जब पकड़ा तो उसके शरीर पर बनियाइन और लुंगी थी, तो क्या वह ऐसे कपड़ों में पेट्रोल पम्प पर रुपया वसूल सकते थे। इसलिये सारी घटना मनगंढत पुलिस ने बनायी है।

मान्यवर, उक्त घटना के 2-3 दिनों बाद श्री उमेश शुक्ला को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर गोली से मारकर हत्या कर दी गयी। इस प्रकार की घटनायें वाराणसी में बढ़ती जा रही हैं, इसलये मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर आप चर्चा करायें।

श्री उदल—

श्रीमन्, यह जो घटना जिसका वर्णन अभी श्री राज किशोर सिंह जी ने किया है, उसमें मेरा भी नाम है और मैं कहना चाहता हूं कि 20 जून, 90 को गंगा और लल्लू को दिन में प्रातः 8.30 बजे पुलिस ने यह लिखा दिया है कि यह लोग पेट्रोल पम्प लूटने की योजना बना रहे थे और इसलिये इनको पकड़ा और 10.30 बजे प्रातः टोडरपुर गांव में महुआ के पेड़ में बांधकर गोली से उड़ा दिया। मान्यवर, इसको आप स्वीकार करेंगे नहीं, इसलिये मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस घटना की जांच अनुसंधान विभाग, उ0 प्र0 से करवा दें कि यह इंकाउन्टर फर्जी है, क्या मंत्री जी जांच करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अन्य सूचनायें श्री रमापति शास्त्री की सूचना वाराणसी के श्री साहेब सिंह की, रोडवेज चौकी इंचार्ज द्वारा हत्या किये जाने के संबंध में। 7—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की सूचना—जनपद मऊ के संयुक्त चिकित्सालय में एक्स-रे की मशीन न होने के संबंध में है।

श्री कुंवर सिंह नेगी की सूचना निरस्त कर दी गई। नवीं, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय की सूचना जिला अस्पताल गोंडा में डाक्टरों और अस्पताल कर्मियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण जनजीवन में व्याप्त रोष के संबंध में और दसवीं श्री शिवदर्शन की सूचना ग्राम बसंतपुर, सकतपुर, तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली में चकबंदी का कार्य-स्थगन करने के संबंध में है, इसमें से जो प्रथम सूचना है दिनांक 28-6-90 की रात में लखनऊ की सआदतगंज बस्ती में शिया-सुन्नी दंगे में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा कई लोगों के घायल होने के संबंध में, इस पर मैं शासन को निर्देशित करता हूं वह वक्तव्य दें और अन्य अंतिम पांच सूचनाएं शासन के पास ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

पहली वाली में इतनी चर्चा ही हो गई है, अब उसमें चर्चा की क्या आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अन्य सूचनाएं अस्वीकृत की गई ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

श्रीमन्, शाहजहांपुर में बिल्कुल कानून व्यवस्था समाप्त है । वहां पर जघन्य काण्ड हो रहे हैं (व्यवधान) ज्ञानदेव हिन्दु का इतना बड़ा काण्ड पुलिस की लापरवाही से जो हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मेरठ की घटना पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा । उन्होंने न उत्तर दिया और आपने भी उस पर कुछ नहीं कहा । बहुत अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण यह घटना है ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

(कोई कागज हाथ में लहराते हुए) मान्यवर, आप यह फोटो देखें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उसे मैंने रोक दिया है । मैंने कहा कि समाचार-पत्रों को लेकर वह यहां इस तरह कुछ न कहें । यह न दिखाया जाए ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

कहीं यह मेरठ का बन्द अनिश्चितकालीन हो गया तो वहां की कौन जिम्मेदारी लेगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने भाई शासन का ध्यान तो आकर्षित कर दिया है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य (कांग्रेस पक्ष)—

मैं यहां एक बहुत आवश्यक सूचना सदन को देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने दी कहां है कोई सूचना आवश्यक थी तो उसे आपको देना चाहिए था ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

मान्यवर, आप हमारे वाले मामले में अपराध अनुसंधान शाखा से जांच करवा दीजिए । यह नियमों के विरुद्ध नहीं है । इतना ही मैं चाहता हूं ।

श्री राज किशोर सिंह—

केवल आप जांच करवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय ऊदल जी से निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) आपका शासन के ध्यान आकर्षणार्थ भेज दिया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

(व्यवधान) आप इतने बड़े काण्ड के मामले में कम से कम जांच के आदेश तो दे दें । वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरशरण विद्यार्थी—

आगरा में 19 लोग आज भी लापता हैं, पनवाड़ी गांव में । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि जो 19 लोग गायब हैं, वहां जो गम्भीर स्थिति है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सभी सूचनाएं अस्वीकृत की गईं ।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मेरठ के मामले में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कुछ प्रकाश डलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उन्हें निर्देशित नहीं कर सकता हूं कि आप आश्वासन दे दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के बारे में जो निर्धारित प्रक्रिया है उससे अलग होकर आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं नियमावली के विरुद्ध कैसे जा सकता हूं।

(संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, विकल जी ने और बाजपेई जी ने जिनके दुर्व्यवहार के संबंध में कहा तो वहां के डी0 आई0 जी0 से जांच करवा ली जायेगी।

श्री मयंकर सिंह—

मान्यवर, चीनी मिल में एक श्रमिक अनशन करते हुए मर गया। जब ऐसा होता है तो यह राष्ट्रीय महत्व की घटना हो जाती है। मान्यवर, यह एक अत्यन्त लोक महत्व की सूचना है।

श्री अध्यक्ष—

मैं 10 की जगह और सूचना नहीं ले सकता हूं। आप अपने दल के नेता को भेजकर तय करवा लें तो और सूचनाएं ले लूंगा।

श्री सरजू प्रसाद सोनकर, क्षेत्राधिकारी पुलिस के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अरविन्द कुमार—

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त विधायकगण, आज पुलिस का जो बर्बर अत्याचार है उसके खिलाफ मैं एक उदाहरण पेश करे रहा हूं। मान्यवर, ललितपुर जनपद में दुकानों को लूटा गया। वहां पर श्री सरजू प्रसाद सोनकर, सी0 ओ0 हैं, उनके अपने थाने बंधे हुए हैं। उनका वहां प्रत्येक थाने पर बीस हजार रुपया महीना बंधा हुआ है। इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की गयी है। मान्यवर, इसकी लिखित सूचना भेजे जाने के उपरान्त भी आज तक कोई उत्तर नहीं मिला है और न ही उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है। मान्यवर, उन्होंने मेरे एक रिश्तेदार से दस हजार रुपये लिये।

दूसरी घटना मान्यवर, पंडित रामानन्द के यहां बारात आयी, उसको लुटवा दिया। उसमें लाखों रुपयों की चोरी हुई। तमाम लोग अस्पताल में भर्ती रहे।

मान्यवर, एक घटना और है, एक रिक्शे वाले को मारा गया। मान्यवर, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, शासन के ऊपर भी पुलिस डंडा बरसा रही है। मान्यवर, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनके मरणोपरान्त गार्ड आफ आनर नहीं दिया। उसके लिए मैंने आपको रिपोर्ट दी।

एक और केस हुआ, कुछ गुण्डों को हमारे घर भेज दिया हमें जगाया और हमें जैसे कपड़ों में लेटा था, मुझे गालियां दीं। उन्होंने कहा कि हमारी तेरह साल की सर्विस है और तमाम विधायकों से निपट चुका हूं, जो गालियां मान्यवर, दी गईं वह कही नहीं जा सकती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप विधायकों से निपट चुके हों, या

किसी से निपट चुके हैं यह अलग बात है । प्रजातन्त्र में हरेक इंसान की इज्जत है । पुलिस का इस तरह से रवैया है मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, एम0 एल0 ए0 हूं अगर मेरी इज्जत और सुरक्षा नहीं है तो किसी विधायक की सुरक्षा नहीं रह सकती है, यह मेरी सुरक्षा का ही नहीं सभी विधायकों की सुरक्षा और इज्जत का सवाल है ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी नेता सदन हैं, हमारे कल्यान सिंह जी नेता हैं यह विराजे हैं, लेकिन जहां तक प्रजातन्त्र का सवाल है मुख्य मंत्री जी हमसे बड़े नहीं हैं कल्यान सिंह जी हमसे बड़े नहीं हैं अगर हमारी इज्जत जाती है तो प्रत्येक की इज्जत जाती है । अगर इन दुर्दान्तों के ऊपर केस नहीं चलाया गया, इनको दंडित नहीं किया गया तो शासन की छवि धूमिल होगी, शासन में जनता तब्दीली लाई है जिस जनता ने हमको आपको यहां चुनकर भेजा है वह हमको कोसेगी आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी । ऐसे लोगों पर कार्यवाही होना आवश्यक है । हमने 20 तारीख को दरख्वास्त भेजी है, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई उत्तर हमको नहीं मिला है । मैं श्रीमान् अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को बुलाकर सुना जाए और उस पर कार्यवाही की जाए । यह हमारी इज्जत का सवाल है यह सिर्फ हमारी ही पुकार नहीं है यह 80 करोड़ जनता की पुकार है आज किसी की इज्जत और सुरक्षा नहीं रह गई है । यह लोग मां-बहनों को परेशान करते हैं जिस तरह से यह पुलिस अत्याचार कर रही है, इसका अत्याचार बढ़ रहा है उसको कहा नहीं जा सकता है अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति खराब हो सकती है इनके अत्याचार और बढ़ सकते हैं । मेरा अनुरोध है कि सी0 ओ0 को निलम्बित किया जाए और कार्यवाही की जाए । अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है वहां झगड़ा बढ़े । मैं नया विधायक जरूर हूं लेकिन मेरी तीस साल पुरानी प्रैक्टिस है और मैं वहां का पुराना आदमी हूं, तो हो सकता है, वहां झगड़ा हो । क्योंकि वहां की जनता में रोष व्याप्त है । इसलिए मान्यवर, उसको वहां से हटाया जाए और निलम्बित किया जाए । हमारी मांग है कि इस मामले की शीघ्र जांच कराएं अगर जांच नहीं होती है तो हमें दुख होगा प्रदेश की जनता को दुख होगा ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय अरविंद कुमार ने अपने दिल की व्यथा सुनायी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित कर रहा हूं ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि शासन की ओर से, जब कभी ऐसे प्रश्न आयें तुरंत कार्यवाही करनी चाहिये । माननीय सदस्यों का सम्मान सुरक्षित रह सके इसलिये वह क्या करेंगे ? उनकी व्यथा सुनने के बाद शासन क्या करने जा रहा है ?

लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, भा0 ज0 पा0 नेता हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और नियमों के जानकार हैं । इस संम्बंध में विशेषाधिकार की सूचना मिली है । मान्यवर, शासन पहले भी कह चुका है और आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों का सम्मान हमारे लिये सर्वोपरि है । उनके सम्मान की रक्षा हर तरह से की जायगी । लेकिन उन्होंने

यह जो विशेषाधिकार का मामला दिया है उस पर आपको निर्णय देना है जो आपका निर्णय होगा वह हमें स्वीकार होगा ।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप किस विषय पर बोल रहे हैं । आपका व्यवस्था का प्रश्न किस विषय पर है ?

विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, मुझे गोली से मारा जायेगा उसके बाद सदन देखेगा तभी क्या कुछ होगा ?

मान्यवर, मैंने 26 तारीख को आपको सूचना दी थी विशेषाधिकार हनन की, वह तो आपने पता नहीं कहां रख दिया और न मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन आज एक घंटे पहले जो सूचना आपको मिली उस पर आपने माननीय सदस्य को सुन लिया । मेरे यहां निर्वाचन क्षेत्र चायल इलाहाबाद के चौकी इंचार्ज भरवारी शम्भूनाथ शुक्ला मुझे मार डालना चाहता है । आज भी वह घर को घेरता है । मेरी जान माल की सरक्षा की जाय । 27-4 को मेरे सामने घटना घटी मैं विस्तार से बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि सदन का समय नष्ट होगा । चौकी का इंचार्ज खुले आम खुली रिवाल्वर लेकर मुझे और भरवारी के चेयरमैन को गाली दिया । मेरी गाड़ी पर डंडा पटका । वह खुले आम कहता है कि चेयरमैन और विधायक को देख लूंगा । वह मेरे घर के आसपास बना रह कर बराबर धमकी देता है । मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डी0 एम0 इलाहाबाद को लिख कर दिया । यहां सदन में भी मैंने विशेषाधिकार का मामला दिया है । मैंने यह भी कहा है कि इस बीच कोई घटना घट गयी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और आपके ऊपर होगी क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं । मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर आप व्यवस्था दें, सरकार का इस पर वक्तव्य आये और आप मंत्री जी से स्पष्टीकरण दिलवा दीजिये कि चौकी इंचार्ज के विरुद्ध क्या हो रहा है तथा मेरी सुरक्षा की व्यवस्था कराएं ।

श्री अध्यक्ष—

अभी माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया, उस संबंध में जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है, उसका मैं परीक्षण कराकर 2 दिन बाद निर्णय दे दूंगा । जहां तक माननीय सदस्य की सुरक्षा का प्रश्न है, शासन की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया है और मेरी भी इच्छा है और मैं निर्देशित करूंगा कि विशेषकर माननीय सदस्यों की सुरक्षा और सम्मान की ओर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए ।

*श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने अपनी कथा सुनायी और आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि किसी भी सम्मानित सदस्य का सम्मान गिरने नहीं पायेगा । मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अभी माननीय अरविंद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुमार से अपनी सारी व्यथा भरी कथा सुनायी । स्वाभाविक है कि वह शुक्रवार को यहां से जायेंगे और शनिवार को घर पहुंचेगें । यह सारी घटना अखबार में छपेगी और सी0 ओ0 सोनकर जिसका दिमाग इतना खराब है कि वह विधायक के साथ गाली-गलौज कर सकता है तो मेरी आशंका है कि इनके घर जाने पर इनके साथ वहां मारपीट की घटना घटित हो सकती है । इसलिये मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि वास्तव में यदि गम्भीर है, सभी सम्मानित सदस्यों के सम्मान की रक्षा के लिये तो ट्रांसफर कोई पनिशमेन्ट नहीं है । सी0 ओ0, सोनकर को तत्काल जिले से बाहर स्थानान्तरित करने का आदेश दें क्योंकि यह मामला तूल पकड़ जायगा और बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है । मैं निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि सदन में मंत्री जी घोषणा करें ताकि अरविन्द कुमार ही नहीं जितने हमारे विधायक हैं उनको यह आभास हो सके कि विधायकों के सम्मान के प्रति यह शासन संवेदनशीलता से विचार कर रहा है ।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको अपनी संक्षिप्त में पूरी बात बता दी, संक्षिप्त आपने अपनी कोई व्यवस्था नहीं दी । मान्यवर, आज भी हमको चौकी इंचार्ज खुले आम धमकी दे रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

तो मैं क्या करूं, मैं चलूं आपके घर ।

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, आज भी वहां पर वह चौकी इंचार्ज बना हुआ है । मेरे साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए मैंने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है और शासन की ओर से माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने आश्वस्त भी कर दिया है ।

(विपक्ष से कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

(श्री राम शरण दास के खड़े होने पर)

डाक्टर दिनेश जौहरी—

पहले उस सी0 ओ0 का ट्रांसफर करा दीजिए ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर सी0 ओ0 के ट्रांसफर की मांग करने लगे ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अभी थोड़ी देर पहले आपके सभी माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे थे कि माननीय सदस्य की बात सुन लें, माननीय सदस्य की बात सुन ली गयी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन भी दिया कि माननीय सदस्यों के सम्मान की सुरक्षा की जायेगी ।

(व्यवधान)

मैंने स्वयं निर्देश दिया कि प्रत्येक माननीय सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय ।

(व्यवधान)

आप निश्चित रूप से मेरे कक्ष में आ जायें, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला लूंगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बुला लूंगा । इस बारे में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा ।

डाक्टर दिनेश जैहरी—

आज ही बुलायेंगे ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि छोटी सी मांग है, उसे देख लें ।

लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, सदन की कुछ मर्यादा रहनी चाहिये । मान्यवर, मैंने कहा कि माननीय सदस्यों की मर्यादा का ध्यान दिया जायेगा । इसमें कार्यवाही हमको करनी है । इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दबाव नहीं देना चाहिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तेजना आपकी निरर्थक है ।

(व्यवधान)

जब हम लोगों ने उसे गम्भीरता से ले लिया, तो उसमें आपको विश्वास करना चाहिए ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत), अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-86 सहायता एवं पुनर्वास विभाग

*गन्ना विकास एवं राजस्व मंत्री (श्री रामशरण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,46,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,02,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यकता धनराशि के पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,11,59,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(इस समय 2 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र त्रिपाठी पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, यह राजस्व विभाग, राजस्व प्रशासन, राज्य प्रशासन का सबसे पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जिसका सीधा संबंध ग्रामीण जनता से है । मान्यवर, प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत जनता की आबादी गांवों में निवास करती है जिसका भरण पोषक और जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है । कृषि भूमि से संबंधित कानून राजस्व विभाग के ही प्रशासकीय नियंत्रण में है । मान्यवर, लेखपाल राजस्व विभाग में सबसे छोटी कड़ी है । इस कड़ी के रूप में यह ग्रामीणों के कार्य-कलापों से जुड़ा हुआ है । लेखपाल के स्तर से लेकर जनपद के जिलाधिकारी स्तर तक का मुख्य कार्य ग्रामीण जनता की मुख्य समस्याओं से ही संबंधित है । इस प्रकार ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को सुधारने में और उनका आर्थिक विकास करने में राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

मान्यवर, इस राजस्व विभाग के कई अंग हैं । राजस्व परिषद्, चकबन्दी निदेशालय, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राहत एवं पुनर्वासन, राज्य जिला गजेटियर विभाग । मान्यवर, राजस्व परिषद् का मुख्य कार्य जिला और मंडलीय प्रशासन पर नियंत्रण करना और लेखपाल से तहसीलदार तक की सेवा संबंधी मामलों में शासन की नीति के अनुसार कार्य करना है । कृषि भूमि सुधार को प्रदेश में कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना, भूमि अध्याप्ति संरक्षण अभिलेखों का . .

श्री धर्मपाल (बहराइच)—

मान्यवर, सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री बाबू राम यादव—

यह ध्वनि व्यवस्था तो आपकी ही देन है ।

श्री राम शरण—

मान्यवर, राजस्व परिषद्, जो राजस्व विवाद हैं, उनके निस्तारण के लिये सर्वोच्च न्यायालय का काम करता है । मान्यवर, राजस्व विभाग को सुदृढ़ करने के लिये

प्रदेश में 6 जनपदों, 30 तहसीलों और 2 उप तहसीलों का गठन पिछली सरकार द्वारा किया गया था । मान्यवर, इस वर्ष प्रदेश में 63 जनपद हैं, 294 तहसीलें हैं और 10 उप तहसीलें हैं । मा0 सदस्यों के माध्यम से रोज दिनों दिन नये जिले, तहसील या मांडल बनाए जाने की मांगे आती हैं । यहां पर सदन में भी मामला प्रश्नों के माध्यम से उठाया जाता है । मान्यवर, उन सभी विद्वान साथियों से निवेदन करूंगा कि 30 जून, 1991 तक अब इन सब मांगों पर विचार नहीं किया जायगा क्योंकि भारत सरकार की ओर से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जनगणना चल रही है । उसके बाद ही नये जिले आदि बनाने पर विचार किया जा सकेगा ।।

श्री धर्मपाल (बहराइच)—

मान्यवर, 51 कहा है या 91 ।

श्री राम शरण—

मान्यवर, यह बजट ऐसा है जिसमें कोई गलत बात मैं नहीं करना चाहता ऐसा न हो कि कोई गलत बात मुंह से निकल जाय और कार्यवाही का भाग बन जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

मा0 सदस्य आपस में बात न करें ।

श्री राम शरण—

मैं तो 91 कह रहा था । मैं 51 कह दूं तो कह देंगे कि पता नहीं क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, अपने वक्तव्य को पूरा करें ।

श्री राम शरण—

मान्यवर, इनको तो समझा दें । ये बुद्धिविहीन बैठ गये हैं । ये नेता विहीन, बुद्धि विहीन सभी तरफ से विहीन हैं । मान्यवर, मुझे क्या, टाइम पास हो जायगा । बजट तो पास हो ही जायगा ।

दिक्कत क्या है ? यह नेता विहीन है । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी यहां हैं नहीं । अरुण कुमार मुन्ना की, जो यहां गुट बैठा है, मानता हैं नहीं, क्योंकि इनका झगड़ा है । आगे जो प्रमोद तिवारी हैं इसको कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नेता तो यह है । अब दिक्कत तो यह है, इनके यहां इतना झगड़ा है, मैंने विरोधी दल में कभी इतना झगड़ा नहीं देखा है । यह तो दो फाट होने जा रहे हैं । या यह इधर टूटकर आ जायेंगे या मुन्ना इधर आ जायेंगे ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी अभी खड़े हुए हैं ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह तो शकुनी मामा हैं ।

श्री राम शरण—

मैं तो इनका फूफा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय प्रमोद तिवारी जी आप आपस में रिश्ते बाद में तय कीजियेगा । जो आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाह रहे हैं, उसमें आपको क्या कहना है ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, रिश्ता ऐसा है, यह हमने नहीं तय किया है, उस समय रणजीत सिंह जूदेव जी वाले मामले पर जो बात चली, माननीय अध्यक्ष जी उस पीठ पर बैठे हुये थे उन्होंने रिश्ता तय कर दिया, रूलिंग दे दी कि यह शकुनी मामा है । अब यह चाहे तो भी नहीं बदल सकते हैं । खैर, उन बातों को जाने द । अरे मामा मान जाओ । बोलने दो । मान्यवर, आपने देखा यह मामा कहने से बैठ गये इसका मतलब यह मामा है ।

श्री राम शरण—

मामा तो एक का हूं, फूफा अनेक का हूं, यह जो सामने बैठे हैं इनमें से ज्यादातर का फूफा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी बजट पर अपनी बात जारी रखें ।

श्री अमर मणि—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का भाषण सुनाई तो नहीं दे रहा है, कृपया उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मामा इसलिये कह रहे हैं, राजस्व विभाग में खसरा खतौनी हमेशा बदल होती है, इधर वालों के यह मामा हैं और उधर वालों के यह फूफा हैं ।

श्री राम शरण—

मैं तो इनका फूफा ही हूं । मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था . . .

श्री शिव करन सिंह—

आप सावन में आयेंगे या नहीं ?

श्री राम शरण—

तुम्हारी फूफी को लेने जरूर आऊंगा ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, आमतौर पर जो परिपाटी का चलन है, लड़के जब फूफा से मजाक करते हैं तो उसको मामा ही कहते हैं ।

श्री राम शरण—

मैं निवेदन कर रहा था । कटौती का प्रस्ताव शायद माननीय श्याम नारायण तिवारी जी रख रहे हैं यह तो ठीक आदमी हैं । मुझे तो गिला उनसे है । श्याम नारायण जी तो ठीक आदमी हैं और भाई धर्मपाल, बैठो भाई ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहती हूं कि हमारी बहनें यहां के मजाक में तो किसी नयी तहसील का निर्माण होगा और न किसी नये जिले का निर्माण होगा और न किसी कमिश्नरी का, चूंकि भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है । जनगणना समाप्त हो जायेगी हमारे जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुयी है, वह कमेटी उन आये हुए मामलों पर विचार करेगी, जब जनगणना की तारीख निकल जायेगी, उसके बाद दूध पिला देंगे, जैसा यह चाहते हैं। [XXX] मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने प्यारे भाइयों से . . .

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, इधर इनकी बहनें भी बैठी हैं ।

श्री राम शरण—

यह सियादुलारी से पता नहीं, मेरा क्या-क्या रिश्ता है ? यह स्वयं जानती हैं ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने बताया है कि एक माननीय सदस्या के साथ उनके तमाम रिश्ते हैं, अच्छा होगा कि आप सदन को भी अवगत करा दें ?

श्री राम शरण—

मान्यवर, इन्हें पता नहीं है । मेरी इनकी बहुत दिनों से पहचान है, यह भी बहुत दिनों से यहां हैं; और मैं भी बहुत दिनों से हूं ।

श्रीमती सियादुलारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहती हूं कि हमारी बहनें यहां के मजाक में भाग नहीं लेती हैं, वैसे माननीय मंत्री जी मेरे भाई लगते हैं ।

श्री राम शरण—

मान्यवर, मैंने तो इस बात से इन्कार नहीं किया न मैंने कुछ और कहा । बहन कह सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है ।

तो श्रीमन् यह प्रदेश इस देश की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है । मान्यवर, आजादी से पहले इस प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एक तरह से जमींदारों का राज था । आजादी के बाद पहले स्वर्गीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री बने और पंत जी ने जो लाठियां खाईं, वह एक-एक लाठी हजार-हजार बीघे के बराबर है, उन्होंने तो पंडित जवाहर लाल नेहरू तक को बचाया था, उस समय मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी भी उनके मंत्रिमंडल में शरीक थे । उस समय तक जमींदारों के शिकंजे में यहां

नोट : [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

का किसान बुरी तरह जकड़ा हुआ था, जब जमींदार ने चाहा, उसको बेदखल कर दिया, जब चाहा उसकी जमीन दूसरे को दे दी इस चीज को मान्यवर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस तरह से इस प्रदेश में जमींदारों का बोलबाला था। सबसे पहले सन् 50 में जमींदारी खात्मा कानून इसी सदन में पास हुआ था। यह हम लोगों पर उनका एहसान है, कि भूमि सुधार के लिये उन्होंने इतना बड़ा काम किया। आज प्रदेश का लाखों किसान जमीन के ऊपर मालिक की हैसियत से बैठा है। पहले तो जमींदार के कारिन्दे ही किसान को ठुकरा दिया करते थे। माननीय चौधरी चरण सिंह के जरिये, माननीय पंत जी के नेतृत्व में इतना बड़ा काम नहीं हुआ था, जिससे इस प्रदेश का किसान सदियों तक इनके गुण गाता रहेगा। हमें दोनों तरफ के लोगों को, उनका गुणगान करना चाहिए। हमारे प्रदेश में जो यह भूमि सुधार का काम हुआ है, इसकी मिसाल कहीं देश में नहीं मिलती है। मेरे क्षेत्र के बगल पर हरियाणा प्रदेश लगा हुआ है, वहां अभी भी जमींदारी का खात्मा नहीं हुआ है। बड़े-बड़े किसान वहां हैं। आज इस प्रदेश में बड़े किसान नहीं हैं। 1953 में चकबन्दी कानून पास हुआ। किसानों की जो जमीन बिखरी हुई थी, जिससे किसानों को बहुत असुविधा होती थी, इस कानून के बनने से उनको एक चेक मिल गया। 1960 में सीलिंग कानून पास किया गया। जो बड़ी जोत के किसान थे, उनसे जमीन निकली और जमींदारी खात्मा के बाद जो जमीन निकली, देहात में बंजड, ऊसर या जो जमीन बगैर खेती के पड़ी थी, जन-संख्या बढ़ती चली गई, इस जमीन को हरिजन लोगों में, जनजातियों में और निर्बल वर्ग के लोगों में बांट दी गई। सीलिंग से निकली जमीन को भी इसी तरह से बांट दिया गया।

आज इस प्रदेश का एक छोटा सा आदमी भी यह महसूस करने लगा है कि उसके पास 2 बीघा जमीन है। चकबन्दी 1954 में शुरू हुई। इस समय 56 जिलों में चकबन्दी का काम चल रहा है। शुरू में दो जिलों में यह काम पूरा हो चुका है, ये जिले हैं पीलीभीत व कानपुर देहात। प्रथम चरण में 126 तहसीलें ली गई और दूसरे चरण में 40 तहसीलें ले ली गई हैं। अब हम पहाड़ी क्षेत्रों में भी चकबन्दी चलाने जा रहे हैं। दो जिले हमने नमूने के तौर पर सलेक्ट भी कर लिये हैं। ये जिले हैं अल्मोड़ा और गढ़वाल। भ्रष्टाचार की बात आप कहेंगे। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं उससे भागने वाला नहीं हूं। अब गांव में छोटे किसान को एक एकड़ जमीन अच्छी मिल रही है। चकबन्दी से इस प्रकार के कई लाभ हैं। मान्यवर, खलिहान के लिये, स्कूल के लिये, आबादी के लिये, चरागाह के लिये पंचायत भवन के लिये जमीन छूटती है, उसमें पिछड़े वर्ग, हरिजन और जो गांवों में मजदूर रहते हैं उनको इसका आबंटन किया जाता है। प्रदेश में 1520 गांवों में अपनी इच्छा से लोगों ने चकबन्दी की है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। चूंकि सरकार, सरकार रहती है, जो गुनाह आपके टाइम में हुए होंगे, हमारे मत्थे पड़े हैं, कल कोई दूसरी सरकार आयेगी तो अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो वह उसके मत्थे पड़ेगी। पहले जिस गांव में 80 प्रतिशत जमीन अच्छी होती थी, तब उस गांव की चकबन्दी होती थी, इसके बाद 60 प्रतिशत पर आये, 60 प्रतिशत जमीन अच्छी होगी तो चकबन्दी होगी, फिर घटे 40 प्रतिशत पर आये, अगर 40 प्रतिशत जमीन अच्छी होगी तो चकबन्दी होगी, फिर 30 प्रतिशत पर आये। चकबन्दी में इतने परिवर्तन कर दिये गये हैं। अब तो सिवाय ऐसी जमीन जो नदियों के कटान

वगैरह की हो, वहां पर प्राब्लम आयेगी, बाकी में प्राब्लम नहीं आयेगी। जिसमें आप ज्यादा परेशान होंगे, मेरी भी परेशानी है। बाद में जब आपका भाषण सुनकर जवाब दूंगा तब निराकरण करूंगा। जो गांव सभा को मिली जमीन है 31 मार्च, 1990 तक कुल 8,74,976 हैक्टे0 भूमि है, जो कि 25 लाख 19 हजार 673 पात्र व्यक्तियों को दी गयी जिसमें 25,13,249 आबंटियों को 8,73,620 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर वास्तविक रूप से कब्जा दिला दिया गया है, 6379 आबंटियों को 1356 हैक्टेयर पर कब्जा दिलाना बाकी है। जो जमीन है उसकी यह स्थिति है।

श्री धर्मपाल (बहराइच)—

आपने अपने जमाने में 6 महीने में कितनों को कब्जा दिलाया है? जो बता रहे हैं यह तो पुरानी स्थिति है।

श्री राम शरण—

मैं तो सरकार का बजट पेश कर रहा हूं। जो सरकार है उसका बजट यह है। 1952 से शुरू किया है कहिए तो 47 से शुरू कर दूं मैं कहां कह रहा हूं कि आपकी सरकार में कब्जा नहीं दिलाया गया। मैंने तो एक तारीख दी है कि अमुक तारीख तक। सारे पढ़े लिखे लोग हैं। यह सरकार का काम है, अधिकारियों का काम है, वह अधिकारी आपके टाइम में भी थे और हमारे टाइम में भी हैं। जो चीज दी जा रही है उसको हम बतला रहे हैं और आगे भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमन्, सीलिंग की जो जमीन निकली है उसका आबंटन इस तरह से किया गया है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें प्रगति यह है कि सीलिंग की भूमि आबंटियों को एक हजार रु0 प्रति एकड़ भूमि सुधार के लिए भूमि सुधार के रूप में दिये जाते हैं। इसके लिए 1989-90 के दौरान हानि-लाभ की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। अब इसका दुरुपयोग न हो, इसका आप ध्यान रखें।

आवास स्थल आबंटन योजना, यह पुरानी योजना है। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को मकान मिले हैं। यदि आप कहें तो बतला दूं, लेकिन फिर हमारा भाषण लम्बा हो जायेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की बात को मैं सुनूं और उसका जवाब दूं, यह ज्यादा रहेगा।

भूमि सुधार की दिशा में कुछ हमारे भावी कार्यक्रम हैं। मान्यवर, आपको खुशी होगी कि जो फर्जी बेनामें थे उनके हस्तान्तरण पर हमने रोक लगा दी है। 30 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में मण्डलायुक्तों को इस संबंध में आदेश दे दिये गये हैं कि इस पर रोक लगायें। खासतौर से जो लोग शहरों में हैं, नगर क्षेत्रों में जो कृषि भूमि है, शहरों में, कस्बों में जमींदारी समाप्त करने के संबंध में विधेयक प्रारूपित किया जा चुका है और शीघ्र ही उसे सदन में पुरःस्थापित किया जायेगा। यह बड़ी उपलब्धि होगी। कब्जा दिलाने के संबंध में जो चाकबाजी हो रही है, इसे जमींदारी प्रथा के समान ही पूरी तरह से खत्म किया जायेगा।

इसी तरह से भू-दान में जमीन है और उसका गलत तरीके से आबंटन हुआ है। भू-दानी नेताओं ने अपने जानने वालों के नाम गलत तरीके से उसे दिला दिया है या करा लिया है, इसके लिये जैसे कि ग्राम समाज में भूमि आबंटित की जाती है उसी तरह से इसका

भी आबंटन करायेंगे । सबको बेदखल करा कर गरीब लोगों में इसका आबंटन करायेंगे ।

श्री धर्मपाल (बहराइच)—

माननीय प्रधान मंत्री जी से पूछ लीजियेगा ।

श्री राम शरण—

कौन सी प्रधान मंत्री ? वर्तमान या भूतपूर्व ? यह और बता दें । मा0 अरुण सिंह मुन्ना बैठे हुए हैं, यह हमारे साथी हैं, पहले ये एम0 एल0 सी0 थे और अब यहां आ गये हैं । ये जानते हैं कि मैंने एक पत्र लिखा था श्रीमती इन्दिरा गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को मैंने लिखा, मैं नाम नहीं लूंगा, 3 मंत्री उत्तर प्रदेश के थे, मैंने कहा कि आपके 3 मंत्री प्रदेश को लूट रहे हैं, मैं आपसे मिलना चाहूंगा । मैं भाग्यशाली समझता हूं कि इंदिरा जी ने मुझे टाइम दिया । उनका मेरे घर पर टेलीफोन आया और यह सूचना आयी कि 24 तारीख को आप आ जायें ।

एक सदस्य—

आप विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री राम शरण—

चौधरी साहेब उस दिन आने वाले थे, मैंने कहा कि 24 को न आ सकूंगा । आप मेरा टाइम बढ़ा दीजिये और दो मिनट में टाइम बढ़ा दिया और कहा कि पहली मई को आ जायें । पहली मई को मैं उनसे मिलने वालों में पहला आदमी था । तीनों की फाइलें बनाकर मैं ले गया था और वह आज इस संसार में नहीं हैं । मैं उनकी तारीफ करूंगा । उन्होंने उनकी इस तरह से जांच करायी और उनका विभाग छिनवा दिया, उन लोगों को हटाने का काम हो गया । कुछ लोग मर गये, अच्छा नहीं होगा कि वह बात सदन की कार्यवाही में आ जाये । अगर राजीव गांधी से भी मिलना पड़े तो मैं मिल सकता हूं, मैं एक डेमोक्रेटिक आदमी हूं, न वह मेरा कत्ल करेंगे और न मैं उनका कत्ल करूंगा ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग की निगरानियों का फैसला होने में 3 साल लग जाता था, मैंने इस को 90 दिन कर दिया है । मैंने कह दिया है कि यह 90 दिन के अन्दर तय हो जानी चाहिये । इनमें बहुत लम्बा खिंच जाता है और नतीजा यह होता है कि जो मुकदमे होते हैं, वह बहुत दिन तक चल जाते हैं । इसलिये 3 साल के समय को घटाकर 3 महीने कर दिया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

फर्जी स्टैम्प जो बिक रहे हैं ।

श्री राम शरण—

उस पर भी मैं आ रहा हूं । सुरेन्द्र विक्रम सिंह मेरे समधी हैं, यह पुराने आदमी हैं ।

(व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, प्रदेश में भारी भ्रम फैला हुआ है कि खेती बटाई पर नहीं दी जायेगी। इससे गरीबी की रेखा से नीचे काम करने वाले जो हैं, उनकी जीविका दूभर हो जायेगी। आप इस बात का स्पष्टीकरण दिलवा दें कि जमीन बटाई पर दी जायेगी या नहीं।

श्री राम शरण—

कुशवाहा जी जो बात कर रहे हैं, मैं सभी के भाषण सुनने के बाद उसको बताऊंगा और जो शंकायें होंगी उनको दूर करूंगा। यह मामला मेरे दिमाग में है। जो शंकायें रह जायेंगी, उनका स्पष्टीकरण दूंगा। जो आपकी चिन्ता है, वह मेरी भी चिन्ता है। मान्यवर, इसके साथ भूमि सुधार का कार्य भी हम कर रहे हैं। अभिलेखों में त्रुटियां हैं, खसरा खतौनी की त्रुटियां हैं जैसे तिवारी का नाम काट कर दूसरे का नाम कर दिया, नक्शे में त्रुटि कर दी, इन सबको ठीक करने के लिये हम अभियान चला रहे हैं ताकि ये सब त्रुटियां खत्म हों।

सीलिंग की जमीन पर जो लोगों के नाजायज कब्जे हैं उनके लिए भी हमने तय कर लिया है कि तहसीलदार और परगनाधिकारी ग्रामों में जाकर पड़ताल करेंगे और जो इस तरह के नाजायज कब्जे हैं जिन्हें जबरदस्ती लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है उसको निकालकर फिर वह जमीन गरीबों को दी जायेगी।

जो आपकी जमीनों के झगड़े हैं उनके बारे में भी हमने तय कर लिया है कि 1 अगस्त से आगामी 6 माह के लिये एक विशेष अभियान चलाया जायेगा जिसमें सभी पीठासीन अधिकारी एक वर्ष से पुराने वादों का निस्पादन करेंगे। इस तरह से उनके लिये भी हमने यह तय किया है कि लेखपाल अपने हल्के में रहेगा और वह एक सिस्टम बनायेगा जिससे वह ग्राम प्रधानों को सूचना देगा कि वह फलां दिन फलां के घर में ठहरेगा। इस तरह के नाजायज कब्जे हैं जिन्हें जबरदस्ती लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है उसको होगा।

मान्यवर, कई अन्य बातें हैं। अभी कुछ नई तहसीलें खुली हैं। कुछ आपकी पुरानी तहसीलें हैं जिनकी हालत जर्जर है। उनके लिये हमने बजट में 15 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। इसके अलावा 4 करोड़ रुपया अलग से 7वीं पंच-वर्षीय योजना में जो अधूरे कार्य रह गये थे उनको पूरा करने के लिये रखा है। इसके लिये भी हमने बजट में व्यवस्था की है।

जहां तक वसूली का सवाल है, इस साल जो वसूली की गई है वह 10 हजार के कर्जों को माफ करने के कारण ठीक से वसूली नहीं है, तेजी से नहीं हुई है, कम हुई है। फिर भी 1989-90 में 208.52 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। संग्रह अधिष्ठान पर 51.27 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है जो कुल वसूली का लगभग 24.59 प्रतिशत है।

श्री धर्मपाल (बहराइच)—

यह बता दें कि कितने प्रतिशत वसूली हुई ?

श्री राम शरण—

इस साल जब यह सरकार आयी तो 10 हजार रुपये तक के कर्जों की माफी का कार्य 30 जून तक चलता रहा । .. (व्यवधान) वसूली ज्यादा भी हो सकती है । मैं सूचना मंगाकर आपको बता दूंगा ।

श्री धर्मपाल (बहराइच)—

प्रतिशत तो बता दें?

(व्यवधान)

श्री राम शरण—

आप बीच में न बोलें, यह अच्छी बात नहीं है । एक बात मैं माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी से कहूंगा आपका क्वेश्चन भी था (व्यवधान) अभिलेखों में जो त्रुटियां या कटान से प्रभावित क्षेत्र में जो नक्शों में गाटों में जहां 50 प्रतिशत से अधिक त्रुटियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिये हम अभियान चला रहे हैं उनकी दुरुस्ती जल्दी करायेंगे, जमीन के कटान और कब्जे की घटनायें जो हैं उनको ठीक करायेंगे । आपके यहां तो शाहजहांपुर और बदायूं का झगड़ा है हमारे यहां तो यमुना नदी के कटान से हरियाणा और सहारनपुर में झगड़ा है । तो इन झगड़ों का हम जल्दी निस्तारण करने जा रहे हैं ।

मैं एक और बात बता दूं हमारा जो नया जिला बना है (व्यवधान) गौतम जी क्या खाना नहीं मिला है ?

श्री जयराज गौतम—

समय का भी ध्यान रखें इस पर औरों को भी बोलना है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी संक्षेप करें ।

श्री राम शरण—

मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूं जो हमारा नया जिला बना है राबर्ट्सगंज दुद्धी के बारे में बताना चाहता हूं । तो जनपद सोनभद्र की तहसील राबर्ट्सगंज तथा दुद्धी के कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण क्षेत्र में वर्ग 4 के अंतर्गत अनधिकृत कब्जों को नियमित करने की समस्या के निराकरण के लिये एक विशिष्ट एजेंसी गठित है जो सर्वे तथा भूलेखों के पुनरीक्षण का कार्य कर रही है । इस एजेंसी में 17 अधिकारी तथा 800 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी और कितना समय लेंगे ?

श्री राम शरण—

आप अभी कहें तो मैं बैठ जाऊं, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है (व्यवधान) आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं बाद में बता दूंगा ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

मान्यवर, हमें भी मौका दें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप नाम दें तो जरूर मौका दूंगा ।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला परिषद) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0 52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0 86-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, राजस्व विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराना विभाग है और मुगल काल से चलता हुआ ब्रिटिश काल का सफर पूरा कर आज समाजवादी मंत्री के हाथ में आया है । मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे लेकिन वह नहीं किया जो भी घोषणा किया है, और जवाब देते समय करेंगे उनमें मैं अच्छी घोषणाओं का स्वागत करूंगा ।

मान्यवर, अब मैं अपना भाषण शुरू करते हुये आपकी मदद करना चाहता हूं आप समाजवादी मंत्री हैं और मेरा विश्वास है कि आज जब पूरे विश्व में हम और आप समाजिक जनतंत्र के लिये संघर्ष कर रहे हैं और समाजिक, जनतंत्र, सोशल डिमोक्रेसी, विश्वव्यापी आन्दोलन का रूप ले चुका है, और आपने श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम लिया है, तो आज या कल आप और राष्ट्र के नेता राजीव गांधी मिलकर साम्प्रदायिकता के खिलाफ और सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है । मान्यवर, इस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है कि सामाजिक न्याय के लिये, भूमि सुधारों की व्यवस्था करें । आजादी का यह जनादेश था और जो सबसे बड़ा अभिशाप जमींदारी व्यवस्था थी उसका उन्मूलन हो, यह क्रान्तिकारी कदम था जिसे हमारे राज्य ने सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया ।

सामन्तवाद की रीढ़ों को तोड़ा और जो गांवों के विकास के मार्ग के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां थी, उसको तोड़कर खत्म किया और आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया। इससे मैं सहमत हूं और जो दूसरा कदम था, जिसका आपने भूमि हदबन्दी कहा है, उसके प्रति भी हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके लिए हमने नारा लगाया था— "जो धरती को जोते बोये, वह धरती का राजा है, यही हमारा सिंहनाद है, यही हमारा नारा है।" लैण्ड टू दि टिलर्स, जोतने वाले को जमीन मिले यह आजादी के जंग का जनादेश था और...

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इनको बोलने दें और जब उनका मौका आए तो उस समय वह अपनी बात कहें।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

उस जनादेश को देखते हुए और प्रदेश के भूमिहीनों और गरीबों की आकांक्षाओं को देखते हुए उनकी मांग को देखते हुए और तत्कालीन जनप्रिय आन्दोलन के दबाव में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक था। इसके पक्ष में राजसत्ता में राजनेता बैठे थे, उनकी इच्छा शक्ति और सोच थी इसके पक्ष में थी। उसके कारण यह कदम उठाना सम्भव हुआ। जो पहला भूमि हदबन्दी कानून पास हुआ 1960 में उसमें सारी खामियां के बावजूद वह ठीक था। परन्तु उससे जितनी भूमि निकलने की आशा की गई थी, अनुमान था 14 लाख एकड़ जमीन निकल जायेगी उसमें चार दरवाजे खुले हुए थे, आधे मन से लागू हुआ था और साथ ही उन लोगों में भी परस्पर अन्तर्विरोध था। परन्तु वह कानून बना, यद्यपि उसमें छूट थी धार्मिक संस्थाओं के लिए, शैक्षिक संस्थाओं के लिए और औद्योगिक संस्थानों के नाम पर, यंत्रीकरण कृषि के नाम पर। इन सारी छूटों के उपरान्त उसमें करीब दो लाख एकड़ जमीन निकली। एक लाख 99 हजार 215 एकड़ उससे निकली जमीन गरीबों और भूमिहीनों में बांटी गई इस पर भी जब जमीन की भूख जमीन के जोतने वालों के मन से नहीं मिटी और साथ ही उनमें इच्छा शक्ति भी थी, नेतृत्व की, लोकप्रिय जन आन्दोलन भी हुए। उसके फलस्वरूप 1972 में इस कानून में संशोधन हुआ, और जो 40 एकड़ की सीमा रखी गयी थी, उसको घटाकर 18 एकड़ किया गया। इस पर जो जमीन निकली जोत सीमा आरोपण अधिनियम, और संशोधन अधिनियम के द्वारा, करीब 4 लाख एकड़ जमीन गरीबों को वितरित हुई। एक शब्द है 'आबंटन' यह कोई साधारण या चलताऊ शब्द नहीं है। यह हिन्दी भाषा का क्लिष्ट शब्द है। लेकिन 1976 में, इसमें दर्ज है करीब 20 लाख एकड़ जमीन जो सुरक्षित थी गांव सभाओं की, उस जमीन का आबंटन हुआ था। यह सामाजिक न्याय के पक्ष में था। इस शब्द का इतना प्रचलन हो गया गरीबों और किसानों में वह तकसीम या बंटवारा नहीं कहते हैं, सब भूमि आबंटन कहते हैं। यह इसकी व्यापकता का संकेत था। यह भी आप ध्यान में रखें।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे अपेक्षा थी इस बात की कि 11 और 12 तारीखों को देश के मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ दिल्ली में, हमारे पूरे देश और प्रदेश के लोग आशा लगाए हुए थे कि उसमें भूमि सुधार पर कोई मौलिक घोषणा हमारे मुख्य मंत्री करेंगे, जो वहां पर प्रस्तावित बिन्दु थे जिन पर विचार होना था, यद्यपि

उनका मुख्यमंत्री जी ने विरोध नहीं किया, परन्तु उसका सशक्त समर्थन भी नहीं किया। इससे निराशा हुई है। एक मंगलदेव विशारद कमेटी बनी थी, वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज जो सुरक्षित है। जहां से चाहे प्राप्त कर लें। किस तरीके से कमेटी ने इंगित किया कि कहां जमीन है, कहां चोर दरवाजे हैं। किस तरह से बेनामी और फर्जी हस्तान्तरण हुए हैं। जानवरों के नाम पर, अल्ला ताला के नाम पर, भगवान के नाम पर किस तरह से जमीन की चोरियां हुई हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट को आप देखें। उसके सुझावों पर गौर करते हुए आप भूमि सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठावें। मान्यवर, इसकी अपेक्षा पूरा उत्तर प्रदेश और हमारा देश कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह मामूली बात नहीं है। यह एक ऐसा कदम है कि जिसके आधार पर हमारे देश की तरक्की, हमारे प्रदेश की तरक्की निर्भर करती है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, यहां तक तो हम आप सहमत हैं, आपकी और हमारी असहमति कहां है। आप गांव चलने का नारा दे रहे हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। गांव से ही हमारे राज्य को 50 फीसदी आय होती है। इस विभाग का सबसे गहरा ताल्लुक गांव से है। मान्यवर, जमीनों के सम्बन्ध में बुनियादी तब्दीली होनी चाहिए,

मैं एक उदाहरण दूंगा हमारा गांव जो सुदूर मान्यवर, भादों देहात में है वहां 20 वर्ष पहले और माघ के महीनों में दो टाइम नहीं बल्कि एक भी टाइम वहां के किसानों को भर पेट भोजन नहीं मिलता था। दो किलो धान से मशीन से यदि चावल निकला जाय तो तीन पाव चावल होता है, जो उन्हें मजदूरी मिलती थी उनमें जितना भी पानी मिलाया जाय लेकिन एक परिवार के पेट भरने के लिए भी वह काफी नहीं होता था। आज उन गांवों की हालत क्या है, बेकारी की समस्या की कितनी भी हम बात करें कम है। आज श्रीमन्, 15 रुपये 18 रुपये की मजदूरी पर भी मजदूर नहीं मिलते हैं। हालत की नजाकत यह है कि बड़ी-बड़ी मशीनें बड़े लोग लाये हुए हैं जिनसे फसलें काट ली जाती हैं। उसके बाद भी लेबर प्राब्लम पैदा हो रही है। मान्यवर, गोरखपुर से सेनौली सरहद तक और उसके आगे सारे देहातों के लोग सड़कों पर दुकानें खोल रहे हैं। शहर देहात का फर्क खत्म हो रहा है मान्यवर, इस तरह से आज देहात के अन्दर जो 18 रुपये मजदूरी है, 3 1/2 किलो चावल मिलेंगे। पर इस पर भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं। आज गांव की यह हालत है। हमारे गांवों की चालीस वर्षों के बाद आज यह हालत है। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि और भूमि सुधार के सिलसिला योजनाओं द्वारा ऐसा हुआ यह नेहरू नीति की देन है। लेकिन आप जो कहते हैं कि अगर देश का विकास करना है तो नेहरू नीतियों को हटाना है और किसकी नीतियों को लाना है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

नेहरू नीति का अगला कदम बैंक राष्ट्रीयकरण और अगला कदम नेहरू रोजगार योजना है, उसी की देन है। सभी कमियों त्रुटियों के बावजूद 40 वर्षों में हम यहां आये हैं। यह राष्ट्र द्वारा स्वीकृत नीतियां इन्हें जनता तोड़ने नहीं देगी।

आप किस नीतियों को लाना चाहते हैं और नेहरू ढांचे को तोड़ना चाहते हैं। आज पूर्वी यूरोप, मध्य यूरोप और महाबली रूस जिस नेहरू नीति पर महात्मा गांधी के ढांचे पर जा रहे हैं हम शान्तिपूर्ण रहने लायक सुन्दर दुनिया के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसको तोड़ने की बात करते हैं जनता तोड़ने की इजाजत नहीं देगी।

मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि 1959 में नागपुर में कांग्रेस की बैठक भूमि सुधारों की भूमिका को लेकर हुई थी, इस प्रान्त से चौधरी चरण सिंह जी वहां गये थे और उन्होंने भूमि सुधार और सीलिंग कानून की मुखालिफत की थी और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घूम-घूमकर भाषण दिये थे कि जमीन खाद नहीं है जो बढ़ेगी और बंटेगी । उनकी नीति आप लाना चाहते हैं ।

श्री राम शरण—

उन्होंने कोआपरेटिव खेती की मुखालिफत की थी ।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

कांग्रेस ने गल्ती की थी । 1967 में जब आम चुनाव हुए इस प्रदेश की जनता चाहे अर्थशास्त्रियों के गूढ़ नियमों को जाने चाहे न जाने, लेकिन यह जानती थी कि क्या हित में है क्या अहित में है । इसके पहले रुपयों का मूल्यांकन हुआ था । स्वर्गीय अशोक मेहता की सलाह पर जो आपके थे और उनके कहने पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने रुपयों का मूल्यांकन किया आम चुनाव का नतीजा यह हुआ कि दस राज्यों में कांग्रेस पराजित हुई और आप गद्दी पर आए । संविद की सरकारें बनीं, सौभाग्य से वे अल्पकालिक थीं और होती भी क्यों न क्योंकि उनकी कोई आर्थिक नीति नहीं थी ।

श्री अधिष्ठाता—

आप विषय पर बोलें ।

श्री राम शरण—

राजस्व विभाग के बजट पर बोलें तो ठीक है उसमें यह सुझाव दें लेकिन इन्होंने तो विदेश नीति पर बोलना शुरू कर दिया ।

(व्यवधान)

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मान्यवर, मैं मार्क्स लेनिन का नाम नहीं ले रहा हूं । नाम ले रहा हूं बिली ब्रान्ड, ग्रैस्सी, नेहरू का और आचार्य नरेन्द्र देव का काश मैं और आप उनके वारिश हो सकते इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या बात होगी, उन्होंने कहा था कि मैं नेहरू से प्रेरणा लेता हूं । हम चाहते हैं कि उनके रास्तों पर चलें, लेकिन आप उनकी नीतियों को तोड़ने की बात कर रहे हैं उस पर हम चलेंगे आप नहीं चलेंगे । आप बुखारी बी0 जे0 पी0 सिमिरनजीत सिंह मान को लिए हुए राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की छत्र छाया में चल रहे हैं उन्हें छोड़ यह चलने वाला नहीं है ।

श्री राम शरण—

यह क्या रेवेन्यू की किताब में है ? क्या आप रेवेन्यू पर बोल रहे हैं ?

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मैं रेवेन्यू पर आ रहा हूं । चालीस साल से कांग्रेस के हाथों में विभाग रहा इधर आपके पास है हम चाहते हैं कि आप पांच वर्ष तक रहें, लेकिन हमें लगता है कि

पांच वर्ष रह पाएंगे और आप कुर्सी तोड़ डालेंगे । पुनः सन् 1977 में आप आये । सन् 77 में जब आप आये तो माननीय शेखावत और प्रकाश सिंह बादल ने सरकारी फार्मों को पूंजीपतियों के हवाले करने की राय दी परन्तु आप ही चले गये । आप छोटे उद्योग धंधों की बात कहकर जो बड़े उद्योग धंधे जैसे खाद के कारखाने, विद्युत उत्पादन लोहे के कारखाने, आदि की मुखालिफत करते रहे हैं । चौधरी चरण सिंह की यही नीतियां थीं, दकियानूसी उन्होंने गांधी जी का नाम लेकर इस राज्य को आधुनिक बनाने की मुखालिफत की थी ।

मैं भूमि सुधारों पर आपसे निवेदन करूंगा कि मंगल देव विशारद कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी संस्तुतियों पर आप ध्यान दें । 12 एकड़ सीलिंग की सीमा तय करें । मैं यह भी चाहूंगा कि जो राजस्व संहिता बनाने की बात है उसकी तरफ ध्यान दें । राजस्व के जो कानून हैं वह इतने जटिल हैं और इतने उलझे हुये हैं उनमें ऐसी जटिलता है कि वकील लोग भी उसकी व्याख्या करने में असमर्थ हैं । हम लोगों को पढ़कर समझने में दिक्कत आती है । इन कानूनों का सरलीकरण आप करें और एक रूपता लायें । संभवतः इस संबंध में रिपोर्ट भी आपके पास आ गयी है । आप इस संहिता को विधेयक का रूप देकर ऐसा सरलीकरण कर दें कि वकील भी ठीक से पैरवी अपने वादों की कर सकें और वादों की संख्या कम हो सके और वादकारियों को भी अपने वादों की पैरवी करने में आसानी हो । पूरा राज्य आज इसकी मांग कर रहा है । एक बात मैं आपसे दैवी आपदाओं के संबंध में कहना चाहता हूं । आपका एक राजस्व मैनुअल है । जब हम लोग तहसीलों में जाते हैं तो वहां वही पुराना मैनुअल लार्ड कार्नवालिस के जमाने का खोला जाता है । उस मैनुअल के हिसाब से आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ है । मान लीजिये कहीं आग लग गयी तो । अगर लेखपाल प्रसन्न हुआ तो ठीक । जैसे राज्यपाल प्रसन्न हैं तो आप मंत्री हैं और अप्रसन्न हों तो आप मंत्री नहीं । उसी तरह से लेखपाल ने जो लिख दिया वही माना जाता है । इस विसंगति को दूर करने के लिये आप कदम उठायें ।

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि 500 रुपयों की जगह पर एक हजार रुपये अहेतुक अनुदान करने का प्राविधान करें । खलिहानों में आग लग जाती है तो उनको भी सहायता दी जाए जिससे कुछ संतोष हो जायगा । इसी तरह से बाढ़ आ जाती है तो बड़े-बड़े लोगों को भी 2 किलो नमक, दियासलाई के लिये खड़ा होना पड़ता है । तो ऐसा प्राविधान होना चाहिये कि सब लोगों को अच्छी सहायता मिले । जहां तक भूमि सुधारों की बात है आप उसकी सीमा कम करें, 10 एकड़ करें या साढ़े 12 एकड़ करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गोरखपुर आये थे तो मैंने आपको एक आवेदन पत्र दिया था । हमारे यहां लेजार महदेवा में, एक गांव के जमींदार चौधरी थे उन्होंने अपने भांजे के नाम 18 एकड़ वसीयत लिख दी और अपने को मरा दिखा कर उनके नाम दाखिल खारिज करवा दिये । अब भी वह जिन्दा हैं और ग्राम मोनकोरा के प्रधान हैं । यही हाल मुड़िला गांव की है । इस संबंध में यह काम सीलिंग से जमीन बचाने के लिए किया गया । इसका आवेदन मैंने 17 मार्च, 1990 को माननीय मंत्री जी को गोरखपुर में दिया । उन्होंने आयुक्त को दिया, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय ।

मान्यवर, भूमि अधिग्रहण के बाबत कहना है कि सड़क के किनारे ग्राम विशुनपुर व दुर्गापुर अदराना के गरीब किसानों की जमीन है जहां उनका सहन और मकान है, अधिग्रहीत की जा रही है, जिसकी जरूरत नहीं है। सड़क बन चुकी है, उनको बाजार रेट से मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, उन्हें यह भी पता नहीं है कि इसके लिए वह क्या करें, उन किसानों के नाम हैं—मुसम्मात सुखराजी, सुखदेव, मिट्ठू, सीता राम, दुःखी, सुखराज, राम रतन, राम नरायन, मुंशी, जगदेव, बली, संग्राम, महाबली, थीपत, दयाराम, शिवपूजन, शंकर, नंदलाल, जगनरायन, दुलारे, हरिश्चन्द्र, लक्खन, जलालुद्दीन, अब्दुल रहीम, सनद, चन्द्रबली, दुर्बली, धर्मराज, दुलारे नरेश, तीरथ, गजाधर, बनाहा, छबिराम, गजाधर, भोला, प्रभू, छविराज, हंसराजी, रघुबंश वगैरह। अब इनकी जमीन निकल रही है, उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, वे आन्दोलित हैं, गरीबों को न्याय दिलाया जाय और जमीन बचाई जाय। डा0 जे0 डी0 शुक्ला की जिला स्तर प्रशासन के संबंध में जो रिपोर्ट तीन खण्डों में आई हुई है, उसके सुझाव को मानकर जिला प्रशासन से ठीक कराया जाय। उनकी संस्तुतियों के आधार पर परगना के स्थान पर ब्लाक को राजस्व की इकाई मानी जाय और वहां पर एक नायब तहसीलदार और दो सुपरवाइजर कानूनगो राजस्व अभिलेखों के अतिरिक्त और कार्यों की देखरेख के लिए रखा जाय। इससे सरकार पर अतिरिक्त व्यय भी नहीं पड़ेगा। 20-20 वर्षों से नायब तहसीलदार और सुपरवाइजर कानूनगो के पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को विनियमित नहीं किया गया, जिससे उनकी कार्य-क्षमता और उनके हौसले पर प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें विनियमित किया जाय। तहसील में सैकड़ों की संख्या में जनता आती है, उनको यह भी पता नहीं है कि उनका कार्य-क्षेत्र करेगा और कार्य का तरीका क्या होगा। इसके लिए एक नायब तहसीलदार और एक क्लर्क निश्चित किया जाय, जो आवेदनों को इकट्ठा करके परीक्षण करें और पुलिस की मदद से समस्याओं का समाधान करावें। यह मेरा सुझाव है। सरल और साधारण मुकदमों को अदालत पंचायत द्वारा तय कराया जाय और इस संबंध में मैं आपसे चाहता हूं कि सभी चुनाव हो गये, अदालत पंचायतों के चुनाव में देर न हो, उसे शीघ्र कराया जाय। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी बातों से कोई नाराज न हों, क्योंकि यह प्रतिबद्धता की बात है। मैं भी प्रतिबद्ध हूं और आप भी प्रतिबद्ध हैं। हम और आप एक होंगे।

मान्यवर, इतिहास की अपनी गति और अपना नियम होता है। स्वाभाविक गति 40 वर्ष की थी आप बदल नहीं सकते। थोड़े दिनों के लिए जैसा कि 3 वर्ष हुए, अगर आप पीछे गये तो भी वह स्वाभाविक नहीं है, बल्कि वह प्रहसन है। एक बार आप हां कह दें और मुख्य धारा में आप मिलाने के लिए तैयार हों, तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। यह वक्त 40 वर्ष का है, तीन वर्ष का नहीं आप इसी मुख्य धारा में आवें और आप अगर यह कह दें तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा अन्यथा मैं बल देकर बैठ रहा हूं।

*श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व मंत्री जी के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं बजट का स्वागत करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मान्यवर, वादों के निपटारे की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे किसानों के जो मुकदमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है वह एस0 डी0 ओ0 करता है, तहसीलदार करता है, नायब तहसीलदार करता है लेकिन उनके पास प्रशासनिक इतना ज्यादा काम है कि एस0 डी0 ओ0 न्यायालय में बैठ ही नहीं पाते हैं, किसान सालों दौड़ता है और मुकदमें का निपटारा नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव है कि रेवेन्यू अफसर, जैसा पहले हुआ था, उनकी व्यवस्था की जाय ताकि रेवेन्यू आफिसर व्यवस्थित होकर मुकदमें का ही काम करें। इससे किसानों के वादों का निपटारा होगा।

मान्यवर, दूसरा सुझाव है कि जेड0 ए0 एक्ट बहुत पुराना है, इसमें बहुत कमियां हैं, इसमें परिवर्तन लाना होगा इसमें उत्तराधिकार का जो कानून है उसमें पुत्री के लिए जो कहा गया है उसमें अनमैरिड और मैरिड में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसे समाप्त करके केवल पुत्री ही रखा जाय। दूसरे, पुत्रों के साथ में मृतक की विधवा का भी बराबरी का शेयर होना चाहिए ताकि विधवा को भी संरक्षण मिल सके। तीसरा यह जो बटाई का कानून है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे उत्पादन को भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा क्योंकि 1977 में भी इस तरह की चर्चा चली थी और उसका नतीजा यह हुआ कि बड़े-बड़े काश्तकारों ने अपने खेत बटाईदारों से ले लिये और उसमें या तो बुआई करा दिया या खाली ही छोड़ दिया। इससे उत्पादन भी कम हो गया और जो बटाईदारों के परिवार का भरण पोषण हो रहा था वह भी खत्म हो गया तो इससे दोनों असंतुष्ट हो गये और कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे पूर्ववत् की भांति ही रखा जाय।

मान्यवर, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न भू-राजस्व की वसूली का है। राजस्व वसूली के लिए व्यवस्था यह है कि कुर्क अमीन गांव जाता है लेकिन काश्तकारों के पास कभी पैसा होता है और कभी नहीं होता है। इत्तिफाक से कभी नहीं हुआ तो कुर्क अमीन लौट आया और अगर पैसा हुआ, कुर्क अमीन नही गया तो उसका पैसा खर्च हो गया। इसलिए मेरा सुझाव है कि जैसे बिजली के बिलों की अदायगी के लिए कान्टर बने हुए हैं वैसे ही प्रत्येक तहसील में उनके लिए भी काउन्टर बनाये जांय ताकि किसानों के पास जब पैसा हो तो वह उसे जमा कर सकें।

मान्यवर, चौथी बात यह है कि किसी को खसरा खतौनी मिलने में बहुत दिक्कत होती है। गांवों में लेखपाल तो मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिला तो इन्तखाब खतौनी नहीं दे रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि तहसील में इस तरह का एक काउन्टर बनाया जाय कि किसान जब चाहे जिस दिन चाहे उसको खसरा खतौनी आसानी से मिल सके ताकि वह परेशान न हों। मान्यवर, चकबन्दी के बारे में कहा गया तो यह कहावत है कि जिस गांव में चकबन्दी हो जाती है वहां अगले 10 साल में डकैती नहीं पड़ती है। क्योंकि वहां कुछ रह ही नहीं जाता है। यह परम्परा पिछली सरकार में थी। मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें और चकबन्दी कर्मचारियों की लूटपाट से किसानों की रक्षा का कोई उपाय सोचें।

मान्यवर, कब्जे के बारे में बड़े जोर शोर से कहा गया है कि किसानों को कब्जा नहीं मिला है। इसके लिए पिछली सरकार दोषी है। मुझे खुद मालूम है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पट्टेदार घूम रहे हैं लेकिन उनको कब्जा नहीं मिल पाया है। इसमें

पिछली सरकार ने गलती की है, इसमें प्रभावी कदम उठावें ताकि किसानों को कब्जा मिल सके। इसके साथ ही मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कटौती का विरोध करता हूं।

(समय 4 बजकर 20 मिनट पर)

*श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन् यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जिसका सीधा सम्बन्ध गांव के किसानों से है। इसमें दो-तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें चकबन्दी, राजस्व की वसूली और पट्टों के मामलों पर विशेष बल दिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो राजस्व की वसूली है, मैं मऊ में जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं दुबारी गांव से, उसका एक चौथाई भाग घाघरा नदी की चपेट में रहता है। हर वर्ष कुछ जमीन कटती है और कुछ पटती है। शासन का यह स्पष्ट रुख रहा है कि किसानों के खेत जो नदी में होंगे, उनकी वसूली नहीं करायेंगे। मैंने विधान सभा में इसके बारे में 301 की नोटिस भी दी थी, उसके बाद वहां जांच गयी थी, लेकिन तहसील के लोगों ने लिखकर भेज दिया कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां त्राहि-त्राहि मची है। जो क्षेत्र दरिया में डूबे हैं, उनकी वसूली हो रही है। इसको बन्द कराया जाय। दूसरे चकबन्दी में मेरा अनुरोध है कि मऊ की दबारी ग्राम सभा में 20 वर्षों से चकबन्दी हो रही है, किसान परेशान हैं, लेकिन चकबन्दी आज तक समाप्त नहीं हुई। मेरा सुझाव है कि चकबन्दी के लिये हर गांव के लिए एक समय निश्चित किया जाय कि इतने समय में चकबन्दी कर दी जायगी। इसमें एक और बात है कि ग्राम सभा की जमीन चकबंदी के माध्यम से काट दी जाती है और बड़े आदमी चकबन्दी अधिकारियों से मिल कर उस जमीन को अपने नाम लिखवा ले रहे हैं। दुबारी गांव सभा में एक ही व्यक्ति ने 15 एकड़ जमीन लिखा ली है। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि पट्टे के मामले में आपकी नीयत साफ है, हमारी भी साफ है। हमारे यहां तालारकोई ग्राम सभा में पचासों एकड़ जमीन सीलिंग में निकली लेकिन गरीबों में बांटी नहीं गयी। इस जमीन को गरीबों में बांटा जाय।

*श्री प्रभु दयाल यादव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, इस बजट में तहसील में भवन निर्माण अधूरे भवनों का निर्माण, पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी, भूदान की जमीन से अनाधिकार काबिज लोगों की बेदखली, सीलिंग की जमीन से बेदखली कराकर आवंटियों को दिलाए जाने, मुकदमों का जल्द निस्तारण जैसी अनेक महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गयी हैं। इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं। मुकदमों के जल्द फैसले की जो बात कही गयी, यह बहुत बड़ी समस्या हमारे जिलों में है। दो-तीन साल हो जाते हैं, लेकिन तहसीलों में मुकदमों का फैसला ही नहीं होता, इसका मुख्य कारण यह है कि एस0 पी0 ओ0 बराबर प्रशासनिक कार्यों से दौरे पर रहते हैं। जब तक परगनाधिकारी-तहसीलदार प्रशासनिक कार्यों से दौरों पर रहेंगे तो यह निश्चित है कि काम वहां पार जल्द नहीं होगा। इसके लिये मेरे एक दोस्त ने अभी सुझाव भी दिया है, मैं भी यह सुझाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देना चाहता हूँ कि तहसील हेडक्वार्टर पर एक-एक रेवेन्यू आफिसर लगाया जाय जो मुस्तकिल रूप से वहां पर बैठे । परगनाधिकारी दौरों पर रहते हैं दूसरे प्रशासनिक कार्यों में लगे रहते हैं मुकदमों पर ध्यान देते नहीं, मुकदमों का काम तहसीलदार भी नहीं करते हैं, एस0 डी0 ओ0 तहसीलदार नये-नये काम पर भेज दिये जाते हैं । अब वहां पर वृद्धावस्था पेंशन की लिस्ट निकल रही है उनमें लगे हुए हैं । इसलिये अनुरोध है कि एक-एक रेवेन्यू आफिसर को लगाया जाय और उनके बैठने का स्थान भी निर्धारित किया जाय । दाखिल खारिज के मुकदमें जल्द हों, इसके लिए कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इनकम टैक्स की काफी बैनामा करते हैं । उसी तरह से रजिस्ट्री घरों से बैनामा की काफी तहसील जानी चाहिये तथा विक्रेता को नोटिस देकर वह स्वीकार करें तो दाखिल खारिज होना चाहिये । अभी 2-2, 3-3 साल इसमें लग जाते हैं । यह जल्दी हो इसलिये ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । हमारे गृह मंत्री जी तहसीलें जनपद और मंडल नये-नये खोल रहे हैं लेकिन कानपुर जिले का 10-12 साल हो गया अभी तक मुख्यालय घोषित नहीं है, उसका नामकरण नहीं है । न मुख्यालय का स्थान है । वहां पर अजीब व्यवस्था है । उसका नामकरण करवा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें ।

श्री प्रभु दयाल यादव—

कानपुर जबसे दो हिस्सों में हुआ, शहर और देहात, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां का जो मुख्यालय घोषित नहीं है उसे करवा दें उसका नामकरण करवा दें । जो डी0 एम0 हैं, वे दूसरे जिले में बैठते हैं नगर में बैठते हैं, वह वहां से 86 कि0 मी0 दूर है । हमारे जिलाधिकारी वहां बैठकर वहां से प्रशासन चला रहे हैं । तो मैं मान्यवर, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप इसका प्रबन्ध कर दें जिलाधिकारी को वहां बैठना चाहिये और वहां से प्रशासन चलायें । जब तक इस समस्या का हल नहीं किया जायेगा, तब तक दिक्कत होती रहेगी । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

*श्री मयंकर सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ ।

एक सदस्य—

आपको तो माननीय मंत्री जी का समर्थन करना चाहिये ।

श्री मयंकर सिंह—

माननीय मंत्री जी का तो समर्थन करते ही हैं । मान्यवर, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश के लिये एक महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि 80-85 प्रतिशत यहां किसान हैं । आज मान्यवर, सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जब गांव का आदमी अपने खेत पर जोतने जाता है तो पेड़ पर उसकी जमीन को लेकर एक विवाद खड़ा हो जाता है, झगड़ा खड़ा हो जाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है। अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिये वह जब तहसील में जाता है तो यह कहा जाता है कि हदबरारी का मुकदमा दायर करो। जमीन का झगड़ा आज खड़ा हुआ है, माननीय मंत्री जी भी इसे जानते हैं वे भी विपक्ष मे रहकर इसे कई बार उठा चुके हैं, बड़ी पीड़ा होती है 5-5 साल तक किसान तहसील में मुकदमा ही लड़ता रहता है एक बिस्वा जमीन का सीमांकन कराने के लिये। मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान में इतनी क्षमता नहीं है कि एक बिस्वा जमीन के लिये वह तहसील में जाकर 2 हजार रुपये खर्च कर मुकदमा दायर करे तत्काल उसकी जमीन का सीमांकन होना चाहिए। इससे विवाद खत्म होंगे, कत्ल नहीं होंगे, फौजदारी खत्म होंगी। इन विवादों को रोका जाना चाहिये। गांवों में आज 115-सी के नाम पर राजस्व विभाग के लेखपाल, कानूनगो आम गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं पैसा गरीबों से मांगा जाता है और जब किसान नहीं दे पाता है तो 115-सी का मकदमा दायर किया जाता है उस व्यवस्था को देखा जाय। इस तरह से अगर किसान दोषी है तो जुर्माना लिया जाय और अगर 115-सी की नोटिस गलत दे दी गयी है बकायेदारों पर तो आज तक गलत नोटिस देने वालों पर कार्यवाही का प्राविधान नहीं किया गया है, राजस्व विभाग में अगर किसान दोषी है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाय और अगर नोटिस गलत दी गयी है तो अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय। आजकल चकबन्दी चल रही है और चकबन्दी की एक कहावत है कि जिस गांव में चकबन्दी हो जाती है, वहां 10 वर्ष तक चोर नहीं जाता है। इतना अधिक किसान का शोषण होता है, लेकिन मुख्य रूप से मेरा आग्रह यह है कि 35-40 वर्ष पहले किसान को जिस जमीन का पट्टा दे दिया गया है, जिसको 2-2 साल के पट्टे दे दिये गये हैं, 40 साल से किसान का कब्जा है, वह उसको जोत बो रहा है, लेकिन जब वह चकबन्दी अधिकारी के पास जाता है, तो वह किसान से कहता है कि अगर प्रधान बयान देंगे, तो तुमको जमीन मिलेगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुरौवा में 300 हरिजन परिवार 40 वर्षों से जमीन जोत रहे हैं, आज उन किसानों को उनकी जमीन का कब्जा नहीं मिल रहा है। यहां चौधरी चरण सिंह का नाम लिया गया है, 1967 में जब चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय जोत बही हुआ करती थी, उसमें किसानों की जमीन अंकित होती थी। आज वह जोत बही किसान को नहीं दी जाती। मेरा आग्रह है कि चौधरी साहब की यादगार में किसानों को जोत बही दी जाय, जिस पर उसकी हैसियत दर्ज हो, उसकी जमीन दर्ज हो, यह महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्र लिया जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर- घोर व्यवधान)

श्री मयंकर सिंह—

मान्यवर, इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बाबू सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा सुझाव है कि जमींदारी विनाश एक्ट में हरिजन को अपनी जमीन स्वयं को बेचने का अधिकार नहीं है साथ ही इस अधिनियम के अन्तर्गत हरिजन को साढ़े 16 बीघे से नीचे जमीन बेचने का अधिकार भी नहीं है, यह मेरे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ मौजूद है। इस बात से हरिजन को बड़ी परेशानी हो रही है। अभी मेरे भाई जमीन बटाई का जिक्र कर रहे थे। मैं पूछता हूं कि जमीन को बटाई पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठाता कौन है, वही किसान जिसके पास बैल नहीं है, जोतने के लिए हल नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जमींदारी विनाश एक्ट में जो साढ़े 16 बीघे से नीचे हरिजन को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है, उसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दें एक आदमी के पास 6-8 बीघे जमीन है और आपने कहीं मकान बना लिया है, तो उसकी जमीन फिर रह जायेगी, क्योंकि सवर्ण जाति का व्यक्ति उसकी जमीन को ले नहीं सकता है, अछूत ले नहीं सकता, इसलिये उसकी जमीन पड़ी रह जाती है, इसलिये आप इस अधिनियम में संशोधन करें ताकि वह अपनी जमीन बेच सके।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

मान्यवर, जब किसी लेखपाल की शिकायत कोई विधायक करता है, तो एस0 डी0 एम0 उसका उत्तर नहीं देते हैं। उसकी शिकायत की कोई कीमत नहीं रहती क्योंकि लेखपाल, तहसीलदार व एस0 डी0 एम0 की आपस में सांठ-गांठ रहती है। यदि कोई विधायक शिकायत करता है तो उसको उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। तीसरा, यह कि दिसम्बर के महीने में शासनादेश हुए हैं कि भू-लेख के सभी रिकार्ड लेखपाल, प्रधान से लेकर अपने पास रख ले। मेरा कहना यह है कि इसमें दो प्रतियां होनी चाहिए। एक प्रधान के पास और एक लेखपाल के पास। यदि सारे रिकार्ड लेखपाल के पास रहेंगे तो यह एक बहुत बड़ी प्रशासनिक गलती होगी। चौथा, यह कि अभी 3 महीने पहले यह आदेश हुए हैं कि ग्राम प्रधान अपने कागजों को व उसकी रूप-रेखा को नायब तहसीलदार से संशोधित करवायेगा। मेरा कहना यह है कि नायब तहसीलदार को प्रत्येक गांव में जाकर लेखे जोखे को देखना चाहिए। पांचवा, यह कि दैवी आपदा में बड़ा घोटाला है। आग लगने या किसी अन्य घटना में आपके यहां से जो एड मिलती है, वह बहुत कम है, इसे संशोधित किया जाना चाहिए। सीलिंग की जमीन को घटाने को कहा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने ऐसा किया तो पैदावार कम हो जायेगी। बयान में जो सालों लग जाते हैं, इसकी प्रक्रिया में आपको संशोधन करना चाहिए। आप हरियाणा की नकल करें। वहां प्रत्येक महीने पटवारी गांव में जाता है। 115-सी की जो कार्यवाही लेखपाल करता है, उस पर प्रधान के हस्ताक्षर होने चाहिए ताकि वह गलत न करने पाये। धन्यवाद।

श्री असगर—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को एक राय देना चाहता हूं। जो आपका यह रेवेन्यू मैनुअल है, यह बहुत पुराना है, इसे संशोधित किया जाना चाहिए। आज भी पूरे प्रदेश में जमीन बांटने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पहले से ज्यादा जमीन बंटी है। आज से 6 महीने पहले पडरौना के राजा की जो जमीन सीलिंग में निकली थी, उस पर किसी की हिम्मत नहीं थी की कोई हाथ लगा दे, परन्तु आज जमीन बट रही है। यह 1100 एकड़ जमीन है। इसमें एक मजबरी है। राजा पडरौना ने जमीन बेच दी थी उन लोगों के हाथ पहले एक एकड़ या दो एकड़ जोत थी, आज उन्हें बेदखल कर दिया गया है। हरिजनों के नाम से जमीन बेची थी। जो हरिजन भूमिहीन हैं। उन हरिजनों को भी बेदखल करके आज वह जमीन ली जा रही है। उसमें एक सौदा है। माननीय मंत्री जी। आपके एस0 डी0 एम0, तहसीलदार और लेखपाल मुकम्मल जमीन की कीमत तो नहीं लेते लेकिन एक हिस्सा पेमेण्ट कराकर जमीन का बंटवारा कर रहे हैं। इसका प्रूफ हमारे यहां पडरौना तहसील और कारघाट में जो पडरौना राजा की जमीन का बंटवारा किया गया है, वहां आपको दे सकता हूं। आप एक जांच दल भेजें तो मैं प्रूफ दे सकता हूं कि कितना रुपया किससे लेकर जमीन बांटी गयी है।

जमीन सुधार कानून, इसमें कोई शक नहीं है कि नारा लगाया, जेल गये, लेकिन केवल काग़ज में ही यह नारा है, आज अमली जामा जरूर पहनाया जा रहा है लेकिन सुधार हुआ नहीं है। चकबन्दी के सिलसिले में बताना चाहता हूं आज भी 10-10 साल से मुकदमे पेंडिंग में रखे गये हैं कि कौन आदमी ज्यादा पैसा देता है ताकि उसके पक्ष में फैसला किया जाय। आपकी तहसील के कर्मचारी जो 10 साल से कार्यरत हैं, आज भी परमानेन्ट नहीं किये गये। परमानेन्ट उसको किया जाता है जो रिश्तेदार हो, निजी सम्बन्धी हो या ज्यादा से ज्यादा पैसा दे। हर तहसील में 5 से 10 साल के आदमी कार्यरत हैं जिनको परमानेन्ट नहीं किया गया है।

श्री सैय्यद लियाकत हुसैन—

मैं माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं। समयाभाव के कारण सिर्फ अपने सुझाव पेश करता हूं।

(इस समय 4 बज कर 43 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में दिया हुआ है कि मुकदमे का फैसला 6 महीने में हो जायगा लेकिन राजस्व के जो मुकदमें हैं 5-10-15 साल से पड़े हुए हैं जिनका फैसला नहीं हुआ। मेरी गुजारिश है कि पिछली सरकार के जमाने से जो देरी चली आ रही है, उसमें तबदीली लायेंगे और जैसा कानून में दिया हुआ है 6 महीने के अंदर फैसला होने की व्यवस्था की जायेगी।

राजस्व के दो कानून हैं-लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और जमींदारी एबालीशन एक्ट। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में विरासत का मामला है। विरासत के काम में 5-10 साल लग जाते हैं लेकिन फैसले की वैल्यू नहीं होती है, फिर जमींदारी एबालीशन में वही मुकदमा चलता है। हालत यह है कि मुकदमा एक है लेकिन दो-दो बार चलता है। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और जमींदारी एबालीशन एक्ट दोनों को एक कर दीजिये ताकि मुकदमें को दो-दो बार न लड़ना पड़। एक ही बार मुकदमा चले और किसान को मुकदमें बाजी से मुक्ति मिले।

नायब तहसीलदारों को मुकदमे का फैसला करने का अधिकार दिया गया है। उनसे जरूरत से ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं, इसलिये जो अख्तियारात जूडीशियल हैं उनसे ले लेने चाहिये। जहां तक कानून की बात है एक काश्तकार मर जाता है तो पुत्र के होते उसकी लड़कियों का और उसकी बेवा का कोई हक नहीं है। तजुर्बा यह कहता है कि लड़का तो कमा लेता है लेकिन बेवा मारी-मारी फिरती है। लड़के के साथ बेवा का और पुत्री का भी हक होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बजट का इस्तकबाल करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी बी0 एस0 पी0 के सदस्य बोलने के लिये रह गये हैं, अब आप बोलें।

श्री अकबर अली—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भूमि सुधार के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। यों तो हर सरकार गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों के लिये समय-समय पर कोई न कोई कानून बनाती ही रहती है, लेकिन सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि सरकार हरिजन की हितैषी है इसीलिये मैं कहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन एक्ट की धारा 122 (बी) (ए) जिसमें लिखा है कि जो गरीब हरिजन लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं

है, काबिज परती भूमि पर है वह भूमिधर घोषित कर दिये जायें। जैसे कि 1985 में कानून आया कि जो हरिजन भूमिहीन लोग हैं वह उसके असल काश्तकार माने जायें। धारा 122-बी (4) क्लाज में यह आया है।

मेरा सुझाव है कि अब नयी सरकार वजूद में आयी है, आज जो ग्रामीण अंचल में बड़ी-बड़ी तमाम भूमि परती पड़ी हुई है, जो हरिजन भूमिहीन हैं वह उस पर काबिज हैं। मेरा सुझाव है कि हरिजनों का ख्याल करने वाली यह सरकार जैसा कि आपने अपने घोषणा पत्र में एलान किया है खास करके धारा 122-बी (5) में संशोधन करें, तरमीम करें कि 30 जून, 1990 तक जो अनुसूचित जाति के लोग काबिज हैं उनके भूमिधरी को राइट मिलेगा, यह तरमीम जरूर होनी चाहिए।

इसी तरह से परती भूमि जिसके पट्टे दिये हुए हैं, अभी तक अनुसूचित जाति के लोगों को उस पर कब्जा नहीं दिया गया है। वैसे तो इसके लिये दण्डनीय कानून बनाया गया है 1989 में और वह कानून यह है कि जो हरिजन जिस भूमि पर काबिज होंगे, उनके खेतों पर कोई जबरन कब्जा करता है, उसको 6 साल की सजा होगी, यह कानून पार्लियामेन्ट के पास हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे जनपद, जिला जालौन में जो तमाम हरिजन लोग हैं, जिनको कब्जा दिया गया है, लेकिन उनको सुरक्षित नहीं किया गया है। क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में जालौन के जिलाधिकारी को आदेश देंगे कि जनपद जालौन में भूमिहीन लोगों के जो कब्जे हैं उन पर मुकदमा चलाया जाय। इसके लिए नियत साफ होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये। नियमानुसार बजट पर प्रश्न करने का समय 5 बजे का होना चाहिये। अभी माननीय मंत्री जी को बोलना है, अभी माननीय तिवारी जी बोलेंगे।

श्री अकबर अली—

मुकदमा भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों पर चल रहा है, परती भूमि को कब्जा जबरन करने का लेखपाल ने मुकदमा चला दिया है। इसलिये हरिजन लोगों के लिये धारा 122-बी के क्लाज (4) में सुधार कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री अकबर अली—

आप लोग हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं इसलिये बी० एस० पी० को आना पड़ा।

(श्री श्याम नारायन तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्याम नारायण तिवारी—

मान्यवर, नई तहसीलें और नये जिले बन गये हैं। मेरा जिला महराजगंज है उसमें तहसील फरेंदा और तहसील नौतनवा है। फरेंदा के गांव नौतनवा के समीप और नौतनवा के गांव फरेंदा के समीप आ गये हैं। जिलों का भी इसी तरह से हुआ है। मेरा

सुझाव है कि जनगणना के बाद, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर और महराजगंज के सीमा विवाद को हल करें, अन्यथा यह पीड़ा बनी रहेगी और राजस्व विभाग को भी दिक्कत होगी और हम लोगों को भी कष्ट होगा । इस सम्बन्ध में आप आश्वासन दें ।

मान्यवर राजस्व परिषद् सफेद हाथी की तरह बना हुआ है । 20-20 वर्ष से मुकदमें लम्बित हैं । आप एस0 डी0 एम0 और तहसीलदार का ट्रांसफर कर नहीं पाते हैं । इसको भंग करके आप एक क्रान्तिकारी कदम उठावें ।

मान्यवर, महराजगंज जनपद शिव्वनलाल सक्सेना का जनपद रहा है । वहां सामंतों का प्रभाव था और अगर आप इसकी जांच करावें तो 10 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन लोगों के पास निकल आयेगी, जो लोगों ने छिपा कर रखी है । उस जमीन को निकाल कर आप वितरित करावें । आप 12 एकड़ पर सीलिंग करें । आपने बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया है । भूदान के बारे में मैं चाहूंगा कि अब हमारे प्रधान मंत्री वी0 पी0 सिंह कैसे बच पायेंगे । बेचारे वहां भी नहीं बच पायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण—

(श्री शिवबालक पासी के खड़े होने पर) यह तो मंत्री रह चुके हैं ।

एक सदस्य—

मान्यवर, जिन सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला है, उनके लिखित सुझाव ले लिये जायें ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने सुझाव लिखकर दे दें, मंत्री जी आप उन पर कार्यवाही कर लें ।

श्री राम शरण—

जिन सदस्यों की बात यहां पर नहीं आ सकी है, वह अपने सुझाव लिखकर दे दें, उन पर उससे अधिक कार्यवाही होगी, जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर बोला है ।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बाद में तिवारी जी ने कुछ बोला ही नहीं, इसलिये मैं उनका आभारी हूं । आपने बहुत मेरी तरफ लालच फेंका है । मैं तो इंदिरा जी का आदर करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन मान्यवर, मैंने इंदिरा जी के खिलाफ गवाही भी दी थी और सबसे पहले लखनऊ में मैं पकड़ा गया था। वह पुराना किस्सा है । वे भी नहीं रही, बहुत से लोग नहीं रहे, राज नारायण जी नहीं रहे । वह एक कहानी रह गई ।

मान्यवर, दो-तीन बातें कही गई । एक बात तो मंगलदेव विशारद कमेटी की सिफारिशों के सम्बन्ध में कही गयी । मंगल देव विशारद कमेटी की जो सिफारिशें थीं उनको मैं दिखवाऊंगा । वह मेरे मित्रों में थे । साथ रहे, जेल में भी इकठ्ठा रहे । उनकी जो संस्तुतियां हैं, वह मैं दिखवाऊंगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसमें आपको ज्यादा हानि हो जायेगी । कांग्रेस के लोग उसमें ज्यादा फसेंगे । उसमें बड़े-बड़े फार्म आयेंगे । एक बात जवाहर लाल नेहरू के बारे में कही गई । उनके साथ बचपन

में रहा । बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े डेमोक्रेटिक थे लेकिन गांवों की सभ्यता से उनका थोड़ा मामला अलग था । वे शहरी और विदेशी सभ्यता से ओतप्रोत थे । यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है । लेकिन जनता दल की यह सरकार गांधी, लोहिया, जय प्रकाश और चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलने वाली सरकार है किसी और की नीतियों पर चलने वाली नहीं है । आचार्य नरेन्द्र देव हमारे सम्मानित नेता थे । उनकी नीतियां तो हमारे अन्दर कूट-कूट कर भरी हुई हैं । उसी प्रकार हम काम कर रहे हैं । सम्मानित सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, वह बहुत अच्छी हैं । दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में कई बातें कही गई । ओला वृष्टि है, बाढ़ है, सूखा है, आग लगा करती है । यह सब बातें हैं उसके लिए हमने बजट में प्राविधान किया है माननीय मुख्य मंत्री जी ने ओला वृष्टि के सम्बन्ध में आपको वायदा भी किया है ।

रेवेन्यू कोड की बात कही गई । जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है । इसके लिये एक समान एक्ट बनाया जाय, प्रदेश के लिये । अलग-अलग एक्ट में परेशानी होती है । इस सम्बन्ध में कमिश्नरी के वकीलों से भी मेरी बात हुई थी । लेकिन मान्यवर, अभी इस सरकार को केवल 7 महीने ही हुये हैं । 9 महीने होने दें पता नहीं हम क्या-क्या करते हैं ।

श्री धर्मपाल (बहराइच)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग दानवीर कर्ण बन गये थे । उन्होंने बहुत सी जमीन भूदान में दे दी थी । उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया राजस्व का बकाया था । उन्होंने अपने को पागल घोषित करके अपने परिवारजनों को वह जमीन दे दी और फिर उस पर काबिज हो गये . . . .

श्री राम शरण—

पता नहीं कब कौन पागल हो जाय । इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है । मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो एक रुपया तनख्वाह ले गये हैं ताकि इन्कम टैक्स में न फंस जायं ।

अभी माननीय दुबे जी रेवेन्यू आफिसर्स के बारे में बोल रहे थे, उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में वे बोल रहे थे । खसरा के सम्बन्ध में कह रहे थे । उसके लिये हम व्यवस्था करने जा रहे हैं । हमसे कोई चीज बचेगी नहीं । जो आप शिकायत कर रहे हैं, वह नहीं रहेगी । दाखिल खारिज के मुकदमें आदि जितने हैं, वह सब ठीक हो जायेंगे ।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मान्यवर, वह कुर्की वाला देख लें ।

श्री राम शरण—

यह सही है हम कुछ न कुछ करेंगे वर्ना गरीब आदमी फंसा रह जायेगा । हम इसमें भागते नहीं हैं । एक बात आपने कही थी जोत वही के बारे में यह बात जब श्री टी0 एन0 सिंह की सरकार बनी थी सन् 70-71 में तो हमने जोर देकर कहा था । यह शिकायतें आती रहती हैं अभी हमारे सी0 पी0 आई0 के साथी असगर अली साहब कह रहे थे रेवेन्यू मैनुवल बहुत पुराना है इसमें चेंज करिये यह बात ठीक है इसमें क्या हर चीज में यह करना पड़ेगा ।

मुझे आज पहली दफा खुशी हुई है भ्रष्टाचार की बातें उतनी नहीं आईं नहीं तो भ्रष्टाचार की रोज बातें होती रहती थी आज सुझाव ज्यादा आये हैं (व्यवधान) एक भाव तो होता रहता है नहीं तो पहले कहते थे कि पटवारी लूट रहा है, तहसीलदार लूट रहा है (व्यवधान) हमारे साथी राम सिंह जी बैठे हैं आज वाकई में कालीनदा यहां बतीं गयी है । हदबंदी के संबंध में जो जमीन चोरी से छिपा रखी है इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं ।

भूमिधरों तथा प्राइवेट कोलोनाइजरों द्वारा मुनाफाखोरी की दृष्टि से कृषि भूमि का व्यापक पैमाने पर कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने पर रोक लगाने के लिये भूमि सुधार कानून में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है तो हम तो यह करने जा रहे हैं आप चिंता क्यों कर रहे हैं ।

यहां पर एक बात महाराजगंज के बारे में कही गयी माननीय माता प्रसाद जी बैठे हैं उसका हैडक्वार्टर तय करने की बात है तो 30 जून, 1991 तक तो हम बंधे हुए हैं 30 जून, 1991 के बाद कोई संशोधन करने की जरूरत होगी तो हम करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है । जिला या तहसील जनता की सुविधा के लिये बनते हैं (व्यवधान) हम इस विभाग के मंत्री रहेंगे तो करेंगे; मंत्री तो रहेंगे इस विभाग की बात कर रहा हूं तो इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

नदियों के सहारे जो जमीन है उसकी चकबन्दी कराने की व्यवस्था करिये ।

श्री राम शरण—

यह मैं पहले ही कह चुका हूं हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है 30 प्रतिशत जिस गांव की जमीन चकबंदी के लायक हो उस गांव में चकबन्दी करायेंगे पहले 80 प्रतिशत थी अब उसे हम 30 पर ले आये हैं । चकबन्दी का मुझे पूरा ज्ञान है । इस मामले में मेरी विभाग पर काफी पकड़ है मैं आश्वासन देता हूं कि इस मामले में जितना सुधार लाया जा सकता है । हम लायेंगे । अभी 11, 12 ता0 का जिक्र हमारे साथी तिवारी जी ने किया । प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें बटाईदारों पर विचार हुआ था कि जमीन उसकी है जो जमीन को जोते ।

इन शब्दों के साथ, मैं श्री तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि अब कोई चीज नहीं रह गयी है, इसलिये वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत किया गया)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,46,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,02,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,11,59,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी-गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून तथा हरिद्वार जिलों को मिलाकर उत्तरांचल नाम से एक पृथक् प्रदेश गठित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

मान्यवर, मैं आपके अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन भारत सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, गढ़वाल, उत्तर काशी, देहरादून तथा हरिद्वार जिलों को मिलाकर उत्तरांचल नाम से एक पृथक प्रदेश गठित कर दिया जाय। मान्यवर, मैं स्वयं तो इन जिलों से नहीं आता हूं, लेकिन एक क्षेत्रीय असन्तुलन की समाप्ति के लिए, भारत की एकता एवं अखण्डता तथा राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति और समग्र विकास के लिए यह प्रस्ताव इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। यह बात हम सब समझते हैं, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं, उनका मात्र भौगोलिक ही महत्व नहीं है, बल्कि वे हमारे समाज के महत्व के भी हैं। साथ ही वह हमारे श्रद्धाकेन्द्र, साधना स्थल भी हैं। वहां के रहने वालों के मन में यदि किसी प्रकार की अस्थिरता की भावना, असन्तोष व्याप्त रहे तो वह शान्ति एवं सन्तोष की जिन्दगी नहीं जी पायेंगे। यह यदि असन्तोष रहेगा तो यह स्वाभाविक है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए विसंगति पैदा हो सकती है। न इस पर हमारे पुराने लोगों ने भी पूरा ध्यान नहीं दिया लेकिन इधर पिछले 42 सालों में तो एक ऐसा असन्तुलन पैदा हुआ, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र निरन्तर पिछड़ता चला गया। अंग्रेजों ने उनके साथ क्रूर मजाक किया था, इतिहास साक्षी है कि अंग्रेजों के यहां पर शासन में आने के पहले यह एक स्वतन्त्र इकाई, स्वतन्त्र प्रशासनिक इकाई थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसको मिलाकर संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध बनाया। उन्होंने पूरे उस पर्वतीय क्षेत्र पर ध्यान देने के बजाए, उसके विकास की बात सोचने के बजाए, मात्र उन स्थानों पर ध्यान दिया जो उनके लिए हिल स्टेशन थे या फिर जहां पर वह अपने सैनिक रखना चाहते थे। मात्र उन क्षेत्रों के अलावा पूरे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनकी समस्याओं की ओर यदि ध्यान देते तो यहां चारों तरफ फैला पिछड़ापन हमें दिखाई न पड़ता। उसके विकास की किसी को चिन्ता नहीं है, न चिन्तन है। लखनऊ तथा दिल्ली में बैठकर यह सम्भव भी नहीं है। हम वहां पर उन अधिकारियों को भेजते हैं, जो जाना नहीं चाहते हैं। अधिकारी-गण वहां पर पनिशमेंट के तौर पर भेजे जाते हैं या किसी दबाव के समय जाते हैं। मसलन यदि किसी का प्रमोशन हुआ और उसे प्रमोशन लेना है तो उसे बेमन वहां पर जाना ही पड़ता है। वह आज पहुंचता है तो कल आगे दिन से ही मन में अपने भावना बना लेता है कि प्लेन्स में हम चले जाएं किसी तरह। इसलिए दत्तचित्त मन में और उत्साह के साथ वहां पर कोई अधिकारी, कर्मचारी अपना काम नहीं करता है। हम सब लोग वहां जाते हैं, वहां के अस्पताल खाली पड़े हैं, स्कूल खाली पड़े हैं, अंशकालिक शिक्षक एवं चिकित्सक भी यहां से काम करने गए हुए हैं। वहां पर कर्मचारियों का घोर अभाव है। उत्तरान्चल वासी अपनी पीड़ा को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट गये थे और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जब तक वहां पर पोस्ट खाली रहेंगी, वहां से किसी का ट्रांसफर अन्यत्र नहीं होगा।

वहां पर जहां तक साक्षरता का सवाल है, प्लेन के मुकाबले शिक्षा का प्रतिशत ज्यादा होगा। वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं दिखेंगे और बच्चे दिखेंगे, लेकिन आप युवक नहीं देखेंगे। यदि आपको कुछ युवक दिखाई पड़ेंगे तो वह बेरोजगार युवकों को

देखेंगे । वहां पर इतनी बेरोजगारी है कि पढ़ाई-लिखाई के बावजूद लोगों को बेकार देखेंगे । स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में उनमें असन्तोष होगा । पिछले एक बार जनता सरकार ने अपोजीशन की सरकार ने इसके लिए वहां पर एक हिल कैडर बनाया था, लेकिन पिछली सरकार ने उसको भी चकनाचूर कर दिया । आज हमें चारों तरफ बेरोजगारी दिखाई देती है । कहा जाता है कि वहां की जलवायु, तथा पर्यावरण उद्योग के लिए योग्य नहीं है परन्तु वहां का पर्यावरण स्विटजरलैंड जैसा है । स्विटजलरलैंड में बिल्कुल हिमालय जैसी परिस्थितियां हैं । स्विटजरलैंड का निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में विकास हो गया तो आखिर उन्होंने कोई प्रयास किया होगा, उनके मन में उत्साह पैदा हुआ होगा और इसी का परिणाम है कि स्विटजरलैंड आज विश्व में उद्योगों की दृष्टि से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है । तो पर्वतीय प्रदेश में उद्योग क्यों नहीं पनप सकते ।

मान्यवर, हमारे उत्तरांचल में बड़ी-बड़ी पर्वत मालाएं हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, गहरी घाटियां हैं, गोचर जैसे मैदान हैं । बद्रीनाथ और केदार नाथ जैसे धार्मिक स्थान हैं, फूलों की घाटियां हैं और वहां पर अपनी अलग संस्कृति है । वहां पर मानव संसाधनों की कमी है । पर्वतीय क्षेत्र में वनों से 45 करोड़ रुपये की प्रति वर्ष आय होती है । वहां का दो तिहाई भाग वनों से आच्छादित है जिनसे सिर्फ लकड़ी ही नहीं मिलती बल्कि अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी मिलती हैं । वहां पर 2 लाख क्विंटल लीसा मिलता है और उससे 57 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है । लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है कि वहां की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है । केन्द्र तथा प्रदेश के कानूनों ने भी कहर ढाया है । वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना । अनेक बार इसकी चर्चा इस सदन में भी हो चुकी है । उस पर्वतीय क्षेत्र में विकास के जो छोटे-छोटे काम हैं, वह भी नहीं हो सके हैं । जब मैं लोक लेखा समिति का चेयरमैन था, तो वहां मर जाने का मौका मुझे मिला था । विकास की दृष्टि से पुल, पुलिया, सड़क आदि वहां पर नहीं बन सकते हैं । क्योंकि इसके लिए यदि दो तीन पेड़ काटने पड़े तो उसकी अनुमति नहीं दी जाती है । अनुमति लेने के लिए दिल्ली भागना पड़ता है । इसके सरलीकरण के लिए वहां के जिलाधिकारी को यह अधिकार दे दिया जाना चाहिए कि वह पेड़ काटने के लिए अनुमति दे सके । निजी कार्यों के लिए नहीं तो विकास कार्यों के लिये तो पेड़ काटने की अनुमति दी ही जानी चाहिए । मान्यवर, समय कम होने कारण अधिक चर्चा नहीं कर सकता हूं । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं वह हमारे पूरे प्रदेश को सिंचित करती हैं । लेकिन वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल का संकट है। लेकिन इस पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । वर्ष 1962 में चीनी हमले के बाद पहाड़ों पर ध्यान गया । आजादी मिलने के बाद एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया । राज्य पुनर्गठन आयोग ने कश्मीर से लेकर मिजोरम तक जो शैलमालाएं हैं उनकी तरफ ध्यान दिया । मान्यवर, मिजोरम और नागालैण्ड की जितनी आबादी है उतनी हमारे यहां नैनीताल और पिथौरागढ़ को मिलाकर हो जायेगी । लेकिन इनकी तरफ भी किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया ....

श्री अध्यक्ष—

अभी आप कितने मिनट बोलेंगे । अभी और भी माननीय सदस्यों को बोलना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, केवल पांच मिनट का समय लूंगा । मान्यवर, मैं कह रहा था कि वहां की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है । राज्य पुनर्गठन आयोग के एक सदस्य श्री पणीकर महोदय ने यह संस्तुति की थी कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को चार भागों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए । उत्तरांचल की शैली मालाओं को अलग करना चाहिए । 1928 में नेहरू समिति कांग्रेस के तत्वावधान में बनी । उस समय भी उन्होंने कहा कि भौगोलिक स्थिति सुधरनी चाहिए । हमारी गौरवशाली परम्परायें जो हैं हमारी संस्कृति और सभ्यता विविधता में एकता रखती है, तो उनकी परम्पराओं का संरक्षण, उनके आदर्शों का संरक्षण होना आवश्यक है उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वहां की उप संस्कृति को संरक्षण देने हेतु भी प्रथक प्रशासनिक हमारी जरूरी है ।

(इस समय 5 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ऊदल पीठासीन हुए ।)

जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब हम आन्दोलन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि छोटा प्रदेश होना चाहिए, हिमांचल प्रदेश को आप देखें यह उसी तरह से पिछड़ा हुआ था जिस तरह से अन्य पर्वतीय क्षेत्र पिछड़े हुए हैं । अब वहां की समस्यायें कम हैं । वहां सेब माल्टा आदि चीजें पैदा होती हैं वहां की समस्यायें और हमारा पानी मैदान की समस्याओं में फर्क है । वहां 55.67 हजार वर्ग कि0 मी0 में 42.81 लाख आबादी है और उत्तर प्रदेश में 51.12 हजार वर्ग मीटर में 48.36 लाख आबादी है । यह बराबर की ही आबादी है हिमांचल प्रदेश तथा उ0 प्र0 के पर्वतीय बोर्ड जिलों का बजट भी लगभग बराबर है । यह मैं उत्तर प्रदेश के आठ जिलों की बात कर रहा हूं जबकि हिमांचल और उत्तर प्रदेश की आबादी बराबर है लेकिन हिमांचल प्रदेश को रिप्रजेन्ट करते हैं 68 विधायक, और हमारे यहां रिप्रजेन्ट करते हैं 19 विधायक । मान्यवर, जो हमारे प्लेन्स से विधायक हैं उनके लिये तो आवागमन के साधन उपलब्ध हैं वह स्कूटर से भी आ जा सकते हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की स्थिति के बारे में देखें इनके लिए आवागमन के ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय इशारा कर रहे हैं मैं अपना भाषण खत्म करूं । हमने चुनाव आयोग से कहा है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में 75 हजार की आबादी पर एक विधायक चना जाना चाहिए । मान्यवर, उत्तराखंड क्रान्ति दल ने समय-समय पर आन्दोलन किया भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 12 मार्च को प्रदर्शन किया और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से हम लोग मिले, उन्होंने शान्तिपूर्वक सारी बातों को सुना और उत्तरांचल राज्य की स्थापना के लिए विचार करने की सहमति व्यक्त की और कहा कि इस विषय में मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी से बात करेंगे । मान्यवर, दो महीने हो गये हैं अभी इस विषय में कोई उत्तर नहीं आया है । हम यह बहुत ही सद्भावना के साथ तथा बल देकर कहना चाहते हैं कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना होने की राष्ट्रीय आवश्यकता है । इसकी स्थापना न होने की वजह से लोगों के मन में असन्तोष है । इस असन्तोष को दूर किया जाना चाहिए । भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में यह प्रस्ताव पारित किया था कि उत्तरांचल की स्थापना होनी चाहिए । मान्यवर, महाभारत सीरियल आता है सबने इसे देखा होगा, लाक्षाग्रह में माता कुन्ती बैठी हैं पांडव उनके सामने बैठे हैं वह समझती हैं कि हमें अपनी गरीबी बर्दाश्त है, लेकिन कौरवों का वैभव बर्दाश्त नहीं है । हम मृत्युलोक में रहने वाले हैं । तो हम विषमता तथा क्षेत्रीय असुन्तलन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं । राष्ट्र की एकता सामाजिक समस्या तथा

क्षेत्रीय असन्तुलन की समाप्ति तथा उत्तरांचल के विकास के लिए यह प्रस्ताव पारित होना अत्यन्त आवश्यक है कि उत्तरांचल नाम से एक पृथक प्रशासनिक इकाई अर्थात् प्रदेश गठित करने हेतु केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाय क्योंकि संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार उसे एक राज्य का हिस्सा निकालकर एक प्रदेश बनाने का अधिकार है ।

अंत में मैं उत्तरांचल प्रदेश के गठन की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का उल्लेख करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं जिसमें लिखा है कि "किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों का या राज्यों के भागों के साथ मिलाकर नये राज्यों का निर्माण किया जा सकता है ।"

*डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो उत्तरांचल बनाने की आज आवश्यकता है । मान्यवर, मैं बरेली का रहने वाला हूं इसलिए वहां बराबर जाने का अवसर मिलता रहता है । मैंने कुमायूं गढ़वाल मंडल देखा है । माननीय गुप्त जी ने जो बातें कहीं उनको न दोहराकर मैं कुछ बातें इस संबंध में कहना चाहता हूं । अभी एक महीने पहले वहां पर एक हजार विद्यार्थी वहां पर इकठ्ठे हुये थे उनसे वोटिंग करायी गयी तो 80 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि उत्तरांचल बनना चाहिए अगर नहीं बना तो इस क्षेत्र की बेरोजगारी, इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता । वहां पर कम से कम एक लाख पढ़े लिखे लड़के, आई0 टी0 आई0 पास हैं जो बेकार घूम रहे हैं और उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है । वहां पर बिजली, शिक्षा, आदि के बारे में माननीय गुप्त जी ने अभी बताया है ।

मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर बहुत फल होते हैं लेकिन आज तक सरकार ने उनके लिए समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है । मैंने एक प्रश्न किया था तो उसके उत्तर में पर्वतीय विकास मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने सेब के समर्थन मूल्य के लिये पहली बार घोषणा की है । वहां पर उद्योग धंधों की कमी है । अगर फल उद्योग को बढ़ावा दिया जाय तो वहां के रहने वालों की स्थिति में सुधार हो सकता है । वहां के तमाम नौजवान छोटी-छोटी नौकरी करने के लिये मजबूर हैं । वहां से वह पैसा कमाने के लिये यहां आते हैं और छोटे-छोटे कामों में होटलों में बरतन मांजने रिक्शा चलाने जैसे काम कर रहे हैं । उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । वहां पर 500 ऐसी डिस्पेंसरीज हैं जहां पर डाक्टर नहीं हैं । डाक्टर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में जाना नहीं चाहते हैं । वहां पर 5 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं जो भरे नहीं गये हैं । अगर वह पद भर दिये जायं तो कुछ लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है ।

मान्यवर, वन संरक्षण अधिनियम के बारे में अभी माननीय गुप्त जी ने कहा है । वहां पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है । छोटे-छोटे पुल, पुलिया, दुकानें, मकान वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण नहीं बन पा रहे हैं । कारण यह है कि कोई पेड़ काटा नहीं जा सकता है और जब तक पेड़ न काटे जायें तब तक कोई काम नहीं हो सकता है । अगर पेड़ कटना हो तो लखनऊ और दिल्ली के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं । वहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । लेखपाल कानूनगो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । क्योंकि मुख्यालय से इतनी दूर वह पोस्ट है कि अगर डी0 एम0 या सी0 एम0 वहां जाना चाहें तो

*वक्ता से भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी वहां नहीं पहुंच सकते । हमारे मंत्री वहां जाते हैं और नैनीताल क्लबमें ठहर कर, अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में ठहर कर लौट आते हैं और घोषणा कर देते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र का दौरा कर आये । वहां का विधायक 5 साल में एक दफे से ज्यादा अपने क्षेत्र का दौरा नहीं कर सकता है । उस क्षेत्र की तमाम समस्याओं का निराकरण तभी हो सकता है जब वहां 9 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल बनाया जा । इसी सदन की बात है, सूखे पर बात हो रही थी यहां किसी अधिकारी ने कहा कि वहां पर ट्यूबवेल लगा देंगे । अब मान्यवर, पहाड़ पर ट्यूबवेल तो लग नहीं सकता । लखनऊ में बैठकर पहाड़ के विकास की बात नहीं की जा सकती है । अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र का अधिकारी होता तो वह सही बात कहता । आज बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जो वहां की जनता है, जो वहां के नौजवान हैं कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी समस्याओं को लेकर क्रांति का रूप धारण कर लें और वहां का नौजवान उठकर खड़ा हो जाय, रास्ता जाम करने लग जाय और आवागमन बाधित कर दे । सरकार को ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहिए वरना समस्या गंभीर हो सकती है । वह कोई बुरी बात नहीं कहते, उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं । वह कोई हिंदुस्तान से अलग होने की मांग नहीं कर रहे हैं । बोडोलैंड या खालिस्तान की तरह कोई अलग राज्य की बात वह नहीं कर रहे हैं । वह इसलिये एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं कि वहां का आर्थिक विकास हो और वहां की बेरोजगारी दूर हो सके तथा पढ़ाई, अस्पताल, स्कूलों आदि की अच्छी व्यवस्था हो सके । उस क्षेत्र के लिये यह कोई नई मांग नहीं की जा रही है । सन 1946 में आदरणीय सोहबन सिंह जीना तथा श्री हरेर बल्लभ पांडेय ने मांग की थी कि एक पर्वतीय राज्य गठित किया जाय । भारतीय जनता पार्टी ने 3 वर्ष पहले यह तय किया कि उत्तरांचल बनना चाहिए । यह निर्णय लखनऊ या दिल्ली में बैठकर नहीं लिया गया । हमारे राष्ट्रीय नेता आडवानी जी ने अल्मोड़ा में जाकर वहां के क्षेत्रीय नागरिकों, कार्यकर्ताओं की बैठक की, गढ़वाल में बैठक की और उसके बाद तय किया कि उस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उत्तराखण्ड राज्य बनना चाहिए वरना यह क्रांति एक दिन फैल जायगी और इस क्रांति को उत्तर प्रदेश की सरकार झेल नहीं पायेगी । यह लोग देश से अलग होने की कोई मांग नहीं कर रहे हैं, यह लोग देश से एक छोटा सा राज्य मांग रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

माननीय अधिष्ठाता जी, यह जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने प्रस्ताव रखा है, इस पर चर्चा करने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, आपको भी इस बात का ज्ञान है और इस सदन के अधिकांश सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि यह मांग आज की नहीं है, यह बहुत पुरानी मांग है और जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने जिक्र किया 1928 में नेहरू कमीशन जब बैठा था राज्य के गठन के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से तो उन्होंने जो सिद्धान्त और नीति तब की थी, उसके तहत भी उत्तराखण्ड जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरांचल कहा है और जिसे हम उत्तराखण्ड के नाम से राज्य बनाना चाहते हैं, पूरा आधार मौजूद है । 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा था और जब विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन के बारे में उन्होंने अपनी संस्तुति दी, तो उत्तर प्रदेश के मसले पर जब चर्चा हुई, तो जैसा आपने सुना कि श्री के0 एम0 पणिकर जी ने उत्तर प्रदेश में

विभाजन की मांग की थी और उत्तर प्रदेश के विभाजन न किये जाने पर उन्होंने अपना नोट आफ डिसेंट लगाया था यह मान कर कहा था कि जब उत्तर प्रदेश एक रहेगा, तो देश एक रहेगा और अखण्ड रहेगा। इस बात को उन्होंने भावनात्मक विचार कहा था और कहा था कि ऐसे क्षेत्रों को जिनके विकास की सम्भावना एक सी हो, उनको एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उस हिसाब से उत्तराखण्ड राज्य का बनना नितांत आवश्यक है। आज का यह विचार नहीं है, बल्कि तब के विद्वानों व राजनीतिज्ञों का विचार था, जो भविष्य दृष्टा थे और जो भविष्य को गहराई से देख सकते थे, जो वैज्ञानिक दृष्टि रखते थे। भावनात्मक दृष्टि अलग बात है, जब राज्यों का गठन हुआ, तो उसका आधार भाषायी था और आज बहुत सारे राज्यों में भाषायी आधार की कठिनाइयां और दिक्कत सामने आने लगी हैं।

अखण्डता की बात हम मानते हैं। यह बात अपने आप में सही है। लेकिन उत्तराखण्ड को राज्य बनाने की जो बात है, उसको आप सही पायेंगे, सही इसलिए पायेंगे कि इसका आधार वैज्ञानिक है। मैं वैज्ञानिक इसलिए कह रहा हूं कि इसका जो आधार है, वह न कोई भाषा है, न जाति है और न कोई सम्प्रदाय है। इसके पीछे जो कारण है, इसका जो आधार है, वह बिल्कुल नितांत एक विशिष्ठ भौगोलिक क्षेत्र विशेष है, वहां की सामाजिक, आर्थिक स्थिति एक सी है। उसका प्रशासनिक ढांचा व नियोजन उत्तर प्रदेश के साथ रहते हुए सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। इसलिए उसको अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, आज की तारीख में हिन्दुस्तान में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा संस्तुत 14 राज्यों से 17, 17 से 21 और आज 25 राज्य हो गये हैं और तब देश की एकता और अखण्डता पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो 26वां राज्य उत्तराखण्ड बन जायगा, तो देश की एकता और अखण्डता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भावानात्मक रूप से सोचने वालों के लिए सबसे बड़ा जवाब यह है कि यह 14 राज्य से 17 और 17 से 21 और अब 25 राज्य बने हैं और इसकी एकता अखण्डता से कोई फर्क नहीं पड़ी है तो इसी तरह से 26 वें राज्य के बनने से इसकी एकता और अखण्टता में कोई फर्क नहीं आयेगा। बल्कि इससे समृद्धि बढ़ेगी। मान्यवर, यह सारे लोगों का कहना है कि उत्तराखण्ड में साधन नहीं है। समय कम है इसलिए मैं विस्तार से आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड के जितने साधन हैं उतना कहीं नहीं है। पानी वहां से आता है वहां के लोगों की शिकायत है और यह बहुत ज्यादा बढ़ गयी है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी वहां के लोगों के काम नहीं आ रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर उत्तराखण्ड की मांग को सरकार स्वीकार नहीं करती है तो यह उत्तराखण्ड के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जायेगा।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह भारत सरकार काश्मीर से लेकर अरुणांचल, नागालैण्ड सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्र को छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त कर सकती है तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा इस बात की संस्तुति कर सकती है। मेरी मांग है कि सारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के साथ एक साथ न्याय हो और उनके लिए एक ही माप दण्ड अपनाया जाय।

1981 की जनसंख्या के हिसाब से जिसकी आबादी 48 लाख के करीब हो और जिसका क्षेत्रफल 52 हजार वर्ग किलामीटर हो और जो राज्य बनाने की सभी शर्तें पूरी करता हो उसे राज्य का दर्जा दिया ही जाना चाहिए । मान्यवर, मेरी यह मांग है और इस सदन से निवेदन है कि ऐसी अनुशंसा और संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजने की कृपा करें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, जैसा कि यहां पर प्रस्ताव आया है और जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि इसका छोटा राज्य बनाने से इसको लाभ होगा । यदि वे यह चाहते हैं कि यह नागालैण्ड बने, असम बने, पंजाब बने, काश्मीर बने तो मैं इसका कतई पक्षधर नहीं हूं कि मेरे इस पहाड़ी राज्य की भी स्थिति उसी तरह की हो । मान्यवर, ये सिर्फ राजनीति तथा अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर पृथक पर्वतीय राज्य की मांग करते रहे हैं । सन् 1977 में जब शक्ति सिंह जिन्हा जिनका यह नाम ले रहे हैं पहले तो पृथक पर्वतीय राज्य की मांग की बात करते थे लेकिन जब 1977 में पर्वतीय विकास मंत्री बने तो फिर उन्होंने इस मांग को नहीं उठाया । इस तरह से श्री इन्द्र मणि बडोनी भी पृथक पर्वतीय राज्य की मांग करते थे परन्तु वह जब 1977 में पर्वतीय विकास के उपाध्यक्ष बने तो उन्होंने यह मांग करना छोड़ दिया । इसी प्रकार से चन्द्र मोहन सिंह नेगी भी जब तक सत्ता से बाहर रहे तब तक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग करते रहे लेकिन सत्ता में आने पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा । मान्यवर, काशी सिंह ऐरी जी पहले कहते थे कि पर्वतीय राज्य आज ही दो, अभी दो, परन्तु आज वह जनतादल वालों के साथ बैठे हैं वो इस प्रकार की मांग आज नहीं कर रहे हैं । ये नारा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लगाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ऐरी जी, क्रान्तिदल के एक सदस्य रहे हैं, इसलिए मैं जानता हूं उनका क्रान्तिदल पहले से ही उत्तराखण्ड की मांग कर रहा है ।

(व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, जब वृहद हिमांचल की बात चल रही थी तो भारतीय जनसंघ ने तब कुल्लू, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर जो पंजाब के जिले थे उनको हिमांचल में शामिल करने का विरोध किया था । जैसा गुप्ता जी ने कहा ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने दल की और अपनी बात बताइये कि उत्तराखण्ड राज्य चाते हैं या नहीं चाहते हैं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, यह हरिद्वार की बात कर रहे हैं कि पर्वतीय राज्य में उसको जोड़ा जाय, परन्तु जब हरिद्वार जिले में ऋषिकेश को जोड़ने का मसला आया तो इनके दल वालों ने उसका विरोध किया और हरिद्वार अभी भी गढ़वाल मंडल का भाग नहीं है ।

इन्होंने ही हरिद्वार को गढ़वाल मंडल में मिलाने का विरोध किया। मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि आज के पहाड़ के विकास के लिए प्रशासनिक इकाइयों को छोटा किया जाना अधिक आवश्यक है। वहां पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना आवश्यक है। वहां पर हिल कैडर सर्विसेज की अलग जरूरत है। सर्विसेज ट्रिब्यूनल लखनऊ के बजाय कमिश्नरी लेबिल पर होने चाहिये। हाई कोर्ट की सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं इनका पक्षधर हूं। जो योजनाएं लखनऊ में बनती हैं, उनकी प्लानिंग भी विकेन्द्रीकरण होकर स्थानीय स्तर पर होनी चाहिये। जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनको लखनऊ से हिल में स्थानान्तरित किया जाय और उनको अधिकार सम्पन्न बनाया जाय, तभी काम हो सकता है। मैं सहमत हूं कि वहां की विषम भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या की स्थिति को देखते हुए विधान सभा में प्रतिनिधित्व का काम जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश की तरह से होना चाहिये। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के चम्बा लाहौल स्थिति किन्नौर जिलों सिंगल की तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जाय।

श्री संत श्रीराम द्विवेदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में मा0 राजेन्द्र गुप्त जी ने जो प्रस्ताव रखा उत्तराखण्ड का पृथक राज्य बनाने के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव का किसी प्रकार से भी कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आता। आज सारे देश में जब पृथकतावादी ताकतें सर उठा रही हैं, जगह-जगह पर इस तरह के आन्दोलन चलते हैं तो देश में जाति के आधार पर, सम्प्रदाय के आधार पर, क्षेत्रीयतावाद के आधार पर विभाजन की रेखा खिचती है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश की सरहदों की जो खबरें हैं, सीमाओं पर जो गतिविधियां हैं, चाहे चीन की तरफ से आती हैं या पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे देश की एकता और अखण्डता की जो मान्यता है, इसको अक्षुण्य बनाए रखना है। अतः इसमें किसी तरह का इस प्रकार के प्रस्ताव का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अपने बजट भाषण में पर्वतीय विकास की दिशा में, उन क्षेत्रों में जो उत्तराखण्ड से संबंधित हैं, उनके समुचित और सम्यक् विकास के लिये जनता दल ने बजट में जो प्राविधान किया है, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में इससे श्री मुलायम सिंह यादव जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिख जायगा। आज देश को जो पृथकतावादी ताकतें विभाजित करना चाहती हैं, उन्हें इस प्रस्ताव से बल मिलेगा मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव मा0 गुप्त जी ने रखा है उनको उस प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिये।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके पक्ष में माननीय एरी जी ने भी अपने विचार रखे हैं। मान्यवर, अभी तो पहले ये दोनों राय कर लें कि इसका नाम उत्तरांचल होगा या उत्तराखण्ड होगा। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं हैं, उनके विकास की समस्याएं हैं, संस्कृति की समस्याएं हैं, भाषा की समस्या है, सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान यह नहीं है कि अलग राज्य बना दिया जाय। आज

उत्तराखण्ड की मांग हो रही है, कल दक्षिणखंड की मांग होगी। परसों पूर्वाखण्ड की मांग होगी। पूर्वी अंचल के जिले कहेंगे कि हमें अलग कर दो, हम बहुत पिछड़े हैं, हमारी तरक्की रुकी हुई है। यह सब जो विचारधारा है वह सब विघटनवाद के सिवाय और कुछ नहीं है। आज हम देश को बचाने में लगे हुए हैं देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिये हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो भी यह सवाल उठाया गया है कि इसे अलग कर दें तो वह देश के बारे में मेरा ख्याल है उसमें कोई भक्ति नहीं रह जाती है प्रदेश के प्रति प्रेम नहीं दिखाई पड़ता है। मान्यवर, उत्तराखंड की समस्यायें जो हैं, पहले तो कुमायूंनी और गढ़वाली में आपस में ही भाषा को लेकर झगड़ा है। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की बात उठी, नेपाली बाहुल्य है अलग राज्य बना दें, गोरखालैंड नहीं मिला, उनकी जो समस्यायें थी उनका समाधान हुआ है, स्वायत्तशासी कौंसिल बनायी गयी। यदि आप चाहते हैं कि इस पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये कुछ किया जाय तो आवश्यकता इस बात की है कि इन क्षेत्रों में स्वायत्तशासी कौंसिल बनायी जायं जिसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों का विकास किया जाय और यह नहीं कि इसको अलग कर दें तो यह खुशहाल हो जायेंगे, क्या खुशहाल हो जायेंगे ? आप कहते हैं कि बड़े क्षेत्र हैं, परेशानी किस बात की है, जो जिले हैं उनका विकास होना चाहिये। यह तर्क देना कि अलग हो जाने से स्वर्ग में पहुंच जायेंगे सारी चीजें उपलब्ध हो जायेंगी, यह कहना तो गलत है। आज की परिस्थिति में हमें देखना चाहिये।

मैं तो निवेदन करूंगा माननीय गुप्त जी से और माननीय एरी जी से कि इस तरह के सवाल इस वक्त नहीं उठाये जाने चाहिये और अगर उठाये जायं तो पूरा अध्ययन किया जाय। जो पर्वतीय क्षेत्र के विकास के काम हैं, पढ़ाई लिखाई के काम हैं और जो दूसरी समस्यायें हैं उनको देखा जाय यह जो पहचान की बात है, यह कोई पहचान खतरे में नहीं है। वहां कोई चीज खतरे में नहीं है इसलिये सवाल नहीं उठता कि अलग सूबा बना दिया जाय। देश में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अलग राज्य बनाना चाहते हैं, पंजाब में हो रहा है, असम में चल रहा है, जम्मू कश्मीर में बात चल रही है। तो फिर तो आप यह बात कहकर उन लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप बनाते जायं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू कर रहे हैं कि अलग से एक प्रदेश बनाया जाय। यह जो अलग से प्रदेश बनाने की मंशा है वह कतई देश के हित में नहीं है और न हमारे उत्तर प्रदेश के हित में है। जो समस्यायें हैं वहां की उन समस्याओं के बारे में यहां पर बहस करायी जानी चाहिये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिये। इसलिये ऐसी स्थिति में माननीय राजेन्द्र गुप्ता को अपना प्रस्ताव ले लेना चाहिये। ऐसी स्थिति में यह जो प्रस्ताव आया है वह देश और प्रदेश के हित में नहीं है, इस प्रस्ताव को वापस लिया जाना चाहिये।

(श्री बरीफया लाल जूंवाठा के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे भी मौका मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपको भी देंगे।

श्री किशन सिंह तड़ागी—

मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला हूं, हमारी भी इस संबंध में बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गुप्त जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जी हां लेकिन पहले मेरी विनती है कि यह मेरे दल के देहरादून के माननीय सदस्य हैं इनको दो मिनट दे दें बड़ी कृपा होगी।

*श्री हरवंश कपूर—

मान्यवर, यह जो उत्तरांचल प्रदेश बनाने के लिये प्रस्ताव आया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज अगर हम पर्वतीय जिलों में जाते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि वहां के चिकित्सालय खाली पड़े हैं, क्योंकि 80 प्रतिशत डाक्टर वहां मौजूद नहीं हैं, वहां के स्कूल खाली हैं, क्योंकि 80 प्रतिशत शिक्षक वहां नहीं हैं। वहां कोई जाना ही नहीं चाहता। वहां की जो परिस्थितियां हैं, वह मैदानी क्षेत्र से बिल्कुल अलग हैं और आज लखनऊ और दिल्ली की सरकारें इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकतीं। यह इस बात से साफ जाहिर होता है कि पिछले दिनों जब सूखा पड़ा, तो पर्वतीय जिलों में हैन्डपंप भेज दिये गये, लेकिन सभी जानते हैं कि वहां हैन्डपंप चल ही नहीं सकते। इस प्रकार लखनऊ और नई दिल्ली की जो सरकारें हैं, और जो उनके अधिकारी हैं, उनको न तो पर्वतीय विकास की चिन्ता है और न वहां के बारे में मालूम है कि पर्वतीय जिलों की समस्यायें क्या हैं। जहां देश की सुरक्षा की बात आती है, उस संबंध में कहना चाहता हूं कि जब वहां के गांव, वहां के जिले, वहां के क्षेत्र आबादी से खाली हो जायेंगे, तो आप स्वयं नतीजा निकाल सकते हैं कि वहां की सुरक्षा नहीं रहेगी। मैं आपका ध्यान पिथौरागढ़ जनपद के मिलम गांव की ओर दिलाना चाहता हूं, वहां के क्षेत्र आबादी से खाली हो जायेंगे तो आप स्वयं नतीजा निकाल सकते हैं कि वहां की सुरक्षा नहीं रहेगी। मैं आपका ध्यान पिथौरागढ़ जनपद के मिलम गांव की ओर दिलाना चाहता हूं, वहां गांव के गांव खाली हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है, आप बैठें।

माननीय पर्वतीय विकास मंत्री आप कुछ बोलना चाहते हैं।

(पर्वतीय विकास मंत्री खड़े नहीं हुये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने मेरे इस प्रस्ताव के समर्थन में और चाहे विरोध में अपने विचार प्रकट किये। सभी ने जो उदाहरण और तर्क दिये हैं, उनके निष्कर्षों में भले ही मतभेद हो, लेकिन परिस्थिति का आंकलन सबका एक है और वह यह कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास होना चाहिये। मैं इस संबंध में 3 बातें कहना चाहूंगा। एक बात यहां मेरे बारे में और मेरी पार्टी के बारे में कही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी कि पहले हमें लोग इसके पक्षधर नहीं थे मान्यवर, हमारी पार्टी का राजनीतिक चिंतन यथास्थितिवादी नहीं है। परिस्थितियों को देखकर, भारत के विकास, भारत को समृद्ध करने, इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति के लिये अगर हमने कोई परिवर्तन किये हैं, तो यह हमारे अच्छी सोच का परिचायक है। हम यथास्थितिवादी नहीं हैं, हो सकता है पहले हमें पहाड़ की जानकारी न होगी, तब हमने यह बात कही होगी। लेकिन आज पहाड़ की पूरी स्थिति समझ लेने के बाद मेरा तथा मेरी पार्टी का सुविचारित मत है कि अलग प्रशासनिक इकाई बनना चाहिये। जहां तक एकता और अखण्डता की बात है, यह भावनात्मक बात कही गयी है। हमारे देश में अलग-अलग प्रशासनिक इकाईयां हैं और यह देश की अखण्डता और राष्ट्र के विकास की मूल धारा को शक्ति नहीं देती।

भारत का संविधान संघात्मक है। यदि प्रदेश एकता में बाधक होते तो एकात्मक संविधान बना होता। यदि क्षेत्रीयजन सन्तुष्ट तथा अन्यों के समान सुखी तथा सम्पन्न रहेंगे तो अलगाववाद को सहारा तथा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। एकता तथा अखण्डता यह भावनात्मक राष्ट्रीय सोच का परिणाम है। 'उत्तराचल' प्रदेश की मांग किसी क्षेत्रीय दल की न होकर एक राष्ट्रीय पार्टी का सुविचारित समर्थन है। जहां तक हमारे राज किशोर सिंह जी ने कहा कि उत्तरांचल नाम होगा या उत्तराखंड नाम होगा। इस बारे में हमारा कोई झगड़ा नहीं है। श्री एरी का भी नाम पर कोई विवाद नहीं है। उत्तरांचल नाम बहुत समझ-बूझकर हमने रखा है। हिमांचल की तरह ही हमने भी उत्तरांचल नाम रखा है। हमारे साथियों में नाम का कोई विवाद नहीं है, नाम तो बाद में भी तय कर लिया जायगा। हमने सुविचारित ढंग से उत्तरांचल की बात कही है। उत्तराखंड से खण्ड का एहसास होता है फलतः उत्तरांचल नाम उचित है।

मान्यवर, सन् 1948 में धर आयोग का गठन हुआ था, उसने कुछ मूलभूत बात कहीं थीं, एक प्रदेश के लिये वित्तीय आत्मनिर्भरता, प्रशासनिक सुविधा तथा भविष्य में विकास की संभावनायें, आवश्यक कहा। इन सभी मानकों की कसौटी पर यह मेरा तर्क सही उतरता है और इन सब बातों को देखते हुये उत्तरांचल प्रदेश का गठन होना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्रीमती सुखदा मिश्रा के खड़े होने पर)

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। तकनीकी दृष्टि से तो मंत्री परिषद की संयुक्त जिम्मेदारी होती है, परन्तु संसदीय परिपाटी यह है कि जो विभाग जिस मंत्री के पास हो और यदि वह उपस्थित हो तो उसका उत्तर उन्हीं को देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो जानते ही हैं कि मंत्री परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आप तो विद्वान सदस्य हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

(श्री किशन सिंह तड़ागी व श्री महेन्द्र सिंह के एक साथ खड़े होने पर शोर तथा व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह—

मान्यवर; यह कैसी विड़म्बना है कि पर्वतीय राज्य की मांग के संबंध में मैदानी क्षेत्र के माननीय सदस्य बोल रहे हैं। हम जो पर्वतीय क्षेत्र से आये हैं, उन्हें आप समय नहीं दे रहे हैं।

*लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, श्री गुप्ता जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न रखा है, उसके संबंध में मेरा यह कहना है कि यह पर्वतीय विकास विभाग से संबंधित मामला नहीं है। यह राष्ट्रीय एकीकरण का मामला है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने व्यवस्था दे दी है कि मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। माननीय श्री गुप्ता जी ने इसे मान भी लिया है।

(श्री किशन सिंह तड़ागी व श्री महेन्द्र सिंह के खड़े रहने पर-शोर तथा व्यवधान)

आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जो यहां प्रस्ताव रखा गया है वह श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने रखा है, किसी भी पहाड़ी क्षेत्र के माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को नहीं रखा है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वह तर्कसंगत नहीं है।

(श्री किशन सिंह तड़ागी व श्री महेन्द्र सिंह खड़े रहे और कहने लगे कि आप हमें नहीं सुन रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम सदन छोड़कर चले जायें तो हम चले जायेंगे।)

(श्री किशन सिंह तड़ागी व श्री महेन्द्र सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

*ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

मान्यवर, पर्वतीय विकास मंत्री जी इसका जवाब दें, शायद गुप्ता जी यह आशा कर रहे थे कि वह उनकी बात से सहमत हो जायेंगे। मैं उन्हें बता देना चाहती हूं कि उनकी बात से पर्वतीय विकास मंत्री जी भी सहमत नहीं होंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय श्री गुप्ता जी जैसे वरिष्ठ व विद्वान सदस्य इस प्रस्ताव को लाये हैं। भारत का भौगोलिक इतिहास भी यह बताता है कि चाहे देश के पहाड़ हों या प्रदेश के पहाड़ हों, हमेशा भारत वर्ष की रक्षा करते रहे हैं। इसके साथ ही साथ वहां से जो गंगा व जमुना नदियां निकली हैं। इलाहाबाद में आकर उनका संगम हुआ है और यह संगम भी, प्रकृति और ईश्वर इस बात के साक्षी हैं कि इस प्रदेश को एक रहना चाहिये और एकता के सूत्र में बंधना चाहिए। नदियों का उद्गम इस बात का द्योतक है। इसके साथ-साथ बढ़ी हुई वैज्ञानिक दुनिया में तो यह सुझाव देना कदाचित गलत है कि उत्तरांचल बना देना चाहिये।

आजकल संचार माध्यम इतने बढ़ चुके हैं। औद्योगीकरण की बात भी गुप्ता जी ने कही। हवाई जहाज, जो दुनिया को इतना पास जोड़ रहा है, दुनिया को इतना नजदीक कर दिया है, तेज रेलें, अच्छी बसें, जो कि एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ सकती हैं, आज हम विभाजित कर दें। हम समझते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में इसकी आवश्यकता नहीं है। गुप्ता जी ने कहा कि असंतोष के कारण सुरक्षा नहीं रहेगी, तो इसका एक सीधा उत्तर यह है कि सुरक्षा तो तब नहीं रहेगी अगर यह विभाजित कर दिया जाय, तो इसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हमारा अनुभव है कि जहां-जहां सीमाओं का विभाजन हुआ है, वहां-वहां खतरा बढ़ गया है। पंजाब इसकी एक मिसाल है। जैसा कि उन्होंने उद्योग की उन्नति की बात कही, मा0 सदस्य इस बात को स्वयं देख लें कि पंजाब की प्रगति विभाजन पहले क्या थी और आज क्या है। इसी तरह से हिमांचल की मिसाल है। हिमांचल प्रदेश का बजट और उत्तर प्रदेश का पहाड़ का बजट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करीब-करीब बराबर है । हमारा बजट 330 करोड़ रु0 के लगभग है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बराबर है । उन्नति के प्रश्न पर पिछली बातें बताना चाहूंगी । हिमाचल प्रदेश को और पंजाब को 5—7 साल से अधिक का समय लग गया था । करोड़ों रुपये से राजधानी चंडीगढ़ बनायी गयी । अगर वह पैसा पंजाब और हरियाणा में मिलाकर लगाया जाता तो पता नहीं कितनी उन्नति होती । फिर माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा, उद्योग, इनमें हमारी प्रगति नहीं हो रही है । हिमाचल प्रदेश ने जिस तरीके से प्रगति की बात कही अगर उसकी तुलना की जाय तो पहाड़ी प्रदेश में शिक्षा का अलग कैडर है, डक्टरों का और नर्सेज का कैडर अलग है, उच्च अधिकारी सारे वहां पर रहते हैं, उनका समीकरण रहता है, जितने विभाग हैं, उनकी व्यवस्था अलग की गयी है । मैं वन विभाग का जब बजट पढ़ रही थी तो पता लगा कि आपने कहा कि 1980 के वन अधिनियम की वजह से वहां पर प्रगति नहीं हो पाती है । 1600 से कुछ अधिक मामले अधिनियम के अंतर्गत हमारी सरकार को भेजे गये थे, हमारे यहां 800 से अधिक निस्तारित हो चुके हैं और बाकी निस्तारित हो रहे हैं, जो थोड़े बहुत कम हैं वे भी शीघ्र ही हो जायेंगे । इसलिये 1980 के वन अधिनियम को जो बात कही, उसमें भी विकास में कोई बाधा नहीं पड़ती है ।

उत्तर प्रदेश की विशालता, हम लोग सब राजनीतिक यहां बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की विशालता ही हमारी महानता है । हर एक राजनीतिक इन्सान यह जानता है कि उत्तर प्रदेश की महानता उसकी विशालता की वजह से ही है । राजनीतिक महत्व भी चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, किसी क्षेत्र का हो, उत्तर प्रदेश की महानता और विशालता की वजह से ही है । हम राजनीतिक लोगों की सलाह उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिये नहीं होनी चाहिये । यह बात मन से निकाल दीजिये कि वहां पर विभाजन न होने की वजह से उन्नति नहीं हो रही है ।

केवल एक बात मैं कहना चाहूंगी जो कि देश की अखण्डता के लिये बहुत ही आवश्यक है कि माननीय सदस्यों ने बार-बार यह बात दोहरायी कि हमारी उत्तराखण्ड की मांग केवल इसलिये है कि वहां उन्नति नहीं हो रही है । मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि वहां किंचित मात्र भी कोई बाधा नहीं है उन्नति के मार्ग में बल्कि विशेष तौर पर वहां के लिये ध्यान दिया जाता है । कई माननीय सदस्यों ने पहाड़ पर पर्यटन के बारे में कहा है, तो पर्यटन केवल पहाड़ पर ही नहीं है । उत्तर प्रदेश तो पर्यटन के विषय में सोने की खान जैसा है । पर्यटन पहाड़ में भी है और मैदानी क्षेत्रों में भी है और प्रदेश में उत्तरोत्तर इसे बढ़ावा मिलेगा । हमारी सरकार इस ओर अधिक प्रयास करेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, अभी आप कितना समय और लेंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

बस थोड़ा सा और । इसलिये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं सभी माननीय सदस्यों को कि पहाड़ की किसी प्रकार से उपेक्षा नहीं हो रही है । वहां के लिये जितनी व्यवस्था अधिकारियों और कर्मचारियों की होनी चाहिये, वह हो रही है । जो कमी थी कि हमारे अधिकारी/कर्मचारी वहां जाना नहीं चाहते हैं तो इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि अब सख्ती के साथ वहां लोगों को भेजा जायेगा कि वह लोग वहां पर जाकर काम देखें । इसी के साथ, मैं माननीय सदस्य से आशा करती हूं कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ। प्रश्न यह है कि यह सदन भारत सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, गढ़वाल, उत्तर काशी, देहरादून तथा हरिद्वार जिलों को मिला कर "उत्तरांचल" नाम से एक पृथक प्रदेश गठित कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

*लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के 4-4 सदस्यों, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों तथा लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, काशी विद्यापीठ, वाराणसी और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा में कार्य करने के लिये प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों की उक्त निकायों में सदस्यता के लिये जिसके निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना इस सदन में 22 जून, 1990 को दी गयी है, संबंधित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त निकायों में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी निकायों में सदस्यता के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त निकायों में नाम निर्देशन कर दें और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त निकायों में संबंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मण्डी निदेशक द्वारा प्रकाशित "मण्डी स्टेट्स सर्वेक्षण रिपोर्ट" में मण्डी समितियों में करोड़ों रुपये के घपले विषयक तथा उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मिर्जापुर स्थित कम्बल कारखाने के श्रमिकों का शोषण किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

1—श्री रविदास मेहरोत्रा की दिनांक 30-6-90 को लक्ष्मणगंज, तुलसीदास मार्ग लखनऊ में ललितपुर जिला परिषद् के अध्यक्ष की अम्बेसडर कार द्वारा किए गये एक्सीडेंट में एक महिला की मृत्यु और कई लोगों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2—श्री देव कुमार यादव की ग्राम-पदारथपुर, जिला बांदा में दिनांक 25-6-90 को श्री छोटा नाई को जिन्दा जला दिये जाने के संबंध में।

3—श्री पंचानन राय की आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी के तीव्र कटाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4—डाक्टर सरजीत सिंह डंग की उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मिर्जापुर स्थित कम्बल कारखाने के श्रमिकों का शोषण किये जाने के संबंध में।

5—श्री श्याम देव राय चौधरी दादा की रेलवे द्वारा सरकारी खजानों को भेजे जाने वाले करोड़ों रुपये के जनरल स्टाम्प पेपर की चोरी से राजस्व की क्षति होने के संबंध में।

6—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की मण्डी निदेशक द्वारा प्रकाशित मण्डी स्टेट्स सर्वेक्षण रिपोर्ट में मण्डी समितियों में करोड़ों रुपये के घपले के संबंध में।

7—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की जनपद बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में सिन्थेटिक एण्ड केमिकल लि0 रबर फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8—श्री अमरनाथ यादव की काशी विद्यापीठ वाराणसी में बन्द सान्ध्य कक्षायें खोलने एवं बन्द के फलस्वरूप पीड़ित 34 अध्यापकों की सेवा बहाली के संबंध में।

9—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी) की बाराबंकी जनपद के कई क्षेत्रों में गत एक सप्ताह से विद्युत आपूर्ति ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10—डाक्टर दिनेश जौहरी की नेशनल कार्बेट पार्क रामनगर जनपद नैनीताल में बिजली की लाइन से करेन्ट लग जाने से दो हाथियों की हुई संदिग्ध मृत्यु के संबंध में।

11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की मोदी नगर स्थित मोदी वनस्पति उद्योग में मजदूरों के शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

इन सूचनाओं में माननीय अध्यक्ष ने दो स्वीकार किया है । डाक्टर सरजीत सिंह डंग की सूचना पर केवल वक्तव्य और श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना को वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है ।

ग्राम दलौनी का पुरवा, मजरा चकारे, थाना मऊ जिला बांदा के श्री कल्लू केवट पुत्र राम प्रसाद की मऊ पुलिस द्वारा मारपीट कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-5-90 को थाना मऊ जनपद बान्दा के तीन पुलिस कान्सटेबिल ने कल्लू केवट पुत्र परसादी तथा अन्य द्वारा आसपास के गांवों में आतंक फैलाने की सूचना अंकित कराई । दिनांक 23-5-90 को 12-10 बजे दिन श्री नत्थू पुत्र आशादीन निवासी कोरी का पुरवा मजरा चकारे ने थाना मऊ में कल्लू केवट तथा अन्य के विरुद्ध अभियोग संख्या 48/90 धारा 394 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया । दिनांक 25-5-90 को थानाध्यक्ष, मऊ पुलिस बल के साथ गैंग रम्पा-भुग्गा की सुरागरसी में थे । उन्हें सूचना मिली कि अपराध संख्या 48/90 धारा 394 भा0 दं0 वि0 का नामित अभियुक्त कल्लू केवट अपने घर में छिपा है । इस पर पुलिस ने कल्लू केवट के घर को घेर लिया । पुलिस की आहट पाकर अभियुक्त कल्लू केवट मकान से कूदकर भागने में गिर गया और उसे मामूली चोटें आयी । पुलिस द्वारा 10.30 बजे दिन में उसे गिरफ्तार किया गया । साढ़े नौ बजे रात्रि अभियुक्त कल्लू ने हवालात में तबियत खराब होने की बात बतायी कोई स्थानीय चिकित्सक उपलब्ध नहीं हुआ । 9.50 बजे रात्रि थानाध्यक्ष मऊ ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ सरकारी जीप में अभियुक्त की चिकित्सा हेतु चिकित्सालय कर्बी के लिए प्रस्थान किया । रास्ते में कल्लू केवट बेहोश हो गया जिससे संयुक्त चिकित्सालय कर्बी में मृत घोषित किया गया । कल्लू की मृत्यु की सूचना थाना कर्बी में दी गयी एवं उसका पंचायतनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भरकर पोस्टमार्टम करवाया गया । मृतक की मां को गांव में सूचना दी गई । अन्य कोई वारिस उपलब्ध न होने के कारण तथा शव की स्थिति बिगड़ते देखकर पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार दिनांक 27-5-90 को 11.00 बजे किया गया ।

2. दिनांक 27-5-90 को मृतक के भाई श्री राम संवारे ने मऊ पुलिस द्वारा अपने भाई कल्लू केवट को हवालात में लाठियों से पीटने एवं परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाने का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक, बांदा के निर्देशानुसार थानाध्यक्ष मऊ एक उपनिरीक्षक एवं 6-7 पुलिस कान्सटेबिल तथा श्री राजेन्द्र सिंह प्रधान बकारे के विरुद्ध थाना मऊ पर मुकदमा अपराध संख्या 55/90 धारा 147/342/302 भा0 दं वि0 पंजीकृत करके एस0 आई0 एस0 द्वारा विवेचना की जा रही है । श्री कल्लू केवट की मृत्यु की परिस्थितियों के संबंध में अपर जिलाधिकारी कर्बी द्वारा मैजिस्ट्रीयल जांच की जा रही है । थानाध्यक्ष मऊ का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

घटना के संबंध में वांछित कार्यवाही की गयी है ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, जो वक्तव्य दिया गया है, उसमें सच्चाई कम है और झूठ अधिक है। सब बनाकर वक्तव्य दिया गया है, कल्लू की हत्या कर दी गयी। जो रिपोर्ट दर्ज हुई उसकी भी तारीख नहीं दी गयी है। 12-6-90 को रिपोर्ट दर्ज की गयी है। वक्तव्य में केवल दफा दी गयी है। कल्लू की मौत की रिपोर्ट तब दर्ज हुई जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश किये। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन लोगों के खिलाफ दफा 147, 342, 302, 120 की और कई दफायें लगी हैं। उन मुल्जिमों के नाम क्या हैं। उन लोगों को अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया है।

श्री शत्तरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जो अभियुक्त हैं, वह राम प्रकाश, थानाध्यक्ष, रामचरन वर्मा एस0 आई0 थाना मऊ, राजेन्द्र सिंह प्रधान ग्राम चकोर जिला बांदा, राम दास और अन्य 6-7 सिपाही। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब एस0 ओ0 का स्थानांतरण कर दिया गया है और एस0 आई0 एस0 की जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री राज किशोर सिंह—

जब उनके विरुद्ध मुकदमा कायम हो गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उनको जेल भेजा जाना चाहिए। उनका निलंबन भी नहीं किया गया। यह तो कानून के खिलाफ काम हुआ। मजिस्टीरियल जांच होती रहेगी लेकिन जब प्राइमा फेसी केस बन गया, उनके खिलाफ धारायें बन गईं तो कानून को उन्हें पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, निलंबन भी नहीं हुआ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, अभी तक तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। यह सही है। जैसा कि माननीय राजकिशोर जी बता रहे हैं जो जानकारी मिली है उससे ऐसा लगता है कि एक गरीब आदमी को मारा गया है। एस0 आई0 एस0 को जांच दी गई है। लेकिन जो कार्यवाही हुई है उसमें एस0 ओ0 का ट्रांसफर किया गया है। जांच के संबंध में अगर माननीय सदस्य किसी और एजेन्सी से जांच कराना चाहें तो वह बता दें?

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, पुलिस द्वारा यह बहुत ही निर्मम हत्या हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जब 28 तारीख को लमेटा गये थे तो हम लोगों ने जब आग्रह किया तब उनके आदेश पर 12 जून को मुकदमा कायम किया गया। इस सम्बन्ध में कई राजनीतिक दलों द्वारा आन्दोलन चलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस केस में निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो गया है कि जिले की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। एस0 आई0 एस0 भी पुलिस के अन्तर्गत ही आता है। इसलिये इस विषय की गंभीरता को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराने के आदेश देंगे?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

सी0 आई0 डी0 से करा देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह तो मंत्री चाहते ही थे । उन्होंने इशारा किया । मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच पर जांच कराने का क्या कारण है । मान्यवर, वक्तव्य की दूसरी कंडिका में कहा गया है कि 27-5-90 को मृत्यु हुई और धारा 147/342/302 लगाई गई । वह 302 के अभियुक्त हैं । सरकार ने प्राग्दर्शन में इसे सही भी पाया और एस0 आई0 एस0 से जांच भी करवा रहे हैं । 302 के मुल्जिम को गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने पूरी तरह से घटना को देखा नहीं है । 27 तारीख को मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उस दिन अंतिम संस्कार किया गया । ऐसा नहीं है कि किसी को बचाने के लिये जांच करवा रहे हैं बल्कि कोई भी दोषी आदमी बच न जाय इसलिए सी0 आई0 डी0 की जांच स्वीकार की है । अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जबकि कार्यवाही हो जानी चाहिए थी, यह नहीं की गई है । जो जांच हो रही है उससे नतीजा नहीं मिल पायेगा इसलिये सी0 आई0 डी0 की जांच करा दी जायेगी । बगैर जांच के कैसे कार्यवाही की जायेगी ?

किसानों को कर्ज वसूली में प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ने के लिये मंत्री जी खड़े हुये ।)

श्री अधिष्ठाता—

यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

गन्ना विकास एवं राजस्व मंत्री (श्री राम शरण)—

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-56 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, द्वारा दी गयी सूचना जिसमें उल्लेख है कि किसानों से कर्जा वसूली में बड़े पैमाने पर प्रताड़न की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें कुर्की, गिरफ्तारी तथा अग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स निलम्बित किये जा रहे हैं, तथा दस हजार रुपये की माफी की परिधि में जो किसान आ रहे हैं, से भी जबरिया वसूली हो रही है एवं सबसे अधिक तेजी सहकारिता विभाग में बतायी है जिससे किसानों में त्राहि-त्राहि मची है तथा लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजस्व विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 1989 द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, बुनकरों तथा दस्तकारों को स्वीकृत दस हजार रुपये तक के शासकीय ऋणों की वसूली स्थगित की गयी थी, जिसके उपरान्त टेलेक्स दिनांक 6 जनवरी, 1990 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये थे कि उपरोक्त श्रेणी के बकायेदारों से सहकारी देयों, असरकारी देयों तथा बैंकों के देयों की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न की जाय । अतः दस हजार रुपये तक की शासकीय ऋणों की वसली शासन दवारा स्थगित है, तथा सहकारी संस्थाओं से लिये गये ऋण के अपिदेयों से राहत दिलाने के उद्देश्य से ऋण राहत योजना स्वीकृत की

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गयी है, जिसमें कृषकों, बुनकरों, दस्तकारों, शिल्पकारों एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दिये गये विभिन्न कर्जों के सम्बन्ध में सहकारिता विभाग द्वारा ऋण राहत योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा सहकारिता विभाग ने इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 30 मई, 1990 में ऋण राहत योजना की विस्तृत रूपरेखा दी है, जिसमें समस्त जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी कि ऋण माफी की राहत पाने वाले सभी ऋणियों की सची 30 जून, 1990 तक तैयार हो जाय । इसके उपरान्त उक्त प्रकार के ऋणों के माफी के आदेश 30 सितम्बर, 1990 पक निर्गत कर दिये जायेंगे । इस शासनादेश में जिलाधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गयी है कि इस ऋण राहत योजना के अन्तर्गत माफ न किये जाने वाले समस्त ऋणों की ब्याज सहित वसूली तत्काल की जावे तथा इन ऋणों की वसूली हेतु कड़े तथा प्रभावी कदम उठाते हुए 30 जून, 1990 से पूर्व अधिक से अधिक वसूली सुनिश्चित की जावे ।

इस प्रकार दस हजार रुपये तक के शासकीय ऋणों की वसूली अभी भी स्थगित है और सहकारी, असरकारी व बैंकों के केवल ऐसे ऋणों की वसूली का अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत उन्हीं लोगों से वसूली की जा रही है जो शासन की ऋण माफी की उक्त योजना के अन्तर्गत नहीं आ रहे हैं ।

अभी तक शासन की जानकारी में ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है कि शासन की ऋण माफी की परिधि में आने वाले व्यक्ति से अनियमित/जबरिया वसूली की जा रही है । यदि शासनादेशों के विपरीत कार्य किये जाने सम्बन्धी कोई भी मामला प्रकाश में आयेगा तो सम्बन्धित दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने अपने वक्तव्य में जगह-जगह पर ऋण माफी की परिधि, ऋण माफी की परिधि का उल्लेख किया है ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

श्री राम शरण—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी बहुत विद्वान और पुराने सदस्य हैं । इनकी जो नियम 56 में चर्चा दी है उसमें कहीं नहीं पूछा है कि फलां जगह यह हुआ या फलां के साथ जबरदस्ती हुई है । दुनियां भर की बात कर गये हैं । किसी का नाम नहीं बताया है कि लाइसेंस में इसके साथ जबरदस्ती हुई है । वह एक भी वाकया बता दें तो हम कार्यवाही करेंगे । यह नियम 56 में लिया कैसे ?

गणपूर्ति के अभाव में सदन का स्थगन

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, कार्यवाही नहीं चल सकती है क्योंकि कोरम नहीं है ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अधिष्ठाता—

कोरम का अभाव है इसलिये कार्यवाही नहीं चल सकती है। घंटी बजाई जाय।

(कोरम की घंटी बजाई गयी)

श्री अधिष्ठाता—

इसमें कोई कार्यवाही नहीं लिखी जायेगी।

(गणपूर्ति हेतु 5 मिनट तक घंटी बजने के उपरान्त भी कोरम पूरा न होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

कोरम के अभाव में अब हम उठते हैं और कल 11 बजे (पूर्वाह्न) में फिर बैठेंगे।

(तदुपरांत सदन की कार्यवाही स्थगित हुई)

(इसके बाद सदन 6 बजकर 28 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
2 जुलाई, 1990

लाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1990 के तीसरे सोमवार हेतु निर्धारित श्री पंचानन राय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-8 के उत्तर का संलग्नक ।

समस्या		समस्या पर कृत कार्यवाही
बिन्दु-1	डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज, आजमगढ़	डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज, आजमगढ़ में वर्ष 1951 में तीन वाणिज्य प्रवक्ता क्रमशः श्री शशिभूषण श्रीवास्तव, 2—श्री रामानुज शाही, 3—श्री सच्चिदानन्द सिन्हा कार्यरत रहे हैं । इनमें से वर्ष 1965 में श्री शशि भूषण श्रीवास्तव इसी विद्यालय में प्रधानाचार्य हो गये फलस्वरूप विद्यालय में दो ही प्रवक्ता रह गये । श्री श्रीवास्तव 1985 में अवकाश ग्रहण कर लिया । वर्ष 1985 में श्री सच्चिदानन्द सिन्हा प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति पा गये और श्री रामानुज शाही 1985 में अवकाश ग्रहण कर लिया । इससे स्पष्ट है कि 30 जून, 1985 को सेवानिवृत्त होने के कारण दोनों पद प्रवक्ता कामर्स के रिक्त हो गये । उनमें से एक पद पर आरक्षित समूह अध्यापक मूल टीचर्स द्वारा भरा गया है । विद्यालय में एक ही पद भरने हेतु रह गया था । परन्तु विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने वर्ष 1965 को रिक्त हुए पद को जो कालातीत हो गया था को रिक्त मानते हुए तीन पद मानकर एक पद पर आरक्षित समूह अध्यापक और दो पद पर तदर्थ नियुक्ति करके इस कार्यालय के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक से गलत तथ्य प्रस्तुत कर वित्तीय सहमति प्राप्त कर लिया जिससे तीन प्रवक्ताओं को वेतन दिया जाने लगा। स्थिति स्पष्ट होने पर विद्यालय के प्रबन्धक को निर्देश दिया गया कि विद्यालय में एक प्रवक्ता को अधिक वेतन भुगतान हो रहा है । अतः एक प्रवक्ता जो कनिष्ठ हो, की सेवा समाप्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।
बिन्दु-2	किसान उ0 मा0 वि0 मदनापुर	श्री राम प्यारे यादव, सहायक अध्यापक का वेतन उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर के आदेशानुसार रोक दिया गया है । प्रकरण वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है ।

समस्या		समस्या पर कृत कार्यवाही
बिन्दु-3	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बनकट, आजमगढ़	श्री नामवर सिंह को दिनांक 11-6-1990 को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया तथा अप्रैल, 90 एवं मई, 1990 का वेतन भुगतान कर दिया गया है। मुबारकपुर की जांच की जा रही है। अभी तक अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण जांच सम्भव नहीं हो पायी है।

निदेशालय स्तर पर प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्यवाही गुणावगुण के आधार पर की जाती है। आजमगढ़ जनपद की समस्याओं के संबंध में आपसी विचार विमर्श भी किया गया है और समस्याओं के समाधान हेतु आदेश भी दिये गये हैं। अतः निदेशालय स्तर पर कार्य निस्तारण में किसी गुट विशेष अथवा दलीय आधार पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

परिशिष्ट—1

क्रमांक	विकास खण्ड	चयनित ला0 संख्या	बैंक शाखावार भेजे ग प्रार्थना-पत्र य											
			भा0 स्टेट बैंक	म0 बी0 आई0	ग्रामीण बैंक	जि0 स0 बैंक	इलाहाबाद बैंक	एल0 डी0 बी0	वी बनारस स्टेट बैंक	सेन्ट्रल बैंक	पी0 एन0 बी0	बड़ौदा	कुल योग
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मुहम्मदाबाद	1860	279	227	600	19	64	8	..	..	..	..	..
2	मांवरकोल	1404	34	228	316	43	165	69	..	..	..	..	..
3	बाराचकर	2130	..	725	218	80	..	50	..	..	..	..	..
4	कासिमाबाद	1551	7	233	420	235	..	35	..	..	..	..	..
5	संदपुर	2195	105	314	376	68	..	67	..	..	..	..	..
6	सादातपुर	885	..	383	457	116	..	30	..	..	..	..	..
7	देवकली	1362	16	370	493	60	..	83	..	..	..	..	..
8	जखनिया	1015	..	265	526	58	88	25	..	..	..	..	..
9	मनिहारी	1880	..	475	371	176	.	105	..	..	..	..	..
10	जमानियां	2697	68	260	461	183	130	54	15	..	..	..	..
11	रेवतीपुर	2262	..	137	418	90	..	..	..	..	..	..	..
12	भदौरा	165	..	256	688	56	69	12	..	..	..	..	..
13	मरवह	1386	4	109	493	30	..	102	..	..	..	..	..
14	करण्डा	1580	..	418	290	66	..	174	..	..	..	..	..
15	बिरनो	1446	47	275	155	55	50	94	..	..	..	..	..
16	गाजीपुर	1260	408	226	212	41	36	24	12	83	16	5	..
	कुल योग ..	26563	968	4798	6494	1374	602	932	27	83	16	5	1529

अविभाजित अवधि

परिशिष्ट—2

क्रमांक	विकास खण्ड	भारत स्टेट बैंक	यू0बी0आई0	ग्रामीण बैंक	जि0 स0 बैंक	इलाहाबाद बैंक	एल0डी0बी0	बनारस बैंक	सी0बी0आई0	पी.एन0बी0	बी0ओ0बी0	आदी प्राथ्य उद्योग	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मुहम्मदाबाद	180	163	428	9	45	3	..	..	..	..	..	..
2	भांवर कोल	24	159	177	18	92	41	..	..	..	..	..	..
3	वाराचवर	..	525	130	60	..	50	..	..	..	..	..	..
4	कासिमाबाद	4	160	341	220	..	25	..	..	..	..	..	..
5	संदपुर	69	289	274	72	..	58	..	..	..	..	..	..
6	साबात	..	164	365	95	..	56	..	..	..	..	..	..
7	देवकली	..	228	390	50	..	71	..	..	..	..	13	..
8	जखनिया	..	174	362	38	62	12	..	..	..	..	..	..
9	मनिहारी	..	362	288	97	..	62	..	..	..	..	..	..
10	जमानियां	54	179	340	115	99	12	11	..	..	..	..	..
11	रेवतीपुर	..	126	349	60	..	140	..	..	..	..	..	..
12	भदौरा	..	176	470	66	66	5	..	..	..	..	..	..
13	मरवह	..	89	346	52	..	25	..	..	..	..	..	..
14	धिरनो	27	177	130	14	31	71	..	..	..	..	..	..
15	करण्डा	..	245	229	47	..	131	..	..	..	..	..	..
16	गाजीपुर	296	178	141	31	19	21	6	69	14	4	..	..
	कुल योग ..	654	3894	4760	1044	414	883	17	69	14	4	13	11266

नत्थी 'ग'

(देखिये आ0 प्र0 सं0 87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

श्री पंचानन राय सदस्य विधान सभा द्वारा विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-87 के उत्तर हेतु कार्यवाही की सूचना ।

करखिया हैदराबाद मार्ग पर छोटी सरजू नदी पर निर्मित सेतु के पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1985 में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य आरम्भ किया गया जिसमें कि ढुलाई के मिट्टी का प्राविधान नहीं होता है कार्य पूर्ण करने हेतु ढुलाई की मिट्टी की आवश्यकता होने के कारण कार्य पूर्ण करना स्वीकृति योजना में सम्भव नहीं था । अतः शेष कार्य की स्वीकृति जिला योजना 1985-86 में प्रस्तावित की गयी जिसकी वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2053ई/23-सा0 नि0 अनु0-11-164ई/83, दिनांक 31-3-86 द्वार 6.00 लाख रुपया की प्राप्त हुआ सीमित राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण स्वेच्छा से भूमि प्राप्त करने के प्रयत्न किये गये तथा कार्य आरम्भ किया गया किसानों के अवरोध के कारण आवश्यक भूमि अर्जन के प्रस्ताव कार्यालय के पत्रांक 992/32/विविध दिनांक 30-5-1987 द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आजमगढ़ को भेजा गया जिसे उन्होंने अपने पत्रांक 0927/बी0 भू0 अ0 अ0-आजमगढ़ दिनांक 27-6-1987 द्वारा आपत्तियों के साथ वापस कर दिया आपत्तियों के निराकरण के पश्चात कार्यालय के पत्रांक 954/32/विविध दिनांक 20-4-1988 द्वारा पुनः विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आजमगढ़ को भूमि अर्जन हेतु भेजा गया । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आजमगढ़ ने अपने पत्रांक 1176/वि0 भू0 अ0 अ0 आजमगढ़ दिनांक 14-6-1988 द्वारा अग्रिम 2.5 लाख का प्रतिकर के भुगतान हेतु मांग की परन्तु जिला योजना की समिति धनराशि आवंटित होने के कारण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी-आजमगढ़ को अग्रिम धन उपलब्ध कराया जाना सम्भव न हो सकता तत्पश्चात किसानों से आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर का भुगतान कर भूमि अर्जन की कार्यवाही आरम्भ की गयी जिसके लिए परगनाधिकारी सगड़ी-जनपद आजमगढ़ से किसानों से ली गयी भूमि का सत्यापन मांगा गया जिसके प्राप्त होते ही कृषकों को उनके भूमि के प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा ।

सूची 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 119 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

तालिका "क"

उन मृतक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की तालिका जिनका पेंशन आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं है। तथा अभी तक पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

क्रमांक	नाम अध्यापक एवं अध्यापिकायें	मृत्यु दिनांक	कार्यरत विद्यालय का नाम
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती--		
1	राम फेर सिंह	16-11-89	ऊंचगांव सुईथाकला
2	बान बहादुर सिंह	21-3-90	मोलमपुर सुजानगंज
3	तहसील यादव	30-4-90	हरकपुर शिकरारा
4	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	19-5-90	बनसफा शिकरारा
5	फूल चन्द्र पाल	22-4-90	चुरहौर केराकत
6	राजमणि यादव	16-6-78	हरिरामपुर
7	केसर देवी	16-6-78	हरहीपुर
8	सीतला प्रसाद	..	भन्नौर बरसठी
9	लक्ष्मीराम यादव	..	बदिराबाद जलालपुर
10	शीला देवी	..	डोभी
11	राम नरेश मिश्रा	17-12-78	जौरकपुर मछलीशहर
12	गोकरननाथ पाठक	20-11-80	अडियार रामनगर
13	केसरा देवी	22-12-80	जमैथा
14	राजबहादुर मौर्य	20-6-84	धर्मपुर सुजानगंज
15	उमाकान्त	6-3-84	शीतला चौकिया धर्मापुर
16	जय राम विश्वकर्मा	..	नगर क्षेत्र
17	दयाशंकर पाण्डेय	..	नगरपालिका शाहगंज

उत्तर प्रदेश संवाद

तालिका 'ख'

उन मृतक अध्यापक/अध्यापिकाओं की तालिका जिनकी पेंशन स्वीकृति हेतु भेजी गयी लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर के कार्यालय की स्वीकृत होकर न आने के कारण उनको अभी तक पेंशन नहीं दिया जा रहा है ।

क्रमांक नाम अध्यापक/अध्यापिका	कार्यरत विद्यालय का नाम
1—यशवन्त सिंह	जूनियर हाई स्कूल दूबेपुर जलालपुर
2—कैलाशनाथ सिंह	प्रा0 पा0 लहनपुर जलालपुर
3—हृदय नारायण मिश्र	प्रा0 पा0 कुसिया मुजराजलालपुर
4—बटेश्वर पाण्डेय	जू0 हा0 स्कूल त्रिलोचन बड़ागांव
5—बाबू राम गुप्ता	प्रा0 पा0 बहरीपुर कला बदलापुर
6—राम लखन दूबे	प्रा0 पा0 मझौली बदलापुर
7—अभिमन्यु राम	जू0 हा0 स्कूल दिल्ला का पुरा केराकत
8—राम कृपाल पाण्डेय	प्रा0 पा0 सेउर
9—सूर्य प्रसाद सिंह	प्रा0 पा0 पिलकिछा खुटहन

उत्तर प्रदेश संस्थान

तालिका "ग"

उन मृतक अध्यापक व अध्यापिकाओं की तालिका जिनके फण्ड का अंशदान जमा न होने के कारण तथा अंशदान का, भुगतान आहरित कर लेने के कारण नवीन पेंशन अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन देय नहीं है।

क्रमांक	नाम मृतक अध्यापक अध्यापिका	मृत तिथि	कार्यरत विद्यालय	विकास क्षेत्र
1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती--			
1	नृसिंह बहादुर सिंह	23-12-72	प्रा०पा० बरौली	महाराजगंज
2	धर्मराज सिंह	15-9-73	,, बांकी	शिकारारा
3	कामलेट कजरीन	21-1-73	,, जमालपुर	मछली शहर
4	हंसराज सिंह	26-12-73	,, भगासा	सुइथाकला
5	अवध नारायण सिंह	28-12-73	,, पहसना	मड़ियाहूं
6	राम दुलारे यादव	1-10-74	,, कोपा	डोभी
7	प्रेम चन्द्र दुबे	6-3-84	,, धनेथू	रामपुर
8	कर्मवीर सिंह	6-3-74	,, तरांव	डोभी
9	लालता प्रसाद सिंह	23-5-74	,, चांदपुर	शिकारारा
10	शिवमूरत	9-11-74	,, रस्सीपुर	धर्मापुर
11	फौजदार सिंह	6-12-74	,, नाऊपुर	केराकत
12	बैजनाथ सिंह	14-1-76	,, बीवर	महाराजगंज
13	रामसूरत मिश्र	29-0-75	,, खजुरी	खरसकी
14	कृष्ण प्रसाद सिंह	4-3-76	,, बाहरपुर	महाराजगंज
15	राम मूर्ति शर्मा	9-11-76	,, मीरगंज	मछलीशहर
16	चन्द्रवती सिंह	20-9-76	,, नकवावीर	सिंगारा
17	चन्द्रभूषण सिंह	4-11-76	,, काजुद्दीनपुर	खुटहन
18	राम मूरत सिंह	30-11-76	,, आशामूलपुर	महाराजगंज
19	गंगई राम	26-12-76	,, अलहामऊ	करंजाकला
20	राम अभिलाष	15-12-77	,, तल्लीपुर	रामनगर
21	जानकी प्रसाद सिंह	30-5-77	,, बारीगांव	बरसकी
22	राधिका कुमारी	1-2-77	,, महरूपुर	धर्मापुर
23	परमिह नारायण सिंह	13-6-77	,, डेहिया	खुटहन
24	ईस नारायण शुक्ल	27-4-78	,, कस्तूरीपुर	बदलापुर
25	लालता प्रसाद	7-6-78	,, सटवां	मुराद्दाबाद

1	2	3	4	5
	अवैधी/बोमती—			
26	कोमल राम	18-5-78	,, ईलवां	केराकत
27	बक्श बहादुर सिंह	3-9-78	,, अमारी	सुजाकार
28	हर प्रसाद	21-10-78	,, टेंडवा	बक्सा
29	शिवव्रत पाल	7-2-89	,, डंगूपुर	शाहगंज
30	माता प्रसाद सिंह	9-4-79	,, डिकरी	शिकारा
31	शिवशंकर सिंह	5-5-79	,, कातिलपुर	शाहगंज
32	शोभनाथ	9-5-89	,, रामपूरन दूबी	महिपाहू
33	नृपति राम	15-12-78	,, शिवधन	रामपुर
34	रामकरन यादव	4-9-89	,, मुलनापुर	मुगराबादशाह
35	लक्ष्मी नारायण सिंह	12-4-80	,, रामपुर	मारुतिगंज
36	सावित्री देवी	25-6-80	,, सरकोनी	जलालपुर
37	चुन्नीलाल	9-10-80	,, गनापुर	मड़ियाहूं
38	शारदा प्रसाद सिंह	14-8-83	,, जीरमपुर	मछलीशहर

नत्थी 'ङ'

(देखिये आ0 ता0 प्र0 संख्या 150 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर)

प्रतिकर भुगतान ने किये गये किसानों के नाम की सूची

1. सर्वश्री बाके पुत्र जमुना
2. ,, श्रीमती नबीहन पत्नी अब्दुलसत्तार
3. ,, अयोध्या आदि
4. ,, राजपति पुत्र सोम्मर
5. ,, रामदास पुत्र महावीर
6. ,, रामकरन पुत्र महादेव
7. ,, भगेलू पुत्र चौथी
8. ,, अयोध्या आदि
9. ,, रामवृक्ष आदि
10. ,, रामवृक्ष आदि

सत्यमेव जयते